राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7 चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का 19वां दिवस संख्या 16

शुक्रवार,

दिनांक 27 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, पशुपालन, सामान्य प्रशासन, विद्युत्, खनिज, कृषि, सहकारिता, विधि, उपनिवेशन, उद्योग, आयुर्वेद विभाग)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न। श्री वृद्धिचन्द्र जैन, श्री मूलचन्द डागा।

कृषकों को पास बुक

315. श्री मूलचन्द डागा (पाली): श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या कृषकों को दी जाने वाली पास बुक के सम्बन्ध में राज्य सरकार की जो घोषणा है उसका कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा तथा राजस्थान के समस्त कृषकों को किस तिथि तक पास बुकों का बंटवारा हो जायेगा?

(2) अभी तक उक्त घोषणा के कार्यान्वयन में जो विलम्ब हुआ उसका क्या कारण है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) कृषकों को दी जाने वाली पास बुक के सम्बन्ध में राज्य सरकार की जो घोषणा है उसके क्रियान्वयन का कार्य चालू है। राजस्थान के समस्त कृषकों को पास बुकों का वितरण शीघ्र ही कर दिया जायगा।

(2) घोषणा के बाद से ही क्रियान्वयन का कार्य चालू है।

श्री मूलचन्द डागा: कब से यह चालू किया गया और कौनसी तारीख को समाप्त हो जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): इसका जवाब मैं डिमाण्ड पर जवाब देते समय दे दूंगा।

एक माननीय सदस्य: अब तक कितने काश्तकारों को यह दी जा चुकी है?

श्री मूलचन्द डागा: जो ऋण लेना चाहते हैं उन्हें इससे प्रारम्भिक ऋण लेने में सुविधा होगी अतः यह योजना कब पूरी होगी?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): पहले पहल काश्तकारों को पास बुकें देने की घोषणा कब की गई?

श्री गंगाराम चौधरी: यह 1962 से किया जा रहा है। यह निर्णय लिया था कि बन्दोबस्त के वक्त कन्सोलिडेशन होगा उस

Page No 2

(श्री गंगाराम चौधरी)
समय काश्तकारों को पास बुक दी जायगी। यह निर्णय 1969 में लिया था।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): इसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है? किस प्रकार से इसको वितरण किया जाता है?

श्री गंगाराम चौधरी: तहसीलों में पास बुकें रेकार्ड के आधार पर तैयार की जा रही हैं और उनको बांटा जा रहा है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): क्या रेकार्ड आफ राइट की तौर पर इसको लिया जायगा? क्या यह निर्णय आपने लिया है?

श्री रामकिशोर व्यास: पास बुक एडीशनल रेकार्ड होगा सेटलमेण्ट के पर्चे की जगह नहीं होगा।

श्री हरजीराम बुरडक: पास बुक्स् फ्री दी जायेगीं या पैसे लिये जायेंगे?

श्री रामकिशोर व्यास: इसकी लागत कीमत का एक रुपया लिया जायगा।

श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): पास बुक के अन्दर जो काश्तकार की जमीन लिखी हुई है टोटल बीघा लिखी हुई है, या अलग अलग खेतों की भूमि है, वह इन्दराज नहीं है?

श्री रामकिशोर व्यास: हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा: पास बुक से परचे अलग होंगे या पर्चा रोकना लाजिमी होगा?

श्री केशरीसिंह हाडा: एक काश्तकार के चार खेत हैं उसका अलग अलग रकबा है क्या वह अलग अलग लिखा रहेगा और उस रकबे पर कितना लगान है यह भी लिखा है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: इस बात को जब मांग पर विचार होगा उस समय उठा लीजिये।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): मांग पर जब रिप्लाई दिया जाता है उसके बाद प्रश्न पूछने का समय नहीं दिया जाता है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने कहा है वे उत्तर देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): पास बुक वितरण करेंगे कन्सोलिडेशन हो चुका है उसी जमीन का होगा या सब जमीन का उल्लेख उसमें होगा?

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री हरलालसिंह खर्रा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्रीमती मदनकौर।

निकृष्ट नस्ल के पशुओं का राज्य में आयात

317. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान में दूसरे राज्यों से निकृष्ट नस्ल के पशु प्रति वर्ष भेजे जा रहे हैं? यदि हां, तो गत दस वर्षों में कितने पशु इस प्रकार दूसरे राज्यों से राजस्थान में लाये गये?

(श्रीमती मदनकौर)

(2) क्या राज्य सरकार इस प्रकार निकृष्ट नस्ल के पशुओं के लाने से राज्य की उत्तम नस्ल पर जो कुप्रभाव पड़ेगा इसका अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन कर रही है ?

(3) क्या इस प्रकार निकृष्ट नस्ल के पशुओं के लाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती मदनकौर : मंत्री महोदय ने बहुत आसानी से जवाब दे दिया। हरियाणा और पंजाब से हर साल बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान में निकृष्ट नस्ल के घटिया पशु आते रहते हैं। इसका प्रमाण है हमारी राज्य की नस्ल खराब हुई है। मेरे प्रश्न करने का उद्देश्य ही यह था कि आप इस बारे में अध्ययन करें और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

श्री हरिसिंह : दूसरे प्रान्तों से जो केटल आते हैं ये बहुत ज्यादा तादाद में आते है। ऐसी स्थिति में कुछ पशु इधर रह जाते हैं। इसी तरह से हमारे पशु भी हजारों की संख्या में माइग्रेट होते हैं अगर हम इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाते है तो हमारे राज्यों के जो सम्बन्ध हैं वे बिगड़ सकते हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं है।

श्रीमती मदनकौर : हमारी नस्ल खराब हो रही है, हमारी अर्थ-व्यवस्था खराब हो रही है इसका अध्ययन करने में आपको क्या हिचक है ?

श्री हरिसिंह : अध्ययन करा लेंगे। नस्ल बिगडने का अन्देशा है तो जांच करा ली जायगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पशुओं के साथ वेटरिनरी एक्सपर्ट आता है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने कोई पशु मेला देखा भी है या नहीं ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : अभी पुष्कर गया था वहां देखा है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण।

चूरू जिला पूल की जीप

318. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू पूल की जीप नं. आर. जे. आई. 2. अगस्त 10 सन् 69 से किस की ड्यूटी में और जिसके आदेश से है ? यह जीप किस कार्य हेतु दी गई है ?

(2) इस जीप द्वारा 10 अगस्त सन् 69 से अब तक किस किस स्थान का कब कब किस कार्य हेतु सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दौरा किया गया ? कुल कितने मील गाडी चली और उसमें कितना पैट्रोल मोबिल आइल, मरम्मत आदि का खर्चा हुआ ?

(श्री दौलतराम सारण)

(3) चुरू पूल में कुल जितनी जीपें हैं? प्रत्येक जीप पर वर्ष भर का खर्चा बतलाया जाय ?

(4) अधिक खर्च आने के क्या कारण हैं ?

(5) इन जीपों के पैट्रोल, आयल, मरम्मत आदि कितने रुपये किस किस को कब से देने बाकी हैं ?

उपमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह)।

(1) चुरू जिला की पूल जीप नं. आर. जे. आई. 2, 10 अगस्त, सन् 1969 को राजस्थान मोटर गेरेज, जयपुर से मरम्मत होकर लौटने पर दिनांक 11-8-69 से परगना अधिकारी, रतनगढ़ एवं तहसीलदार डूंगरगढ़ की ड्यूटी में हैं। यह जीप जिलाधीश, चूरू के आदेश से अकाल सहायता कार्यों एवं गिरदावरी के कार्य हेतु दी गई है।

(2) इस जीप द्वारा 10-8-69 से विभिन्न स्थानों के दौरे या पूरा विवरण परिशिष्ट (क) से संलग्न है। यह जीप कुल 14170 किलोमीटर चली है और इसमें पूल 2914 लीटर पैट्रोल और 11 टीन मोबिल आयल खर्च हुआ है। मरम्मत आदि में कुल 72.75 खर्च हुआ है।

(3) चूरू पूल में 5 जीप हैं। प्रत्येक जीप पर वर्ष भर के खर्च का मानचित्र परिशिष्ट (ख) संलग्न है।

(4) अकाल सहायता कार्यों के कारण अधिक खर्चा हुआ है।

(5) पैट्रोल, आयल और मरम्मत आदि के बकाया भुगतान की सूचना परिशिष्ट (ग) में संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामचन्द्र आर्य : गनीराम देवाराम नाम व्यक्ति जिनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है इन अधिकारियों के जीप में घूमते फिरते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे पास सूचना नहीं है। अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : जो सूचियां आपने दी हैं क्या उससे आप महसूस नहीं करते कि एक परगना अधिकारी इतना ज्यादा माइलेज जीप को इस्तेमाल करता है ? आप सूची देखेंगे तो पता चलेगा बहुत सा ऐसा एरिया है जहां जाने की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में आप इसका सदुपयोग ही मानते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : दुरुपयोग का प्रश्न पैदा नहीं होता। अकाल राहत कार्यों के लिये और अन्य परपज के लिये जहां भी जाना आवश्यक है जीप में जाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपने जो सूचियां दी हैं अधिकांश कस्बों में ही जीप गई है। जो गांव बताये गये हैं वे तो रास्ते में पड़ते हैं। ये जीप अकाल ग्रस्त क्षेत्र के लिये कहां उपयोग में आयी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप सूची को देखेंगे तो पता चलेगा केवल कस्बों हो का दौरा नहीं किया परन्तु एक कस्बे से दूसरे कस्बे

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
के बीच में काफी गांव आजाते हैं। इस तरह से इन्होंने गांव का ही अधिक दौरा किया है यह स्पष्ट है।

श्री दौलतराम सारण : श्रीमान् जी, गांव तो सड़क के किनारे पर ही पड़ते हैं ये। जैसे रतनगढ़ से सुजानगढ़ जाते हैं तो पडिहारा रास्ते में पड़ता है। वहां अलग से जाना नहीं है। इस तरह के गांव दिखा रखे हैं। यह मेरी आपत्ति है। यह प्रश्न इसलिए पूछा है कि एक अधिकारी दिन-रात जीप लिये घूमता है। कोई काम नहीं करता। ऐसे कांग्रेसी लोग जिनके खिलाफ गबन के आरोप हैं, मुकदमें जिन पर चल रहे हैं, उनको साथ में लिये घूमते हैं। क्या इसको आप उचित मानते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे पास इसकी सूची नहीं है कि किन गबन वालों को बिठाकर घूमते हैं। आप कहते हैं तो पता लगा लिया जावेगा कि किन गबन वालों को बिठाकर घूमें हैं या नहीं। यों जो आपने प्रश्न में सूचना चाही थी वह उपलब्ध करा दी है। सूची में स्पष्ट है कि उन्होंने सरकारी कार्य हेतु दौरा किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : लॉग बुक के अनुसार अकालग्रस्त क्षेत्र में दौरा किया है। लाग बुक से इसमें आभास किसका बताया गया है और कितने माइलेज का वेरीफिकेशन किस अधिकारी ने किया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जिस अधिकारी को जीप दी जाती है वही अधिकारी एस.डी.ओ. वेरीफिकेशन कर सकता था। वह कम्पीटेंट है। जिला पूल की गाड़ी है। जिलाधीश के आदेश से गाड़ी दी गई थी। जिसने टूर किया है चाहे वह एस. डी. ओ. हो या तहसीलदार उसने लॉग बुक भरी है स्वयं अपने हाथ से भरी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जिला या तहसील अधिकारियों के अलावा दूसरे ऐसे व्यक्तियों के नाम भी उसमें दर्ज हैं जो आफिशियल ड्यूटी पर नहीं थे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसमें एस. डी. ओ., तहसीलदार और असिस्टेन्ट इन्जीनियर के नाम हैं और किसी का नाम नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या चूरू जिले में सभी तहसीलों में जिनमें वे गये अकाल था ? फिर एस.डी ओ. हैड क्वार्टर रतनगढ़ को ही जीप दी गई दूसरे एस.डी.ओ. को क्यों नहीं दी गई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने जीपों के सारे पूल के बारे में पूछा है। किस किस पर कितना कितना खर्चा हुआ ? कहां-कहां गई यह तो सामूहिक रूप से पूछा है, बाकी एक जीप के लिये अलग से पूछा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह हमारे ध्यान में है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप प्रश्न देख लीजिये।

श्री दौलतराम सारण : मैंने ठीक समझ कर पूछा है। सारी जीपों के खर्चे का विवरण मांगा है। उसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा

Page No 6

(श्री दौलतराम सारण)
कि एक एस.डी.ओ. को जीप दी है और दूसरे एस.डी.ओ. को नहीं दी गई। इस एक जीप पर अतिरिक्त खर्चा हुआ है। इसको आप महसूस नहीं करते।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने पूछा पूल में कितनी जीपें हैं और उन पर कितना खर्चा हुआ। उसका जवाब दे दिया। और लोगों को क्यों नहीं दी गईं, यह भी पूछते तो इसका जवाब भी दे देते।

श्री दौलतराम सारण : आपने जीपवार खर्चा दिया है, उस पर निगाह डालें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि सूचना में दिये गये गांव अकालग्रस्त नहीं हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

वैसे मैंने निवेदन किया है कि सारे गांव अकाल के ही हों ऐसा नहीं है, और भी सरकारी काम के लिये गये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही नहीं है कि सरकारी जीपों का अमूमन दुरुपयोग होता है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह असत्य है।

श्री दौलतराम सारण : सरदार शहर में ये लोग रमी खेलने जाते हैं। वहां रमी खेलते हैं, शराब पीते हैं, ऐश करते हैं। रमी का खास तौर से प्रोग्राम बनता है और इस के लिये ये जीपें काम में ली जाती हैं, सरकारी पैसे का अपव्यय होता है और यह सरकार है कि उनको शील्ड करती है। गलत जवाब सदन में देकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहती है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 319।

तहसीलदार, गंगरार द्वारा भूमि का आवंटन

319. श्री रामकुमार नन्दवाना : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ ने अभी दिनांक 12-2-70 को ग्राम पंचायत सोनगर मुख्यालय पर भूमि का आवंटन किया है? यदि हां, तो कितनी भूमि किन-किन को आवंटन की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि के आवंटन के लिये भूमि आवंटन सलाहकार समिति को आमन्त्रित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हां, तो किस किस तारीख को सूचना दी गई है और इस बैठक में कौन कौन सदस्य उपस्थित हुए?

(3) क्या यह सही है कि इस बैठक में सलाहकार समिति का कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अकेले तहसीलदार को अधिकृत कर रखा है कि वह जब चाहे किसी को भूमि आवंटित कर दे?

(4) क्या यह सही है कि संबंधित एस. डी. ओ. को इसकी शिकायत की गई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? इस प्रकार से जो आवंटन अकेले तहसीलदार द्वारा किया गया है क्या सरकार उसे निरस्त करने के कदम उठावेगी?

Page No 7

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिये इसे स्थगित किये जाने की प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष: स्थगित किया गया।

श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखिये)

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ।

राजस्व अपील अधिकारी का स्थानान्तरण

323. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर):

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर में राजस्व अपील अधिकारी श्री विशम्भरसिंह को बीकानेर से स्थानान्तरण करके श्री द्विवेदी के स्थान पर क्यों नियुक्त किया गया?

(2) क्या यह सही है कि बमुकाम अलवर में मुकद्दमा उनवानी छुज्जू इस्माइल मेव वासी कहरानी बनाम रसूला मेव रैस्पाण्डेन्ट अपील तारीख पेशी दिनांक 22-12-69 के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र छुज्जू व इस्माइल अपील कर्ताओं की तरफ से दिनांक 6-12-69 या उसके आस पास प्रस्तुत हुआ कि उक्त उनवानी अपीलों में राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने बतौर रिश्वत 6000) रुपया रैस्पोण्डेन्ट रसूला से वसूल कर लिये और इस कारण मुकद्दमे का स्थानान्तरण दीगर किसी अधिकारी के समक्ष किया जावे?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-12-69 को राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही इसी आधार पर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प अलवर से उक्त मुकद्दमे में व अन्य एक मुकद्दमे में और मुन्तकिली की दरख्वास्त प्रस्तुत करने की इत्तिला व स्पष्ट आरोप के चाहो कि राजस्व अपील अधिकारी 6000) रुपये रिश्वत के ले चुका है, इसलिये उनसे न्याय की आशा नहीं है?

(4) क्या यह बात सही है कि राजस्व अपील अधिकारी श्री विशम्भरसिंह ने उक्त आरोपों के आयद किये जाने के बाजवूद भी कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की कोई कार्यवाही करने का साहस नहीं किया या दिखाया?

(5) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल में उक्त ट्रान्सफर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर हलफनामा दिया जाने के कारण अपील की सुनवाई को स्थगित करने के आदेश दे दिये?

(6) क्या राज्य सरकार इस प्रकार के स्पष्ट व बेलाग आरोप को सम्बन्धित अधिकारी को सेवा से पृथक् करने को काफी नहीं समझती?

(7) क्या यह सही है कि व्यक्तिगत रूप से रिश्वत लिये जाने के आरोपों

(श्री केदारनाथ आदि)
या किसी फरीक मुकदमे से सांठ गांठ किये जाने के आरोप वाली दरख्वास्त श्री विशम्बर सिंह, राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अन्य अपीलों में व मुकदमा अलवर और अन्य फरीकेन मुकदमात ने भी प्रेषित किया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी सूचना एकत्र की जा रही हैं। इसलिये इसे स्थगित की जाने की प्रार्थना है।

जिले के निवासी अधिकारियों का जिले से बाहर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश

324. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद कि निरीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारी अपने जिले में नहीं रहेंगे, कितने अधिकारियों की नियुक्तियां उनके अपने जिले में की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिले की सहकारी संस्थाओं के प्रतिनियुक्ति पर मांगने पर भी उस जिले के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं दिया गया है और उसी जिले की अन्य समितियों में उसी जिले के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार जिले के लगाये गये इस प्रतिबन्ध को निकट भविष्य में हटाने का इरादा रखती है ?

उपमंत्री, सहकारिता (श्री रामदेवसिंह) : (1) वर्तमान में केवल 3 अधिकारी (सहायक रजिस्ट्रार, अपने स्वयं के जिले में नियोजित किये हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें किसी अधिकारी को जिले की किसी सहकारी संस्था द्वारा मांगने पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं किया गया है, और उस अधिकारी को उसी जिले की किसी दूसरी समिति में प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया गया हो अथवा किसी जिला-स्तरीय अधिकारी को अपने जिले में प्रति-नियुक्ति पर भी नहीं भेजा जाता है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से ऐसी कुछ प्रतिनियुक्तियाँ की गई हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(3) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री नत्थीसिंह : आपने निरीक्षकों की सूची नहीं दी हैं। निरीक्षक ऐसे कितने हैं जिनको जिले में ही लगाया है ?

श्री उपाध्यक्ष : दी हुई है सूची पीछे।

श्री रामदेवसिंह : आपने मांगी नहीं थी। जिलाधिकारियों की मांगी थी।

श्री नत्थीसिंह : कितने निरीक्षक हैं बता दीजिये ?

सहकारिता मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, हो, सकता है किसी किसी ने जाना चाहा हो आम तौर से जिले में नहीं रखते हैं। पर प्रशासनिक और मानवीय दृष्टि कोण से आप भी जानते

(श्री अमृतलाल यादव)
हैं उनको रखना आवश्यक है तो रख लेते हैं।

श्री नत्थीसिंह : मेरा तो प्रश्न यही है कि इन विशेष परिस्थितियों की क्या परिभाषा है ?

श्री रामदेवसिंह : प्रशासनिक कारण बताया न ?

श्री नत्थी सिंह : प्रशासनिक कारण भी क्या हैं ?

यह प्रश्न पांच चार बार उठाया गया था। आश्वासन भी सरकार ने दिया था कि उनकी राय में भी ये आदेश पुनर्विचार के काबिल हैं। इन पर पुनर्विचार किया जायगा। आप यदि प्रशासनिक कारणों से कोई अच्छा आदमी नहीं है तो उसे जिले से बाहर कर रहें हैं। इस विभाग में जिला के जिला निरीक्षक किन्हीं कारणों से वहां रहे इसकी जरुरत पड़ी होगी। पर आप कबतक इस आदेश को वापिस लिवाने की स्थिति में होगे ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य ने उत्तर गौर से सुना नहीं। यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इसी से मालूम पड़ जावेगा ट्रान्सफर के प्रस्ताव आते जावेंगे और तय करते जावेंगे।

नीति के सम्बन्ध में कह ही दिया है। और वैसे देखना ही चाहे तो एक प्रस्ताव रख दीजिये मन्त्री महोदय करते है कि नहीं। पता लग जावैगा। और तो इलाज इसका हैं नहीं।

श्री नत्थी सिंह : मैंने तो पहले प्रस्ताव रखा हैं। मेरी स्थिति और हैं। माने न माने जिला का जिला में कहीं भेज दिया जाता हैं कहीं मांगने पर भी नहीं भेजे जाते।

श्री अमृतलाल यादव : हम भी इस पर विचार कर रहे हैं। पर अभी आफ हैंण्ड तो नहीं कहा जा सकता है कि कितने दिनों में यह कर देगे पर निश्चित तौर से इस पर विचार कर रहे हैं।

डाई नदी के किनारे सवाई चक में आने वाले कुए

325. श्री जगन्नाथ (टोडा भीम) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील देवली में बीसलपुर ग्राम पंचायत व डाई नदी के किनारे कितने कुए ऐसे हैं जो सवाई चक में हैं और उनकी जमीन काश्तकारों के नाम है ?

(2) सरकार के आदेश के पश्चात् भी एस. डी. ओ. टौंक व तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र देने के पश्चात् भी अभी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगारामचौधरी): ग्राम बीसलपुर में डाई नदी व बनास नदी के किनारे खसरा नम्बर 653 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 759 रकबा 52 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1519 रकबा 109 बीघा कुल 166 बीघा 15 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन नदी के नाम से पटवार रिकार्ड में दर्ज है। इस भूमि पर 28 पुराने कुए हैं जिन पर कृषकों का पुराना

(श्री गंगाराम चौधरी)
कब्जा चला आ रहा है। यह भूमि गैर मुमकिन नदी के नाम से पटवार रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रतिवर्ष अस्थाई रूप से इन्हीं काश्तकारों को आवन्टित की जाती है।

(2) इस भूमि के नियमन हेतु 85 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र तहसील में प्राप्त हुए, इस भूमि की खातेदारी देने के सम्बन्ध में उप-जिलाधीश, टोंक ने बन्दोबस्त विभाग से आदेश कराने का निर्णय लिया है।

श्री जगन्नाथ : उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा तहसील के जरिये निवेदन किया। एस. डी. ओ. कलेक्टर को लिख देता है। उस भूमि का सेटलमेंट हुआ नहीं है। नदी के नीचे की भूमि है। गैर मुमकिन है, अनुसूचित जातियों को दे दिया तो बस फिर मुठभेड़ हो ही जायेगी।

श्री गंगाराम चौधरी : इस गांव में बन्दोबस्त बहुत पुराने समय का है जयपुर स्टेट के टाइम का है। खाते में यह भूमि गैर मुमकिन दर्ज है। इसका आरजी तौर पर आवंटन हो सकता है जैसा माननीय सदस्य का ख्याल है और लोगों को आवंटन हो जायगी। इनमें खातेदारी नहीं दी जा सकती है। लोग आरजी काश्त में पुराने काबिज हैं। उनको सालोंसाल आवंटन किया जाता है। दूसरों को आवंटन का प्रश्न नहीं है।

श्री जगन्नाथ : सूची दे दी जाय।

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी कोई सूची है नहीं।

श्री गोकुलचन्द्र (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, फिर सरकार का यह वचन कैसे पूरा होगा कि आदिवासियों को और हरिजनों को और हरिजनों को भूमि अलाट होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार की कार्यवाही होना राज्य में बड़ी बात नहीं है। गृह मंत्रीजी ने सारे हक छीन लिए हैं। हथियार उनके पास इस प्रकार के है, और हरिजनों के साथ तो विशेष ज्यादती हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

नकलें देने के नियम

326. श्री आईदान सिंह (भीनमाल): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हाई कोर्ट रूल्स के अन्तर्गत साधारण नकलें व आवश्यक नकलें कितने दिनों में देने का नियम है ?

(2) जालोर सेशन कोर्ट के कॉपिंग डिपार्टमेंट में कितनी नकलों की दरख्वास्तें साधारण व आवश्यक दिनांक 3-12-1969 तक पेन्डिग थीं।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त कॉपिंग डिपार्टमेंट में आवश्यक नकलें करीब दस पन्द्रह रोज व साधारण नकल एक माह से अधिक की अवधि में दी जाती है ?

श्री उपमंत्री, विधि (श्रीमती प्रभामिश्रा) :
(1) राजस्थान जनरल रूल्स (सिविल) के नियम 232 व 233 के अनुसार आवश्यक नकलें आज्ञा देने के दूसरे ही दिन व साधारण नकलें आज्ञा प्रदान करने के लिए एक सप्ताह के अन्दर देने का प्रावधान है।

Page No 11

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(2) जालौर अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की कोर्ट के कॉपिंग डिपार्टमेंट में दिनांक 9–12–69 को निम्नलिखित नकलों की दरख्वास्तें पेन्डिंग थी–

(1) आवश्यक (2) साधारण 163 ।

(3) जी हां।

श्री आईदान सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जैसा उप मंत्री महोदया ने फरमाया इतनी ज्यादा तादाद में नकलें नहीं आती हैं तो फिर इतनी पेन्डिग पड़ी हुई अर्जियां हैं, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : शुरू में यहां डिपार्टमेंट में संख्या कम थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने 64 में यह कहा कि कॉपिस्ट की और जगह अलवर में लगा दी गई अब इसके बाद कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है जिसमें पोस्ट बढ़ाई जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर): क्या यह सही है कि नकल नवीसों के लिए कोई काम निर्धारित है कि यह एक दिन में इतने शब्द लिखेगा।

विधी मंत्री, श्री बरकत तुल्ला खां : जी हां।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या उन्होंने नियमानुसार नकलनवीसों का स्टाफ मुकर्रर कर रखा है ?

क्या यह निश्चित पूर्वक कह सकते हैं कि जो नकलें पेन्डिग पड़ी हैं वे सीनियोरीटी में है ? उपाध्यक्ष महोदय, यह जिनको प्रेक्टि-कल डिफिकल्टी उठनी पड़ती है उनके लिए है अर्जेंट फीस देने पर भी नकलें समय पर नहीं मिलती हैं। नकलनवीस को इतने अधिकार दे रखे हैं कि यह किसी की परवाह ही नहीं करते हैं। जिस तरह जजमेन्ट होता है और दो दो कापी तैयार करने के हिसाब से लगाये तो भी समय पर नकलें मिल सकती हैं। मैं पूछना चाहता हूं ज्युडिशियरी से कितनी आपको आमदनी होती है और कितना खर्च करते हैं उस हिसाब से भी......

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या आप यह बता सकते हैं कि सीरियल के अनुसार ही नकलें दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में दरख्वास्त देने वाले को नकल जल्दी मिल जाती हैं और पहले दरख्वास्त देने वाले को उससे भी देर से मिलती है ?

श्री बरकतुल्ला खां : कापीज में डिले नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने 22–9–69 को हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी है कहां कहां कितना कितना वर्क लोड है ताकि उसके अनुसार जितनी पोस्टें क्रियेट करनी हो तो करदें। सब जगह से प्रोपाजल इकट्ठे कर रहे हैं। जैसे ही प्रपोजल्स आयेंगे हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री आईदानसिंह : पर्टीक्यूलर प्रश्न में जालौर के लिए निवेदन कर रहा हूं। वहां नकल देने में काफी देर होती है। वहां से आयेगी तब आयेगी वहां की हालत सुधारने के लिये कोई एक अपाइन्टमेंट कर देंगे तो..

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : विधि मंत्री जी ने जो रुपये पैसे लगाकर नकल लेने का प्रावधान

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

लगा रखा है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे ओथ कमिश्नर अपना ठप्पा लगाकर पैसे ले लेता है उसी प्रकार क्लर्क अपाइन्ट करके वह अपना ठप्पा लगाकर पैसा ले लें। इसमें आपका खर्चा भी बचेगा और लोगों को समय पर नकलें भी मिल जायगी ....

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं।

श्री बरकतुल्ला खां : यह सुझाव जो माननीय सदस्य ने दिया है वह हाई कोर्ट के सामने और वित्त विभाग के सामने रख दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय किसको कहां पोस्ट किया जाय यह हाई कोर्ट के नीचे है। पहले एक था फिर दूसरे के लिए लिखा. हमने कर दिया। हाई कोर्ट जैसा कहेगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हम रिलीफ दे सकेंगे उतना देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रीरामसिंह कुड़ी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रावत राम।

चूरू जिले के ग्रामों का विद्युतिकरण।

330. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) (श्री रावत राम (छापर) का प्रश्न श्री चुन्नीलाल इंदलिया द्वारा पूछा गया) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) चालू वर्ष में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत चुरू जिले के किन किन गांवों को बिजली देने का प्रावधान है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिलाधीश, चुरू ने किन किन गांवों को बिजली देने की सिफारिश की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सिंचाई हेतु बने हुए कुओं से कितने माइल के रेडियस में मिनिमम गारन्टी नहीं ली जाती?

(4) क्या यह सही है कि काश्तकारों से मिनिमम गारन्टी नहीं लेने का सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या उदारतापूर्वक कदम उठा रही है?

उप मंत्री विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) चालू वर्ष में 3 ग्राम बुन्तिया, त्रिपाली छोटी व त्रिपाली बड़ी स्वीकार किये गये हैं।

(2) जिलाधीश चुरू ने जिन गांवों को बिजली देने की सिफारिश की है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस प्रकार के कोई विशिष्ट आदेश नहीं हैं। साधारणतया जल उत्पादित (हाइडल) विद्युत् क्षेत्र में यदि एक मील में 5 हार्स पावर के 5 कुवे और अन्य क्षेत्रों में 10 कुवे आ जाते हैं तो मिनिमम गारन्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे यदि अनुमानित व्यय पर 15 प्रतिशत की उपलब्धि मिनिमम चार्जेज के हिसाब से स्पष्ट रूप से पूरी नहीं होती है तो मिनिमम गारन्टी लेना आवश्यक है।

(3) अभी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

Page No 13

श्री नत्थीसिंह : चौथा पढ़ा नहीं आपने।

श्री खेतसिंह : दो और तीन को शामिल कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष जी चूरू एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। इस दृष्टि से विशेष तौर से रियायत देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री खेतसिंह : चूरू जिले का पहले भी इलेक्ट्रीफिकेशन के हिसाब से दूसरा नम्बर है, और गत वर्ष भी सभी माननीय सदस्यों ने ऐतराज किया था कि हमारे जिले बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिये हमने परसेंटेज का हिसाब लगाकर आपके तीन गांव इसमें ले लिये।

श्री दौलतराम सारण : चूरू जिले में तो बीकानेर स्टेट के समय से ही बिजली है, श्रीमानजी।

श्री खेतसिंह : बीकानेर स्टेट के जमाने में भी और उसके बाद और भी काफी प्रगति की है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : पिछड़े जिलों में तो बाड़मेर और जैसलमेर का नम्बर आता है।

श्री दौलतराम सारण: बीस-बीस हजार खर्च करके लोग कुंआ बनाते हैं और उनको बिजली नहीं मिलती है तो सारा खर्चा बेकार जाता है। क्या यह सही है ?

श्री खेतसिंह : जी हां, आपने जो फरमाया उसके लिये मुझे बहुत सहानुभूति है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल सहानुभूति ही।

श्री दौलतराम सारण : तो आप इस पर गौर करिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि कृन्तिया ग्राम ने बिजली के लिये पहले पच्चीस हजार रुपये जमा कराये जब बिजली स्वीकार की गई ?

श्री खेतसिंह : यह तो मेरी सूची में नहीं हैं, लेकिन इसका विद्युतिकरण किया गया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : 25 हजार नकद जमा कराये गये पंचायत समिति से।

श्री उपाध्यक्ष : उसका उत्तर दे दिया मंत्री महोदय ने कि गांव का विद्युतिकरण किया गया है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : हमारे चूरू जिले में केवल तीन गांवों में विद्युतिकरण किया गया था और उनको एक गांव के लिये 25 हजार रुपये जमा कराने पड़े, जब कि दूसरी तहसीलों और जिलों में लाखों रुपये खर्च करके बिजली दी जाती है लेकिन उनसे कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता है। यह भेद-भाव चूरू जिले के साथ क्यों है ?

श्री खेतसिंह : भेद-भाव का प्रश्न नहीं। आपने सवाल पूछा है उस हिसाब से मैंने निवेदन किया कि तीन ग्रामों का विद्युतिकरण हो गया है और दूसरे गांवों के लिये जिन जिन गांवों के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती जायेगी उस पर विचार किया जायगा।

Page No 14

श्री नत्थीसिंह : सवाल क्या है, जवाब क्या है। इनकी बात का जवाब दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नेक्स्ट।

श्री नत्थीसिंह : 25 हजार रुपया जमा करवाने का आधार क्या है ?

श्री खेतसिंह : अगर कोई गांव प्रायोरिटी से बाहर कनेक्शन लेना चाहता है तो पैसा तो जमा करवाना पड़ेगा। उनको पैसा जमा कराना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : उनसे पैसा जमा करवाया गया है और तब तक विद्युतिकरण नहीं किया गया जब तक कि रुपया जमा नहीं करवाया।

श्री उपाध्यक्ष : वही तो मंत्री महोदय कह रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां (विद्युत् मंत्री) : जब कोई टोप प्रायोरिटी लेना चाहता है और वैसे प्रायोरिटी में नम्बर नहीं आता है तो उनको रुपया जमा कराना पड़ेगा जभी प्रायोरिटी में नम्बर आयेगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : किसानों को लोन देकर कुएं खुदवाये जाते हैं और जब कुएं खुद जाते हैं तो उनको कनेक्शन नहीं मिलता जब तक कि वे रुपया जमा नहीं करायें।

श्री लाभचन्द वैद्य : कृषि के लिये कुआं खुदवाया जाता है और फिर उनको बिजली नही दें यह सर्वथा गलत है। कुआ काम नहीं आता है और उसका लोन चुकाने के लिये किसान को घर और खेती बेचनी पड़ती है और वह बर्बाद हो जाता है। तो क्या आप इस नीति को चेंज नहीं करेंगे ? क्या आपके पास पावर की कमी है ?

श्री खेतसिंह : पावर की कमी नहीं है लेकिन विद्युत् के साधन सीमित हैं। हरेक गांव को बिजली दी जाये यह सम्भव नहीं इसलिये जो लोग प्रायोरिटी के बाहर बिजली लेना चाहते हैं, उनके लिये पैसा जमा करवाना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): यह जो सूची जिलाधीश ने दी है उसमें डूंगरगढ़, तारासबा, चानना, ठो रा तक बिजली गई है लेकिन सूरतसर आठ मील के डिस्टेंस पर है उसको बिजली नहीं दे रहे हैं, आज चार बरस हो गये। ऐसी प्राथमिकता जिसमें अव्वल का ध्यान नही रखा जाये वह किस काम की ? रेगिस्तान में रोजगार देने के पानी देने के लिये वहां पर तो बिजली नहीं देते और ऐसे गांवों में देते हैं जहां पानी ऐसा है कि पीने से कबूतर भी मर जाये।

श्री लाभचन्द वैद्य : छः छः साल हो गये, बिजली नहीं दी जाती और उसके अभाव में सरकार से लिया हुआ लोन भी बेकार जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधीश चूरू ने सूची भेजी है, क्या उसके हिसाब से गांवों को प्राथमिकता देंगे।

श्री खेतसिंह : उन्होंने जो लिस्ट भेजी है वह प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं

(श्री खेतसिंह)

भेजी, इसलिये दुबारा उनसे मांगी है प्रायोरिटी के हिसाब से।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह प्रायोरिटी के आधार पर नहीं है ?

श्री खेतसिंह : जी हां, नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : तो फिर गलत सूची यहां क्यों दी गई ?

श्री खेत सिंह: उन्होंने कहा कि जिस तरह विलेजेज् के नाम आये, उसी हिसाब से भेज दी।

श्री दौलतराम सारण : प्राथमिकता किस आधार पर तय की जाती है ? और जिलाधीश ने उस प्राथमिकता का अहमियात क्यों नहीं रखा ?

श्री खेतसिंह : प्रोडक्शन कमेटी इस बात को तय करती है और कलेक्टर साफ तौर से लिखता है कि यह प्रायोरिटीज् हैं और उसके हिसाब से हम लेते हैं।

श्री दौलत राम सारण : क्या यह सही है कि प्रोडक्शन कमेटी के चेयरमैन खुद कलेक्टर होता है ?

श्री खेतसिंह : जी हां।

श्री दौलतराम सारण : तो फिर कलेक्टर ने गलत सूची क्यों भेजी और उसकी इस गैरजिम्मेदारी के लिये आप उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लेंगे ?

श्री खेतसिंह : यह तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम है।

श्री दौलतराम सारण : यह गवर्नमेंट से सवाल किया जा रहा है। क्या आप ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को प्रस्ताव करेंगे कि कलेक्टर इस तरह से गलत लिस्ट भेजते हैं और उनके खिलाफ इस गैरजिम्मेदारी के लिए ऐक्शन लिया जाय ?

श्री खेतसिंह : जी हां, हमने कलेक्टर को लिख दिया है कि भविष्य में प्रायोरिटी के हिसाब से ही लिखें कि कौन से विलेजेज् को प्रायोरिटी दी जाये।

श्री दौलत राम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, न तो पंचायत समिति की मानते हैं, न जिला परिषद् की मानते हैं। जिन लोगों पर प्रोडक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी है उनके प्रस्ताव को मानते नहीं। अब इन्होंने एक प्रोडक्शन कमेटी और बना ली जिसमें राज्य अधिकारियों को रख दिया जो जानते नहीं कि कुआ किस तरफ है और आवश्यकता कहां है उस कमेटी की मीटिंग बुलाई नहीं जाती, कोई मीटिंग नहीं होती, फिर प्रोडक्शन प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा ?

श्री बरकतुल्ला खां : प्रोडक्शन कमेटी के स्ट्रक्चर में चेंजेज की गई हैं और ये आर्डर्स हमने कर दिये हैं जो बहुत जल्दी ही इम्पलीमेंट हो जायेंगे। प्रोडक्शन कमेटी में अब हमने जिले के जितने भी एम. एल. एज. हैं उनको सबको मेम्बर रखा है।

श्री दौलत राम सारण : प्रधान और प्रमुख को क्यों नहीं रखते जो प्रोडक्शन से संबंधित है।

श्री मनफूल सिंह भादू : आन ए पांइट आफ प्रिविलेज, सर ! मैं समझता हूँ सदन के अन्दर· · ·

श्री उपाध्यक्ष (कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर) : आर्डर प्लीज, आपस में बातें नहीं ।

श्री मदन सिंह दांता : यह सदन का प्रिविलेज है कि जो भी माननीय सदस्य प्रश्न करें उसका सही उत्तर मिलना चाहिये और अगर मंत्री झूठा जवाब देते हैं तो यह प्रिविलेज का प्रश्न बनता है ।

श्री उपाध्यक्ष : झूठा कहना . . .

श्री मदन सिंह दांता : झूठा है साहब झूठ नहीं तो क्या है ?

श्री दौलत राम सारण : सरकार अपनी नीतियों का खुद एग्जीक्यूट नहीं करना चाहती । पंचायत समितियां जिला परिषद् बनाये लेकिन उन पर सरकार का विश्वास नहीं । निर्माण और विकास के काम करने के लिये ये जिला परिषद् और पंचायत समितियां बनाई थी, लेकिन उन पर सरकार का भरोसा नहीं । इस तरह ऐडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ करते हैं और प्लान का एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री दौलतराम सारण : क्यों नहीं पंचायत समिति पर भरोसा करते ? क्यों नहीं उनके प्रस्तावों को मान्यता देते ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न ।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : माननीय विद्युत मन्त्री ने बताया कि एम. एल. एज. भी प्राडक्शन कमेटी में है . . .

श्री उपाध्यक्ष : है नहीं, होंगे कहा है ।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : दूसरी जानकारी यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने यह जो सूची दी है चूरू जिले के जिलाधीश ने जो सुझाव भेजे हैं, तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि जिलाधीश की सूची गलत है, तो फिर उस पर. . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । आप समझे नहीं माननीय सदस्य । अगला प्रश्न श्री देवी दत्त गाडिया ।

कोटा जिले की कृषि फार्मिंग सोसाइटियां

331. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।—

(1) कोटा जिले की शाहबाद एवं अटरू पंचायत समिति क्षेत्र में किस किस स्थान पर किस किस नाम से कृषि फार्मिंग सोसाइटी बनी हुई है और उसमें पदाधिकारी कौन कौन हैं तथा उनको सरकारी कर्जा व अनुदान की रकम किस किस मद में दी जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) इन कृषि फार्मिंग सोसाइटीज में से किस किस सोसाइटी को कितनी कितनी सरकारी भूमि किस किस रूप में आवंटित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) इन सोसाइटियों में प्रारम्भ से लेकर अब तक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने कितने सदस्य सम्मिलित किये गये और उनमें से कितने सदस्य निकल गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि इन कृषि फार्मिंग सोसाइटीज का प्रति वर्ष नियमानुसार आडिट नहीं हुआ ? यदि हां, तो किस किस सोसाइटी का और क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि इन सोसाइटीज में से कुछ सोसायटी के हिस्से सरकार ने खरीदे हैं ? यदि हां, तो किस किस सोसाइटीज के कितने कितने रुपयों के हिस्से खरीदे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह सही है कि अटरू तहसील में अटरू के पास आदर्श गांधी वाडो कृषि फार्मिंग सोसाइटी बनी हुई है ? यदि हां, तो इस सोसाइटी के कौन कौन सदस्य हैं और इसके पास कितनी सरकारी भूमि है ? उस भूमि में से कितनी भूमि पर काश्त हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें । इस सोसाइटी का आडिट किस किस तारीख को हुआ ?

(7) इन क्षेत्रों में बनी सोसाइटीज में कितनी सोसाइटीज चालू हैं, कितनी डिफन्क्ट पड़ी हैं, कितनी सोसाइटीज खत्म हो गई हैं और कितनी सोसाइटीज की भूमि बेची जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(8) उक्त सोसाइटीज में प्रत्येक सदस्य की हिस्सा पूंजी कितनी कितनी है और थी तथा कर्जा आदि किस किस प्रकार का है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (1) कोटा जिले की शाहबाद एवं अटरू पंचायत समिति क्षेत्रों में क्रमशः 32 व 4 कुल 36 सहकारी कृषि समितियां हैं, जिनकी सूची मय स्थान व पदाधिकारियों के नाम सहित परिशिष्ट अ के कालम नं. 1, 2 व 3 में अंकित है, तथा इन समितियों को राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण (मद सहित) का विवरण इसी परिशिष्ट के कालम नं. 4 से कालम नं. 7 तक उपलब्ध है ।

(2) इन सरकारी कृषि समितियों को जो राज्य द्वारा भूमि अलाट की गई है, अथवा सदस्यों ने पूल की है, इसकी सूचना परिशिष्ट अ के कालम नं. 8 व 9 में अंकित है ।

(3) इन सहकारी कृषि समितियों में अब तक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के जो भी सदस्य शामिल हुए हैं उनकी सूची परिशिष्ट ब. संलग्न है । इन समितियों में शामिल हुए किसी भी सदस्य को पृथक् नहीं किया गया ।

(4) जी हां । इन सहकारी कृषि समितियों में से केवल तीन सहकारी कृषि समितियों का आडिट नहीं हो पाया है, जिसकी सूची परिशिष्ट स संलग्न है, तथा शेष सभी सहकारी कृषि समितियों का आडिट वर्ष 1967-68 तक हो चुका है ।

(5) जी हां । इन सहकारी कृषि समितियों में से 21 समितियों का राज्य

(श्री रामदेवसिंह)
सरकार ने प्रति समिति 2000 रुपये का हिस्सा खरीदा है, जिनकी सूची परिशिष्ट अ के कालम नं. 10 में अंकित है ।

(6) जी हां। अटरू तहसील के पास छत्रपुरा गांधी बाडी कृषि सहकारी समिति बनी हुई है। उस समिति में कुल 13 सदस्य हैं जिनकी सूची परिशिष्ट द पर उपलब्ध है। इस समिति के पास कुल 3900 बीघा जमीन रैवेन्यू विभाग से मिली है। उक्त समिति की भूमि में से कितनी भूमि पर काश्त होती है, इस बारे में सूचना समिति के रिकार्ड के उपलब्ध न होने के कारण अंकित नहीं की जा सकी। यह समिति अब अवसायन में लाई जा चुकी है। समिति का आडिट वर्ष 1961-62 से रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण नहीं हुआ है। रिकार्ड प्राप्त करने की कार्यवाही अवसायक द्वारा की जा रही है।

(7) इन समितियों में से जो समितियां चालू हैं, निष्क्रिय है, अवसायन में हैं अथवा खत्म हो चुकी हैं, के बाबत सूचना संलग्न परिशिष्ट अ के कालम नं. 11 में अंकित है, किसी भी समिति को भूमि बेची नहीं गई है, केवल फलौदी सामूहिक सहकारी कृषि समिति का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के कारण इसकी भूमि रामपुरिया सामूहिक सहकारी कृषि समिति को दे दी गई है।

(8) प्रत्येक सदस्य की इन समितियों में जो हिस्सा राशि है, उसका विवरण परिशिष्ट घ. पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा कर्जा समितियों को दिया गया है, न कि व्यक्तिगत सदस्यों को। राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्ज का विवरण परिशिष्ट अ के कालम नं. 6 व 7 पर अंकित है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के अन्तर्गत जो भूमि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है वह उन्हीं लोगों को दी जाती है जो कि भूमिहीन हों ?

श्री रामदेवसिंह : इसका ख्याल रखा जाता है कि जो भूमिहीन हों उन्हीं को दी जाय।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप स्पष्ट बतायें कि ख्याल रखा जाता है या नहीं। यह जो कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज के गठन के लिए जो नियम हैं उसके अनुसार जो भूमिहीन हैं उनको भूमि आवंटित करवाकर कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाई जाती है।

श्री रामदेवसिंह : यह आवंटन करना दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। दरअसल भूमिहीनों को ही दी जाती है।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि जिस काम के लिए कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाई जाती है वह उसी गांव के व्यक्तियों की बनाई जाती है ?

श्री रामदेवसिंह : यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक तो माननीय उप-मंत्रीजी ने जो प्रश्न (7) का उत्तर दिया है कि कोई भूमि नहीं बेची गई है और दूसरा मेरा निवेदन यह है कि

(श्री देवीदत्त गाडिया)
जो उन्होंने लिस्ट दी है उसकी क्रम संख्या 22 पर जो कोग्रापरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है दीगोद श्यामपुरा इसके अन्दर चार व्यक्तियों के नाम तो सूची में दिये हैं और बाकी के लिए लिखा है कि वे उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं तो वे कौन कौन हैं वह नहीं दिये हैं।

श्री रामदेवसिंह : जो लिस्ट आपको दी है उसके अलावा मेरे पास नहीं हैं। आप चाहेंगे तो भिजवा दूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : मुख्य प्रश्न तो यही है। उसकी सूचना आपने नहीं दी। दीगोद-श्यामपुरा की जमीन पर जो कोआपरेटिव फार्म हैं वह सरदार स्वर्णसिंह को बेची गई है, ट्रान्सफर की गई है उसका लिखा है और जो पहले की फार्मिंग सोसाइटी थी जो कि डिजाल्व हो गई थी तो उसके जो सदस्य थे पहले वाली के उन्होंने सारी जमीन बेच दी तो उसके बारे में क्या कहना है ?

श्री रामदेवसिंह : यह तो जमीन ट्रान्सफर की गई है।

श्री देवीदत्त गाडिया : नही बेची गई है।

श्री उपाध्यक्ष : ट्रान्सफर इन्क्लूड्स बेचा गया।

श्री रामदेवसिंह : मेरे पास जो सूचना है उसके हिसाब से ट्रान्सफर कर दिया। आपकी शिकायत है तो उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि सहकारी समिति की जमीन जो उसके नाम एलॉट हो जाती है तो बिना सरकार की परमीशन के दूसरे को नहीं बेची जा सकती है।

श्री रामदेवसिंह : इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है लेकिन इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह बात सही है कि सोसाइटी के नाम अलाट हुई सरकारी भूमि न तो दूसरी सोसाइटी को और न दूसरे व्यक्ति को बेची जा सकती है ?

एक माननीय सदस्य : कानूनी प्रश्न है।

श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्षजी, यह बात सही है कि कोई एक समिति की जमीन किसी दूसरे को नहीं बेची जा सकती है और न दी जा सकती है, लेकिन जो हमारे पास सूचना है उस सूचना में यह लिखा है कि अमुक समिति की जमीन अमुक समिति को हस्तान्तरित की गई तो इस सूचना के अन्दर यह दी हुई है। इसके ऊपर हमें खुद को एतराज है इसलिए जांच करायेंगे कि इस प्रकार से कैसे किया जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है पहले इस सोसाइटी में जब यह भूमि आवंटित करवाई गई तो इसके सदस्य दूसरे थे और इसमें शामिल नहीं किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : यह तथ्य सदस्य के सामने आगये और मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया कि इसकी जांच करवायेंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि दीगोद-श्यामपुर के कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का गठन हुआ उस समय उस सोसाइटी के सदस्य श्री राजनारायण शर्मा, डा. बी. एन. शर्मा और श्रीमती इन्दुबाला सदस्य थे।

Page No 20

श्री अमृतलाल यादव: यह अलग चीज है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यही तो चीज है।

श्री देवीदत्त गाडिया : इसीलिए तो सूची में नहीं दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो आपने सूची के अन्दर नाम दिये हैं यह उस सोसाइटी के नाम दिये हैं जो दुबारा के अन्दर उसी प्रकार से गठित हुई थी और जो सदस्य पहले थे उनके नाम नहीं दिये गये।

श्री अमृतलाल यादव : जो सूचना हमारे पास उपलब्ध है वह माननीय सदस्य को दे दी गई है। अब जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो उसके नाम वहां पर मौजूद होते हैं। अगर कोई गलत सूचना दी हो तो जांच करा लेंगे और देख लेंगे, और अगर पूरे सदस्यों के नाम नहीं दिये गये हों तो पूरे सदस्यों के नाम मंगाकर माननीय सदस्यों को जानकारी दे देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि यह जो ट्रान्सफर किया है भूमि इसके लिए सरकार से कोई अनुमति ली गई या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : हमारे पास जो सूचना है वह सूचना माननीय सदस्य को सदन ने दे दी है। उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन केन्सिल हुआ और उसकी वजह से जो जमीन दूसरी सोसाइटी को दी गई जिसके लिए मैंने निवेदन किया है कि इसकी निश्चित तौर से जांच करा ली जायगी।

श्री नत्थीसिंह : रजिस्ट्रेशन केन्सिल करते वक्त ...

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी रेकार्ड में यह साफ है कि दीगोद श्यामपुर सोसाइटी जिसके नीचे कई हजार बीघा जमीन है उसमें इन्दुबाला सुखाडिया, डा. बी. एन. शर्मा और डा. बी. एन. शर्मा के भाई राजनारायण शर्मा इस प्रकार उदयपुर के निवासी यहां आकर फर्जी कोआपरेटिव सोसाइटी बनायें और उस भूमि को जो कि समिति की होती है उसको सरदार स्वर्णसिंह को बेच दें 36 हजार रुपयों के अन्दर जिसमें से 26 हजार तो दे दिये और 20 (10) हजार बाकी रहे क्योंकि इन्दुबाला सुखाडिया के दस्तखत नहीं हुए। पहले दस्तखत हुए तो 26 हजार रुपये ले लिये और इस प्रकार से सरकारी भूमि का बेचान कर दिया।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने बार बार यह निवेदन किया है कि जो हमारे पास सूचना है वह माननीय सदस्य को दे दी है। अब माननीय सदस्य इसकी सूचना दे रहे हैं तो इसका क्या कर सकते हैं। इसकी जांच कराकर ही जानकारी करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : रजिस्ट्रेशन केन्सिल करने के साथ क्या इस जमीन को दूसरी सोसाइटी को हस्तान्तरित करने के कोई आदेश दिये गये हैं।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष, मैं कह चुका हूं कि हमारे पास यह सूचना है कि उस समिति का रजिस्ट्रेशन

(श्री अमृतलाल यादव)
केन्सिल होने की वजह से इस समिति को यह जमीन हस्तान्तरित की गई है।

श्री नत्थीसिंह : केन्सिलेशन आर्डर में क्या यह आदेश है कि इस जमीन को फलां समिति को हस्तान्तरित की जा सकती है।

श्री रामदेवसिंह : इस समिति को सरकार की ओर से कोई जमीन एलाट नहीं की गई है। इस समिति का रजिस्ट्रेशन बाद में केन्सिल हो गया इसलिए वह जमीन ट्रान्सफर नहीं हुई।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि किसी भी सोसाइटी में सदस्यों ने भूल की है जब एक बार सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई तो उस सोसाइटी की जो जमीन है वह नियमानुसार ही हस्तान्तरित की जायगी और उनको स्वयं को भी यह अधिकार नहीं है कि चाहे जिसको हस्तान्तरित कर दें।

श्री रामदेव सिंह : यह सूचना नहीं है कि किस प्रकार से हस्तान्तरित हुई है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, इस समिति का रजिस्ट्रेशन किन कारणों से हुआ है ?

श्री रामदेवसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : आपने पहले रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और दूसरी को ट्रान्सफर कर दिया तो न तो आपने ट्रान्सफर करना बताया है कि और न रजिस्ट्रेशन रद्द करने का कारण बताया है।

श्री रामदेव सिंह : माननीय सदस्य...

श्री दौलतराम सारण : यह मामला पहले नहीं था। मंत्री महोदय जवाब सही ढंग से नहीं देना चाहते है और सही सूचना नहीं देना चाहते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्षजी, इसका जवाब विस्तार से दिया जा चुका है और जिन बातों की इन्फर्मेशन हमारे पास में नहीं है उनकी इन्फर्मेशन मंगायेंगे और जांच करेंगे और देखेंगे।

श्री नत्थीसिंह : सूचना नहीं है, नियमों की जानकारी नहीं है, आर्डर में क्या लिखा है उसकी जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से स्थगित किया जाय पूरी जानकारी करें और फिर सदन में लायें।

श्री अमृतलाल यादव : इसको स्थगित करने की बात नहीं है। आप, माननीय उपाध्यक्ष देखेंगे कि 36 संस्थाओं की जानकारी चाही गई है और इतने कम समय में इसकी अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश की है और जो फेक्ट्स हमारे सामने नहीं आये हैं उन फेक्ट्स के बारे में माननीय सदस्यों से कहा है कि जानकारी करके दूंगा। जब तक अदरवाइज फेक्ट्स नहीं आ जायं तब तक यह माना जाय कि किसी समिति का रजिस्ट्रेशन कैन्सिल हुआ है वह रजिस्ट्रेशन कायदे से कैन्सिल हुआ होगा, और कोई बात नहीं हो तो उसी तरह से हुआ होगा। इन्फर्मेशन आने के बारे में हम एश्योर कराते हैं कि उसकी पूरी सूचना उपलब्ध कराकर माननीय सदस्य को...

श्री नत्थीसिंह : वही हम चाहते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि दीगोद-श्यामपुरा सहकारी समिति को राज्य सरकार की ओर से जमीन एलाट नहीं की गई लेकिन मेरे पास जो सूचना दी गई है इसके अन्दर 21 नम्बर पर दीगोद-श्यामपुर संयुक्त सहकारी समिति को 5 हजार बीघा तहसील किशनगंज द्वारा एलाट की हुई है तो आपने कैसे कहा कि एलाट नहीं की गई है । 5 हजार बीघा एलाट की है ।

श्री रामदेवसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में जो नहीं "कह" दिया वह गलत हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह सरकार द्वारा एलाट की हुई भूमि है यह किस प्रकार से बेची गई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको सूचना दी गई है तो इस प्रश्न के भाग (7) में यह पूछा गया है "इन क्षेत्रों में बनी सोसायटीज में कितनी सोसायटीज चालू है, कितनी डिफन्क्ट पड़ी हैं, कितनी सोसाइटीज खत्म हो गई हैं और कितनी सोसाइटीज की भूमि बेची जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें"।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन यह बात आप भी मानेंगे कि एक तरफ तो काफी विस्तृत जानकारी मांगी गई है और यथासम्भव राज्य सरकार ने प्रयत्न किया कि सब सूचना दी जाय । उसमें हरेक सोसाइटी की अलग स्थिति हो सकती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि प्रश्न देने वाले की मन्शा का प्रश्न है और उत्तर देने वाले की मन्शा का प्रश्न है दोनों एक जगह हैं । उन्हें मालूम है कि किस जगह यह क्वेश्चन पाइंट आउट होगा । एलाटमेंट हुआ वह किस सोसाइटी के नाम हुआ और जो उसके सदस्यों के नाम नहीं दिये तो पहले कौन सी सोसाइटी बनी और बाद में दूसरी फार्म हुई सोसाइटी तो उसके नाम दिये जाने चाहिए । उसको छिपायें और बाद वाली के नाम दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने निवेदन किया कि इसकी जानकारी ले ली जायगी ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : यहां हाउस में हम जानना चाहते हैं उसके बारे में ।

श्री नत्थीसिंह : हाउस में जानकारी की जाय या इसको स्थगित किया जाय । जानकारी करके उसको हाउस में दी जाय ।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष, एक ही जानकारी माननीय सदस्य ने चाही है ...

श्री देवीदत्त गाडिया : एक नहीं सारी ।

श्री अमृतलाल यादव : आप सुनिये । मैं यह निवेदन कर रहा था कि इतनी विस्तृत जानकारी चाही गई उसकी सूचीवार इतना जानकारी दी उसमें आपने एक ही प्रश्न उठाया है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कैन्सिल हो गया । उसके बाद में समिति की जमीन जो अवसायन में आई उसकी जमीन दूसरी समिति को हस्तान्तरित की है । यह वो सूचनाएं माननीय सदस्य चाहते थे जिसके लिए मैंने यह निवेदन किया है कि इतना विस्तृत प्रश्न है उसकी सब सूचना डिटेलवार दे दी गई है और चूंकि

Page No 23

(श्री अमृतलाल यादव)
इसके लिए नहीं पूछा गया था तो मैंने कहा कि इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। यह सूचना उपलब्ध करके माननीय सदस्यों को बता दी जायगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरी पत्नी इन्दुबाला के नाम से किसी भी कोआपरेटिव सोसाइटी में जमीन नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह बात कही है यह बिल्कुल गलत कही है। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि यह दीगोद-श्यामपुरा कोआँपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का पुराना रेकार्ड जब्त करके इस सदन में रख दें तो इन्दुबाला का नाम उसमें है। वह जमीन बेची गई है 36 हजार रुपये में और 25 हजार रुपये तो ले लिये और 10 हजार रुपये दूसरे इन्दूबाला सुखाड़िया के दस्तखत नहीं होने से नहीं दिये गये....

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरा यह कहना है कि यह बिल्कुल गलत है।

श्री देवीदत्त गाडिया : बिल्कुल सही है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जोर से बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक जवाब चाहता हूँ। क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बतायेंगे कि इस सोसाइटी में उनकी पत्नी का नाम कभी नहीं था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : किसी ने लिख दिया हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं इसके बारे में निश्चित तौर से जानता हूं कि किसी जगह सिवाय उदयपुर के अन्दर और बाडी के अलावा एक बीघा भी जमीन किसी दूसरी जगह मेरी पत्नी के नाम से नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह मानते हैं कि जमीन उनके नाम की नहीं है, लेकिन यह तो तथ्य है कि सोसाइटी बनी और उसके कौन कौन सदस्य थे ? उन सदस्यों में एक नाम श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया का था। उनके नाम पर जमीन का एलाटमेंट हुआ और जमीन का एलाटमेंट होने के बाद में जमीन बेची गई, पैसा दिया गया और जमीन ट्रांसफर कर दी गई और आज जमीन दूसरों के पास में है। सवाल इसी पर खड़ा हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने निवेदन किया है उनका नाम किसी ने किसी कारण से लिख लिया हो तो उसके बारे में जिम्मेदारी नहीं हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरस से नाम लिख देते हैं तब तो बहुत बुरी बात है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : पहली बार नाम आया है। कोआपरेटिव सोसाइटी में सन का नाम लिख दिया गया हो। आज तक तो इस बात का पता नहीं था और न जमीन का पता था। यह सवाल आज आया तो स्वाभाविक बात है कि और क्या जवाब दूं।

श्री हीराभाई : जिन्होंने फर्जी कार्यवाही की है तो क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय उपाध्यक्षजी, कहा गया कि डा. बी. एन. शर्मा थे। तो डा. बी. एन. शर्मा के लिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वे जनसंघ के प्रमुख सदस्य थे। उपाध्यक्ष महोदय, तो किसने क्या कहा और किसने क्या नाम कहा तो मैं क्या बताऊं बिना जाने इस बारे में।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही कि सदस्यों के हस्ताक्षर हुए बिना सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होती है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : पहले से हो और बाद में नाम वापस ले लिया हो··

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : एक ओर तो माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि मेरी पत्नी का नाम नहीं है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन्दुबाला सुखाड़िया के नाम जमीन कैसे एलाट हुई ?

श्री अमृतलाल यादव : यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मुझे जहां तक मालूम है मेरी पत्नी के नाम कोई जमीन नहीं है। किसी ने नाम लिख दिया हो तो बात अलग है।

श्री दौलतराम सारण : तो, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के कहने पर दूसरा प्रश्न पैदा होता है और यह ज्यादा सीरियस बात है। एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई उसमें जो जो सदस्य थे तो उनके हस्ताक्षर करना रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य होता है। श्रीमती सुखाड़िया या उनमें से किसी सदस्य के हस्ताक्षर फर्जी किये गये हों या नहीं किये गये हों और बिना उसके रजिस्ट्रेशन किया गया हो और फर्जी रेकार्ड किया गया हो ऐसे जाली रेकार्ड तैयार करने के मामले की यह चीज और ज्यादा गम्भीर हो जाती है, तो क्या इस लाइट में सारे केस की जानकारी करके कानूनी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष,····

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया।

श्री अमृतलाल यादव : फिर भी, माननीय उपाध्यक्ष, मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने पूछा था कि इन क्षेत्रों में बनो सोसाइटीज में से कितनी सोसाइटीज चालू हैं, कितनी सोसाइटीज डिफन्क्ट पड़ी हैं, कितनी सोसाइटीज खत्म हो गई हैं और कितनी सोसाइटीज की भूमि बेची गई है वह सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें, तो इसका जवाब यह दिया गया है कि इन समितियों में से जो समितियां चालू हैं, निष्क्रिय हैं, अवसायन में हैं अथवा खत्म हो चुकी हैं उनके बाबत सूचना संलग्न परिशिष्ट [illegible] नं. 11 में अंकित है। किसी भी समिति की भूमि बेची नहीं गई है, केवल फलोदी सामूहिक सहकारी कृषि समिति का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के कारण इसकी भूमि

(श्री अमृतलाल यादव)

रामपुरिया सामूहिक सहकारी कृषि समिति को दे दी गई है। इसके अलावा उन्होंने एतराज उठाया है कि रद्द कैसे हुई और किस को दे दी गई तो इसका मैंने विस्तार से निवेदन किया कि इसकी सूचना हमको उपलब्ध नहीं है और इसकी सूचना उपलब्ध करायी जायगी।

(12 मध्यान्ह)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री गोकुलचन्द : मैं एक जानकारी चाहता हूँ। इस कोआपरेटिव सोसायटी में कितने मेम्बर थे जिनको 5 हजार बीघा भूमि का अलोटमेंट किया गया? मैं मेम्बर्स की संख्या जानना चाहता हूं। किन किन जातियों के लोग थे और उन्हें कौन से सन् में जमीन अलोट हुई जिनको यह 5000 बीघा जमीन दी है?

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी कर के, देख कर बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुन लें। इस प्रश्न में जो कुछ पूछा गया है उसका उत्तर दे दिया गया है। पूरक प्रश्नों में कुछ तथ्य इस तरह के आये हैं उनके बारे में मन्त्री महोदय निश्चित स्थिति में अभी नहीं हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी जानकारी कर के माननीय सदस्य को सूचित कर देंगे। तो इस हद तक मंत्री महोदय सूचित कर देंगे। इसलिए इसको स्थगित करने का कोई कारण नहीं हैं और यह तथ्य है, इसकी जानकारी मन्त्री महोदय माननीय सदस्य को दे देंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने एक ही प्रश्न पूछा है, बड़ा गम्भीर प्रश्न है।...

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन में सभी गम्भीर प्रश्न ही आते हैं। जो गम्भीर नहीं है, वह तो आता ही नहीं है। यह अधिक गम्भीर था इसलिए व्यवस्था दे दी और मंत्री महोदय ने खुद ने कह दिया कि जो जानकारी चाहते हैं इसके तथ्य आपको दे दिये जायेंगे। इसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हों तो आधा घंटे की चर्चा उठाई जा सकती है, और तरीके हो सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समय के मामले में आसन हमेशा लिबरल रहता है। आज बुलेटिन लगने वाला है। पौने पांच बजे चर्चा समाप्त हो जायेगी। इसलिए और प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम अजीतगढ़ का विद्युतिकरण

316. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) :—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम अजीतगढ़ किस साल में इलेक्ट्रीफाइड आर. एस. ई. बी. द्वारा घोषित किया जायगा ?

(2) आज तक कितने कृषकों ने बिजली की मांग की, किस किस की सिक्योरिटी जमा हुई, किस किस को कनेक्शन दिया गय व किस का कैंसिल किया गया व क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम के कुछ कृषकों की सिक्योरिटी जमा है व लाइन के लिए खम्भे आदि भी कृषक अपने खर्चे से जयपुर से ले गये व खम्भे खड़े भी हैं ? यदि हां, तो किस किस के व कनेक्शन क्यों नहीं हुए ?

उत्तर

(1) दिसम्बर, 1965 में।

(2) 40 ने मांग की थी। सात की सिक्योरिटी जमा हुई है। एक श्री ओमकार केशरमल को कनेक्शन दे दिया गया। 30 के प्रार्थना-पत्र कैंसिल किये गये। उनमें से 21 आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं थे तथा 9 ने वांछित धनराशि जमा नहीं कराई।

(3) जी हां। रेकार्ड से इस बात का पता नहीं चलता कि कृषक अपने खर्चे से खम्भे जयपुर से लाये। कुछ कनेक्शनों के लिए कार्य अवश्य किया गया था। जिन सात व्यक्तियों की सिक्योरिटी जमा हुई है उनमें से एक को कनेक्शन दिया जा चुका है, दो को एक सप्ताह में दे दिया जावेगा तथा शेष 4 को एक माह में।

नवलगढ के सहायक इंजीनियर विद्युत के विरुद्ध शिकायत

320. श्री शिवनाथ सिंह (गुढा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं में नवलगढ के सहायक इंजीनियर विद्युत् विभाग के खिलाफ दिनांक 14-4-1969 या इसके आसपास जब विद्युत् मंत्री झुन्झुनूं जिले के दौरे पर गये थे उनके समक्ष शिकायतें पेश हुई थीं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतें पेश होने पर उसी दिन सहायक इंजीनियर नवलगढ़ के दफ्तर के रजिस्टर आदि कागजात बिजली विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा कब्जे में लिए जाकर शिकायतों की जांच की और शिकायतें सही पाई गई ?

(3) यदि हां, तो संबंधित सहायक इंजीनियर के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, माननीय विद्युत् मन्त्रीजी के झुंझुनूं जिले के दौरे पर दिनांक 15-4-69 को कुछ शिकायतें सहायक अभियन्ता नवलगढ के विरुद्ध की गई थीं।

(2) रजिस्टर आदि कब्जे में नहीं लिए गये थे, अपितु उनको उच्चाधिकारियों ने देखे, लेकिन पूर्ण रिकार्ड उस समय पर उपलब्ध न होने के कारण अधिशासी अभियन्ता, सीकर को शिकायतों की जांच करने के आदेश दे दिये गये। जांच की जा चुकी है और उसके आधार पर तत्कालीन

(विद्युत् मंत्री)
सहायक अभियन्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ?

(3) नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस सहायक अभियन्ता का नवलगढ़ से स्थानान्तरण दिनांक 14-9-69 के आदेश द्वारा किया जा चुका है।

बंशी पहाड़पुर की सैण्ड स्टोन खान का अलाटमेंट

321. श्री रामकिशन (वैर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या जिला भरतपुर स्थित बंशी पहाड़पुर की सैण्ड स्टोन की खान को छोटे टुकड़ों में अलॉट करने की कोई योजना सरकार ने बनाई थी ? यदि हां, तो कब और क्या इस संदर्भ में सरकार की ओर से कोई गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था ?

(2) क्या बंशी पहाड़पुर का ग्रुप नं. 7 उक्त योजना के अधीन था और उसे श्री लाल राम एण्ड कं. से इसी उद्देश्य के लिए छुड़वाया था ? यदि हां, तो इस ठेकेदार ने इस ग्रुप को कब छोड़ दिया था ?

(3) सरकार के गजट नोटिफिकेशन के बाद किन किन ठेकेदारों ने अपने आवेदन इस ग्रुप को प्राप्त करने के लिए दिये ? अब तक यह ग्रुप उन्हें क्यों नहीं दिया गया ?

(4) क्या किसी सम्पूर्ण ग्रुप को ही प्राप्त करने के लिये आवेदन दिया था ? यदि हां, तो किसने और क्या उन्हें देना सरकार द्वारा निर्मित योजना के अनुकूल संभव था ?

(5) ग्रुप नं 7 के प्लाट की रायल्टी छोटे छोटे टुकड़ों में सरकार ने किस दर से निर्धारित की थी ? अब तक इस दर से ठेके न देने से सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है ? यदि सरकार कुल क्षेत्र को देती तो वार्षिक कितना धन सरकार को मिलता ?

उत्तर

(1) जी, हां। स्वीकृति टुकड़ों में नीलाम करने की दी थी।

(2) जी नहीं। श्री लाला राम ने स्वयं सरेण्डर कर दिया था।

(3) विज्ञप्ति के प्रकाशन पश्चात् निम्न व्यक्तियों ने आवेदन–पत्र दिये :

1. श्री सावत्री देबी तिवाडी
2. श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता
3. श्री रामेश्वर दास पारीक
4. श्री सत्यनारायण पाण्डे।

मामला विचाराधीन है।

(4) श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता के अलावा अन्य तीन व्यक्तियों ने संपूर्ण क्षेत्र के आवेदन अनु-पत्र दिया।

(5) ग्रुप नं 7 पहले नीलाम पर चढ़ाया गया था किन्तु किसी की बोली प्राप्त न होने से आवेदन–पत्रों पर दिये जाने का निर्णय दिया गया। अतः रोयल्टी के नुकसान का प्रश्न नहीं उठता।

पडासोली कृषि फार्म में गबन अथवा चोरी की जांच

322. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार जयपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजकीय कृषि फार्म पडासोली से लाखों रुपयों के माल के गबन के अथवा चोरी को बाबत कोई शिकायत राज्य सरकार को सितम्बर-अक्टूबर सन् 1969 में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई एवं उस कार्यवाही का क्या नतीजा निकला ?

(2) क्या यह सही है कि इस मामले की जांच पुलिस विभाग द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

उत्तर

(1) कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई परन्तु बस्सी से किसी व्यक्ति ने कृषि निदेशक को टेलिफोन पर शिकायत की थी जिसके आधार पर क्षेत्रीय उप-निदेशक, जयपुर एवं लेखा अधिकारी कृषि विभाग को इस मामले की जांच हेतु पड़ासोली फार्म तुरन्त भेजा गया उनकी जो प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त हुई उससे कोई फार्म पर गबन अथवा चोरी सिद्ध नहीं हुई।

(2) चूंकि प्राथमिक रिपोर्ट में कोई गबन या चोरी नही पाई गई इसलिए इस विभाग द्वारा पुलिस से जांच करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

राजस्थान नहर क्षेत्र में रद्द किए जाने वाले पट्टे

327. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल बाजार) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हाल ही में यह आदेश प्रसारित किए गए हैं कि राजस्थान नहर क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को आरजी पट्टों पर भूमि का आवंटन किया गया है, उन्हें रद्द कर दिया जाये ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) अब तक कितने मामलों में कितनी भूमि का आवंटन रद्द किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि सरकार द्वारा हाल ही में कोई ऐसे आदेश प्रसारित किए गए हैं जिससे आरजी पट्टों पर किए गये आवंटन रद्द किये गये हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागौर जिले की खानों से रायल्टी

328. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नागौर जिले में खानों की रायल्टी की कितनी राशि वर्ष 1966-67 तक की किस किस व्यक्ति में बकाया है एवं कब से बकाया है ? व्यक्ति या संस्था का नाम, वल्दियत, सकूनत व खाना या जमीन जहां हो उसका नाम भी अंकित कर सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) नागौर जिले में खानों, खड़ी, पत्थर, चूने का लीज किन किन व्यक्तियों एवं संस्थाओं की तारीख 1-4-1967 को व उसके बाद तारीख 1-1-1969 तक दिया

(श्री रामसिंह कुड़ी)

गया ? किस किस खसरान का व कितने कितने रकबे को दिया गया ? उनसे सरफेस रेन्ट कितनी कितनी वसूल किस किस रेट से होती है एवं किस किस ऐसे व्यक्ति व संस्था में कितनी कितनी ऐसी हैं जिनमें वर्ष 67-68 के अन्त को डेड रेन्ट की रकमें बाकी हैं ? सूचियां सदन की मेज पर रखी जावें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 1966-67 तक की जो राशि अभी बकाया है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिसमें प्रश्न में अंकित पूर्ण विवरण दिया हुआ है।

(2) नागौर जिले में जो खनन् पट्टे (भाटक एवं अधिशुल्क पट्टों के अतिरिक्त) प्रधान एवं अप्रधान खनिज नियमों के अन्तर्गत खड्डी, चूने एव पत्थर के लिए दिये गये उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिसमें यह भी बता दिया गया है कि 1967-68 तक की किस किस में डेड रेन्ट की राशि बकाया है।

सरफेस रेन्ट की वसूली पहले खनिज विभाग द्वारा की जाती थी लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां पाई गई इस पर इस विभाग द्वारा यह आदेश दिया गया कि सरफेस रेन्ट की वसूली राजस्व विभाग द्वारा की जायगी। खनिज विभाग द्वारा यह वसूली 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वसूल की जाती थी।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

ग्राम परासिया का कृषि फार्म

329. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम परासिया तहसील टौंक ग्राम पंचायत लाम्बा में विभाग द्वारा कोई कृषि फार्म स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि जिस भूमि पर यह फार्म स्थापित है वह भूमि उन ग्रामों को चारागाह भूमि थी ? यदि हां, तो यह फार्म कैसे स्थापित किया गया ?

(3) इस फार्म पर अभी तक कुल कितना खर्चा हुआ है और आमदनी कितनी हुई ?

(4) क्या यह सही है कि इस फार्म के स्थापित होने से वहां के ग्रामवासियों में असन्तोष है व चारागाह कुछ भी नहीं बचा है ?

(5) क्या सरकार इसे हटाने का निर्णय लेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 67-68 में यह फार्म चालू किया गया।

(2) जी नहीं। इस भूमि में 88 बीघा 20 बिस्वा सवाई चक्र 54 बीघा 8 बीस्वा खातेदारी की तथा 65 बीघा 15 बिस्वा चारागाह भूमि थी जिसको कृषि भूमि में कन्वर्ट किया जा चुका था। जिलाधीश द्वारा आवंटित की गई थी।

(3) तालिका संलग्न है।

(4) जी नहीं, क्योंकि विभाग को किसी से भी आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(कृषि मंत्री)

(5) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिए)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मंत्रियों के टेलीफोन एवं ट्रंककालों पर व्यय

379. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य मन्त्री-मण्डल के मन्त्री, राज्य मन्त्री एवं उप मंत्री के टेलीफोनों, ट्रंककालों का 1 जनवरी, 69 से 31 दिसम्बर तक कुल कितना बिल हुआ? प्रत्येक का पृथक् पृथक् ब्यौरा सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

उत्तर

1 जनवरी, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री के सम्बन्ध में टेलीफोन की मद में किये गये भुगतान की तालिका सदन की मेज पर रख दी है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

नागौर में सरकारी बंगले

380. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)–क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला मुख्यालय नागौर में कुल कितने सरकारी बंगले किस किस टाइप के किन किन के रहने के लिये बने हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त बंगलों के एलाटमेन्ट के सम्बन्ध में बनाये गये नियम व सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस समय कौन कौन अधिकारी किस किस बंगले में कब कब से रह रहे हैं तथा उनको किस अधिकारी द्वारा एलाट किया गया था और क्या क्या किराया जमा करवाया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उपरोक्त बंगलों में रहने के फलस्वरूप यदि किसी अधिकारी में कोई किराया बाकी हो, तो पूर्ण विवरण प्रस्तुत करनें की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय नागौर में कुल 24 बंगले हैं जो निम्न प्रकार हैं तथा राजकीय कर्मचारियों को आवंटित हैं :—

(1) ईयर मार्क्ड बंगले	–	5
(2) 'डी' टाइप	–	2
(3) 'ई' टाइप	–	4
(4) 'एफ' टाइप	–	9
(5) 'जी' टाइप	–	2
(6) 'एच' टाइप	–	2

जिन अधिकारियों को उपरोक्त बंगले आवंटित हैं उनकी सूची परिशिष्ट '1' पर उपलब्ध है।

(2) इस सम्बन्ध में अलाटमेन्ट आफ गवर्नमेन्ट रैजीडेन्शियल एकोमोडेशन रूल्स 1958 है जिसकी प्रति संलग्न है।

(मुख्य मंत्री)

(परिशिष्ट –2)

(3) विस्तृत जानकारी परिशिष्ट '1' पर उपलब्ध है।

(4) इन बंगलों में जिन अधिकारियों से किराया वसूल किया जाना है उसकी जानकारी निम्न प्रकार है :—

1. श्री यू. के. व्यास, जिला परिवार नियोजन अधिकारी, नागौर को 19 सितम्बर, 1969 को ई–52 नम्बर का क्वार्टर आवंटित किया गया था लेकिन इनका भी दिनांक 19-9-69 से किराया 820) रु. वेतन पर 10 प्रतिशत की दर से जमा करना शेष है।

2. श्री पी. एन. माथुर, प्रिंसिपल, गवर्नमेन्ट कालेज, नागौर का किराया दिसम्बर, 69 माह के वेतन से जमा नहीं हो सका है क्योंकि किराया कटौती पत्र सहायक अभियन्ता भवन एवं पथ निर्माण विभाग नागौर से प्राप्त नहीं हुई है।

3. श्री के. डी. चारण, जिला पशुपालन अधिकारी, नागौर दिनांक 3 दिसम्बर, 69 को क्वार्टर नं. एफ. 65 आवंटित किया गया था। लेकिन सहायक अभियन्ता भवन एवं पथ, निर्माण विभाग, नागौर द्वारा कटौती विवरण-पत्र नहीं होने से दिनांक 3-12-69 से किराया जमा कराया जाना शेष है।

5. श्री मनमोहन सिंघल, अधिशासी अभियन्ता, फेमिन नागौर ने दिनांक 23-11-69 को क्वार्टर खाली किया उनके द्वारा दिनांक 16-6-69 से 21-7-69 की अवधि में 70 रु. प्रतिमाह की दर से 150) रु. किराया पेटे जमा कराये गये हैं दिनांक 1-8-69 से 23-11-69 के समय का वेतन इस खजाने द्वारा नहीं उठाया गया है इसके फलस्वरूप किराया शेष है।

6. श्री भूपेन्द्र सिन्हा, डिप्टी कमाण्डेन्ट, होम गार्ड, नागौर द्वारा दिनांक 1-4-69 से किराया जमा कराना शेष है। उक्त अधिकारी के कटौती विवरण की सूचना जिला कोषालय में सहायक अभियन्ता भवन एवं पथ निर्माण विभाग नागौर द्वारा नहीं नहीं दी जाने से किराया जमा नहीं हो सका है। माह जनवरी व फरवरी, 70 का 30) रु० प्रति माह की दर से मकान किराया काटा गया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

तहसील लूनकरणसर में आगजनी की घटनायें

381. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् 1968-69 में जिला बीकानेर की तहसील लूनकरणसर के अधीनस्थ ग्रामों में आगजनी की घटनाओं से काश्तकारों के मकान जलने व नुकसान होने के सम्बन्ध में तहसीलदार, लूनकरणसर के सम्मुख सहायतार्थ कितने प्रार्थना-पत्र किस किस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये? प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(राजस्व मंत्र)

उत्तर

तहसीलदार, लूनकरणसर के समक्ष कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ। सन् 68-69 में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूनकरणसर के समक्ष जिन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र पेश हुए उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

चित्तौडगढ़ जिले की तहसील

382. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सरकार ने 15-9-62 को प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो 18 तहसीलें तोड़ी उसमें चित्तौड़गढ़ जिले की दो तहसील एवं एक सब-तहसील भी है? यदि हां, तो इसका क्या कारण रहा है?

उत्तर

जी हां, प्रशासनिक दृष्टि से तहसीलों की सीमाओं के एकीकरण के विचार से तथा लोक कार्य का निपटारा करने में अधिक दक्षता और विकास कार्यक्रमों के निष्पादन में शीघ्रता सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने एक समिति का निर्माण किया था उसकी रिपोर्ट के आधार पर कतिपय जिलों में तहसीलें कम की गई थीं और उसी निर्णय के अनुसार चितौड़गढ़ जिले की निम्न तहसीलें कम की गई:—

1–भैंसरोड़गढ़।

2–अचनेरा।

3–कनेरा (सब-तहसील)।

राजस्व वसूली में छूट

383. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष प्रभावग्रस्त घोषित गांवों की राजस्व वसूलियों में कोई छूट दी गई है? यदि हां, तो किस प्रकार से और कब? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस प्रकार की छूट देने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हुए हैं? यदि हां, तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, इस सम्बन्ध में जो आदेश इस विषयक प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु प्रचलित किये गये उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। संबंधित नियम राजस्थान टिनेन्सी सरकारी नियम, 1955 के नियम 26 से 41 हैं, तथा इनमें आवश्यक संशोधन भी किये गये हैं जो राजस्थान राजपत्र, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिनांक 19-1-70 के भाग 4 ग में छापा हो चुके हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

Page No 33

प्रोवीडेन्ट फंड का भुगतान

384. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सुखराज तहसीलदार देसूरी का देहावसान तारीख 26-12-63 को हो गया था ?

(2) क्या यह सही है कि श्री सुखराज, तहसीलदार देसूरी की सर्विस बुक खो गई है अतः उनकी विधवा पत्नी का अभी इतने वर्षों के पश्चात् भी प्रोविडेंट फंड की रकम का पूरा भुगतान नहीं किया गया है ? इस सर्विस बुक खोने का अपराध किसका है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री सुखराज तहसीलदार, देसूरी की दूसरी नई सर्विस बुक बन रही है ? यदि हां, तो कब तक यह सर्विस बुक बन जायगी और पूरी रकम का भुगतान तहसीलदार की विधवा पत्नी श्रीमती चांद कुंवरी को हो जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सत्य है।

(2) जी हां। अभी तक प्रोविडेन्ट फण्ड की धन राशि का पूर्ण भुगतान सेवा पुस्तक के अभाव में करना शेष है। सेवा पुस्तक खोने के संबन्ध में जांच की जा रही है।

(3) जी हां। श्री सुखराज, तहसीलदार की नई सेवा पुस्तक तैयार कराई जा रही है एवं इसके बन जाने के पश्चात् शीघ्र ही पूरी रकम का भुगतान तहसीलदार की विधवा पत्नी श्रीमती चांद कुंवरी को करा दिया जावेगा। सेवा पुस्तक तैयार कराने के लिये विशेष रूप से कार्यवाही की जा रही है।

ओला वृष्टि से फसल को नुकसान

385. श्री कुमारसिंह (रामगंज मण्डी):—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले के किन-किन क्षेत्रों के कितने कितने गांवों में पिछले दो-तीन महीनों में हुई ओला वृष्टी से फसलों को नुकसान हुआ है व सरकार द्वारा कृषकों को क्या रिआयत दी गई है ?

(2) पंचायत समिति, सांगोद व चेचट के किन किन गांवों में ओलों से नुकसान हुआ है और सरकार द्वारा कृषकों की क्या मदद की गई है ?

[स्थगित किया गया]

रुई की पैदावार पर लगान

386. श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गंगनहर की सिंचित भूमि में रुई पैदा करने वाले प्रति एकड़ का लगान क्या है ? और मेजा बांध की सिंचित भूमि का क्या है ?

उत्तर

गंगानगर में नहरी भूमि का भूराजस्व 3.20 पैसा प्रति एकड है और मेजा बांध क्षेत्र में ऊंची से ऊंची 10) रु. प्रति बीघा नीची से नीची 1.2 प्रति बीघा 152॥ फीट की करीब से है।

अनधिकृत रूप से खलियानों की भूमि पर कब्जा

387. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही कि बारां नगर में बैंक के पास की खलियानों की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से जबरन कब्जा करने के विरुद्ध किसानों द्वारा शिकायतें सरकार के पास की गई हैं ? यदि हां, तो कब कब शिकायतें हुई और उस पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

यह सही नहीं है।

बारां नगर में स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान बैंक, कोपरेटिव बैंक इत्यादि 6-7 बैंक हैं। ये सब बैंक बाजार में स्थित हैं जिनके समीप कोई खलियान भूमि नहीं है।

गलत आवंटित भूमि की जांच

388. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने पाली कलेक्टर को यह आज्ञाएं दी हैं कि जिन जिन लोगों को भूमि गत पिछले सालों में गलत आवण्टित की गई है और जिनकी जांच सहायक कलेक्टर पाली ने की उस आवंटन को रद्द कर दिया जावें ? यदि हां, तो यह आज्ञा किन किन गांवों के लिए दी गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि जो काश्त की भूमि पाली तहसील के गांवों में भूतपूर्व तहसीलदार द्वारा गलत आवण्टित की थी उनको रद्द करने का हुक्म होने पर भी आज तक उनसे भूमि नहीं ली गई और अभी तक उन गलत आदमियों के कब्जे में ही वह भूमि चलती आ रही है ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा जिलाधीश, पाली को यह आज्ञा दी गई है कि जिन जिन लोगों को भूमि पिछले सालों में गलत आवंटित की गई है और जिनकी वैधता बाबत प्रासंगिक जांच परगना अधिकारी, पाली द्वारा की गई है, बाद नियमानुसार पार्टीज को सुनवाई का मौका देकर उनको रद्द करने के लिए राज्य सरकार को रेफरेन्स किया जावे, जिन-जिन गांवों के लिए यह आदेश दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार से आदेश प्राप्त होने के बाद जिला स्तर पर कुछ पार्टीज को कारण बताओ नोटिस दिये गये हैं कि उनका आवंटन रद्द क्यों नहीं किया जाय और शेष को नोटिस जारी किये जा रहे हैं। नियमानुसार आवंटन रद्द करने से पूर्व पार्टी को नोटिस देना जरूरी है, प्रत्येक आवंटन की अलग पत्रावली कायम की जाकर पार्टी का जवाब लेकर उसे सुन कर आवंटन रद्द करने की कार्यवाही होगी, जिसमें समय अवश्य ही लगेगा। अतः यह सही है कि अभी तक किसी की भूमि कब्जे में नहीं ली जा सकी है। क्योंकि मामला सुनवाई होकर फाइनल नहीं हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

रेवेन्यू हैडक्वार्टर, पाली के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

389. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला हैडक्वार्टर, पाली में कौन कौन कर्मचारी 12 साल से ऊपर से हैडक्वार्टर पर काम कर रहे हैं और उनका तबादला बावजूद रेवेन्यू बोर्ड की आज्ञा व सरकार के आदेश पर भी नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? उन सभी कर्मचारियों का नाम व जिस पद पर वे आसीन हैं उन सबको सूची ब्योरेवार दी जावे ।

(2) क्या यह सत्य है कि राजस्व मंडल से ऐसा निर्देश निकला हुआ है कि कोई भी कर्मचारी 10 साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर नहीं रहे ? यदि हां, तो उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) एकाउन्ट्स नोईंग कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों में जो कनिष्ठ लिपिक 5 साल से अधिक व वरिष्ठ लिपिक 10 साल से अधिक अर्से से काम कर रहे थे उनके स्थानान्तरण कर दिये गये हैं ।

(2) राजस्व मण्डल ने राज्य सरकार द्वारा इस विषयक प्रचलित आदेशों की पालना के लिए निर्देश प्रचलित किये थे, जिनकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

नीम का थाना में विद्युत् की बकाया

390. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल, नीमका थाना क्षेत्र में उद्योग के किस किस के कितने कितने हार्स पावर के विद्युत् कनेक्शन कब कब से चालू हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन के बाद किस किस माह में कितना पैसा खर्चे का आर. एस. ई. बी. को दिया ?

(3) क्या उपरोक्त उपभोक्ताओं में विद्युत् का बकाया है ? यदि हां, तो किस किस में किस किस माह का कितना कितना बकाया है और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) ऐसी सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा ।

(3) जिन उपभोक्ताओं में विद्युत् का बकाया है वह भी उपर्युक्त सूची में अंकित है । महिने वार सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा, तथापि 31–12–69 को बकाया राशि सूची में दिखा दी गई है । जिन उपभोक्ताओं में पुरानी रकम बकाया है उनमें से, अलावा मोदी मिनरल्स के, सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं । मोदी मिनरल्स में रकम

Page No 36

(विद्युत मन्त्री)
बकाया होने के कारण भी सूची में अंकित हैं जिसमें इस विषय में की गई कार्यवाही भी बताई गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

गोयल्ला मोहल्ले को विद्युत कनेक्शन

391. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या सरकार को विदित है कि बीकानेर जिले के ग्राम नापासर में पिछड़ी जाति के मोहल्ले में खास कर गोयल्वान मोहल्ला में बिजली की लाइन नहीं लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उपरोक्त मोहल्ले में बिजली लगाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस कार्य के लिए वांछित धनराशि अथवा सक्षम स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण।

(2) अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

उदयपुरवाटी विद्युतिकरण योजना

392. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वित्तीय वर्ष 1969—70 में झुंझुनूं जिले की पंचायत समिति उदयपुर वाटी के किन किन गांवों में विद्युतिकरण की योजना स्वीकृत की गई थी और उनमें से किन किन का विद्युतिकरण कर दिया गया यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम सिगनोर एवं मोरकीकी। इन ग्रामों के लिए 11 के. वी. की लाइन का कार्य करीब करीब पूर्ण कर दिया गया है। सब स्टेशन बनाया जाना है। उसके पश्चात् ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर इन ग्रामों को बिजली मिल जावेगी।

पाली तहसील के ग्रामों के कुओं को विद्युत् योजना

393. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील के गांव मण्डली खुर्द व मंडिया, गिरादंडा आदि पर बिजली अभी तक कुओं पर क्यों नहीं पहुँचाई गई जब कि इनकी योजना बन चुकी थी?

(2) सरकार उपरोक्त गांवों के कुओं तक बिजली कब तक पहुँचा देगी?

उत्तर

(1) पाली तहसील के ग्राम मंडिया का विद्युतीकरण दिनांक 18—3—67 को हो चुका है और वहां के कुए को बिजली दी जा चुकी है।

ग्राम मण्डली खुर्द की स्वीकृति 24—2—70 को हुई है। इसको भी शीघ्र कर दिया जावेगा। ग्राम गिरादंडो स्वीकृत नहीं हुआ है।

(2) ग्राम मंडिया के अन्य कुओं को प्राथमिकता के अनुसार बिजली दी जा रही

Page No 37

(विद्युत मन्त्री)
है। ग्राम मांडली खुर्द की विद्युतिकरण होने पर वहां प्राथमिकता के अनुसार बिजली दी जावेगी।

ग्राम: गिरावंडा के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

पाली तहसील के गांवों में कुओं पर बिजली

394. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पाली तहसील के गांव दिवाणदी, मुंडिया, फैकरिया आदि गांव बांडी नहीं के किनारे किनारे हैं और इन गांवों के कुओं की संख्या कम से कम 500 है? यदि हां, तो इन तक बिजली पहुंचाने की सरकार कार्यवाही शीघ्र क्यों नहीं करती?

(2) क्या यह सत्य है कि इन कुओं पर बिजली घुनांडा से दी जा सकती है?

यदि हां, तो उक्त गांवों के कुओं पर बिजली कब तक पहुंचा दी जायेगी।

उत्तर

(1) ग्राम मुंडिया को छोडकर, जिसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। न तो किसी ग्राम की जिला उत्पादन समिति ने शिफारिश की और उनका सर्वेक्षण अभी हुआ है। अस्तु इन की ठीक ठीक स्थिति, नदी से दूरी, कुवों की संख्या आदि के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

स्वीकृत योजनाओं में शामिल नहीं होने के कारण।

(2) घुनाड विद्युतिकृत ग्राम नहीं है और न 33 के. वी. लाइन पर स्थिति है। तो भी सर्वेक्षण के बिना कुछ नहीं कहा जा सकता है।

जेलों में सुविधाएं

395. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान की जेलों में सरकार ने क्या क्या सुधार किये है?

(2) क्या जेलों में रहने वाले बन्दियों की सुविधाओं को देखने के लिये और असुविधाओं के सुझाव देने के लिये गैर सरकारी सदस्यों की समितियां बनाई गई हैं? यदि हां, तो कहां कहां पर किन किन को इन कमेटियों में रखा गया है और इन कमेटियों के क्या सुझाव आये हैं?

(3) गांधी शताब्दी वर्ष पर कितने उम्र कैदी छोड़े गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) इस समय सत्याग्रहियों के अलावा कुल कितने कितने पुरुष और महिला बन्दी जेलों में हैं?

(5) वहां कुछ महिलायें भी उम्र कैदी हैं? यदि हां, तो कहां कहां की हैं? पूरी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) राजस्थान की जेलों में सरकार ने जो सुधार किये हैं वह निम्न भांति हैं:—

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में जेल सुधार के ठोस कदम उठाये गये फलस्वरूप

(जेल मन्त्री)

अपराधियों के प्रति समाज की विचार धाराये एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया और बन्दी गृहों कीं गणना अब सुधारालयों में की जाने लगी। आज अपराधी को बन्दी गृह में दण्ड देने के लिये नहीं अपितु उसे समाज के उपयोगी नागरिक के रूप में पुनः संस्थापित करने के लिये भेजा जाने लगा है। राजस्थान राज्य जेल सुधार की दृष्टि से देश के अन्य राज्यो से पिछड़ा हुआ नहीं है। गत 15-16 वर्षों से इस दिशा में राजस्थान में महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं, जिनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। राजस्थान में जेल सुधारों की बहुमुखी प्रगति हुई है–जेलों में बन्दियों को निम्न प्रकार के उद्योग सिखाये जाते हैं ताकि जेल से मुक्त होने पर वे एक अच्छे नागरिक की तरह जेल में सीखे हुये उद्योगों के सहारे जीवन निर्वाह कर सकें और पुनः अपराध प्रवृत्ति की ओर न अग्रसर हों। "शून्य मस्तिष्क गंठन का घर है..." अतः बन्दियों को बुरे विचारों से बचाने के लिये खेल कूदों में भाग लेने की सुविधायें प्रदान की जाती है। उनके मनोरंजन के लिये राज्य की बड़ी 2 जेलों में रेडियो सेट्स की व्यवस्था की हुई है तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये विभिन्न जेलों में सांस्कृतिक मन्डलों की स्थापना की हुई है, बन्दियों की आदतों में सुधार हो, जेल के प्रशासन में ये सहायक हो तथा उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो, इस दृष्टि से जेलों में पुस्तकालय सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है, केन्टीन सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती है, बन्दियों का आचरण अच्छा बने उसके लिये आचरण वाले बन्दियों को गर्मी की ऋतु में खुले में सोने, सजा की अवधि में कमी (रेमीशन), "स्टार क्लास" श्रेणी देने तथा बन्दी अधिकारी (सी. ओ.) के रूप में तरक्की "आदि की सुविधा प्रदान की जाती है।" अशिक्षा अपराधों की जननी है अतः राज्य की बड़ी जेलों में अशिक्षित को शिक्षित बनाने की समुचित व्यवस्था है, यही नहीं उन्हें आगे पढ़ा कर विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने को भी प्रोत्साहित किया जाता है, उनका आचरण ठीक बने इसके लिये समय समय पर धार्मिक, सामाजिक व नैतिक, उत्थान आदि विषयों पर भाषण दिलाने का प्रबन्ध किया जाता है। बन्दियों के मामलों के पुनरावलोकन के लिये राज्य सरकार द्वारा सलाहकार मण्डलों (एडवाईजरी बोर्ड्स) की नियुक्ति जयपुर, जोधपुर, बीकानेर कोटा एवं उदयपुर में की हुई है जो संबंधित वृत्त (सर्किल) के बन्दियों को समय से पूर्व मुक्त किये जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते हैं, पेरोल नियम के अनुसार अवकाश की सुविधा दी जाती है। बन्दियों के पुनर्संस्थान के लिये बन्दी कल्याण कोर्स की चन्दे से व्यवस्था है, राज्य में समाज कल्याण विभाग की ओर से उदयपुर में विभिन्न कारागृहों से मुक्त हुए पुरुष बन्दियों के लिये एवं जयपुर में महिला सुधार गृह से मुक्त हुई महिलाओं के लिये उत्तर रक्षा गृहों (आफ्टर केयर होम्स) की व्यवस्था की जाती है, बन्दियों तथा बाहरी दुनियां के बीच सम्पर्क स्थापित कराने का कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त बन्दी कल्याण अधिकारी करते हैं, राज्य में प्रोबेशन अधिकारियों की नियुक्ति भी की गयी है, राज्य सरकार ने राज्य में मुक्त हुये बन्दियों को रोजगार देने की अनुमति

Page No 39

(जेल मंत्री)

दे दी है। राज्य की कारागृहों में पारिश्रमिक देने की योजना (वेज अरनिंग स्कीम) विचाराधीन बन्दियों को कार्य योजना (अण्डर ट्रायल्स वर्किंग स्कीम), सिलाई योजना एवं अन्य योजनाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं, तथा बन्दियों के खुले शिविरों की स्थापना आदि। खेती के कार्य करने वाले उपयुक्त कैदी खुले शिविरों में रखे जाते हैं जहां उनको मजदूरी भी मिलती है और वह खुले वातावरण में रहते हैं। बन्दियों के बेड़ी नहीं डाली जाती।

2) राजस्थान की जेलों में रहने वाले बन्दियों की असुविधाओं को देखने के लिये राजस्थान जेल मेन्युअल के पार्ट 22 के आधार पर निम्नलिखित कारागृहों एवं उप कारागृहो पर राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की समितियां मनोनीत की हुई हैं:—

कारागृह का नाम	गैर सरकारी सदस्यों का नाम	अवधि
उप कारागृह, बांदीकुई	(1) श्री पी. एम. जोशी एडवोकेट, बांदीकुई।	ता. 6-4-68 से दो वर्ष के लिये
उप कारागृह, वाड़मेर	(2) श्री निरंजन लाल सिंघल एडवोकेट, बांदीकुई	" "
जिला कारागृह, बीकानेर	(1) श्री हुक्म सिंह सदस्य, विधान सभा	" "
	(2) श्री देवीदत्त तिवाड़ी	" "
	(1) श्रीमती कान्ता कथूरिया सदस्य, विधान सभा	ता. 20-4-68 से 2 वर्ष के लिये।
	(2) श्री चम्पालाल कोचर, अवकाश प्राप्त जिलाधीश	ता. 20-4-68 से दो वर्षों के लिये।
	(3) श्री मोहम्मद उसमान, आरिफ एडवोकेट, बीकानेर	ता. 20-4-68 से दो वर्षों के लिये।
उप कारागृह- बूंदी	(1) श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा एडवोकेट	ता. 29-7-68 से दो वर्षों के लिये।
	(2) श्री वी. डी. ठाकुर आर. ए. एस. (रिटायर्ड)	ता. 29-7-68 से दो वर्षों के लिये।
उप कारागृह, बालोतरा	(1) श्रीमती मदन कौर, सदस्य, वि. सभा	ता. 7-2-70 से दो वर्षों के लिये।
	(2) श्री कालू राम सदस्य विधान सभा	ता. 7-2-70 से दो वर्षों के लिये।

इन सदस्यों का काम कारागृहों में प्रति माह निरीक्षण करने का है और जेलों में असुविधा हो उसे दूर करना है। ये सदस्य अपने सुझाव जिस कारागृह पर मनोनित होते है वहीं पर देते हैं। मुख्यालय को नहीं भेजते है।

(जेल मन्त्री)

(3) गांधी शताब्दी पर्व पर राजस्थान की जेलों से निम्न भांति उम्र कैदी छोड़े गये हैं:—

क्र. सं.	जेल का नाम	बन्दी व उसके पिता का नाम	दफा	सजा की तारीख	सजा	किस ता. को छोड़ा गया
1	2	3	4	5	6	7
1	जोधपुर	मगता पुत्र सेरब	302	भा0 पी0 सी0 11-7-57	20 वर्ष	3-10 68
2	बीकानेर	मोड़िया पुत्र मकान	02	भा0 पी0 सी0 29-3-57	20 वर्ष	30-1-69
3	खेतड़ी	हाजी उर्फ हाजोदा पुत्र दयाव.	302	भा0 पी0 सी0 12-7-55	20 वर्ष	30-1-69
4	गंगानगर	हरनाम सिंह पुत्र चौला सिंह	396	ता0 हि0 20-8-56	20 वर्ष	30-1-69
5	गंगानगर	प्रीतमसिंह पुत्र अर्जुन सिंह	396	ता0 हि0 20-8-56	20 वर्ष	30-1-69
6	जोधपुर	चिमना पुत्र हीरा	302	224 15-3-54	21 वर्ष	30-1-69
7	जोधपुर	साकिया पुत्र भूला	302	ता0 हि0 20-2-56	20 वर्ष	30-1-69

(जेल मन्त्री)

(8) जोधपुर – लागोया पुत्र चेना – 302/ता0हि – 31-8-57 – 20 वर्ष – 30-1-69

(9) जोधपुर – नेवला पुत्र वेसू – 302/ता0हि0 – 11-2-57 – 20 वर्ष – 30-1-69

(10) जयपुर – नारायण पुत्र रामनाथ 302/ता0हि0 – 13-11-57 – 20 वर्ष – 30-1-69

(4) दिनांक 1-1-70 के, विशेष श्रेणी उप-कारागृह, भरतपुर, उप-कारागृह सवाई-माधोपुर, रायसिंहनगर, करणपुर और जैसलमेर को छोडकर राजस्थान की जेलों में कुल 5,568 पुरुष और 93 महिला बन्दी हैं।

(5) दिनांक 1-1-70 को महिला सुधार गृह जयपुर में 37 महिला बन्दी आजन्म कारावास की भी जिसकी सूची (प्रयोग क) पर संलग्न की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

तृतीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को कर्ज

396. श्री हंसराज (भादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद से आज तक किस किस बडे उद्योग के लिए जिनकी लागत पूंजी एक लाख से अधिक है को किस किस नाम से कर्ज दिया है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना म और उसके बाद से आज तक जिस जिस बडे उद्योग को कर्ज दिया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

खनिज सम्पदा की खोज के लिये सर्वे

397. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में खनिज संपदा की खोज के लिये कब कब सर्वे किया? सर्वे रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में खनिज संपदा की खोज के लिये सर्वे कराने का भी विचार रखती है? यदि हां, तो कब और किस एजेन्सी द्वारा?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में खनिज सम्पदा की ओर का कार्य राज्य के खान एवं भूमिदान विभाग द्वारा किया गया जिसमें मुख्यतः भूरा कोयला व सेन्डेनाईट मुख्य हैं। भारतीय भूगर्भिक सर्वे में इस क्षेत्र में मुलतानी मिट्टी व बेंटोनाईट के भंडारों की विस्तृत जांच की है। सर्वे रिपोर्ट्स अभी उपलब्ध नहीं हो सकी।

(2) बाडमेर जिले में राज्य सरकार के खान एवं भू विकास विभाग एवं भारतीय भूगर्भिक सर्वे ने समय पर खनिज सम्पदा की खोज के लिए जांच कार्य किया है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रमुख खनिज उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसके लिए खोज कार्य प्रारम्भ किया जाय।

Page No 42

कोटा जिले में गेहूं की फसल को काला कीड़ा से नुकसान

398. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में इस वर्ष गेहूं की फसल में अधिकांश हिस्सों में काला कीड़ा लगा था, जिससे फसल को काफी नुकसान होने की संभावना थी ?

(2) क्या सरकार इस प्रकार के कीटाणुओं से काश्त को हानि न हो पावे, इसलिए कोई स्थाई हल खोजने का विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में 26000 एकड़ में काला कीड़ा (ह्वाइट बीटल) लगा था जिसकी विस्तृत सूचना संलग्न है। इस कीड़े से फसल को काफी नुकसान होने की सम्भावना थी।

(2) जी हां। परन्तु सभी प्रकार के कीड़ों की रोगनिरोधक उपाय (Prophyleotic Measure) द्वारा नियन्त्रण नहीं किया जा सकता है ? बल्कि उनके प्रगट होने पर दवाइयों द्वारा उपचार किया जाना ही आवश्यक है। इसलिए विभाग द्वारा कीड़ों के आक्रमण की संभावना होने पर समय समय पर फोरकास्ट की जाती है ताकि समस्त कृषक एवं विभागीय अधिकारीगण सजग हो जायं।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

राजस्थान नहर क्षेत्र भूमि आवंटन बिक्री नियम

399. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान नहर क्षेत्र भूमि आवंटन बिक्री नियमों को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया है ? यदि हां, तो कौन कौन से नियम ? उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सरकार ने इस संबन्ध में फैसले के बाद क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में भूमि आवंटन बिक्री नियमों को राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री वेदपाल जी त्यागी द्वारा अवैध घोषित कर दिये गये हैं। नियम संख्या 16 व 19 को अवैध घोषित कर दिये गये थे। जिनके फलस्वरूप आवंटन करना अवैध करार दिया गया था। नियम संख्या 16 व 19 की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(2) राज्य सरकार ने उपरोक्त निर्णय के खिलाफ डिविजन बैंच के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है। जिस पर स्टे दिया जा चुका है। प्रतिलिपि संलग्न हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

राजस्थान केनाल में एक सालाना बोली से आय

400. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान केनाल में इस वर्ष एक साला बोली न बुलाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इस आरजी काश्त की बोली नहीं बुलवाने से लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ है ?

(2) क्या सरकार यह नहीं मानती कि पिछले साल आरजी काश्त की एक साल बोली मौके पर नहीं बुलाई गई थी और फर्जी बोली दर्ज की गई थी ?

(3) यदि हां, तो फिर इस साल बोली नहीं बुलाने का क्या कारण है ?

(4) एक सालाना बोली से कुल कितनी आय पिछले साल में हुई है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष सन् 1969-70 से 8-5-69 से पूर्व जरिये नीलामी ही आरजी काश्त भूमि का आवंटन किया गया, जिससे 49004) बीघा रकबा 3,02,915) रुपयों का आवटन हुआ इससे यह अनुभव हुआ कि नीलामी में लोगों का उत्साह पूर्णतया नहीं है। इसलिए गत वर्ष 1968-69 की रकम 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत अधिक रकम पर नवीनीकरण किया गया और नीलामी कार्यवाही नहीं कराई गई। इससे कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ।

(2) जी नहीं।

गत वर्ष 1968-69 में आरजी काश्त एक साला का आवटन कार्य जरिये नीलामी नियमों के अन्तर्गत ही हुआ है।

(3) प्रश्न संख्या 1 के जवाब में स्पष्ट कर दिया गया है।

(4) एक साला बोली से गत वर्ष 1968-69 में 8,90,712) रुपयों का मतालबा कायम हुआ।

इंडियन रेल्वे केटरिंग कोआपरेटिव सोसायटी

401. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोहा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) इण्डियन रेल्वे केटरिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, जोधपुर का पंजीकरण किस सन् में हुआ था।

(2) इस सोसाइटी में कुल कितने सदस्य हैं और उनका कितना कितना हिस्सा है ?

(3) इनमें कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य हैं ? उनके पूरे नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) आज तक सोसाइटी को कुल कितना लाभ हुआ है और उसमें से अनुसूचित जाति के सदस्यों को कितना हिस्सा मिला है ?

(5) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सोसाइटी, में अनुसूचित जाति के सदस्यों के केवल नाम मात्र और फर्जी नाम हैं ? यदि

Page No 44

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

नहीं, तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच कराने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इन्डियन रेल्वे केटरिंग कोआपरेटिव सोसाइटी जोधपुर का पंजीकरण सन 1968 में हुआ था।

(2) इस समिति में कुल 39 सदस्य है जिनकी हिस्सा पूंजी 9,800) रुपये हैं। सूची परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(3) इस समिति में 4 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। जिनके नाम व पते की सूची परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(4) वर्ष 1967-68 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार समिति में अब तक 4,858)68 पैसे का लाभ अर्जित किया गया है। लाभ का वितरण नहीं किया गया जो प्रत्येक सदस्य को हिस्से के अनुपात से नियमानुसार मिलेगा।

(5) उपरोक्त समिति में अनुसूचित जाति के सदस्यों का केवल नाम मात्र होने अथवा फर्जी होने के बारे में कोई शिकायत नहीं है। अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

केकड़ी गऊशाला

302. श्री देवीलाल गुरासिया (केकड़ी): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केकड़ी गऊशाला में कितनी गायें हैं ? क्या इसका कोई ट्रस्ट है ? छोटी गायें, बड़ी गायें व दूध देने वाली गायें तथा बैल कितने कितने हैं ?

(2) केकड़ी गऊशाला के मकानों की आमदनी कितनी है ?

(3) केकड़ी गऊशाला को कहां कहां से अनुदान मिलता है ?

(4) केकड़ी गऊशाला का साल भर का दूध गोबर, छाने और बैलगाडी, बैलों से कितनी आमदनी होती है ?

(5) रामलीला स्टेज का सन् 60 से अब तक कितना किराया व दान के रूप में मिला ?

(6) केकड़ी गऊशाला में कितने कर्मचारी एवं नौकर हैं और उनको कितनी महावारी तनख्वाह दी जाती है ?

(7) उपरोक्त गऊशाला ट्रस्ट के कितने सदस्य हैं ?

(8) क्या सन् 67 में गऊशाला ट्रस्ट के महामन्त्री श्री छगनलाल चौकड़ी वाले ने केकड़ी ग्राम निवासियों को हिसाब बताने से इन्कार कर दिया था ?

(9) इस गऊशाला की सालाना आमद और खर्च का सन् 64 से 69 तक की प्रतियां सदन की मेज पर रखवाने की कृपा करेंगे।

(10) सरकार द्वारा केकड़ी गऊशाला ट्रस्ट को जबसे गुलाबचन्द बजाज अध्यक्ष बने कितना अनुदान दिया गया ?

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(11) क्या इस गऊशाला का पतन होता जा रहा है ?

उत्तर

1. केकडी गऊशाला में 22 गायें हैं तथा इसका ट्रस्ट भी है, गायों का व बैलों का विवरण निम्न प्रकार है:–

दूधारू गायें	सूखी गायें	1 वर्ष से बड़ी बछड़ियां	बैल
3	19	5	4

2. केकडी गऊशाला के मकानों से 1,092 रुपया सालाना आमदनी होती है।

3. केकडी गऊशाला को नगरपालिका केकडी एवम् नगर के व्यापारियों से अनुदान मिलता है।

4. केकडी गऊशाला को साल भर से निम्नांकित आमदनी दूध, छानों तथा बैलगाडियों से प्राप्त हुई है, बैलों से कोई आमदनी नहीं होती है:–

दूध	गोबर	बैलगाडी एवं बैल	छाने	योग
संवत् 2024–25				
2,304.57	441.00	1,297.75	300.00	4,343.32

5. सं. 2015–16 से अब तक गौशाला स्टेज किराये व दान स्वरूप 986.37 पैसे प्राप्त हुये हैं।

6. केकडी गऊशाला में एक व्यवस्थापक दो गाड़ीवान एक ग्वाला तथा एक कन्डे थापने वाली नौकर है, जिनको निम्नप्रकार से वेतन दिया जाता है-

पद	वेतन
व्यवस्थापक	125.00 रुपये प्रति माह
गाड़ीवान-दो	60.00 रुपये प्रति माह एक को 50)रु. प्रति माह
ग्वाला	50.00 रुपये प्रति माह
कन्डे थापने वाली	25-00 ,, ,, ,,

7. गऊशाला ट्रस्ट के एक अध्यक्ष एक मंत्री, एक कोषाध्यक्ष एवं चार सदस्य हैं।

8. जी नहीं गऊशाला एक सार्वजनिक संस्था है, जोकि जनता के सहयोग से चलती है। हिसाब की वार्षिक रिपोर्ट छपवाई जाती है, तथा गोपाष्टमी महोत्सव पर समस्त जनता को सुनाई एवं बांटी जाती है।

9. गौशाला की आय तथा व्यय का हिसाब सम्वत 2020-21 से 2024-25 तक की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है। सम्वत 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट 2026-27 के साथ छपने का निर्णय गौशाला द्वारा लिया गया है।

10. गौशाला को अजमेर के समय के सरकार से सहायता मिलती थी, जो राजस्थान में वीलीनीकरण के बाद नहीं मिली श्री गुलाबचन्द जी के अध्यक्षता काल में रुपये 2,936.44 राजस्थान पिंजरापोल संघ द्वारा प्राप्त हुये।

11 जी नहीं।

भेड़ व ऊन विभाग में प्रचार अधिकारी का पद

403. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भेड़ व ऊन विभाग में प्रचार अधिकारी का पद कब से है और अब तक प्रचार सामग्री में मशीन, औजार आदि कितने मूल्य के खरीदे गये हैं ?

(2) क्या उक्त अधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और इससे कितने रुपये सालाना बचत होगी ?

(3) क्या प्रचार के लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) इस विभाग में प्रचार अधिकारी का पद राज्य सरकार के पत्रांक एफ. 6 (171) कृषि / ./63 दिनांक 11-11-63 के द्वारा दिनांक 1-10-63 से सृजित किया गया था तथा अब तक प्रचार सामग्री में मशीन औजार आदि खरीदे गये है, जो निम्न प्रकार हैः—

वर्ष	राशी
1963-64	1,465.00
1964-65	4,206.45
1965-66	2,838.57
1966-67	3,237.82
1967-68	501.29
1968-69	5,010.95
1969-70	899.85
	18,159.93

(2) प्रचार अधिकारी का पद इकोनोमी कट के कारण दिनांक 1-12-69 से समाप्त कर दिया गया है तथा इससे सालाना निम्न बचत होगी:—

पी.ओ.	4,080.00
ए.एच.	3,352.00
रुपये	7,432.00

(3) प्रचार शाखा के कार्य के लिए एक वरिष्ठ लिपिक के पद के सृजन का निश्चय हो चुका था । इस हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

सरकारी औषधालय लाडनूं

404. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी औषधालय लाडनूं जिस दानदाता की प्रार्थना-पत्र पर खोला गया था उस दानदाता ने अपनी ओर से सरकार से किये गये वायदे की पूर्ति नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या उक्त दानदाता द्वारा सुझाये गये नाम से औषधालय चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों जब कि दानदाता ने अपनी शर्तें पूर्ण नहीं की ?

(3) दानदाता द्वारा बताये गये नाम पर औषधालय में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? यदि कोई नियम या आदेश हों, तो

(श्री हरजीराम बुरडक)
उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, दानदाता ने 'अ' श्रेणी आयुर्वेद औषधालय लाडनूं में खोलने की प्रार्थना की थी परन्तु 'सी' श्रेणी का ही औषधालय खोला गया यह औषधालय दानदाता द्वारा दिये गये भवन में ही खोला गया और चल रहा है। सरकार आर्थिक कठिनाइयों के कारण अभी औषधालय का उच्चस्थिरिकरण नहीं कर पायी है।

(2) जी हां, क्योंकि दानदाता द्वारा प्रदत्त भवन में ही यह चलाया जा रहा है जिसका उसे कोई किराया आदि नहीं दिया जाता है।

(3) राज्याज्ञा क्रमांक एफ. 1/57 जी ए/ए/57 दिनांक 1 नवम्बर 57 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

पत्रकारों को मान्यता देने के लिये अधिस्वीकरण किया जाना

405. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा पत्रकारों को मान्यता देने के लिए अधिस्वीकरण किया जाता है? यदि हां, तो 1 अप्रेल, 1967 से अब तक किन किन पत्रकारों को कब कब अधिस्वीकरण किया गया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई नियम बना रखे हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त कार्यवाही के लिये मुख्यतया क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा किस किस योग्यता के पत्रकार अधिस्वीकरण के अधिकारी होते हैं?

उत्तर

(1) जी हां। संवाददाताओं का अधिस्वीकरण प्रेस अधिस्वीकरण समिति की सिफारिश पर किया जाता है। 1 अप्रेल 1967 से अब तक पत्रकारों की अधिस्वीकरण किया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राजस्थान प्रेस प्रतिनिध अधिस्वीकरण नियम, 1969 राजपत्र के भाग 4 ग ता. 5-3-1970 के अंक में प्रकाशित हो चुके है।

(3) उक्त नियमों के नियम 3 में दी गई प्रक्रिया अपनाई जाती है योग्यताओं का उल्लेख इन्हीं नियमों के नियम 5 में किया हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री सूवालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा ने पंचायत समिति दूदू में ग्राम पंचायत क्षेत्र दूदू के ग्रामों में बिजली की लाइनें 12 माह से लग जाने पर भी कुओं, निजी उद्योगों एवं भवनों में कनक्शन न देने का तथा कुछ ग्रामों में जो कनेक्शन दिये गये हैं वहां ग्राम-

(श्री उपाध्यक्ष)

श्यकतानुसार बिजली का पावर न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जा कर इस सदन में विचार किया जावे। अत: मैं इसे प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

अनुदानों की मांगों का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष :

राजस्व मन्त्रीजी !

मांग संख्या 1

रामकिशोर व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,79,12,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : वन मन्त्रीजी !

मांग संख्या 33

श्री हरदेव जोशी (वन मन्त्री की ओर से) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,93,62,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 1 व 33 पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या 1

1. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (गांधी शताब्दी के साल में केवल एस. सी. व एस. टी. के व्यक्तियों को अलोटमेन्ट करने की नीति से दीगर भूमिहीनों में फैले असंतोष व जाति भेद फैलने की संभावना के बारे में नीति का अनुमोदन)।

2. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सलोखिया, तहसील पिडावा (झालावाड) में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बिना इजाजत पंचायत द्वारा स्कूल की इमारत तामीर करने पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व विभाग की अव्यवहारिक नीतियों के कारण गांवों में फैल रही अराजकता व असंतोष पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांगोद व रामगंज मंडी जिला कोटा में अलोटमेन्ट शुदा भूमि के सही नम्बर नहीं देने से कृषकों को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 49

(श्री जुझारसिंह)

कम कर दिया जाय ग्राम (रघुनाथपुरा, तहसील रामगंज मण्डी, जिला कोटा में चरनोट की भूमि, विस्थापितों को अलोट कर दिये जाने के फलस्वरूप रास्तों व चराई की समस्या पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

6. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गागरोन पंचायत क्षेत्र जिला कोटा में, पिड़ावा क्षेत्र के मवेशियों को नाजायजतौर पर वन क्षेत्र में चराई की सुविधा देने व विभाग द्वारा वन नष्ट करने पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70--वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्लानटेशन व "एन्क्लोजर" के फलस्वरूप संतोषप्रद नतीजे नहीं आने पर चर्चा के लिये)।

8. मांग 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में हो रहे "वन-कटाव' की तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांगोद पंचायत समिति के 50 ग्रामों को कटाव रोकने की भावना से वन विभाग को ट्रांसफर करा देने के बाद भी वन लगाने की योजना चालू नहीं करने पर चर्चा करने के लिये)।

10. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70--वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगंज मंडी चुनाव क्षेत्र में सरकार द्वारा जंगलों की भूमि कृषि हेतु निकालने में व्यवहारिक पक्ष का ध्यान नहीं रखने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

11. श्री मूलचन्द डागा (पिलानी): मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (इन्तकालों में अनावश्यक देरी भ्रष्टाचार व कुओं द्वारा सिंचित भूमि पर अधिक लगान लगाने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

12. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं द्वारा सिंचित भूमि पर चाही से अधिक लगान लेने पर चर्चा के लिए)।

13. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्तकाल दर्ज होने में होने वाली अनावश्यक देरी के विषय में चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलदारों को पटवारियों को निलम्बित करने के अधिकार देने के विषय में चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में काटली नदी के दोनों तरफ की नाकाबिल काश्त

(श्री मूलचन्द कटेवा)
भूमि की किश्त काबिल काश्त में बदलने पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियम से अधिक गोचर भूमि को काश्त के लिये आवंटित करने हेतु चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु किसानों द्वारा तहसील से लिए जाने वाले रिकार्ड की प्रतिलिपियों को फीस न लिए जाने पर चर्चा के लिए)।

18. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों द्वारा भूमि का बटवारा किए जाने पर सरकारी रिकार्ड में सुधार किये जाने के विषय में चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को पास बुकें दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में भू-राजस्व में कमी किए जाने के विषय में चर्चा के लिये)।

21. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9- भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (जमीन के आवंटन के बारे में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

22. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (भू-राजस्व विभाग के संचालन में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

23. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेती करे सो खेत का मालिक सिद्धान्त को मानकर कार्यवाही की जाय, इस विषयक सरकार द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

24. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन सम्पदा को सुरक्षित रखने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

25. श्री शंकरलाल (जैतारण) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (भूमि के अलाटमेंट व खातेदारी दिये जाने की नीति का अननुमोदन)।

26. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर

(श्री शंकरलाल जैतारण)

1 रुपया कर दिया जाय (सीलिंग कानून की क्रियान्विति में सरकार की उदासीन नीति का अननुमोदन)।

27. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेदखली के मामलों का उचित निपटारा न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वसूलियों के मामलों में उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय (सीलिंग कानून लागू न करने की सरकार की नीति का अननुमोदन)।

30. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की बढ़ी हुई दरों के कारण हो रही असुविधाओं पर चर्चा के लिये)

31. श्री गंगासहाय (कठुमर सु.): मांग संख्या 1. मुख्य शीर्षक 9- भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (मापन, व्यवस्था और अभिलेख कार्यवाहियों पर होने वाले खर्चों में कमी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-अभिलेखों में गड़बड़ियों पर चर्चा के लिए)।

33. श्री दुर्गालाल बड़दार (हवामहल जयपुर): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनधिकृत भूमियों के कब्जे करने के उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

34. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जागीर विभाग में सन् 1964 में विभागीय परीक्षा में पास हुऐ कनिष्ठ लिपिकों को भी अभी तक स्थायी न करने पर चर्चा के लिए)।

35. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जागीर विभाग वाईन्ड अप-स्टेज पर होने के कारण वहां के स्टाफ का स्थानान्तरण करने पर चर्चा के लिए)।

36. श्री महेन्द्र सिंह (पीपलदा): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व कर्मचारियों द्वारा ट्रेस पासर्स पर किये गये जुल्मों पर चर्चा के के लिये)

मांग संख्या 33

37. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा

(श्री महेन्द्रसिंह)
रिजर्व पोस्ट की देख-भाल में बर्ती गई निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 1

38. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाजायज कब्जों तथा गलत अलाटमेंट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भूराजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं से सिंचित होने वाली भूमि पर लगान बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

40. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भूराजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडलगढ़ क्षेत्र की जमीन धारा 2 सरकार द्वारा विशेष व्यक्तियों को आवंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

41. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भूराजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लसोड़ तथा आंतरी आदि घास के बीड़ जंगलात से निकलने के पूर्व ही राजस्व मंत्री जी द्वारा धड़ोदा की समिति को फी व्यक्ति 15) बीघा से अलोट का आदेश देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

42. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भूराजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोवटा के पेटे की जमीन को ग्राम सेवक ने नाजायज-तौर पर काश्त की इस पर चर्चा के लिए) ।

43. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भूराजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जितने भी नाजायज अलोटमेन्ट हुये हैं उन्हें कैंसिल किया जाए, इस पर चर्चा के लिए) ।

44. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भूराजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नया नगर की लगभग 500 बीघा राजस्व पड़त भूमि पर से वृक्ष काट डाले गए, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 33

45. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल की भीषणता कम करने हेतु रिजर्व फोरेस्ट को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये) ।

46. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तगत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की कमी है फिर से तथा जंगलों को हरा भरा करने की आवश्यकता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

47. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व की नया नगर वाली जमीन वन क्षेत्र में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 1

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ) :
48. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि आवंटन कर दिये जाने के बाद भी कब्जा न दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट):
49. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की मनमानी ढंग से वसूली में किसानों की परेशानी के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

50. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की ओर से जनता को समय पर बांस व लकड़ी नहीं दी जाने और वन विभाग की जमीनों पर नाजायज कब्जे करने के कारण जुर्माना न करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

51. श्री कल्याणमल (जहाजपुर): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर तहसील में कई काश्तकारों के जमीनों के झगड़ों का शीघ्र निबटारा नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

52. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील उनियारा जिला टोंक, के तहसीलदार द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत जो कार्यवाही की गई है, उस पर चर्चा के लिए)।

53. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गलवा बांध में डूब में आने वाली भूमि पर जिन काश्तकारों ने काश्त की थी, उन पर सर्वाधिक (panalty) लगाई गई है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

54. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वन सम्पदा को दिनों दिन काटा जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

55. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर वन बिहार को पन्नोन्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

56. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन क्षेत्र उनियारा, जिला टोंक, के ककोड़ में एक टूटे हुए ऐनिकट' बाबत का बांध को पूरा करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

57. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि एलोटमेंट के सम्बन्ध में हो रही अनियमितताओं सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली तहसील के गांव दूदणी में सरकारी घोषणा के बावजूद विशेष बैठक आमंत्रित कर सवर्ण जाति के लोगों को

(श्री पृथ्वीसिंह चौहान)
भूमि आवण्टित करने के सम्बन्ध चर्चा में के लिए) ।

59. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय भूमि सुधार के कानून लागू करने में सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिए) ।

60. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली तहसील में सरकारी बकाया की वसूली के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

61. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में गोचर भूमि छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 33

62. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में चर्चा के लिए) ।

63. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में निर्दयता पूर्वक बनों की कटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 1

64. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में भू-राजस्व की वसूलियों में शिथिलता बरतने तथा भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

65. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान भू-राजस्व प्रणाली से गरीबों पर अधिक भार है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 33

66. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन भयंकर रूप से काटे जा रहे हैं जिससे वर्षा कम होने से स्थायी रूप से अकाल पड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या

67. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (1967–68) के नियमानुसार अलाभकारी काश्त पर वसूल शुदा लगान किसानों को वापिस लौटाने हेतु चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 33

68. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की वन सम्पदा समाप्त सी हो रही है अतः एवं ठेकेदारी प्रथा 10 साल के लिए बन्द करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 1

69. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के

(श्री नन्दलाल)

अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में सेटलमेंट के समय जमीनों का सही क्लासिफिकेशन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

70. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में हुए रिक्त स्थानों पर जिलों में अभीष्ट योग्यता वाले व्यक्ति होते हुए भी अन्य जिलों के प्रत्याशियों को नियुक्ति किए जाने पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बंधों, विशेषतः तहसील सवाई माधोपुर के गोपालपुरा बंध की डूब में आई जमीनों, खातेदारों के सिवाय अन्य व्यक्तियों को एलाटमेंट किए जाने की चर्चा के लिए)।

72. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. डी. ओ. सवाई माधोपुर की अकर्मण्यता से केस वर्क एवं अन्य कार्यों में होने वाली शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सब डिवीजन में मंत्रियों, राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा बेनामी अथवा स्वयं के नाम पर भूमि आवंटन कराए जाने की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

74. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले की तहसील बोंली, खण्डार और सवाई माधोपुर में बीस साला बन्दोबस्त की अवधि सम्वत् 2022 में समाप्त हो जाने पर भी पुनः बन्दोबस्त न कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

75. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर कस्बा जंगल के बीचों बीच होते हुए भी जलाऊ सस्ती लकड़ी की व्यवस्था नागरिकों को न कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

76. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में खेतीहरों के औजारों एवं मकानात बनाने हेतु सरकार द्वारा सस्ती लकड़ी न दिलाए जाने के विषय में चर्चा के लिए)।

श्री गोकुलचन्द (खेरवर्ल) :

मांग संख्या 1

77. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी घोषणा के अनुसार कृषि योग्य भूमि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों में आवंटित किये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) :

78. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री विट्ठलप्रसाद)
रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की वसूली में अकलेरा तहसील में कृषकों एवं उनके परिवार जनों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

79. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिनों दिन वनों का विस्तार होने के बजाय ह्रास हो रहा है वन विभाग के अधिकारी स्वयं जंगलों को पैसे के लोभ में कटवा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) :

मांग संख्या 1

80. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व वसूलियों में हो रही मनमानियों, नाजायज कार्यवाहियों आदि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

81. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा ठेकेदारों से लाखों रुपये की बकाया की वसूली तथा जंगलों की कटाई पर रोक न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

82. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को भूमि अलाट नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिवाय चक भूमि के अलाटमेंट में गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

84. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन जीवों को संरक्षण नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों को कटाई के कारण वर्षा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के विकास की योजना के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

87. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राजस्व की बकाया रकम वसूल करने के बारे में सरकारी नीति का अननुमोदन)।

88. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री किशनलाल वर्मा)

रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटित किए जाने के लिए सीलिंग कानून को तुरन्त लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

89. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में लगान की दर को समानीकरण किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की जो भूमि बेकार पड़ी हुई है तथा जो काबिल काश्त है उसको राजस्व में परिवर्तित किया जाकर भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित किए जाने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन काश्तकारों का बहुत पुराना कब्जा चला आ रहा है उनको नियमानुसार खातेदारी हक दिए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की जिन तहसीलों में सेटिलमेन्ट नहीं हुआ है उनमें जल्दी सैटिलमेन्ट किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के नहरी क्षेत्र में अनुसूचित जन-जाति के काश्तकारों को भूमि आवंटित न किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जनजाति के भूमिहीन काश्तकारों को धीमी गति से भूमि आवंटित किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल पड़ने पर लगान की वसूली जो मुल्तव्वी की जाती है उसको एक साथ वसूल करने पर काश्तकारों के सामने आने वाली कठिनाईयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा चाही आराजी की लगान की दर बहुत अधिक है, उसे कम किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून शीघ्र लागू किये जाने पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व जरायमपेशा के मीणा लोगों को जिला सीकर व जिला झुन्झुनू में अच्छी जगह पर्याप्त भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No 58

(श्री किशनलाल वर्मा)

मांग संख्या 33

99. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की बेकार पड़ी भूमि का सदुपयोग किये जाने संबंधी चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों के ठेके अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को दिए जाने संबंधी चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

मांग संख्या 1

102. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार की नीति का अननुमोदन)।

103. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जाय (जिला जालौर में आवंटित भूमि का भूमिहीन काश्तकारों को कब्जा देने एवं सनद देने पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन काश्तकारों को एवं सैनिकों को भू-आवंटन के बारे में चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व कानून एवं नियमों में अन्धा-धुन्ध परिवर्तनों के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

106. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर के मवातड़ा वन क्षेत्र के आस-पास आवंटित भूमि एवं काश्तकारी की भूमि से बंबूल की लकड़ी काश्तकारों की इजाजत से काटकर कोयला बनाने के बारे में एवं ट्रांजिट पास जारी करने में जिला वन अधिकारी जोधपुर की शिकायतों पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर रक्षित वन का विकास करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

108. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रैवेन्यू स्टाफ द्वारा नामान्तरण-करण की कार्यवाही करने से किसानों में भयंकर असन्तोष व्याप्त है इस पर चर्चा के लिए)।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

109. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व को अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में किसानों को पास बुक वितरित नहीं होने के कारण उनमें असन्तोष पैदा होने पर चर्चा के लिए)।

110. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसे दूर करने के उपायों पर चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सीलिंग कानून लागू करने में उदासीनता बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

112. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक–9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में शिव तहसील के सीमावर्ती गांवों सुन्दरा, हरसांणी, मेंदसूर, गिराब एवं जैसिंधर जो कि बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं उनको अधिक गांवों में विभाजित करने में राज्य सरकार की ढिलमिल नीति के कारण उक्त गांवों की जनता में तीव्र असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिए)।

113. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर में भूमि आवंटन में बाड़मेर जिले के व्यक्तियों को भी प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

114. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में वन एवं चारागाह के विकास में उदासीनता बरती जा रही हैं इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

115. श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा काश्तकारों को पास बुकों का वितरण नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

116. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के डी. एफ. ओ. द्वारा आम बाजार में किये गये दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिए)।

117. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के जंगलों व वन पशु के संहार पर चर्चा के लिए)।

118. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा वनों की अन्धाधुन्ध कटाई के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

119. श्री मूलचन्द डागा (पाली): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-

(श्री मूलचन्द डागा)

राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली शहर में महाराजा उम्मेद मिल्स को नियमों के विरुद्ध रेवेन्यू लेण्ड आबादी भूमि में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

120. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील में हजारों बीघा जमीन नियमों के विरुद्ध आवंटित की गई, इस पर चर्चा के लिए)।

121. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील में जो भूमि आवंटन गलत की गई, उसे वापिस रद्द न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

122. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू अधिकारियों की गलतियों के कारण राज्य सरकार को लाखों का घाटा होने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान रेवेन्यू लौज कमीशन की द्वितीय रिपोर्ट में दिये गये सुझावों को अमलीरूप न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जागीर महकमें में भीलवाडा व पाली जिलें के तालाबों को जागीर की सम्पत्ति घोषित करदी व उनको गांव के तालाब बनाने की चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों के पद को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग में Judiciary व Executive को अलग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

127. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (पाली शहर की मानपुरा पहाड़ी को हरा भरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

128. श्री नाथूराम (बागीडोरा) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की समान दरों के निर्धारण एवं सैटलमेन्ट पर चर्चा के लिये)।

(श्री नाथूराम)

मांग संख्या 33

130. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों की सुरक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) :

मांग संख्या 1

131. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर की शून्य सीमा जहां पानी काफी मात्रा में है बसाने की योजना पर चर्चा के लिए) ।

132. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले के राजस्थान नहरी क्षेत्र में वर्षों से बसे नागरिकों को गैर खातेदार से खातेदार घोषित करने एवं जो अकाल के समय भूमि बन्दोबस्त हुआ उसे पुनः कराने पर चर्चा के लिए) ।

133. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में राजस्थान नहरी क्षेत्र के गांवों में अस्थाई सिवाय चक भूमि आंवटन नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

134. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में फील्ड फायरिंग के विस्थापितों की अनोपगढ शाखा पर भूमि व सरकारी घोषणा के अनुसार 20 व 50 रु. प्रति बीघा मुआवजा देने के लिए चर्चा के लिए) ।

135. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर के राजस्थान नहर पर काम करने वाले मजदूरों को नहर पर भूमि आवंटन किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

136. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में गत आठ वर्षों से अकाल के कारण लगान व किसानों द्वारा लिया हुआ ऋण माफ करने के बारे में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 33

137. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा वनों में कोयलों के ठेकेदारों को लकड़ी काटने के ठेके देने में भ्रष्टाचार व वनों के नाप में गड़बड़ी पर चर्चा के लिये) ।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल):

मांग संख्या 1

138. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में जिले के बाहर के व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा सु.):

139. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को भू-आवंटन पर चर्चा के लिये) ।

(श्री महेन्द्रकुमार)

मांग संख्या 33

140. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले के वनों की सुरक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराडा) :

मांग संख्या 1

141. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराडा में भूमि का पुनः सर्वे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री जय नारायण (लसाडियां):

142. मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धरियावद तहसील में भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु वन विभाग से भूमि प्राप्त करने तथा कमाण्ड क्षेत्र में आने वाले चरागाहों को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

143. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिक सहकारी समितियों को वन खण्ड नहीं मिलने तथा बांस के कुटीर उद्योग के लिए बांस उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिए)।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडाराय सिह):

144. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिला के टोडा-रायसिंह क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर चर्चा के लिए)।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु.):

145. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांधी शताब्दी वर्ष में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को भूमि अलाटमेन्ट नहीं करने के विषय पर चर्चा के लिए)।

146. श्री शिवनाथ सिंह (गुढा): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले का सेटलमेंट करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

147. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल की एक बैंच जयपुर में स्थापित करने पर चर्चा के लिए)।

148. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को पास बुक नहीं वितरित किये जाने की समस्या पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

149. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन क्षेत्र में आई कृषि भूमि को वन क्षेत्रों से निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

150. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में वन विकास के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

151. श्री परसराम (परबतसर सु): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजनों को जमीन का आवंटन न करके उच्च जाति वालों को आवंटन किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति वालों के नाम जमीन का पट्टा होते हुए भी उच्च जाति वालों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

153. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एक ओर तो वनों की वृद्धि हेतु सरकार द्वारा खर्चा करना और दूसरी ओर वनों की कटाई करवाना, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

154. लादूराम सुलानिया (फागी): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिगणित जाति के व्यक्तियों को तुरन्त भूमि आवंटित की जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिगणित जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को भू-आवंटन करने और अभी तक उन्हें जो भूमि आवंटित नहीं हुई, इस सम्बन्ध में जांच की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

156. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निकम्मे बीड़ों को तोड़ कर परिगणित जाति के व्यक्तियों को भूमि अलाट करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

157. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग सु.): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड में अनधिकृत कब्जों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

158. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड में भूमि आवंटन में हुए घोटालों व आवंटन की त्रुटि पूर्ण व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

159. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड के तहसील

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)
गंगधार के कोकडी खुर्द में प्लान्टेशन बनाने से ग्राम-वासियों के विरोध पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या 1

160. श्री नथमल चौहला (लक्ष्मणगढ़): मांग संख्या, मुख्य शीर्षक 9 भू-राज- के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में भू-राजस्व वसूली में बहुत गडबडी है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

161. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिलों में वनों को अव्यवस्थित कटाई पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

162. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं से सिंचित भूमि पर लगान कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

163. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं से सिंचित भूमि का लगान कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

164. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना क्षेत्र के कृषकों की भूमि वन विभाग द्वारा जब्त की जाकर उन्हें बेदखल करने पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम करा दिया जाय (नीम का थाना सब-डिवीजन में किसानों को काश्त की भूमि पर से वन विभाग द्वारा बेदखल करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

166. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशोनपोल, जयपुर): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचित भूमि का भू-राजस्व नहरी सिंचाई की दरों से कम करने के विषय में चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि भूमि के आंवटन में पक्षपात एवम् अनियमित-ताओं पर चर्चा के लिये)।

168. श्री रामनारायण (मंडावा): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अदालतों में व्याप्त भारी अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की चर्चा करने हेतु)।

169. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू कोर्ट्स में मुकदमों के फैसलों में होने वाली अनावश्यक देरी पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामनारायण)

170. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाने वाली ज्यादतियों पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को पास बुक्स तकसीम की जाने में होने वाली अनावश्यक देरी तथा सरकार की ढ़िलमिल नीति पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में 19 बीघा 4 बिस्वा से कम की जमीन के खातेदारी अधिकार स्थानान्तरण एक से अधिक व्यक्तियों के नाम अलग अलग नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में लगान की दर दूसरे जिलों के मुकाबले बहुत अधिक है—उनको कम करने के बारे में चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भूराजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले के किसानों को अपने खातों के विकास में होने वाली परेशानी तथा उसमें होने वाले खर्च के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

175. मांग 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिसाऊ सूरजगढ के भूतपूर्व उप-जागीरदार की खातेदारी काश्त भूमि वन विभाग में जबरन शामिल कर लिए जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर):
175. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत रींगस (सीकर) में पशुओं की संख्या के अनुसार गोचर भूमि नहीं छोड़ने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत रींगस (सीकर) में गोचर भूमि एक पूंजीपति की कृषि के लिये देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत गढ-टकनेत (सीकर) में पशुओं की संख्या के अनुपात से गोचर भूमि नहीं छोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत सिमारला (सीकर) में भूमि-धारी कृषकों को भूमि अलाट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

Page No 66

(श्री हरलाल सिंह)

180. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत अजीतगढ़ (सीकर) में भूमिहीनों को अलाट-शुदा भूमि का कब्जा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम तिलोकपुरा, पंचायत सिहोड़ी (सीकर) की गोचर भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचित भूमि की लगान दर सारे राजस्थान में एक सी करने पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रति पशु आधा बीघा गोचर भूमि ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम करा दिया जाय (ग्राम पंचायत सिमारला द्वारा नामान्तरणों को भरने में धांधली व भ्रष्टाचार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत सिमारला द्वारा इन्तकाब के नामान्तरण बिना भरे ही भरने से अनियमितता व भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.): 186. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले को जानबूझकर सीलिंग में "अ" श्रेणी में रखने संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

187. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भूराजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (अजमेर जिले में धारा 11 व 19 के तहत खातेदारी नहीं देने संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

188. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में गलत भू-आवंटन को कैंसिल करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

189. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों के नाम पर आवंटन व अनाधिकृत कब्जे छुड़ाने के बारे में चर्चा के लिए)।

190. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर में शामलात भूमि को काश्तकारों के नाम खातेदारी देने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

191. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र में गांधी शताब्दी वर्ष में अब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को भूमि आवंटन नहीं होने के बारे में चर्चा के लिए)।

192. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धारा 91 के केसेज में अत्यधिक मात्रा में शास्ति लगाने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

193. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (वन विभाग से खेती योग्य भूमि निकाल कर कृषि के लिए आवंटित करने के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

194. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा कूपों की निलामी को समय पर स्वीकृति नहीं देने के कारण राज्य को हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर रेन्ज के ग्राम घटियाली में चराई कम करने के बाबत चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की ठेकेदारों में काफी बकाया है और उनकी वसूली नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

197. श्री कन्हैयालाल (बस्सी सु.): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बस्सी क्षेत्र में अति ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर चर्चा के लिए)।

198. श्री नाथूलाल करौल (जमवा-रामगढ़): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमवारामगढ़ तहसील जिला जयपुर, के 79 ग्रामों में अकाल होने पर भी भू-राजस्व की वसूली करने पर चर्चा के लिए)।

199. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से 12 मील के रेडियस में जो सेटिलमेन्ट किया जा रहा है, उसमें अमीनों द्वारा जनता को परेशान किये जाने पर चर्चा के लिए)।

200. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा ग्रामीण जनता को परेशान किये जाने पर चर्चा के लिये)।

Page No 68

(श्री नाथूलाल करौल)

201. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम टोडा मीना व सामरेड कलां, तहसील जमवा रामगढ जिला जयपुर के पटवारियों द्वारा वहां के काश्तकारों को परेशान करना और काफी अर्से से ग्रामों में जमे रहने पर चर्चा के लिए)।

202. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय सेटलमेंट डिपार्टमेंट के बजट एस्टीमेट्स के गत वर्ष से इस वर्ष काफी कटौती करदी है, इस पर चर्चा के लिए)।

203. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लेण्ड रैवेन्यू परचार्ज की वसूली कानून के अनुसार नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

204. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जयपुर विशेषतया जयपुर रेंज के जंगलों की बर्बादी की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग के नाकेदारों द्वारा उन काश्तकारों को जो काश्तकार अपने खाते की लकड़ी शहर जयपुर में बेचने के लिये लाते हैं परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु.) : 205. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भूराजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर से अकाल से उत्पन्न स्थिति के कारण भू-राजस्व स्थगित करने की आवश्यकता एवं वसूली संवत् 2023, 24 व 25 का भू-राजस्व माफ करने पर चर्चा के लिए)

206. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में नाजायज भूमि के कब्जों पर पैनल्टी की भारी रकम लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

207. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय सोमलवाड़ा रैन्ज के अन्दर आदिवासियों को नाहक परेशान किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में किसानों को इमारती लकड़ी न मिलने के कारण इसमें उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में तेंदू वृक्ष के पत्तों को व्यापार मण्डल के हाथ में लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

Page No 69

(श्री रतनलाल रोत)

मांग संख्या 1

210. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (बारां, मांगरोल, किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों में भूमि आवंटन में भारी घोटालों एवं नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

211. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर):

महारानी श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर)

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी भूमियों पर राजनेताओं द्वारा अवैध कब्जों की स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

212. महारानी श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग काट कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (गेम सैंच्यूरीज में जंगल व घास की कटाई तथा मवेशियों की चराई के फलस्वरूप जंगली जानवरों की असुरक्षा के बारे में नीति का अननुमोदन)।

213. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ईंधन व फेंसिंग मेटिरियल की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

214. मांग संख्या 53, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर क्षेत्र से लगते हुए बारां वन खण्ड जंगलों से जलाऊ लकड़ी व बाड़ हेतु लकड़ी नहीं मिलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

215. श्री मेघराज पंवार (चूरू): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 6–भूराजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की सब मार्जिनल व नान-मार्जिनल कृषि भूमि का वर्गीकरण व कर निर्धारण सेटलमेंट द्वारा अविवेक पूर्ण ढंग से राजस्थान के अर-खेज इलाकों के मुकाबले कई गुना अधिक बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भूराजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा गांवों में राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत पंचायतों द्वारा तस्दीक किये गये इन्तकालात को सरकार द्वारा मान्यता न देने संबंधी अफवाहें फैलाकर कृषकों की की गई लूट की चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

217. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछले पांच वर्षों में चूरू की सघन बीड़ भूमि को उजाड़ कर रेगिस्तान बनाये जाने संबन्धी चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

218. श्री शंकरलाल जाट (कपासन): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भूराजस्व

Page No 70

(श्री शंकरलाल जाट)
के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कमकर दिया जाय (भू-राजस्व विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

219. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूराजस्व वसूली के सरलीकरण के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

220. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन की सुरक्षा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

221. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन में जहां घास का बीड़ है उनका सही तरीके से सदुपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

222. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को पास बुकें देने के कार्य में शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिए)।

223. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय कार्यवाहियों में अत्यधिक विलम्ब होने पर चर्चा के लिए)।

224. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम निम्बी जोधा, तह. लाडनूं, जिला नागौर के लिए हल्का आबादी घोषित करने में किये जा रहे अत्यधिक विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

225. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चरागाह भूमि की कमी को मद्दे नजर रखते हुए और अधिक भूमि चरागाह के लिए उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए)।

226. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने में मौजूदा कठिनाईयों का निराकरण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

227. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि भूमियों पर लगान निर्धारित करने में बरते गये भेदभाव पर चर्चा के लिए)।

228. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिवाय चक भूमियों पर लोगों द्वारा अत्यधिक नाजायज कब्जों को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

229. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों द्वारा राजस्व भूमियों के दिये जा रहे रिहायशी पट्टों को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

Page No 71

(श्री हरजीराम बुरडक)

230. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित करने हेतु नियम नहीं बनाये गये, इसके अभाव में जो हानि हुई उसके उत्तरदायित्व पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

231. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न जंगलों की अनुचित कटाई पर जांच में विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा):

232. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चारागाहों के लिए सुरक्षित भूमि रखी जाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

233. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के भूमिहीनों को भूमि कम उपलब्ध होने की स्थिति में अन्य जिलों में भूमि आवंटन करने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

234. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व के सम्बन्धी कानून, नियम, सरक्यूलर्स और इनके स्पष्टीकरण हेतु नीचे के स्टाफ को प्रशिक्षण दिये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

235. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल का केवल न्यायिक संगठन बनाये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

236. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लैंड मैनेजमेन्ट और डवलपमेन्ट बोर्ड के गठन की आवश्यकता सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

237. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की वरिष्ठता सूचियां न बनाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

238. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनी-लेण्डस एक्ट के अनुसार कार्यवाही न करने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

239. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि के पुराने अवैध कब्जों को नियमित न करने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

240. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों के भूमि अधिकारों सम्बन्धी महत्वपूर्ण सरक्यूलर्स गजट में प्रकाशित न करने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

(श्रीमती मदन कौर)

241. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू–राजस्व सम्बन्धी नियम, और कानून सरल एवं सुलभ बनाये जाने की आवश्यकता सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

242. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में भू–राजस्व का समानीकरण किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिए),

243. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी का पद समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

244. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विकास की ओर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

245. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय यांत्रिक फार्म सूरतगढ़ को आवंटित भूमि पुनः राज्य नियन्त्रण में लेने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

246. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय अभियन्त्रिक फार्म जेतसर के लिए भूमि आबंटन में राज्य का कोई जनहित नहीं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

247. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्जर भूमि पर वृक्षारोपण और चारागाह सुधार सम्बन्धित आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

248. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में लकड़ी, चारे और चरागाह के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

249. श्री अभीलाल यादव (बहरोड) मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में गोचर भूमि एवं सिवाय चक पर अनाधिकृत कब्जों व भूमि आवंटन में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

250. श्री वी के चौधरी (फुलेरा): मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (जयपुर जिले में लगने वाली ऊंची भू-राजस्व वसूली सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

251. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीनों को आबादी भूमि के अलॉटमेन्ट के बारे में चर्चा के लिये)।

252. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

दिया जाय (गिरदावरियां नाजायज करके वसूली करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

253. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 9-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन की देखभाल व वन लगाने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

254. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गस्त गिरदावरी के खसरा में जहां मिलकियत सरकार लिखा जाता है जहां खातेदार का नाम अंकित करने पर चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध कालक तहसील फुलेरा के पेटे को जमीन का सरकारी रिकार्ड संख्या 1911 से 20 तक जला दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर-मुमकिन भूमियों पर किसान के मकान बाड़े नोहरों का नियमन् करने की अवधि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसान द्वारा अपने परिश्रम व खर्चे से बारानी भूमि के सिंचित बनाने से जमीन की किस्म चाही में तबदील करने से किसान की परेशानी पर चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमीन की किस्म जमीन को बदलने एवं फैसले देने का अधिकार तहसील की एक सलाहकार समिति को देने पर चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों को नामान्तरण तस्दीक करने के अधिकार दिये जाने से किसान की परेशानी पर चर्चा के लिये)।

260. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीनों को भूमि आवंटन हेतु तहसील की सलाहकार समिति में सरपंच के बिना आवंटन नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमीन के मुकदमात का फैसला सस्ता व सुलभ बनाने हेतु एक तहसील क्षेत्र के आधार पर सलाहकार समिति का गठन करने पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व के समान ही सरचार्ज वसूल करने से किसान की आर्थिक हालत बिगड जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री सुग्रालाल चौधरी)

263. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत सेवर, तहसील दूदू के सरपंच द्वारा गोचर भूमि को काश्त करने पर चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या, 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन किसान को 15 बीघा जमीन के बजाय 25 बीघा जमीन आवंटन करने पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमीन के सही इन्द्राज किसान के नाम नहीं करने में किसान को परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

266. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिना जंगल की जमीन को कृषि उपयोग हेतु भूमिहीनों को आवंटित करने पर चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोचर भूमियों में पेड़ लगाने में पंचायतों की सहायता करने पर चर्चा के लिये)।

268. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दूदू में बीचून के पहाड़ों के जंगल को पंचायत द्वारा बरबाद कर देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

269. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थाई रेकार्ड प्रत्येक सैटलमेंट के पूर्ण होने के बाद खतौनी बन्दोबस्त एवं नक्शा किश्तवार की एक एक प्रतिलिपि सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका को दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

270. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लगान वसूली एवं अन्य प्रकार के कर्जे आदि की वसूली के लिये कृषकों की सम्पत्ति की कुर्की नहीं करने की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये)।

271, मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के पटवारियों को इनाम की सालाना राशियां नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलों से सभी रेवेन्यू रेकार्ड की नकलें जल्द दी जाने की व्यवस्था की जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील जायल, जिला नागौर में सूरपालियां, आकोड़ा,

Page No 75

(श्री रामसिंह कुड़ी)
गुजरियालो, छापड़ा, रोड़, दुगोली, जोलीणा, फिरोजपुरा, दीतीणा, कमेड़िया, रोहिणा, माजोली मांगलोद, दुगस्ताऊ सोनेली, बुगरड़ा, हिडियां कलाँ, राजोद, अड़बड़ व बोडया में पटवार घर नहीं बनवाने के बारे में चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग के प्रयोजनार्थ किराये के मकान नहीं रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुरेजातों और कासीराना महल के लिये नियुक्त स्टाफ को समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लगान वसूली का कार्यक्रम पंचायतों से कराने से होने वाली मितव्ययता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

277. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (नागौर जिले की जायल तहसील के गांव सोमा के वन विभाग केजाड को रिलीज कर भूमिवान अनुसूचित जाति के कृषकों को कृषि हेतु आवंटित कर विभाग में होने वाली निरंतर क्षति को रोके जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

278. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यालयों में समय पर न आने व समय पर कार्य न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

279. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व डिपार्टमेंट में आफिसरों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

280. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व डिपार्टमेंट आफिसरों के तबादलों में होने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

281. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने हेतु नियम बनाने पर चर्चा के लिये)।

282. श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गिरदावरी को पुख्ता करते समय तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा जनप्रतिनिधियों की राय लिये जाने पर चर्चा के लिये)।

283. माग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री रामचन्द्र आर्य)
रुपया कम कर दिया जाय (बन्दोबस्त विभाग को लगान बढ़ोतरी करने का अधिकार नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

284. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (10 साल से लगातार काश्त करने वाले आरजी काश्तकारों को खातेदारी हकूक दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

285. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत माग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गिरदावरी के समय सरपंच के हस्ताक्षर पटवारी द्वारा नहीं करवाने से गिरदावरी में भारी रुकावट व फर्जी रिकार्ड तैयार करने की खुली छूट मिल जाती है, इस पर चर्चा के लिये)।

286. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि के बैचान करने में काश्तकारों को भारी रिश्वत देनी पड़ती है, इस पर चर्चा के लिये)।

287. माग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा क्षेत्र में तहसील नोहर के तहसीलदार द्वारा नाजायज तरीके से भूमि का आवंटन करने से सरकार को भारी घाटा हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

288. मांग संख्या 1; मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारी द्वारा तहसील नोहर में गांव विसरासर में काश्तकारों के नाजायज पट्टे दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

289. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाही भूमि पर लगान बहुत अधिक है, इसको कम किया जाकर काश्त की अन्य भूमि पर जिस दर से लगान लगता है उसी दर से लगान वसूल किया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

290. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में भूमि का लगान एक समान करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

291. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार इस बार घोषणा करने के बाद भी आज तक काश्तकारों को पास बुक देने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

292. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लगान बकाया वसूली जुलाई से अक्टूबर तक बन्द रखी जावे क्योंकि उस दौरान किसान खेती करने में लगे हुए होते हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

293. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में विशेष रूप से नोहर चुनाव क्षेत्र में पटवार घर नहीं होने से पटवारी अपने हेडक्वार्टर पर नहीं रह कर

(श्री रामचन्द्र आर्य)
शहरों में रहते हैं इससे होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

294. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर, झुन्झुनूं व जयपुर जिलों में भूमि का लगान स्टेट के समय से ही ज्यादा है, इसको कम किया जाकर बीकानेर व चूरू के समान किया जावे, इस पर चर्चा के लिए)।

295. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार श्री मगनसिंह के नाबालिग लड़के के नाम गांव विसरासर तहसील नोहर में 100 बीघा भूमि नाजायज अलोट कर दी है जब कि उसका लड़का स्कूल में पढ़ता है। अलोटमेंट कमेटी द्वारा भूमि खारिज किये जाने पर भी उस पर जबरन कब्जा किया हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

296. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में भूमि अलोटमेंट कमेटी द्वारा भूमि खारिज करने के बाद भी तहसीलदार उन नाजायज कब्जे वाले काश्तकारों से रिश्वत लेकर उनको बेदखल नहीं करते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

297. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (चारागाहों की भूमि पर किये गये नाजायज कब्जों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही में समानता बरतने में असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

298. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ तहसील में कृषि योग्य भूमि पर वन लगा कर काश्तकारों को व राष्ट्र को नुकसान पहुंचाया है, इस पर चर्चा के लिये)।

299. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ के जंगल में सरकारी अधिकारीगण शिकार खेलते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

300 मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा आज राजस्थान में वनों की देखरेख ठीक से नहीं रखने से वनों की भूमि पर काश्त करते हैं व लकड़ी काटते हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

301. श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा काश्तकारों के साथ ज्यादती करने एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के के लिए)।

मांग संख्या 33

302. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री ललितसिंह)
कम कर दिया जाय (वन विभाग में वनों के ठेके देने से होने वाले नुकसान एवं ठेकेदारी प्रथा समाप्त किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

303. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की काबिल काश्त भूमि जो खाली पड़ी है काश्त हेतु न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

304. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगल खेखौंदा फिल्ट ट्रायल वन खेड़ की रेंज झालावाड़ की जमीनों में अवैध खेती कर लेने पर चर्चा के लिये)।

305. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्लांटेशन फोजलपुरा बंदा बावड़ी-खेरर्या बोड, रेंज झालावाड़ व रेन बसेरा की घास की बिक्री व कटाई में गोलमाल पर चर्चा के लिये)।

396. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वनों की कोई सुरक्षा नहीं होने से वर्षा की औसत कम होती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

307. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों का निरन्तर ह्रास हो रहा है तथा कृषकों को लकड़ी झाड आदि मिलने में असुविधा हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

308. श्री रावतराम (छापर सु.) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ताल छापर की फारेस्ट जमीन के बारे में चर्चा के लिये)।

309. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा सु.) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में वन विभाग की अव्यवस्था के कारण वन सम्पत्ति नष्ट हो रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

310. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु.) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ रेन्ज में गन्वेर प्लान्टेशन लगाया गया है कि किन्तु उसमें लगाये वृक्ष मौजूद नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

311. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फोरेस्ट रेन्ज प्रतापगढ़ एवं देवगढ़ में वनों की अवैध कटाई एवं किसानों को आवश्यकतानुसार लकड़ी नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

अनुदानों की मांग सं 1 व 33
पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : आज की चर्चा के समय का बंटवारा इस प्रकार है :— कांग्रेस पार्टी 2 घंटे, मंत्री महोदय जी जवाब देंगे, उस समय को मिला कर। स्वतन्त्र पार्टी 40 मिनिट। जनसंघ 30 मिनिट, बी. के. डी 10 मिनिट, संसोपा 10 मिनिट, निर्दलीय 10 मिनिट, और साम्यवादी पार्टी 10 मिनिट। पौने चार बजे सरकार की तरफ से उत्तर दिया जाना प्रारम्भ होगा और पौने पांच बजे मुखबन्द का प्रयोग किया जा कर अन्य मांगों को पारित किया जायगा। अतः माननीय सदस्य सदन के समय का पूरा ध्यान रखें और पाबन्दी रखें और इस मामले में आसन का सहयोग दें।

श्री हीराभाई : एक सदस्य वाली पार्टी को भी 10 मिनिट और जिस पार्टी के 6 सदस्य हैं उसको भी 10 मिनिट।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय राजस्व विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसके साथ ही वन विभाग भी है) इतने कटौती प्रस्ताव दिये गये हैं और इन दोनों विभागों की अहमियत को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इनके लिए समय ज्यादा दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें मजबूरी है। कार्य सलाहकार समिति की सलाह के अनुसार यह समय निर्धारित किया गया था। महत्वपूर्ण मांगे हैं पर बजट का समय पर पारित करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको असुविधा हो सकती है पर आज समय में फेर-बदल नहीं किया जा सकता।

श्री देवीदत्त गाडिया : सलाहकार समिति ने निर्णय किया है पर सदन सर्वोपरि है। सदन की राय है• •

श्री उपाध्यक्ष : अकेले आप कहते हैं, वह सदन की राय नहीं कही जा सकती।

श्री बालसिंह सोढा : लिखित में उत्तर भिजवा दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : लिखित में उत्तर भेज दिये जायेंगे।

श्री नाथूलाल करोल !

(अनुपस्थित)

श्री पृथ्वीसिंह !

(12.6 म. प.)

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्व की मांग पर विचार किया जा रहा है। राजस्व मंत्रीजी ने जो मांग पेश की है, उसमें उन्होंने करोड़ों रुपयों के खर्चे का प्रावधान रखा है। आज जो काश्तकारों को कई प्रकार की असुविधाएं हैं और हमारे राजस्व विभाग में जो कमियां हैं, उनके बारे में, मैं चर्चा करूंगा।

सर्वप्रथम मैं निवेदन करूं कि बाली तहसील एक बहुत बड़ी तहसील है, जिसमें दो तहसीलों की मांग को ले कर यहां बार बार निवेदन किया जाता है कि वहां दो तहसीलें बनाई जायं। अगर वहां दो तहसीलें नहीं बनाई जांय तो सुमेरपुर में उप-तहसील या सब-तहसील हैडक्वार्टर खोलें, जिससे काश्तकारों को, रैवेन्यू पे करने वालों को सुविधा मिल सके।

(श्री पृथ्वीसिंह)

मैं निवेदन करूं कि तहसील हैडक्वार्टर खोलने के लिये क्षेत्रफल, जन संख्या, पटवारियों की संख्या, रैवेन्यू लगान और रैवेन्यू मुकदमों आदि की संख्या को देख कर तहसील हैड-क्वार्टर खोलने का सरकार अपना निर्णय लेती है। तो मैं निवेदन करूं कि बाली तहसील में गांवों की संख्या 154 है, आबादी 3 लाख से अधिक है, रैवेन्यू करीब 10,71,418 रुपया है। बाली में एक तहसीलदार का पद दो नायब तहसीलदार के पद हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि बाली तहसील इतनी बड़ी तहसील है कि सुमेरपुर में अगर तहसील और नहीं खोली जाय तो बाली तहसील के दो टुकड़े करके सुमेरपुर नई तहसील नहीं बनाई जाय तो, एक नायब, तहसीलदार का पद वहां पर रखना चाहिये, ताकि सुमेरपुर के आस-पास के गांवों के लोगों को बाली नहीं जाना पड़े और उनका काम आसानी से और सस्ता हो सके। तखतगढ़, सुमेरपुर, बांकली आदि बड़े बड़े गांव हैं और रैवेन्यू के लिये उन्हें बाली जाना पड़ता है। यदि सुमेरपुर में रैवेन्यू की व्यवस्था हो जाय तो उससे उन लोगों को सुविधा होगी।

मैं दूसरा निवेदन गोचर भूमि के बारे में करना चाहता हूं। एक उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया कि 32 गांव बाली तहसील में ऐसे हैं जहां न तो गोचर अलग घोषित हुए हैं और न वहां गोचर की व्यवस्था ही है। हालांकि आपने बताया था कि जंगलात में कुछ गांवों के मवेशी चरने जाते हैं और कुछ गांवों के मवेशी आसपास के गांवों की गोचर भूमि चरने जाते हैं। इस प्रकार से उनका गुजारा वहां पर चलता है। बाली तहसील के गांवों में जहां पर गोचर भूमि घोषित हो चुकी है, 10 गांव ऐसे हैं जहां लोगों ने ट्रेसपास कर दिया है, गोचर भूमि अपने कब्जे में ली है. गोचर भूमि में काम करना शुरू कर दिया है। आपने बताया कि लैंड रैवेन्यू एक्ट की धारा 51 के अनुसार ट्रेसपासर्स के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी और उनका कब्जा वहां से छुड़ाया जायगा। इसके साथ साथ राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति का भी हवाला दिया है एफ. डी. 50 राज:ख:64, दिनांक 5-10-67। उस विज्ञप्ति पर अभी तक न तो अमल हुआ है और न ट्रेसपासर्स के केसेज बना कर कब्जा छुड़ाया गया है। कब्जा बरकरार है और भूमि को कब्जे में लेकर खेती करते है। कुशलपुर में 91 के केसेज बनाए गए। उनकी अपीलों का दूसरी अदालतों में प्रावधान होते हुए भी राज्य सरकार ने राज्य के उप मंत्री के यहां पर निगरानी स्वीकार कर ली और उनको अभी तक स्टे आर्डर दिया हुआ है। गोचर भूमि पूरी की पूरी उनके कब्जे में है। न तो डिस्पोजल हुआ है न कब्जा वहां से छुड़ाया जा रहा है। इससे गंभीर संकट पैदा हो रहा है। वहां अकाल की स्थिति है। मवेशियों के चरने के लिए एक बीघा जमीन नहीं है और वहां की सारी की सारी जमीन नाजायज लोगों ने ट्रेसपास करके अपने कब्जे में ले रखी है। तो राजस्व मंत्री जमीन को छुड़वायें, ट्रेसपासर्स का इजेक्टमेंट करें और गोचर भूमि मवेशियों के चरने के लिए उपलब्ध करायें।

एरोगोल सुमेरपुर कृषि फार्म सरकार ने खोला है। वह फार्म करीब 2020 के अन्दर खुला था जिसमें करीब 461 बीघा

(श्री पृथ्वीसिंह)

9 बिस्वा भूमि काश्तकारों की, जिसमें अधिकतर आदिवासी और मीणा लोग थे, उनकी भूमि उस फार्म में गई है और उस फार्म से उनको इजेक्ट कर दिया गया है। उनके पास एक भी बीघा जमीन नहीं है। सारे के सारे भूमिहीन लोग हैं। अपनी रोटी रोजी के लिए जमीन चले जाने से मजदूरी पर चले गए हैं उनको मजदूरी करनी पड़ रही है। जो काश्तकार हैं, उनके पास हल हैं, बैल हैं, अच्छे काश्तकार थे, सारी को सारी नहरी जमीन अपने कब्जे में कर ली, उनको इजेक्ट कर दिया और आपने कहा कि ये अतिक्रमणकारी थे इसलिए उनको मुआवजा नहीं दिया जा सकता। उनकी भूमि बिना मुआवजे और दूसरी भूमि एलाट किए बिना ही छीन ली। आपने जिन लोगों को अतिक्रमणकारी कहा है, उनका उस भूमि पर 2010 से कब्जा था। इसलिये उनको काश्तकारी का हक प्राप्त हो गया था। पर आपने काश्तकारी हक नहीं दिया और ट्रेसपास करके अधिकृत कब्जा करके भूमि से हटा दिया। आप उन काश्तकारों की या तो जमीन एलाट करवायें या जिस जमीन से उनको इजेक्ट किया है, उनका मुआवजा दिलायें ताकि वे वापस कृषि का धंधा चालू कर सकें।

मैं एलाटमेंट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी घोषणा हुई थी, विधान सभा में कि आज से जो भूमि एलाट की जायगी, वह अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को एलाट की जायगी। पर दुर्भाग्यवश बाली तहसील में दूसरी गांव में पेटा काश्त की भूमि एलाट करने के लिए कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें मैं भी गया। मैंने साफ कह दिया कि सिर्फ अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को ही जमीन दिलवायेंगे। उस दिन तो जमीन शिड्यूल कास्ट्स व शिड यूल ट्राइब्स के लोगों को ही एलाट हुई। मगर बाद में बदली क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक ने कलेक्टर को एप्रोच किया और वहां से स्टे आर्डर लाया कि यह भूमि वीर जाति के लोगों को सवर्णों को एलाट को जायगी। कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। मैंने तहसीलदार से कहा कि यह आप नहीं कर सकते! राज्य सरकार ने विधान सभा में घोषणा कर दी है कि सवर्ण जाति के लोगों को भूमि एलाट नहीं होगी। बल्कि अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को भूमि एलाट होगी तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर के आदेश हैं। मैं कलेक्टर के पास गया। वहां पर मालूम किया तो कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांग लिया है। स्पष्टीकरण में बताया हुआ था कि यह घोषणा कछार भूमि पर, पेटे की भूमि पर लागू नहीं होती। राज्य सरकार यहां पर घोषणा करे और आप उसमें गलीकूचा निकालें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे घोषणायें क्यों नहीं लागू होती? वहां पर भूमिहीन काश्तकार होते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं। उनको आप जमीन एलाट नहीं करते और राजपूत व वीर जाति के लोगों ने उस पर नाजायज कब्जा करके खेती की थी। वहां पर 9 के केसेज बनना तो दूर रहा बल्कि जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उस भूमि को एलाट करने के बजाय रेग्यूलराइज किया। मैंने उस कमेटी का बाइकाट किया। मैं वहां पर नहीं गया और भविष्य में यदि ऐसे सरकारी आदेश और स्पष्टीकरण होते रहे तो

(श्री पृथ्वीसिंह)
आपकी घोषणाओं से वास्तविक रूप से शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं है।

सीलिंग के बारे में घोषणाएं की गई। सीलिंग कानून ऐसा ही पड़ा हुआ है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उसको लागू करने के लिए भी यहां से बार बार निर्देश निकले हैं और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में, यहां पर घोषणा की कि 1959 के बाद जितने हस्तांतरित हुए हैं, उनको वैध घोषित किया जायगा। मैं उस घोषणा का स्वागत करता हूं लेकिन इतने लम्बे समय तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और काश्तकारों ने अपनी अधिक भूमि बेच दी। तो हस्तांतरित भूमियों का रेग्यूलराइजेशन होना अनिवार्य था। उसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि उन काश्तकारों ने जिन्होंने आपके उस कानून की अवहेलना न करके अपनी भूमि नहीं बेची हैं, अपने कब्जे में रखी है, तो जब आप कानून बनायें तो उसमें सन्शोधन लायें तो उसमें व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन्होंने आपके पुराने कानून का पालन किया है, उनको भी आप छूट दें कि अमुक तारीख तक अधिक भूमि बेच देंगे तो वह भी मान्यता प्राप्त होगी।

श्री नत्थीसिंह ये करेंगे, आप चिन्ता मत करो,

श्री पृथ्वीसिंह : जिन्होंने कानून का पालन किया है, उनको नुकसान हो और जिन्होंने कानून को तोड़ा है, उनको लाभ मिल गया।

अधिकतम सीमा से छूट के बारे में भी राज्यपाल महोदय ने घोषणा की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया, बड़े बड़े फार्म और मशीनरी लगाई, उनको उन्नत फार्म बनाया, लाखों रुपए उन्होंने खर्च किया और आज उनकी उपज बढाई, उन फार्मों को छूट दें। अगर उनकी जमीन लेंगे तो उनको कितना नुकसान होगा? आपके द्वारा दिए गए आश्वासनों का, आपके द्वारा बनाए गए कानूनों की अवहेलना होगी और राज्य सरकार की तरफ से उनको धोखा होगा। आपके पुराने कानून में लिखा हुआ है, आज जो कानून चल रहा है, उसके अन्दर लिखा हुआ है कि उन फार्मों को छूट दी जायगी जिनके विघटन करने से उत्पादन गिरेगा। यह वर्डिंग अपने आप में महत्व रखता है, तो क्या आप उत्पादन गिराना चाहते हैं?

श्री मूलचन्द डागा : आप मालदार होते जायें?

श्री पृथ्वीसिंह : उन काश्तकारों के साथ कुठाराघात होगा जिन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट करके उत्पादन क्षमता बढाई है और उसके साथ साथ देश की इकौनामिक कन्डीशन्स पर कुठाराघात होगा। आपकी अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायगी और उल्टे समस्या खड़ी हो जायगी। साथ में यह बात रूस व अमरीका ने मानी है कि बड़े फार्मों से उत्पादन बढ़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप दल का काफी समय ले रहे है, फिर दूसरे माननीय सदस्य ऐतराज करेंगे।

श्री पृथ्वीसिंह : तो पैदावार गिराने का जो आपका प्लान चल रहा है उसको पूरा न करें।

एक अखबार में मैंने पढ़ा था कल ही कि राष्ट्रपति गिरी ने भी यह माना है कि बड़े फार्मों से पैदावार में वृद्धि होती है। उनकी विशेष उपयोगिता है। आप मेरी सलाह न माने। आपने जिनको राष्ट्रपति बनाया, उन्हीं अपने देश के राष्ट्रपति की बात को तो माने। उनकी घोषणा को तो मानें। मुझे आशा है कि आप उनके वक्तव्य पर दृढ रहेंगे।

आपने पशुपालन फार्म्स को भी तोड़ने की घोषणा की है। यह भी भूल आप मत करना। उनको अगर आपने तोड़ा तो दूध दही के जो आपके सपने हैं वे सपने ही रह जावेंगे। पशु धन भी नष्ट हो जावेगा। पशुधन पर हम गर्व करते हैं वह भी नष्ट हो जावेगा। काश्तकार जो पशुधन रखता है वह पैदावार और अधिक इनकम के लिए नहीं पालता है उसकी यह एक होबी है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय हित भी है। इससे पशु नस्ल का विकास होता है, पशु नस्ल प्रोटेक्ट होती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिये, दूध दही के सपनों को साकार करने के लिये आप उन फार्मों को न तोड़े तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मूलचन्द डागा।

समय सीमा दस मिनिट।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बंबई अधिवेशन में जगजीवनरामजी ने कहा था कि फिलीपाइन की सरकार ने कुछ दिनों पहले कहा था कि ? जगह काम करने वाली औरतें चिथड़ों में लिप्टी हैं और दूसरी तरफ कीमती साड़ियों का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। एक तरफ तो निर्धनता की चरम सीमा है और दूसरी ओर धन का प्रदर्शन है। यह हम समाजवाद को कुर्सी का मोह लेकर नारा न लगा दें और ऐसा न हो जाय कि समाजवाद की बात करते करते लोग यह न कहने लग जायं कि शतरंज के खिलाड़ी समाजवाद की बात करने लग गये हैं। ऐसा दोषारोपण समाज न कर दे। उन्होंने कल ही भाषण दिल्ली में दिया था। उन्होंने एक बात कही थी कि भूमि सुधारों के कानून को अमली रूप बिना विलम्ब के एक दिन में ही कर दिया जावे। अगर नहीं किया तो हरित क्रान्ति सीमित रह जावेगी और लाल क्रान्ति आ जावेगी। यह बार बार जगजीवनराम बाबू अपने भाषण में कहते चले आ रहे हैं। निर्धनता नहीं गयी और गरीबी अलग नहीं होगी तो देश में प्रभुता, अखंडता स्वतन्त्रता नहीं रहेगी इसलिये निर्धनता को रोकिये। सारा सवाल एक बुनियादि सवाल है।

गांवों की समस्या। सारे गांवों में हिन्दुस्तान बस रहा है और राजस्थान गांवों में बस रहा है और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की खुशहाली भी जमीन में मिली हुई है। उसको कैसे काम में लायी जाय ? सन् 1960 में सीलिंग का कानून बनाया। लोगों का भविष्य उज्जवल होने की बातें बार बार कहीं गई। उसके अन्तर्गत लोगों की भूमि तोड़ देंगे। 12 साल का समय। कितना लम्बा समय। अभी भी भूमि तोड़ी नहीं गयी। कपती

(श्री मूलचन्द डागा)

और करनी में तालमेल नहीं बैठता है तो कितनी बड़ी विडम्बना है कि कथनी कुछ और करनी कुछ। हमने कहा कि सीलिंग कानून लागू करेंगे। कितने खेतिहर लोगों ने, मजदूरों ने सोचा कि नयी दिशा आ रही हैं, जमीन मिलेगी। लेकिन हम जमीन नहीं दे सके। राजस्व मन्त्रीजी से कहते हैं। बातें बातें ही न रह जायं। वादे वादे कसमें कसमें ही न रह जांय। असली रूप यह न हो जाय कि हम लोग कुर्सी के मोह में क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाना चाहते। बिलकुल एक तरीका है कि क्रान्तिकारी कदम उठायें भूमि सुधार के मामलों में तुरन्त और शीघ्र कदम नहीं उठाये तो आने वाले जमाने में बदनामी होगी। 12 साल के बाद क्या कदम उठाये हैं? यह बड़ा सवाल हमारे सामने है। गांवों में खेतिहर मजदूरों की संख्या हजारों में है। आज भी बड़े दुख के साथ कहता हूं कि मानव का व्यापार होता है। मानव बेचा जाता है गरीबी और भूख मिटाने के लिए। आज भी गरीब लोग अपने बच्चे और बच्चियों को गिरवी रखते हैं साधनों को चुकाने के लिये। ऊंचे काश्तकार हैं उनके यहां लोग गिरवी रख देते हैं यह हमारे लिए शर्म की बात है और इसलिए हमने यह कहा था कि सादड़ी प्रथा को हम कानून से खत्म करते हैं। कागजों में खत्म हुआ है या सीलिंग कानून सचिवालय के अन्दर फूलों के गुलदस्ते में रखा है। उसका पश्चाताप कौन करेगा? बार बार कहते हैं कि हरित क्रान्ति सीमित न रह जाय। हम लोग अपनी संपति के मोह में, कुर्सी के मोह में सामाजिक न्याय को, राष्ट्रीयता को और मानवता को कत्ल करने जा रहे हैं और अगर हमें कुर्सी का मोह रहा और सामाजिक न्याय को कत्ल कर दिया और मानवता को कत्ल कर दिया तो जिम्मेवार कौन होगा? लाखों की दौलत चली गयी हाथ से। लाखों की प्रोपर्टी के तालाबों को पर्सनल प्रोपर्टी बना दिया। जागीरों के टाइम में बड़े बड़े तालाब थे, काश्तकारों के हक थे उन जमीनों को जागीरदारों की पर्सनल प्रोपर्टी कर दी। भीलवाड़ा और पाली में बड़ी बड़ी जमीनों वाले तालाब जिन पर काश्तकारों का हक था उनको जागीरदारों की पर्सनल प्रोपर्टी बना ली वह आपकी लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण यह कदम उठाया। क्या आज भी राज्य सरकार उन जमीनों के लिये ऐसे कदम उठायेगी? काश्तकार जिनके खातेदारी राइट्स थे, उदाहरण के लिये, राणा तालाब, आज भी खातेदारी अधिकार उन काश्तकारों के है लेकिन वह पर्सनल प्रोपर्टी में है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यह पर्सनल प्रोपर्टी है भीलवाडा पाली में जो तालाब थे, उन गांव वालों ने खोदा है, सरकार से उनको सहायता का रुपया मिला फिर भी वे पर्सनल प्रोपर्टी में हैं। यह हमने गलती की जिससे लाखों रुपये की दौलत उन लोगों को दी जो हमको कुचलना चाहते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने कौन कौन से कदम उठाये हैं?

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि जागीरदार कौन हैं? नाथूरामजी मिर्धा हैं या नहीं? कितनी जमीन दबा रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : जिनको दर्द होता हैं वे बोलते हैं। आपके फार्म नहीं रहेंगे। जमाना बदल चुका है।

रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट को क्यों नहीं इम्पलीमेन्ट किया ? दूसरा पार्ट हैं जो 66 में आया है उसका इम्प्लीमेन्टेशन क्या हुआ। आज क्रान्ति शुरू होती है, गांवों में विद्रोह की भावना क्यों होती है ?

क्या रेट्स है ? एक तरह की जमीन पर एक तरह की रैवेन्यू नहीं है। एक तरह से कुए की एकसी रैवन्यू नहीं हैं। अलग अलग तरह की रैवन्यू है। क्या आप चाहते है कि इसका रेशनलाइजेशन हो ? ला कमीशन की रिपोर्ट के पेज 32 पर यह लिखा है।

"There is urgent need for undertaking the revision o. assessment in a most the entire state. The existence of disparity between the rents which is prevalent in the State is partly due to historical reasons as survey and settlement operations were carried out in various covenanting States at different times and in different manner. It is admitted this disparlty is so glaring that there are cases in which a tenant is paying rents at two different rates for two adjacent plots of land of equal value".

मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपका रेशनलाइजेशन अभी तक नहीं हैं। गंगानगर में इसको लेकर झगडा हुआ है। कई जगह पर खाली जमीनें है उनके रेट्स में बड़ा न्तर होता है। 66 के बाद से इन भूमि सुधारों में, इनके मामले में

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

एक बात आप देख लें। रेवेन्यू कोर्ट के मामले को आप देख लीजिये। आज भी रेवेन्यू बोर्ड के आर्टिकल 50 के अन्दर दो बातें हैं रेवेन्यू बोर्ड में एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड होगी और दूसरी ज्युडिशियल साइड होगी इस सम्बन्ध में पेज 2, 74 पर लिखा हैं..

"Those who have the experience of discharging judicial work requires exclusive devotion. If a body is en'rusted with discharging judicial as well as administrativ work requiring considerable time and attention, and that body is sincere in discharging its judicial work, the administrative work must suffer."

अब आपका फैसला कौन करता हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज व. लेवल का कोई आफिसर वहां नहीं है। रेवेन्यू ला के जानने वाला वहां कोई नहीं है। कानून की कोई जानकारी उनकों नहीं है। आप तहसीलदार के खिलाफ कई कदम नहीं उठा सकते। आपके पास कोई काम करने वाला नहीं हैं।

"After mature consideration we have come to the conclusion that there must be two powers, one for discharging judicial functions and the other for discharging administrative funcrions."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें। आपके दल के कई माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अभी 5-7 मिनिट बोल सका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं जल्दी ही खत्म करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कोई एतराज नहीं है। बाद में यह प्रश्न उठाया जायेगा और आपके दल के ही कई माननीय सदस्य समय चाहेंगे और आज चूंकि समय का अभाव है इसलिये इतना निवेदन कर रहा हूं। आपने भूमिका बनाने में ही 7 मिनिट लगा दिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रश्न गलत है। भूमिका में इतना समय नहीं लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें दो मिनिट में।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है। आपकी आज्ञा से दो मिनिट में ही समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा होगा।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे कहने का प्रश्न यह है कि इसका एक डवलपमेंट बोर्ड होना चाहिये। माईनिंग के लिए एक अलग कानून है। फिशरीज के लिये अलग कानून है, जमीन के मामले में अलग अलग कानून है। इसलिए मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सब में हमारी भावना क्या है। जब भावना नहीं हो तो कानून क्या काम करेगा। लैंड रिफार्म स्टेडी टीम ने जो लिखा है पटवारी के बारे में उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा सिर्फ एक सेन्टेन्स है।

"The patwari was in many respects the overlord of the village community. His alleged manipulation in gustigirdawari appeared to be quite notorious as other records maintain by him were reported to be in bad shape. He is ill-educated, usually ill trained, always ill paid and heavily over-burdened with too many duties of the office."

बार बार इस बात को कहा गया है इस पटवारी के द्वारा कितनी गड़बड़ी की जाती है गांवों के अन्दर आज इस पटवारी को हटाने का सवाल है। मैंने पाली तहसील की शिकायत की। हजारों बीघा जमीन गलत ढंग से उसने अलाट कर दी। एन. के. भटनागर रेवन्यू बोर्ड के मेम्बर हैं उनको साबित कर दिया उसको किसी आफिसर ने सस्पेन्ड जरूर किया, परन्तु उसके बाद क्या हुआ ? वापिस बहाल कर दिया गया। मैंने बार बार कहा, यह क्या हुआ ? बाली तहसील में जितनी भी जमीन हैं उसका अनियमित एलाटमेंट हुआ है गलत हुआ है। अलाटमेंट के 1000 मुकदमें है उसका कोई फैसला नहीं है। गांवों में क्रान्ति हो, विद्रोह की भावना पैदा हो, मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया है। आज भी एक बात कह मैं अपनी बात को, अपने भाषण को खतम करना चाहता हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कब तक इस तरह का रुख अख्तियार करेंगे जो व्हाइट कलर्ड परसन्स हैं, वे खेती का काम भी कर रहे हैं। हमारे अफसरों की औरतें खेती का काम कर रही हैं।

(श्री मूलचन्द डागा)

यह गलत तरीका है। उसके ऊपर स्टैडी टीम ने कहा है। इस तरह से जो काम होता है उससे हम यह समझते हैं कि हम समाजवाद ला सकेंगे, तो यह गलत है। हम इस पद्धति की बात करना चाहते हैं लेकिन आज भी खेती का सबलेटिंग चल रहा है, मानव का वहां व्यापार हो रहा है, बड़े काश्तकार और ऊंचे काश्तकार इन छोटे और गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। वह कौनसा समय होगा जब इनके डोमिनेशन को हटाकर गरीब काश्तकारों को राहत दे सकेंगे। इसके ऊपर यह कहा गया है रिपोर्ट में Farmers take a share in the produce..................

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जो बड़े बड़े लोग है, जो यहां कुर्सी पर बैठते हैं, उनके नाम भी गिरदावरी दर्ज होती हैं, इस तरह जो शोषण होता है उसको रोकना चाहिये और इन गरीब लोगों को खातेदारी हक मिलने चाहिये और जो लोग काश्त करते हैं, उनको यह मिलना चाहिये। इस तूफान के साथ, हिम्मत के साथ हम लोगों को यह काम करना है। अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि इन सारे भूमिसुधारों के प्रोग्राम को जल्दी से इम्प्लीमट करें। अगर इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आने वाला समय हम लोगों से कहेगा। हमने केवल समाजवाद का नारा ही दिया हैं इसलिये मानव के कल्याण का कदम आप उठावें इससे देश का भी लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : उपाध्यक्ष जी, वन और राजस्व पर आज यहां चर्चा हो रही है। राज्य सरकार ने इसके लिये कई नियम, आदेश प्रसारित कर रखे हैं लेकिन सही मायने में कहीं इसका पालन होता है? इसी स्थिति में राज्य सरकार का कर्तव्य हो जाता है। किसान वर्ग कर्तव्य परायण है। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगी कि भूमि संबंधी कानूनों को संक्षिप्त और सरल बनाया जावे। इस ओर राज्य सरकार ने अभी तक प्रयास नहीं किया है। इसके अलावा राज्य सरकार अपने अधिनियमों और राज्यादेशों और सरक्यूलरों के माध्यम से निर्देश दिया करती है इन नये राज्यादेशों और सरक्यूलरों का इस विषय से संबंधित कई अलग अलग भावार्थ किये जाते है जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किये जाते हैं और जहां तक कि किसान की भूमि का संबंध है इनसे संबंधित जितने भी निर्णय राज्यादेश सरकूलर्स आदि निकलते हैं वे अधिकारियों के माध्यम से जारी किये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनके सरकूलर्स का राजपत्र में प्रकाशन नहीं होता है जिसके कारण जन साधारण इनसे अनभिज्ञ रहते हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारी, उन सरकूलर्स में रीजन्स दिये गये हैं जिससे उन आदेशों की जानकारी हो सकती है, इस तरह से मनमानी तौर से उसका अर्थ निकालते हैं और इस तरह से किसानों का शोषण होता है। यह व्यवस्था सर्वथा अनियमित और अवांछनीय है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट को सदन में लाया जाय, वह सदन के माननीय सदस्यों को सुलभ करायें ताकि जो निष्कर्ष कमीशन

(श्रीमती मदन कौर)

ने निकाला है उसी आधार पर चलें और इस तरह से संक्षिप्त भूमि सुधार कानून बनायें जाय ।

हमारे राजस्थान में बहुत स्थानों पर भूमि बन्दोवस्त हो चुका है । आश्चर्य की बात है कि समान किस्म की भूमि पर भी समान दर लागू नहीं की गई है । राजस्थान सरकार से मेरा निवदन है कि वे इस संबंध में अविलम्ब कार्यवाही करें । राजस्थान के सभी जिलों में म्यूटेशन का काम बहुत एरियर पड़ा हुआ है । जगह जगह तो दो-तीन पीढियां गुजर गई और म्यूटेशन का काम पूरा नहीं हुआ । इसके फलस्वरूप किसानों को विभिन्न प्रकार क ऋण लेने में कठिनाई होती है । इसके साथ साथ सीलिंग कानून का प्रभाव आता है उसका गलत असर उन पर पड़ता है । मैं राजस्थान सरकार से यह भी कहना चाहूंगी कि म्यूटेशन्स की कार्यवाही जो पटवारी लोग करते हैं व बिना रिश्वत के बात नहीं करते हैं म्यूटेशन फीस लेना तो वे डाक्टर की फीस की तरह अपना हक मानते हैं । इस बारे में राजस्थान सरकार कठोर कदम उठाकर इस तरह की जो फीस लेते हैं उनको बन्द करने के आदेश देने चाहिये । इसके अलावा इसके लिये तिथि निर्धारित की जाय कि फलां तिथि तक इस काम को पूरा कर दिया जाना चाहिये । इसके साथ साथ जो म्यूटेशन की प्रणाली है वह सरल हो जाय और जन साधारण को उलझन पैदा न हो इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिये । इसी प्रकार से राजस्व मंडल में भी काफी कार्य एरियर में पड़ा हुआ है । जूडिशियल केसेज की अपील सुनने के कामों से ही उनको फुरसत नहीं मिलती । ऐसी स्थिति में राजस्व मंडल से भूमि व्यवस्था और भूमि विकास के कामों की उम्मीद करना गलत होगा । जब तक भूमि व्यवस्था और भूमि विकास के कायक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया जाता तब तक कृषि के उ पादन में वृद्धि नहीं हो सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में सरकारी जमीन, गांवों के चरागाहों की जमीन का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है । उसका उपयोग लोग मनमाने ढंग से कर रहे हैं । इस प्रकार के जो विस्तृत क्षेत्र हैं उनका कोई कस्टोडियन नहीं है । मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि लेण्ड मेनेजमेन्ट और डेवलपमेन्ट बोर्ड का अविलम्ब गठन करें और यह काम भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में दिया जाय ।

इसके साथ साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं कि जब से डिवीजनल कमिश्नर्स की पोस्टस को समाप्त किया गया है तब से जिलाधीशों पर कोई प्रभावकारी नियन्त्रण नहीं रहा है । इसलिये एक बोर्ड का गठन किया जाय तब जिलाधीशों के कार्य को देखने का उत्तरदायित्व भी उसी बोर्ड को दिया जाना चाहिये ।

मौजूदा चरागाह की व्यवस्था में जो केटल की परिभाषा दी गई है उस केटल में भैंस और गाय को सम्मिलित किया गया है । लेकिन मरुस्थल क्षेत्र में भेड़ और बकरी पर वहां की अर्थ व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण साधन हैं । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होगा कि कम से कम मरुस्थल

(श्रीमती मदन कौर)

के क्षेत्र के लिये यह जो केटल की परिभाषा दी हुई है वह व्यावहारिक नहीं है। इसमें भेड़ और बकरी को सम्मिलित किया जाना चाहिये। हमारे राज्य में भूमि अलोटमेंन्ट के नियम बने हुए हैं उसके अनुसार भूमि का अलोटमेन्ट उन्हीं को होना चाहिये जो वोनाफाइडी खेती करने वाले हों। लेकिन वास्तविकता यह है कि उससे भूमिहीन किसान वंचित रह जाते हैं और अन्य व्यक्ति ही भूमि प्राप्त कर लेते है। इस प्रकार की प्रणाली से आवन्टन की हुई भूमि नियमों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अर्थ व्यवस्था के लिये अहितकर है। इस लिये भूमि संबंधी नियम सही मन्शा के अनुसार आवंटित कराई जाय ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अलोटमेन्ट 15 से लेकर 25 बीघा तक की जाती है जब कि एक लाभकार जोत का रकबा 372 बीघा तय किया गया है। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार स्वयं इस प्रकार के आवंटन नियम बनाकर अलाभकर जोतों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिये। जब कि हमारे राज्य में भूमि के उत्पादन की शक्ति का अनुमान तहसीलवार लगाया जा चुका है यह आवश्यक है कि भूमि आवंटन की सीमा और अलाभकारी जोत के आंकडों की तहसीलवार विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिये यह उचित होगा।

इसी के साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमिहीन किसानों के संबंध में निवेदन करना चाहती हूं। कभी कभी संयुक्त परिवार के विभाजन भूमिहीन किसान निकल आते है। भूमि के फ्रैगमेन्टेशन के रोकने संबंधी कानून के फलस्वरूप ऐसे विभाजित परिवार कुछ खातेदारी हक प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में उचित होगा कि उन परिवारों के ऐसे सदस्यों को भूमिहीन की परिभाषा में सम्मिलित किया जाय। राजस्थान सरकार सीलिंग कानून को प्रभाव में लाये इसका विरोध नहीं करती। लेकिन इस संबंध में बाड़मेर जिला की विशिष्ट परिस्थितियों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वर्ष 1961 की जन संख्या को आधा मानकर बाड़मेर जिले के मौजूदा काश्तकारों की संख्या सात लाख से ऊपर हो चुकी है और कृषि योग्य भूमि केवल 35 लाख एकड़ है। औसत परिवार की सदस्य संख्या 6 मानते हुए, प्रति परिवार के पास भूमि केवल 30 एकड़ याने 75 बीघा उपलब्ध होगी। जब कि बाडमेर जिले की एक तहसील को छोड़कर सभी तहसीलों की बाराना अव्वल भूमि 480 बीघा सीलिंग कानून के अन्तर्गत रखने की छूट दी गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उत्पादन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए और अगले वर्ष दस वर्षों में बढने वाली जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाकर अध्ययन करें कि क्या दस वर्ष पश्चात् इस जिले के लोगों के पास कृषि के लिये गुजारे के लिये भी प्राप्त भूमि हो सकेगी ? इस संदर्भ में, मैं राज्य सरकार का ध्यान मरुस्थल के बाड़मेर जिले की ओर लेजाना चाहती हूं। इस क्षेत्र में सब से धनी आबादी बाड़मेर जिले में है वहां प्रतिवर्ग किलोमीटर 23 व्यक्ति निवास करते है उनके पास आवंटन के लिये भूमि नहीं है। इसलिये

(श्रीमती मदन कौर)
राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे भूमिहीनों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटित करें अन्यथा इसका असर यह होगा कि वहां का क्षेत्र पिछड़ा रह जायग और इस तरह से क्षेत्रीय असन्तुलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जायगा। इस प्रसंग में, मैं, यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार को सूरतगढ फार्म की याद दिलाना चाहती हूं। इस फार्म को केन्द्रीय सरकार के पास रखने में कोई जनहित नहीं है। इसलिये केन्द्रीय सरकार से लीज का समय समाप्त होने पर उस फार्म को ले लिया जाय और उस भूमि को भूमि हीन किसानों में आवंटित किय जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, भू–राजस्व से जो आमदनी मिलती है, उसका अनुमान लगाया गया है ये आंकड़े 1969-70 के हैं जिन्हें आपके सामने रखना चाहूंगी। यह आंकड़े 8.60 लाख बताये गये थे रिवाइज्ड एस्टीमेंट के अनुसार 6।। करोड़ से भी कम रह गये हैं। इस राजस्व वसूली पर डेढ़ करोड़ रुपया व्यय किया जाता है इस तरह से यह कुल भूराजस्व का 23 प्रतिशत है।

राज्य सरकार को चाहिये कि इस राजस्व वसूली के तरीके को सस्ता और सरल बनावें और इसके लिये सरकार पहले तो अपनी घोषित नीति के अनुसार किसानों को पास बुकें अविलम्ब उपलब्ध कराये और साथ साथ किसानों के लिये लगान की रकम बैंक में जमा कराने की व्यवस्था भी कर दे। इससे वसूली का खर्चा ही कम नहीं होगा, किसानों को भी राहत मिलेगी और पटवारियों के दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से भी छुटकारा मिलेगा। यह पटवार संस्था हमारे गांवों में ब्यूरोक्रेसी मुशीमेंती की द्योतक है। इसकी समाप्ति के साथ देहाती जन-जीवन में एक नई चेतना आवेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शब्द वन विभाग के संबंध में भी निवेदन करना चाहूंगी। हमारे राज में पिछले 18 वर्षों में कई मानों में विकास हुआ और इसके फलस्वरूप राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई है। पर खेद के साथ कहना पड़ता है वन का तो विकास नहीं विनाश हुआ है और होता जा रहा है।

इससे यह स्पष्ट है कि हम अपने वनों का उपयोग ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। ब्याज का ही उपयोग नहीं कर रहे हैं पर मूलधन को ही खाये जा रहे हैं। इस व्यवस्थो को किसी भी प्रकार सही नहीं कहा जा सकता। वस्तुस्थिति यह है कि सैकड़ों पूर्व प्रचलित वन नीतियों और व्यवस्था में पिछले 20 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कहना तो चाहिये कि नीति में शिथिलता आई है। बिना वैज्ञानिक आधार पर वन नीति के निर्धारित किये राजस्थान में विकास करना संभव नहीं होगा। आज की परिवर्तित सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों के अनुकूल ही यह व्यवस्था होनी चाहिये।

हमारी लकड़ी, चारा और चारागाह की आवश्यकताओं को हमें पहले आंकना है और तकनीकी ज्ञान के आधार पर इस आवश्यकता को और आगे की बढ़ती जाने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति भी साथ 2

(श्रीमती मदन कौर)

करती है। मैं सरकार से इस आधार पर यह जानना चाहूँगी कि क्या उसने लकड़ी, चारा और चारागाह की अपनी आवश्यकता का अनुमान लगा लिया है और आगे बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अधिक प्रावधान की भी व्यवस्था पर विचार कर लिया है और क्या ईंधन के रूप में काम में आने वाले गोबर की मात्रा का भी अनुमान लगा लिया गया है ?

इसके साथ ही एक प्रश्न और पूछना चाहती हूं कि हमारे मौजूदा वनों से कितनी लकड़ी, कितना चारा प्रति वर्ष प्राप्त हो सकते हैं और क्या यह मात्रा हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है। अगर पर्याप्त है फिर वनों के विनाश का कारण क्या है ? अगर पर्याप्त नहीं है तो वन मंत्री जी उत्तर देंगे यह जानकारी दें कि राज सरकार का इस संबंध में क्या कार्यक्रम है।

इसके साथ साथ उपाध्यक्षजी, हमारे वनों पर बहुत सी रियायतें दी हुई हैं कुछ लोगों को सीमित और असीमित मात्रा में जंगलों से लकड़ी ले जाने की उनको छूट है और अधिकतर तो इसके लिये प्राय: परमिट की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी रियायत मैं मानती हूं कि केवल घरेलू उपयोग के लिये ही दी गई है। पर इसका बड़ा भारी दुरुपयोग हो रहा है। कमजोर तबके को रियायत देने का मैं विरोध नहीं करती, पर इस व्यवस्था से तो उस कमजोर वर्ग का ही अहित हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिये कि इस रियायत को आंका जावे। और इसका पैसा उनको नकद में चुका दिया जावे। आवश्यकता पड़ने पर इस रियायत के हकदार को जब बाजार में लकड़ी खरीदनी पड़ेगी और इसमें जब उसकी जेब से पैसा जावेगा तब पता लगेगा कि लकड़ी की असली कीमत क्या है। अगर यह कदम आज नहीं उठाया गया तो वनों का इतना अधिक विनाश हो जावेगा कि कुछ ही समय पश्चात् रेत और पत्थरों का समूह मात्र जंगलों में रह जायगा। अनियन्त्रित पशु चराई भी जंगलों की विनाश का एक बड़ा कारण है। वनों में जहां निशुल्क चराई कराई जाती है इस पर भी कुछ नियन्त्रण लगाने की आवश्यकता है। प्रारम्भ में नाम मात्र को शुल्क लगजावे इस पर मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि इसके बहुत ही स्वस्थ परिणाम सामने आवेंगे।

इसके साथ साथ कहीं कहीं सरबोझा लकड़ी लाने की भी छूट है। यह समस्या कुछ जटिल बन चुकी है क्योंकि इसमें कुछ राजनैतिक तत्व मिल गये हैं। ऐसी स्थिति में इन राजनैतिक तत्वों का विश्वास प्राप्त करना लाभप्रद होगा। इसके संबंध में उन लोगों की सरकारी समितियां बना दी जावें तो इस समस्या का निराकरण हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदार.........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपका ध्यान समय की ओर आकर्षित करूंगा। समय आपने काफी ले लिया है।

श्रीमती मदनकौर : ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके जो सही कदम राज सरकार ने उठाया है वह सराहनीय है। इसके लिये राज्य सरकार बधाई की पात्र है। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि बांस और कत्थे का काम

(श्रीमती मदन कौर)

भी राजकीय उपक्रम में ले लिया जाय । लेकिन असामाजिक तत्व बड़े चतुर होते हैं । अब इन ठेकेदारों ने राजस्व वनों की कटाई का ठेका लेना शुरू कर दिया है । इससे आशंका है कि ये ठेकेदार इन वनों की कटाई की आड़ में दूसरे वनों को भी काटे जा रहे हैं । अतः राज्य सरकार के राजस्व ऐचमे भी वनों की कटाई पर ठेकेदारी प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये ।

इसी प्रकार वन श्रमिक सहकारी समितियों में भी ठेकेदारी प्रथा बिचौलियों के रूप में पनप रही है । समाजवादी अर्थ व्यवस्था में सहकारिता प्रणाली सर्वोच्च है । पर सही माने में संबंधित मजदूरों में ही वह होनी चाहिये, अन्यथा ठेकेदार बिचौलिये के रूप में घुस कर इसे खोखला करते रहेंगे ।

आज हमारे राज में वन क्षेत्र कुल राज के भूभाग के 11 प्रतिशत पर हैं । फिर भी इससे हमारी लकड़ी की आवश्यकता पूरी नहीं होती । यह इस बात का द्योतक है कि हमारे वनों की उत्पादन शक्ति कम है । अतः विकसित तकनीकी ज्ञान से मौजूदा वन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाये जाने की संभावना बढ़ सकती है । अगर कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान से पैदावार बढ़ाई जा सकती है तो क्या कारण है कि वन विभाग भी इन वैज्ञानिक तरीकों को अपना कर उत्पादन शक्ति को नहीं बढ़ा सकता ।

(1 म.प.)

इसी प्रकार राज्य का वन क्षेत्र बंजर पड़ा हुआ है । मेरा विश्वास है इसमें से अधिकांश भाग वनों से आच्छादित किया जा सकता है चारागाह के रूप में ऐसे बंजर क्षेत्र को वृक्षारोपण और चारागाह के कार्यक्रम में तैयार किये जाय और उनकी शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित की जाय । इसके फलस्वरूप राज्य में लकड़ी और चारे के लिये निर्भरता आयेगी साथ ही वनों पर आधारित उद्योगों को लगाने की भी संभावना बढ़ेगी ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आधा मिनिट में समाप्त कर रही हूं उपाध्यक्ष जी अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारा राज्य कृषि और पशु-पालन प्रधान राज्य है । वनों के अभाव से कृषि और पशु पालन व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है । निरन्तर वर्षा का अभाव और अकाल तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव है । लेकिन वनस्पति के अभाव में जो मुद्रा ह्रास हो रही है उस क्षति का अनुमान सही रूप से लगाया जाना कठिन है । अगर राज्य सरकार इन दुष्परिणामों को समय रहते नहीं देख पाई तो मुझे आशंका और भय है कि राज्य का कुछ क्षेत्र उजाड़ हो जायगा । चम्बल घाटी की कन्दरायें इसके उदाहरण हैं और हमारे प्रान्त के जैसलमेर और बाड़मेर दुर्भिक्ष से प्रभावित जिले इस ओर एक संकेत हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरा भाई ।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय……

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा भाषण की 10 मिनट । आप अपने भाषण की नींव इससे दें ।

श्री हीरा भाई : कोशिश तो यही करूंगा 10 मिनिट में लेकिन……

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन वेकिन नहीं 10 मिनिट से आगे नहीं जाय ।

श्री हीरा भाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज सदन में भू-राजस्व की मांग पर जो हम रकम पास कराने जा रहे हैं, उस पर मैं सिर्फ संक्षेप में निवेदन करूंगा और सरकार से पहली बात यह जानना चाहूंगा और हाऊस से निवेदन करूंगा कि वे सन 67-68 की साल में जो राज्य सरकार ने लगान अलाभकारी खेतों में माफ कर दिया था और किसान को वापिस लौटाने के लिये आश्वासन दिया वह सरकार से लौटाने की स्थिति में है या नहीं---एक बात । दूसरी बात यह है कि किसान को जो जमीन अलाटमेंट करने का तरीका है, उसको बदलना पड़ेगा । अगर हमें इस बेकारी को दूर करना है तो जिस तरह क्वालिफाइड और डिस-क्वाली-फाइड जमीन रहती है और जिस तरह अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग रहते हैं और पढ़े लिखों लोगों की बेकारी दूर कर सकते हैं उसी तरह से जमीन की बेकारी को भी दूर करिये । आज किसान का युग है, उस काम में नौकरी दिलाना जरूरी है । आज राजस्थान प्रदेश की जमीन बड़े बड़े लोगों में है, जिनको यह मालूम नहीं कि खेती कैसे की जाय, खुद काश्तकार है या नहीं । महलों में बैठने वाले तमाम लोगों ने कब्जे कर रखे हैं । वह जमीन उनसे सीलिंग के जरिये या किसी तरह ले लें । वे खेती करना जानते नहीं, इसलिये मेरा निवेदन है कि उनसे जमीन छीन कर जो खुद काश्त करने वाले भूमिहीन हैं, उनमें बट जाय ताकि बेकारी दूर हो सके और जिनको खेती करना नहीं आता उनके लिये कोई दूसरा धन्धा ढूंढ़ा जा सके । भूमिहीनों को विश्वास दिलायें कि उनको भूमि अलाट की जायगी लेकिन अब जमीन है ही नहीं तो अलाट कहां से की जावेगी । जिन्हें खेती करना आता है नहीं, खेती को जानते नहीं वे जमीन अपने कब्जे में न रखें । उनसे छीन कर भूमिहीनों को बांटी जाय ताकि बेकारी दूर हो सके और हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या भी हल हो सके । लोग खेती के मालिक बन कर बैठे हैं और उन्हें कोई उत्पादन आता नहीं, जानते नहीं खेती कैसे करते हैं इसलिये हमारे यहां खाद्य स्थिति विषम बनती जा रही है, भूमिहीनों की तादाद बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है । मेरा निवेदन है कि जमीन खुदकाश्त वालों को अलाट कर दी जाय ।

सीलिंग के बारे में कहना चाहूंगा कि सीलिंग को सरकार तत्काल लागू करें । सीलिंग कागजों की टोकरी में रखने के लिये नहीं है । सरकार को इस पर अन्धे बन कर नहीं बैठना चाहिये । दूसरी बात, छोटे-छोटे किसानों की जमीनों को इन लोगों ने चाहे परिवर्तन करा ली हो, चाहे वह तालाब में आई हो या न आई हो, कमाण्ड एरिया हो उसमें कई दिक्कतें पैदा कर रखी है । उन लोगों को मुआवजा देना है तो उनको मुआवजा दें कहीं कारखाना लगाने के लिये एक्वायरी कर ली हो तो कारखाना खोलें ।

हमारे मन्त्री हरिदेव जोशीजी ने कृषि विभाग की जमीन उद्योग में ले रखी है । तीन साल हो गये वहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिला और लोग भूमिहीन होकर भटक रहे हैं । न उद्योग लगा रहे हैं और न किसी को खेती करने देते हैं । इसी तरह कृषि

(श्री हीरा भाई)

विभाग की जमीन पर पैट्रोल पम्प लगाया है और सरकारी कागजों पर हरिदेव जी का नाम नहीं है। कई वर्षों से कब्जा कर रखा है। सरकार के जिम्मेदार लोग ही ऐसा करते हैं तो जनता में अनुशासनहीनता जरूर फैलेगी। उपाध्यक्ष महोदय चरागाह के लिये जमीन मैं मानता हूं रहनी चाहिये। हमारी मवेशियों के लिये जमीन अवश्य होनी चाहिये। लेकिन जो इल्लीगल है उनको चारागाह से हटा कर रेवेन्यू में परिवर्तन कर दी जाय यह वर्षों से चल रहा है। उसके बारे में सरकार की क्या नीति है? मैं समझता हूं सरकार इसको खुलासा करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय एक बात यह है कि जो जमीन, जहां पर जंगल है—जंगल का नाम निशान नहीं है। फिर भी कितने ही किलोमीटर वन एरिया के गीत गा रहे हैं। उस जमीन का नारा लगाते रहे हैं—वहां पेड़ का नाम नहीं है ऐसी कई जमीनों पर भूमिहीनों ने काश्त करली है, उत्पादन बढ़ाया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भूमिहीनों को खेती करने के लिये अगर वन नहीं तो वह जमीन तत्काल उन किसानों को अलाट कर दें। हजारों किसानों के खेती के मुकदमें चल रहे हैं वे वापिस लिये जाय और वह जमीन उनको अलाट कर दी जाय।

उसी तरह से जंगल की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जंगल जनता ने बरबाद नहीं किये हैं। जंगलों को इस मौजूदा सरकार ने बरबाद करवाया है। जंगल किस तरह से बरबाद करवाये हैं, कि बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेका दे देते हैं जो कभी कांग्रेस को मदद करते हैं तो कभी किसी को मदद करते हैं और जिनको मदद करते हैं वे बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेका दे देते हैं और एक हजार एकड़ जमीन या पांच सौ एकड़ जमीन पर जंगल का ठेका दे देते हैं और बाद में ठेकेदार वहां से माल निकालता है और पूरा का पूरा एरिया जंगल का उसमें से अच्छे से अच्छे पेड़ काट कर वह ठेकेदार बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। अगर किसान को लकड़ी की जरुरत है तो उनको पास देने के लिये तैयार नहीं हैं और सारी की सारी जो वन की सम्पदा है वह सारी ठेकेदारों को और सेठों को दी जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बांसवाड़ा के जंगलों को वर्षों से सहरिया कम्पनी वालों को ठेके पर दे दिया था। हमारे नाथूराम जी और दूसरों ने चाहे कितनी भी रिश्वत ली लोगों का कहना है और ठेकेदारों का भी कहना है कि हमने 7000 रिश्वत दी है और नाथूराम जी को एक जीप दी है हमने तो उनके मुंह पर ताले लगा रखे हैं इस तरह से ठेकेदार लोग कहते हैं और पूरे बांसवाड़ा का जंगल बाहर ले जाकर बेच दिया और उस पर यहां काफी विवाद हुआ तो उसको रुकवाया गया। उसी समय में सहरिया कम्पनी को ठेका दिया था अब सहरिया इण्डस्ट्री लगाने के नाम से ये लोग सात हजार रिश्वत लेकर डकार गये तो अब ठेकेदारों की मदद की जा रही है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। इसलिये मैं वन सम्पदा को बढ़ावा देने के लिये निवेदन करूंगा कि जंगलों में ठेकेदारी प्रथा को बन्द कर दिया जाये और सहकारी समितियों को भी ठेके दिया जये

(श्री हीरा भाई)

तो इस तरह से देना चाहिये कि उनको लकड़ी का ठेका न देकर वर्क का ठेका दिया जाये। मैं खुद भी सहकारी समिति का सदस्य हूं। लकड़ी देने की बात है तो 1 हजार एकड़ जमीन में ठेका देंगे तो 10 हजार एकड़ में जंगल काटकर वह ले जायेंगे। उसमें वन विभाग के लोग मिले हुए रहते हैं और उससे जंगलों की बरबादी होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 मिनिट और देदें।

श्री उपाध्यक्ष : 10 मिनट तो आपके हो चुके। 2-3 मिनट और लेलें और समाप्त कर दें।

श्री हीरा भाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ठेकेदारी प्रथा बन्द कर दी जायें और सहकारी समितियां मजदूरों की बनाई जायें और उनको वर्क का ठेका दिया जाये कि इतना एरिया काट दो और जो माल होगा वह राज्य का होगा। इस तरह से तो ठीक हो सकता है। अगर जंगल ठेकों पर दिये जाते हैं तो उससे बहुत नुकसान होता है। इसलिये मैं कहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा बन्द की जाये और सहकारी समितियों द्वारा मजदूरों की समिति बनाई जायें और वह वर्क का काम करें।

इसके अलावा पटवारी प्रथा भी बन्द की जाये और अलाभकारी खेतों का लगान हटा दिया जावे। जिस तरह से खुशहाली कर लिया है या और कोई कर है तो उसी रूप से इसको जोड़ करके वसूल किया जाये। पटवारी लोग जनता को लूटते हैं। जनता को लूट से बचाने के लिए पटवारियों को बिल्कुल हटा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी सामने आ रही है कि जमीन का अलॉटमेंट करते समय मान लें कि 15 आदमी हैं ज्वाइन्ट फेमिली में तो एक आदमी के नाम 15 बीघा जमीन है तो 3 परिवार हो जाते हैं। फिर भी 15 बीघा जमीन को एलाट नहीं कर सकते हैं और अलग अलग खाता भी नहीं कर सकते हैं। तो 15 बीघा जमीन परिवार के हिसाब से निर्णय कर लें कि परिवार के आधार से सीलिंग का कानून लागू किया जाये। खुद काश्तकार हैं उनके अलाटमेंट में काफी गड़बड़ियां होती हैं। तो इसके बारे में ज्वाइण्ट फैमिली वाला मामला है उसको सुधारने के लिए एक फैमिली को इतनी जमीन दी जाये और बाकी फैमिली के लिए अमुक अमुक जमीन अलाट कर दी जाये। इसी तरह से उनको भूमिहीन मान कर जमीन का अलाटमेंट किया जाये।

इसी तरह से जंगलों से लकड़ी अपने इस्तेमाल के लिए लेने के लिए वर्षों से किसानों को रियायती पास और फ्री पास मिलते हैं और वे जंगलों की रक्षा करते हैं तो उनके लिये यह साफ निर्णय करना चाहिये। अभी दो साल हो गए और पास ही नहीं दे रहे हैं। जंगलों की हिफाजत करने वाले लोगों को और खेती करने वालों को समय पर पास दे दिये जायें ताकि वह चोरी नहीं करें। अगर पास नहीं देंगे तो वह चोरी करेंगे। मैं चोरी करने वालों को बेईमान मानता हूं और चोर मानता हूं लेकिन कभी कभी ऐसी जरूरत की समस्या

(श्री हीरा भाई)

आ जाती है कि लोग चोरी कर लेते हैं । अगर इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो पास की व्यवस्था कर दी जावे और आफिसर्स को हिदायत दे दी जाये वर्ना वे लोग कब तक किसानों से रिश्वत नहीं लेंगे तब तक पास नहीं देंगे ।

तो मेरा कहना है कि एक तो आप पटवारी प्रथा को समाप्त कर दो । दूसरे 20 साल के लिए ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दो । और किसानों को अ .टमेंट के जरिये जमीन दो ।

श्री उपाध्यक्ष : एस. एस. पी. दल के पूरे समय का उपयोग हो चुका है । श्री मेघराज पंवार !

श्री मेघराज पंवार (चूरू) : उपाध्य । महोदय, आज माल के महकमे की डिमाण्ड चल रही है, उस पर मेरे भी दो तीन कटौती प्रस्ताव दिये हुए हैं और उन पर मैं आपकी मार्फत अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

चूरू जिले में जो भूमि का वर्गीकरण है और जो कर निर्धारण किया गया है उसके बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं । राजस्थान में भूमि 5 तरह के जोन में बांटी गई है और सबसे निकृष्ट भूमि हमारे चुरू जिले में है । ये पांच जोन इस प्रकार हैं— डेजर्ट, सेमी-डेजर्ट, सेमी-फर्टाइल, फर्टाइल और हिली । इसमें डेजर्ट एरिया की सबसे कम पैदावार होती है और वहां का किसान इस खेती के धंधे को कम पैदावार के रूप में अनर्थिक जोत के रूप में काश्त में लगा हुआ है और उसका मुख्य धंधा खेती नहीं होकर पशुपालन और मजदूरी है । अब तक उस इलाके में जो भूमि का वर्गीकरण था वह केवल तीन तरह की जमीन पाला, नान-पाला और वंजर था और वहां 9 पैसे से लेकर 8 आना प्रति बीघा अधिकतम लगान था । अब जो लगान बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है उसमें भूमि की 11 किस्में कर दी गई—चाही अव्वल, चाही दोयम, चाही सोयम, चाही चाहरम्, चाही पांचम और उसका लगान कर दिया गया 1.30 से लेकर 8 रुपये तक और बारानी में 6 किस्म कर दी गई और उसका लगान 20 पैसे से लेकर 2.40 तक कर दिया गया । यह झालावाड़ तहसील के एक पट्टे के बराबर है जहां अनेक कीमती मसाले पैदा होते हैं और हमारे इलाके में बाजरा, मोठ और गंवार एक मन प्रति बीघा के हिसाब से पैदा होते हैं और वह भी 6 साल में एक साल जमाना व पांच साल अकाल पड़ता है । लगान तफतीश करने के कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ प्रिन्सिपिल होते हैं लेकिन लगान तफतीश करने वाले आफिसरों ने उन मुद्दों का ध्यान नहीं रखा । इसके फलस्वरूप वहां के लोगों के अन्दर बहुत आशंका और भय की भावना फैल गई; असंतोष फैल गया । वहां के लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान हुए इसी बात को लेकर किसान आन्दोलन के रूप में वहां आन्दोलन शुरू किया गया उस आन्दोलन में करीब दो सौ आदमी जेल गये और हजारों

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

आदमियों ने उस आन्दोलन में भाग लिया । मुख्य मंत्री जी ने एक समझौते के रूप में किसानों

(श्री मेघराज पंवार)

की वाजिब मांग को स्वीकार किया है, लेकिन आज यह नई बात नहीं है इस इलाके के लिये। पहले भी इस इलाके में बन्दोबस्त हुआ था उसमें भी इसी तरह से लगान बढ़ा दिया गया था और उस कारण से चार साल तक वहां के लोगों को सैक्रेटेरियेट के चक्कर काटने पड़े थे, तब जाकर जो लगान बढ़ा दिया गया था उसको कम किया गया था। इस तरह से ज्यादा लगान इस समय लगाते हैं यह बेबुनियादी तौर पर लगान बढ़ा देते हैं इससे आप लोगों को अशान्ति में डाल देते हैं। इसका कारण यह है कि आप लगान बढ़ा देते हैं लेकिन ज्योंही लोग आपके पास तक एप्रोच करते हैं तो लगान जैसा का तैसा हो जाता है और कम हो जाता है। लेकिन बेबुनियादी तौर पर सवा दो रुपये से आठ रुपये तक लगान बढ़ाने वाले अधिकारी को आप कोई सजा नहीं देते हैं। आपने एक भी अधिकारी को सस्पेन्ड नहीं किया है। इससे जनता को इतना नुकसान होता है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है और बार बार यह गलती अधिकारी करते हैं, यह जो गलतियां करते हैं उससे बहुत नुकसान जनता को होता है। आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह लगान कम कर दिया गया है लेकिन जिन अधिकारियों ने बेसलैस आधार बना कर उस इलाके की जनता को उभारा है गलत लगान के प्रस्ताव करके और उसको राज-पत्र, गजट में प्रकाशित करके, उन लोगों को उचित सजा दी जानी चाहिये।

इसके साथ ही मेरा एक कटौती प्रस्ताव वन की मांग के संबंध में है। चूरू तहसील में 11 हजार बीघा भूमि पर वन लगाने के लिये एक महात्मा ने अपना सारा जीवन लगाया। उसको जंगल का रूप दे दिया और वहां एक सघन जंगल पैदा हो गया जिसको पिछले पांच वर्ष से वन विकास के नाम पर और कुछ सेन्ट्रल एरिड जोन के नाम पर ले लिया गया। उसके बाद में उसके सब दरख्त साफ कर दिये गये। कुछ दूसरे प्लान्टेशन के नाम से उस वन को साफ कर दिया गया। जो थोड़ी बची हुई भूमि थी उसके एक संस्था के नाम पर इस तरह छोड़ दी गई जिससे एक लाख रुपये की आमदनी एक साल की लोग खा रहे हैं। यह प्रश्न पहले विधान सभा में भी उठाया गया था और मुझे आश्वासन दिया गया था कि यह जमीन फोरेस्ट डिपार्टमेंट के कब्जे में उस प्राइवेट संस्था से ले ली जायगी। लेकिन आज तक उसको लिये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और उस जंगल को उत्तरोत्तर साफ किया जा रहा है। इसी तरह दूसरी दूसरी तहसीलों में यहीं हाल पुराने लगे हुए जंगलों का है।

एक बात मुझे बन्दोबस्त विभाग के संबंध में और कहनी है, वह यह है कि पिछले दिनों हमारे में बन्दोबस्त हुआ था और उस बन्दोबस्त में जो काश्तकारों को पहले टैनेन्सी एक्ट के नीचे धारा 19 में खातेदारी अधिकार दिये गये थे, राज्य के काम की सुविधा की दृष्टि से पंचायतों को उनका इंतकाल तस्दीक करने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन बन्दोबस्त अधिकारियों ने इस तरह की अफवाह फैला दी कि सरकार पंचायतों के द्वारा किये गये तस्दीक इन्तकाल को नहीं मानेगी और पहले बन्दोबस्त में जिस की जमीन थी उस पर जो काश्तकार काबिज था वह उसके नाम में चली जायगी। इस नाम पर लाखों

(श्री मेघराज पंवार)

रुपयों की लूट की गई है और इसमें नीचे से ऊपर तक के लोग मिले हुए हैं। हमने इस बारे में कलेक्टर को रिप्रजेंटेशन पेश किये हैं और सैटलमेन्ट अधिकारी भी वहां आये लेकिन आज दिन तक किसानों को तस्दीक करके पर्चा नहीं दिया गया है जिसको देने का नियम रेवेन्यू बोर्ड और राज्य सरकार के गजट में मौजूद है, पंचायत को रेवेन्यू अदालत माना गया है इन्तकाल तस्दीक करने के लिये लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गई है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत रेवेन्यू मिनिस्टर को निवेदन करूंगा कि उस इलाके के काश्तकारों को ऐसे तस्दीक किये गये कानूनी इन्तकाल का हक दिलायें और उनको पर्चा दिलायें।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द कटेवा !

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : सभापति महोदय, राजस्व विभाग के बारे में मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं उनके विषय में.....

श्री सभापति : समय सीमा दस मिनिट !

श्री मूलचन्द कटेवा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व विभाग का रिकार्ड अपूर्ण है। सभापति महोदय, आपको यह जानकर अचम्भा होगा कि आज भी राजस्व के रिकार्ड के अन्दर पोते जमीन पर काबिज हैं, पोते काश्त करते हैं लेकिन दादा के नाम से जमीन राजस्व के रिकार्ड में है। मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि जमीन के इन्तकाल के अन्दर अनावश्यक देरी की जाती है और इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। पटवारी के लेवल पर इन्तकाल बनाने के लिये मरे हुए बाप के बेटे के नाम जमीन करने के लिये दो सौ, तीन सौ की मांग की जाती है और जो लोग इस तरह मांग की पूर्ति नहीं करते हैं उनका रिकार्ड पुराने नाम से चला आ रहा है। सभापति महोदय, इस तरह के एक नहीं हजारों उदाहरण हैं कि जिन लोगों की पांच-पांच और दस-दस साल पहले मृत्यु हो चुकी है आज भी उनके नाम से जमीन चली आ रही है और इन्तकाल दर्ज नहीं किया गया है। इसलिये मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपा कर आज कोई तिथि तय कीजिये, कोई तारीख तय कीजिये और ऐसे आदेश जारी कीजिये कि इस प्रकार के इन्तकाल उस तारीख तक पूर्ण करने चाहिये और अगर नहीं किये जाते हैं तो सबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पूरा एक्शन लीजिये।

दूसरी बात इसी प्रकार से है कि किसी आदमी ने पांच साल पहले जमीन खरीदी थी लेकिन आज भी पुराने आदमी के नाम से जमीन कब्जे में है। लगान कोई देता है और जमीन किसी के नाम से चली आती है, यही हालत आपस में भाइयों के बंटवारे के बारे में है। जब बाप मरता है तो भाइयों के नाम जिस तरह कब्जा होता है उस तरह जमीन दर्ज न करके हरएक खसरा नम्बर के अन्दर बराबर हिस्सा दिखा देते हैं और जब वह इस बात की मांग करते हैं कि हमारे कब्जे के अनुसार जमीन का इन्तकाल दर्ज किया जाय या उस तरह से नाम चेंज किये जायं तो काम करने को तैयार नहीं होते हैं। सभापति महोदय, उसके अन्दर भी राजस्व विभाग का नियम है कि 19 बीघा 4 बिस्वा से कम जमीन है तो उसका बंटवारा नहीं हो सकता। सभापति महोदय, चाहे सरकार के कागजों के अन्दर कोई नियम हों लेकिन इस तरह के बंटवारे

(श्री मूलचन्द कटेवा)

हो चुके हैं और होते जा रहे हैं और उनको आप रोक नहीं सकते हैं। जिस बाप के नाम से 19 बीघा 4 बिस्वा से कम जमीन है, उसके लड़कों ने उस जमीन का बंटवारा कर लिया है और अलग अलग काश्त करते हैं और सिर्फ राज्य सरकार के नियम के कारण कागज में जमीन एक जगह है। इससे झगड़े फैले लड़ाई-झगड़े फैले और मुकदमें बाजी होती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपका जो कानून है व्यवहारिक नहीं है। इसलिये इस कानून को तुरन्त हटाइये, नहीं तो लोगों के सामने बड़ी भारी परेशानियां आ रही हैं।

सभापति महोदय, एक बड़े अचम्भे की बात है कि पटवारी तहसीलदार के नीचे है लेकिन तहसीलदार पटवारी का कुछ कर नहीं सकता है। वह उसको निलम्बित नहीं कर सकता कोई सजा नहीं दे सकता। सिर्फ निलम्बन के लिये या सजा देने के लिये ऊपर सिफारिश कर सकता है। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री महोदय के भी जानकारी में यह होगा कि आज तहसीलदार का पटवारियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। यदि उनकी जानकारी में नहीं है तो मैं अनुभव बता देना चाहता हूं कि हम लोग रोज इलाके में रहते हैं हमें मालूम है कि पटवारियों पर तहसीलदार का आज कोई नियंत्रण है नहीं और इस कारण और भी ज्यादा अनावश्यक रूप से देरी होती है। इसलिये मंत्री महोदय आप इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये कि तहसीलदार का उनके ऊपर सीधा कोई नियंत्रण हो वह उनको निलम्बित कर सके या कोई सजा दे सके। नहीं तो आज जिस तरह पटवारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरह से उनको काम को रोकने की आदत बन गई है उसमें आप कोई कानून बना कर सुधार नहीं कर सकेंगे।

दूसरे सभापति महोदय, सरकार की तरफ से इस साल गांधी शताब्दी के ऊपर घोषणा की गई कि हरिजनों को बड़े पैमाने पर जमीन बांटी जायगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक झुंझुनू जिले का सवाल है इस तरह की कोई भूमि हो नहीं कि जिसका आवंटन किया जा सके अलबत्ता कुछ भूमि ऐसी है कि काटली नदी का क्षेत्र, नदी के दोनों तरफ, काटली नदी की धारा के दोनों तरफ काफी जमीन है, जो नाकाबिल काश्त के नाम से सरकारी रिकार्ड में दर्ज है। लेकिन उसको आ । क्योंकि वह नाकाबिल काश्त लिखी हुई है इसलिये हरिजन या गैर हरिजनों को अलाट नहीं की जा सकती। मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि वहां कई हजार एकड़ जमीन है और उसमें से बहुत सारी जमीन काबिल काश्त हो चुकी है क्योंकि आज लोग इतने शिक्षित हो गये हैं, आज खेती के बारे में लोग इतने माहिर हो गये हैं कि ये सारी की सारी जमीन काबिल कर सकते हैं। यह सरकारी आदेश के द्वारा होना चाहिये न कि कलेक्टर के द्वारा आप पटवारी से प्रपोजल लें और वह तहसील में आये, फिर एस. डी. ओ. के पास आयें। इसमें तो कई साल का चक्कर पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि सरकारी आदेश से इस जमीन की किस्म चैंज की जाय ताकि भूमिहीनों को अच्छी तादाद में जमीन दी जा सके।

दूसरे, मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे झुंझुनूं जिले के अन्दर

(श्री मूलचन्द कटेवा)

कई गांवों के अन्दर आवश्यकता से अधिक गोचर भूमि है। जो आपका गोचर भूमि का नियम है उससे कई गांवों में तो पांच सौ सात सौ बीघा जमीन अधिक है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के आप आदेश कलेक्टर के नाम जारी कीजिये कि वह उन गांवों के अन्दर देखें कि कौनसे गांव के अन्दर गोचर भूमि की आवश्यकता से अधिक भूमि है। फिर उसको भी आप परिवर्तित कीजिये ताकि वह भी भूमिहीनों को मिल सके और खास तौर से इस साल में हरिजनों को मिल सके।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जिले में अभी और राजस्थान के अन्य जिलों में भी बहुत जगह टीलों की जमीन को पेड़ उगाने के लिये फोरेस्ट विभाग को दिया गया था। हम देखते हैं कि करीब करीब वह सारी जमीन ठीक हो चुकी है, काश्त के काबिल हो चुकी है इसलिये इस तरह के एरिया को फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट से वापिस लेकर उसको भी एलाट करना चाहिये।

दूसरे मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज बैंकों से किसानों को कर्ज मिलता है कुए बनाने के लिये, पम्पिंग सैट लगाने के लिये, लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड की कापियों के अभाव के अन्दर किसान दिन दिन मारे फिरते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप जल्दी से जल्दी सारे राजस्थान के अन्दर किसानों को पास बुक का वितरण करा दें और जब तक आप इस स्थिति में नहीं हों कि किसानों को आप पास बुक दिला सकें उस समय तक के लिये कृपा करके इस तरह का आदेश प्रदान कीजिये कि लोन के सिलसिले में जो भी किसान किसी दस्तावेज की नकल ले उसको उसके लिये कोई फीस न देनी पड़े।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान मेरे झुंझुनूं जिले की ओर दिलाना चाहूंगा। राजस्थान के जिलों के अन्दर झुंझुनूं जिला है वह एक ऐसा जिला है कि जिसके अन्दर सबसे अधिक भू-राजस्व है। मैं समझता हूं, राजस्थान में तो क्या शायद हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त के अन्दर भी किसी जिले के अन्दर इतनी भारी भू-राजस्व की रेट नहीं होगी, जितनी भारी झुंझुनू जिले के अन्दर है। इस बात को हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी माना है और यहां कुछ समय पहले एक रुपये के पीछे दो आने की छूट भी दी गई है लेकिन वह भी बहुत नाकाफी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दीजिये, इसकी जांच कीजिये और झुंझुनूं जिले से जो मिलते हुए राजस्थान के जिले हैं, और हरियाणा के जिले हैं उनके अनुसार ही झुंझुनूं जिले के अन्दर भी भू-राजस्व की रेट कीजिये और उसमें जल्दी से जल्दी कमी कीजिये।

एक मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर कुए से सिंचाई होने वाली भूमि की जो रेट है वह चौदह रुपये से लेकर 21 रुपये तक रेट है। यह रेट वाजिब नहीं है, किसी भी तरह वाजिब नहीं है। यह रेट आपको कम करनी पड़ेगी। इसके लिये आप किसानों को इस बात के लिये बाध्य नहीं कीजिये कि वह भी कोई आन्दोलन का स्वरूप बना कर सामने आयें। मैं नम्र निवेदन करूंगा, आप इस बात की जांच कीजिये और इस रेट को काफी तादाद में हटाइये। आप ज्यादा से ज्यादा चाहें तो यह कर दीजिये कि जो बारानी की रेट लेते हैं तो सिंचाई करने वाले आदमी दो फसल लेते हैं इसलिये उनकी उससे दुगनी कर दीजिये, हालांकि यह वाजिब नहीं होगा क्योंकि दो फसल लेने वाले आदमी को अधिक श्रम करना

(श्री मूलचन्द कटेवा)

पड़ता है, अधिक पैसा लगाना पड़ता है और अधिक साधन जुटाने पड़ते हैं। जब इतनी मेहनत करके, पैसा लगा कर और साधन जुटा कर दो फसल लेता है तो दो फसल की एवज में रेट लेना सरकार का फर्ज नहीं है। लेकिन चूंकि अभी भारी वजन है, इसलिये एक दफा यह कर दें कि बारानी भूमि से दुगनी रेट कर दें।

सभापति महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और मैं समझता हूं कि मेरे जो सुझाव हैं वह उपयोगी और वाजिब हैं और किसानों के हित के हैं इसलिए उन्हें सरकार को मंजूर करना चाहिए।

श्री सभापति : श्री मनोहर सिंह मेहता ! समय सीमा दस मिनिट।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ) : सभापति महोदय, राजस्व की आय ही ऐसी पवित्र आय है कि जिससे राज्य को सुबुद्धि और समृद्धि पैदा हो सकती है। इसमें काम करने वाले भी ऐसे ही पवित्र और अच्छे होने चाहिये। यह भी स्वाभाविक ही है और यह हमारे सौभाग्य की बात है कि इसके मंत्री सच्चे मायने में अच्छे आदमी हैं, सात्विक वृत्ति के हैं – यह भी सचमुच खुशी की बात है। लेकिन इनके राजस्व विभाग में आने के पहले जो मेरे क्षेत्र के अन्दर पापाचार हुए हैं वह अब तक ठीक नहीं हो रहे हैं। उसके बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा। सभापतिजी, जब स्वराज्य आया था तब आशा यह थी कि विषमता मिटेगी, लेकिन लगता यह है कि आखिर स्वराज्य अटक कहां गया :

पण ई देश में
अटक्यो कठे स्वराज।
पहली सूं भी देखलो
बढ़ी विषमता आज।

पहले से भी विषमता बढ़ी है और आज भूमिहीन लोग भुट्टे के लिये तरस रहे हैं। आज भी भूमिहीनों को जमीन एलाट नहीं हो पा रही है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहां दुर्भाग्यवश जब आप राजस्व मंत्री नहीं थे उस वक्त तहसीलदार ऐसे थे जो सब काम में माहिर थे, चाहे शराब हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे रिश्वत हो और चाहे और किसी की जरूरत हो सबको प्राप्त करने में माहिर थे। वह क्या करते कि रात के बारह बारह बजे जमीन का एलाटमेन्ट करते और क्या करते कि थड़ोदा में एलाटमेन्ट करना है तो भोपतपुरा में करते और भोपतपुरा में करना है तो थडोदा में करेंगे और इस प्रकार लाखों रुपये की जमीन उन्होंने बांट दी उनको जिनके पास पहले से ही जमीन थी और आज भी जमीन के लिये भूमिहीन तरस रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंडौल और जसोई के बिगोलिया से बड़े बीड हैं, जो दो साल पहले जंगलात में से निकले नहीं थे। उस वक्त के राजस्व मंत्री ने जो जंगलात में बीड की जमीन थी उस जमीन के नाम पर हुक्म निकाल दिया कि फलां समिति को पन्द्रह बीघा फी आदमी के हिसाब से एलाट की जाती है। जंगलात की जमीन थी लेकिन उसको राजस्व मंत्रीजी ने एलाट कर दिया। जो व्यक्ति हुक्म ले गये उन्होंने दो साल हुक्म रखा अपनी जेब के अन्दर और जब जमीन निकल कर जंगलात राजस्व में आ चुकी तो उस हुक्म को बताया और अब उस जमीन को लेना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस के पापाचार को आप दूर कीजिये।

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

मैं तीसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं, रामचली में गउटा टैंक के नीचे जमीन है वह गरीब आदमियों को मिलनी चाहिये थी ताकि उनके बच्चों के लिये रोटी की व्यवस्था होती लेकिन वह जमीन पंचायत समिति के ग्राम सेवक ने दाब ली और उसकी सारी फसल लेकर वह घर पर ले गया। मैं इस बात को राजस्व मंत्रीजी के ध्यान में लाया, इस कारण उन्होंने उससे उसकी कीमत तो वसूल की लेकिन उसको कोई सजा नहीं मिली। मेरा निवेदन है कि उसको सजा भी देनी चाहिये।

त्रिवेणी पर बालाबाला राजस्व मंत्रीजी ने एक एक आदमी को तीन तीन हजार रुपये की जमीन एलाट कर दी। श्री सुगन चन्द जैन को, श्री राधाकृष्ण को और श्री भंवरलाल जैन को तीन तीन हजार रुपये की जमीन एलाट कर दी बालाबाला जब कि उनका अधिकार नहीं था। जब यह प्रश्न असेम्बली में आया तो एक बार स्थगित किया, दो बार स्थगित किया, तीन बार स्थगित किया और इस प्रकार बार बार स्थगित होता है और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ।

नया नगर में पड़ी हुई काश्त के काबिल भूमि थी, राजस्व विभाग के लाखों रुपये के पेड थे, उनको काट दिया। वहां पर एक ईमानदार एस. डी. ओ. गये, उन्होंने मामले को पकड़ा। ठीक है उस पर दस हजार रुपये का फाइन हुआ लेकिन इससे क्या होता है? लाखों रुपये के पेड़ उजड गये और मैंने इस बात को देखा है कि वहां पर बारिस कम होने का कारण इसी प्रकार की घटनाएं हैं।

इसी तरह से मांडलगढ के सरपंच सुगनचन्द; राधेश्याम पटवारी ने अपने भाई के नाम से दस साल पहले जमीन का एलाटमेन्ट करा लिया। वह एलाटमेन्ट के लिये क्या करते हैं कि जो तहसीलदार इनका होता है उससे खाली एलाटमेन्ट के फार्म पर दस्तखत करा लेते हैं और जब जरूरत होती है तो काम में ले लेते हैं। इस प्रकार नाबालिग भाई के नाम से दस बीघा जमीन का एलाटमेन्ट करा लिया जो बीस हजार रुपयों की है, उसका रजिस्टर में इन्द्राज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें शक नहीं है कि हमारे जो राजस्व मंत्री हैं वह चरित्रवान मंत्री हैं, आपको इन लोगों के कारनामों पर तुरन्त ध्यान देना चाहिये और इस तरह से करके अगर आप इन हरकतों को रोकेंगे तो ही गरीब आदमियों के पास जमीन पहुंचेगी।

जब से अलाटमेन्ट का आर्डर निकला है कि गरीबों को, हरिजनों को और आदिवासियों को जमीनें अलोट होंगी पर इस एक साल में उनको बिल्कुल जमीनें अलोट नहीं हुई हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपा कर के जिलाधीशों को आप आदेश भेज दीजिये कि वे इनको अलोटमेन्ट करें। मैं यह बात कहूंगा कि हमारे यहां के जिलाधीश बहुत चरित्रवान् और निष्ठावान् व्यक्ति हैं, उनके मन में पीड़ा है पर आप यहां से यह आदेश दे दीजिये ताकि सुविधा हो।

अब मैं थोड़ा वन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जिस तरह जमीन के मामले में मेरा क्षेत्र धनी है उसी तरह वन के मामले में भी धनी है पर आज वहां के वनों की हालत देखता हूं तो बड़ी पीड़ा होती

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

काट लिया सब रूंखड़ा, वन रा संपटपाट।
का नाले बरसात की जदी जीवड़ा बाट।।

बड़ कट गये, पीपल कट गये, बम्बूल कट गये, कीमती आम कट गये और सारे के सारे जंगलों का सत्यानाश हो गया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके इन वनों का संरक्षण कीजिये। पेडोक्स लगवाइये, वनों को हरा–भरा फला–फूला बनाइये, ये वन तो आपको अप्रत्यक्ष आमदनी देंगे। वन से पहले एक बात कहना मैं भूल गया····

श्री नत्थीसिंह : वन मंत्रीजी यहां सदन में है नहीं और उपमंत्री समझते हैं नहीं, फिर आप किनको सुना रहे हैं?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं लगान के बारे में कहना चाहता हूं। लगान में आप माफी नहीं करें, चौबीसों घन्टे जहां नहरें बहती है, वहां पर आप लगान बढ़ाइये पर जिन लोगों ने बारानी जमीनों को कुएं खोद कर सिंचित बनाया है, उन पर आप लगान मत बढाइये। राजस्व मंत्रीजी ने एक घोषणा की कि 25 प्रतिशत बारानी जमीन पर लगान बढ़ाया है, आपका खर्चा होता है आप बढ़ाइये पर जिसने बारानी जमीन को कुआ खोद कर सिंचित बनाया है, उस जमीन का आप लगान मत बढ़ाइये।

अब वन पर मैं वापिस आ जाता हूं। मेरे क्षेत्र में घास के बीड़ हैं। राजा महाराजाओं के वक्त में आधी पांती पर घास के बीड़ कटते थे। आधा घास काटने वाले ले जाते थे और जो आधा घास राज्य के पास बचता था उसमें से 1/4 हिस्सा घास उन जरूरतमन्द लोगों को बेच दिया जाता था जिनके पशुओं के लिये घास की कमी पड़ती थी और बाकी बचा चौथाई हिस्सा घास का रहता था उसकी गंजियां लगा दी जाती थीं। इस तरह लगातार आठ-आठ, दस-दस साल तक घास की गंजियां लगती रहती थीं और जब कभी अकाल पड़ता तो अकाल के दिनों में वह घास काम में आता था। राजस्व विभाग और वन विभाग का गहरा संबंध है। खेती और पशुपालन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वन मंत्रीजी यहां नहीं हैं पर राजस्व मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हर साल गंजियां लगें, इस प्रकार की व्यवस्था करें। पंचायतों को बीड़ मत दीजिये। पंचायत वाले एक भी गंजी नहीं लगा सके हैं। इसलिये अकाल में दूसरी जगह से घास की भीख मांगनी पड़ती है।

राजस्व विभाग में शराब पीने वाले कम हैं पर जंगलात विभाग में तो शराब पीने वाले बहुत हैं और जंगल विभाग उनके पास है इसलिये बंदूक पकड़ी और शिकार खेलने चले जाते है, सुरा और शिकार दोनों साथ साथ चलते हैं। जो शराब पीते हैं, आज आपके यहां जितनी खराबी है, भ्रष्टाचार है, उसमें शराब बहुत बड़ा कारण है।

सभापति महोदय, आज राजस्थान में बड़ी बड़ी शराब की दुकानें खुली हुई हैं, उन शराब की दुकानों के सबसे बड़े ग्राहक आपके आई.ए.एस. और आई.पी.एस. और बड़े बड़े कर्मचारी हैं। एक बोतल के पीछे क्या क्या कुकर्म होते हैं यह आपको मालूम है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि जंगलात विभाग तरक्की करे, सच्चाई से काम करे तो इस महकमें से शराबखोरी को बिल्कुल हटा दीजिये। न मालूम सरकार की

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

समझ में यह कब आयेगा कि शराब ने सारे हिन्दुस्तान का सत्यानाश किया है। राजस्थान भी इसमें पीछे नहीं रहेगा, अगर हमने समय रहते ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि शराबखोरी बिल्कुल बन्द हो। आपके आई. ए. एस. अधिकारी, राजस्व विभाग के और वन विभाग के मिलें तो यह संकल्प करें कि कोई अधिकारी शराब नहीं पियेगा।

राजस्व विभाग का सीधा संबंध किसानों से है। जो सच्चे और ईमानदार पटवारी हैं वे सच्चे माने में जनता के सेवक हैं, उनके द्वारा बड़ा काम होता है, कोई बीमार होता है तो उसको भी वे सम्हालते हैं, सच्चे माने में वे गांवों के सेवक हैं। मैं नहीं कहता कि सब खराब हैं, बहुत से अच्छे अच्छे काम करते हैं। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। पर इसके लिये आपको सदा जागरूक रहने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री जुझारसिंह। समय सीमा दस मिनिट है।

श्री जुझारसिंह : मेरी पार्टी का समय 20 मिनिट है। अभी तो मेरी पार्टी के सदस्य 7 मिनिट ही बोले हैं।

श्री सभापति : आप 12 मिनिट ले लें।

श्री जुझारसिंह : सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, वे फोरेस्ट और रेवेन्यू दोनों विभागों से संबंधित हैं। पहले मैं फोरेस्ट के संबंध में कहूंगा। हालांकि वन मंत्रीजी यहां हैं नहीं, उप-मंत्रीजी हैं वे शायद मेरी बातों को समझेंगे भी या नहीं समझेंगे पता नहीं पर मेरी मजबूरी है।

श्री रामकिशोर व्यास : पहले राजस्व के संबंध में कह दीजिये, इतने में वे आ जायेंगे।

श्री जुझारसिंह : मेरा समय सीमित है और आप जानते हैं कि कुछ समझने व कहने के लिये है नहीं। अच्छा तो मैं पहले राजस्व के बारे में कह देता हूं। मैं भूमि के संबंध में दो बातों पर निवेदन करूंगा। एक तो जो इन्डिस्क्रिमिनेट ट्रेसपासिंग भूमि पर होता है, अतिक्रमण होता है उसको आप साल दर साल रेगुलेराइज करते जा रहे हैं, उसका नतीजा यह हुआ है कि धीरे धीरे लोगों में यह टेन्डेन्सी घर कर गई है कि राज्य सरकार के आदेशों की पाबन्दी आवश्यक नहीं है, आदेश साल भर के लिये होते हैं और अगले साल भी यों ही चलते हैं। इसलिये राजस्व की जितनी भूमि है, वह कहीं भी सेफ नहीं है। जगह जगह, मैं खास तौर से कोटा और झालावाड़ के संबंध में निवदन करूंगा क्योंकि वहां सोइल इरोजन, भूमि का कटाव बढ़ा हुआ है। अगर इसी तरह से मार्जिनल लेण्ड्स पर और दूसर जमीनों पर अतिक्रमण रेग्यूलराइजेशन होता रहा तो सोइल इरोजन और भूमि के कटाव की समस्या बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेगी।

हमारे यहां पुरानी कोटा स्टेट के समय में सोइल कन्जर्वेशन के लिये व भूमि के कटाव के खतरे से बचने के लिये एक स्पेशल महकमा कोटा में मेन्टेन किया जाता था

(श्री झुझारसिंह)

वह महकमा बन्धात के नाम से चलता था। उसका काम सोइल कन्जर्वेशन करना था। उस महकमें ने बहुत से बांध बनवाये परन्तु उन पुराने बांधों की आपके शासन काल में मरम्मत तक नहीं हुई है, उस पोलिसी को फोलो नहीं करने से कोटा क्षेत्र में भूमि का कटाव बढ़ा और क्षेत्र का बड़ा भारी नुकसान हुआ। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें। इरेग्यूलर ट्रेसपासिंग को भूमि पर होता है, उसको रोकने के लिये आप पूरा पूरा ध्यान दें।

दूसरा आपने इस गांधी सेन्टरी वर्ष में सर्कूलर निकाला है कि इस वर्ष में जो अलोटमेंट भूमि का होगा व शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही होगा। यह एक अच्छी भावना है पर इससे कम्युनिटी कम्युनिटी में द्वेष फैलता है। दूसरे भी गरीब लोग हैं और किसान हैं, उनके दिमाग में बहुत जबर्दस्त रोष है कि हमें जमीनें क्यों नहीं अलोट की जाती है? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस भूमि अलोटमेंट के संबंध में आप व्यवहारिकता से काम लें। 75 प्रतिशत अलोटमेंट आदि आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये रिजर्व करते हैं तो दूसरे लोगों के नाम 25 प्रतिशत अलोटमेंट तो करें नहीं तो गांवों में दंगे होंगे और जिन लोगों को आप अलोटमेंट करना चाहते हैं, उनको भूमि देने का मकसद पूरा नहीं होगा। चूंकि टाइम की बंदिश है इसलिये यद्यपि मेरे और भी कटौती प्रस्ताव इस विभाग पर हैं लेकिन मैं ये दो मुख्य बातें ही अर्ज करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इन पर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, अब वन मंत्री आ गये हैं इसलिये मैं वन विभाग के ऊपर कटौती प्रस्ताव के बारे में कहूंगा। सभापति महोदय, जो फोरेस्ट की दशा राजस्थान में है वह बड़ी दयनीय है। इससे आप भी एग्री होंगे और वन मंत्री भी मंजूर करेंगे कि अपना फोरेस्ट एरिया एज इट इज बहुत कम है, राजस्थान में जो फोरेस्ट एरिया है वह 37,638 स्क्वायर किलो मीटर बताया गया है उसमें से 11,536 स्क्वायर किलोमीटर तो रिजर्व्ड फोरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फोरेस्ट 18,861 स्क्वायर किलोमीटर है और अनक्लासिफाइड फोरेस्ट 8,241 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें से 11,536 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व्ड फोरेस्ट है वह तो किसी तरह से सेफ कहा जा सकता है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड फोरेस्ट है उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। सभापति महोदय, इसलिये अनक्लासिफाइड को वर्षों बाद भी इस टाइम पर रखना कहां तक वाजिब है? मैं वन मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने जो फोरेस्ट का पर्सेन्टेज बताया है वह 11 पर्सेन्ट है, राजस्थान के टोटल एरिया का 11 पर्सेन्ट है, और उसमें भी जो असली फोरेस्ट है उसका पर्सेन्टेज तो साढ़े तीन पर्सेन्ट, या चार पर्सेन्ट ही आता है, बाकी का फोरेस्ट केवल लिस्ट में लिया हुआ है लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिये, मेन्टेन करने के लिये, बढ़ावा देने के लिये अभी तक फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की है। यह बड़े अफसोस की बात है कि अनक्लासिफाइड फोरेस्ट का कोई मालिक नहीं है। अनक्लासिफाइड फोरेस्ट अभी फोरेस्ट है भी या नहीं कोई नहीं जानता, मैं समझता हूं कोरे कागजों में है। मैं निवेदन करूंगा कि जितना फोरेस्ट का एरिया आपने एकड़ों में बताया हुआ है कम से कम उसकी सेफ्टी

(श्री जुझारसिंह)

और उसको ग्रो करने के लिये आप स्टेप्स लें। सभापति महोदय, फोरेस्ट का हमारा जो पर्सेन्टेज आता है वह .17 पर्सेन्ट है जो करीब करीब पर कैपिटा के हिसाब से हिन्दुस्तान में सब से कम आता है, जो नेशनल एवरेज है उससे यह एवरेज कम है वर्ल्ड के एवरेज के मुताबिक तो यह बहुत ही कम है। मेरा निवेदन है वन मंत्रीजी ध्यान दें और जो प्रोपर्टी है फोरेस्ट की उसको प्रोटेक्ट करने की और उसको डेवलप करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपने बजट देखा होगा उससे मालूम हुआ होगा कि साल दर साल फोरेस्ट की इन्कम कम होती जा रही है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 1965-66 में फोरेस्ट की इन्कम 108 लाख 36 हजार रुपये की थी जब कि 1968-69 के अन्दर वह इन्कम घट कर 97 लाख आ गई है और 1969-70 में तो वह 80 लाख के करीब आ गई है। इस साल जो फोरेस्ट की इन्कम बताई है वह 85 लाख की है। इसके अगेंस्ट में जो खर्चा है वह 193.63 लाख है इस प्रकार आमदनी से खर्च ज्यादा है वह करीब 108 लाख क खर्चा आमदनी से ज्यादा है। मैं, सभापति महोदय, यह आपके मार्फत बताना चाहता हूं सदन को कि शायद मंत्री महोदय यह कहेंगे कि हम डवलपमेन्ट वर्क्स के लिये खर्चा कर रहे हैं इसलिये एनीसियल स्टेज में शुरू की स्टेजेज के अन्दर ज्यादा खर्चा होना एक प्रोग्रेस की, डवलपमेन्ट की निशानी है। ऐसी बात नहीं है, सभापति महोदय, खर्चे के बावजूद फोरेस्ट के डवलपमेन्ट के मेरे को कोई चान्सेज नहीं दिखे हैं। मैं यह निवेदन करूं कि फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिकमन्डेशंस के मुताबिक भी फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की। सभापति महोदय, फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि अगर फोरेस्ट का कोई एरिया किसी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के या एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के फार अल्टीवेशन ट्रांसफर किया जाता है तो उसका मैचिंग एरिया कहीं दूसरी जगह से अपने फोरेस्ट के एरिया को बढ़ाने के लिये ले लिया जाना चाहिये। सभापति महोदय, पिछले 22 वर्षों में हजारों बीघा, हजारों एकड़ जमीन फोरेस्ट से ट्रान्सफर होती गई है लेकिन फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने आज दिन तक यह कोशिश नहीं की है कि जो एरिया कम हुआ है वह दूसरे डिपार्टमेन्ट से लेकर पूरा करें। मैंने निवेदन किया कि फोरेस्ट का जो रकबा है वह वैसे ही राजस्थान में कम है और यदि फोरेस्टट डिपार्टमेन्ट उस कम रकबे के होने के बावजूद उसको पूरा करने के दायित्व को इस तरह से इतना निगलेक्ट करता है तो उसका हमारे फोरेस्ट पर क्या असर होगा? सभापति महोदय, यह आप खुद ही अन्दाज लगा सकते हैं। सभापति महोदय, जो एक्जिस्टिंग फोरेस्ट है वह डिग्रेडेड फोरेस्ट है और उसमें क्वालिटी फोरेस्ट बहुत कम है। एज इट इज अगर कोई एक्शन नहीं होता है डिग्रेडेड फोरेस्ट को रिहेबिलिटेट करने का इसके जो रेबिन एरिया फोरेस्ट ग्रोथ को बढ़ाने का तथा को राजस्थान कैनाल का एरिया फोरेस्ट लगाने का तो फिर वन विभाग का क्या प्रोग्राम है? साथ ही जो ग्रास लैंड है उसमें घास की किस्म व तादाद को तरक्की देने की क्या योजना है? यह तीन चार स्कीम इनके खुद के डिपार्टमेन्ट के द्वारा बताई हुई हैं। यह जो स्कीम हैं सभापति महोदय, मैं इनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं थोड़ा क्योंकि

(श्री जुझारसिंह)

टाइम बहुत कम है। इसके अलावा आपको जो चम्बल का सोइल कन्जर्वेशन प्रोग्राम है उसके बारे मैं भी म निवेदन करूंगा। सभापति महोदय सोइल कन्जर्वेशन की मद में अभी तक राजस्थान सरकार करीब 70 लाख रुपया खर्च कर चुकी है लेकिन उसके बावजूद इनका जो एचीवमेंन्ट है वह लिमिटेड है। इन्होंने जितने भ.रेविन एरिया बताये हैं उनको फोरेस्ट के अन्दर ले लेने में, अ.र उनमें वैपूर क्वालिटी का फोरेस्ट ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस एरिया को अपने हाथ में लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है बल्कि उसको ले लेने से लोग-बागों को खुशी ही होगी लेकिन उस एरिया का अभी तक आपने डवलपमेन्ट करने की या उसको अपने डिपार्टमेन्ट में ट्रान्सफर कराने की कोई कोशिश नहीं की है। सभापति महोदय, मुझे तो मालूम है मैंने कोशिश करके 1965 में हमारी तहसील सांगोद के 5 गांवों को फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर कराया था। और इसलिये करवाया था कि इरोजन को रोकने के लिये और उसको ठीक करने के लिये फोरेस्ट डिपार्टमेंन्ट लेकर उसमें पेड़ आदि लगा कर उस लैंड को प्रोटेक्ट करेगा। इनको एरिया मिल जायगा और गांवों का सोइल इरोजन बचेगा। लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि पांच वर्ष ट्रान्सफर हुए हो गये फोरेस्ट. डिपार्टमेन्ट ने इस बात की चिन्ता तक नहीं की है कि उस एरिया में किसी तरह का फोरेस्ट लगाने की कोशिश की जाय। सभापति महोदय जो 50 गाँव इनके कब्जे में हैं उनमें ट्रैसपासिंग चला आ रहा है और उनकी दशा यह हो रही है कि न तो उनको फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट देखने वाला है और न रेवेन्यू डिपार्टमेंन्ट उनकी परवाह कर रहा है। उसका नतीजा यह है कि जिस मन्शा से इन गांवों को फोरेस्ट डिपार्टमेंन्ट को ट्रान्सफर किया गया था कि किसी तरह से यहां पर वेजिटेबल ग्रो की जाय किसी तरह से पेड़ लगाये जायं जिनकी रूट से सोइल इरोजन कम हो – इन सारी की सारी बातों पर फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के भरोसे छोड़ने से पानी फिर गया है और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है।

सभापति महोदय इन्होंने बताया कि फोरेस्ट डिपार्टमेंन्ट राजस्थान कैनाल के एरिया में सिस्टेमिक वे में फोरेस्ट ग्रो करना चाहता है, वहां पर चार चार हजार स्क्वायर एकड़ के, यह तीन या चार जगह पर फोरेस्ट के एरिया कायम करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मेरे को रिपोर्ट को पढ़ कर ताज्जुब हुआ कि अभी तक हनुमानगढ़ में तीन हजार से कम रकबे में फोरेस्ट लगाने की इन्होंने कोशिश की है और उसमें भी कितना लगा है या कितना नहीं लगा है। इसका अन्दाज यही बैटर लगा सकते हैं, इन्होंने उस एरिया में जमीन एक्वायर करने की कोशिश की थी लेकिन फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को कितनी जमीन उपलब्ध हुई और कितने एरिया में इन्होंने वन लगाने की कोशिश की। इसकी चिन्ता नहीं है। जैसे प्लानिंग में तय हो चुका है, इतना रकबा ट्रान्सफर होना चाहिये। उसके लिये कहते हैं कि हमें ट्रान्सफर हो जाय तो हम काम करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी की तरफ जागरूक नहीं है, इनकी मन्शा नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि आज जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर लोगों में जमीन की भूख बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए मैं यह डाउट करता हूं

Page No 108

(श्री जुझारसिंह)
कि प्लानिंग के मांफिक जो एरिया राजस्थान कैनाल में इनको उपलब्ध होना है वह हो भी सकें या नहीं । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है ।

रेगिस्तान में विन्ड ब्रेकिंग के लिये भी प्लान्टेशन करने की योजना है व एवेन्यूज से जो फोरेस्ट एरिया बनाने की बातें थी, उसमें भी यह कुछ नहीं कर पाये हैं ।

(2 म. प.)

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जो फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट का स्टाफ है उसमें पिछले बाइस वर्षों में बहुत ज्यादा तादाद बढ़ी है, बतौर आंकड़ें मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जिस वक्त में राजस्थान का आर्गेनाइजेशन हुआ इंटिग्रेशन हुआ उस वक्त में फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट की स्ट्रेन्थ थी वह सभापति महोदय, इस प्रकार थी – सी. सी. एफ. उस वक्त एक था, आज भी एक है । इन्टेग्रेशन के टाइम पर सी. एफ. दो थे, उसके मुकाबले में आज छः हैं, उस वक्त डी. सी. एफ. 14 थे उनकी जगह आज 25 हैं। ए. जी. एफ. उस वक्त बिल्कुल नहीं थे लेकिन आज 29 हैं । इस प्रकार सीनियर आफिसर्स की तादाद उस वक्त, सभापति महोदय, 17 थी, लेकिन उसकी जगह आज 61 है । उसके मुकाबले में दूसरे आफिसर्स हैं, उनमें इन्टेग्रेशन के टाइम पर रेन्जर्स 88 थे, उनकी जगह पर आज 153 हैं । डिप्टी रेन्जर्स उस समय 23 थे, उनकी जगह पर आज 42 हैं, फोरेस्टर उस वक्त 331 थे, उनकी जगह पर आज 412 हैं । इसके मुकाबले असिस्टेन्ट फोरेस्टर उस वक्त 486 थे वे आज 90 रह गये है और फोरेस्ट गार्ड जो थे उनकी संख्या 1780 से घट कर अब 1751 हो गई है । यह फिगर्स मैंने इसलिये बताये है कि जो लोअर स्टाफ है जिसकी-फोरेस्ट को गार्ड करने की प्राइमरी रेस्पोसिबिलिटी है, फोरेस्ट में किसी तरह के ट्रेसपासिंग को, किसी तरह की चोरी और दूसरी बातों को रोकने के लिये मौके के आदमी हैं, मुतवातिर बाईस वर्षों के अन्दर इनका एस्टेब्लिशमेन्ट पर खर्च बढ़ते हुए भी उसमें कमी की जा रही है और जो सीनियर स्टाफ है, जो कुर्सी पर बैठते हैं और जो दफ्तर में बैठे बैठे फोरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं उनकी संख्या बढ़ाई है । इस साल टोटल बजट 85 लाख का है उसमें से 80 लाख रुपया एस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है, वह भी इस तरह से जिसके बारे में मैंने निवेदन किया है कि उसमें से ज्यादातर लोगबाग सीनियर आफिसर हैं और जो फोरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला स्टाफ है वह बहुत कम है । सभापति महोदय, क्योंकि आपने घंटी बजा दी है इसलिये मैं मेरे क्षेत्र की कुछ समस्यायें निवेदन करूंगा ।

सभापति महोदय, वन को बिगाड़ने की जिम्मेदारी ज्यादातर उन आदमियों पर है जो फोरेस्ट के जिम्मेदार और डाइरेक्शन देने वाले लोग माने जाते है । इस विषय में वन मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि आपके डिप्टी मिनिस्टर साहब के बढ़ावे पर, इनके इशारे पर हमारे इलाके में पिछले साल गांगरोन की पंचायत की एक बीड़ की कालिया खाल का ठेका दिया गया । सभापति महोदय, लोकल पंचायत ने 1268 में वह ठेका 1968 में ले लिया और पैसा जमा करवा

(श्री जुझारसिंह)

दिया, फाइनल कान्ट्रेक्ट सी. एफ. कर सकता है, लेकिन हमारे सी. एफ. को डिप्टी मिनिस्टर का आदेश हुआ कि इस फोरेस्ट का ठेका जो लोकल पंचायत को दिया जा रहा है वह इनको नहीं दिया जाय और मेरी जाति के जो मेरे लोग हैं उनके पशुओं की चराई के लिये यह रखा जाय, इनके मवेशी वहां पर चरेंगे। इसलिये आप इसको फाइनलाइज न करें और कागज जयपुर भेज दें। इस प्रकार वह फाइनेलाइज करवाया गया इन उपमंत्री जी के कहने पर। वह ठेका कम्प्लीट हो चुका था, परन्तु फाइनलाइज नहीं हुआ। पिड़ावा के मवेशी, पिड़ावा के लोग जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और गांगरोल पंचायत कोटा डिस्ट्रिक्ट में है, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में है, उस गांगरोल की पंचायत ने उस ठेके को लिया था, लेकिन उस पंचायत को वह ठेका नहीं दिया गया और पिड़ावा, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से आकर वहां पर मवेशी चराने की व्यवस्था थोप दी गई ऊपर से। इसका बहुत दिनों तक झगड़ा चलता रहा है। मैंने मंत्री महोदय को दो चार बार कागज लिखे, वह कभी आर्डर कर देते थे कि यहां से पिड़ावा के मवेशियों को निकाल दिया जाय, कभी लिखते थे पंचायत के नाम ठेका फाइनलाइज हो गया है, यह उनको दे दिया जाय, लेकिन कभी फिर दवाव आता था कि आर्डर कैंसिल कर दिये गये हैं और फिर तीसरा दवाव आता तो ठेका सही लोगों को देने का आर्डर कर देते थे। सभापति महोदय, इस डिपार्टमेन्ट की यह हालत है कि एक आदमी, जिसकी जिम्मेदारी इस सारे काम को सुचारु रूप से चलाने की है (समय-समाप्ति सूचक घंटी) जिनके लिये क आपको विदित है कि राज्य बनाने के चक्कर में, न मालूम कहां से जाकर कहां बैठ गये, जन्म पत्री में जोग था उनको कुर्सी मिलने का, उस पर बैठ कर वन सम्पदा को नष्ट करवाते हैं। तो इन लोगों ने इस तरह से जंगल में खराबियां करवाई हैं।

सभापति महोदय, इसी तरह से (समय-समाप्ति-सूचक घटी) झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में फीडट्रायल रेंज हैं वहां पर ढाई सौ बीघा जमीन पर लोगों ने ट्रेसपासिंग किया हुआ है, कुछ लोगों ने जंगल की भूमि पर ट्रेसपासिंग किया हुआ है लेकिन ऊपर से किन्हीं के इशारे पर उनको इजेक्ट नहीं किया जाता है। इस तरह लोग कब्जा किये हुए बैठे हैं जमीन पर, उससे फोरेस्ट की आमदनी नहीं हो रही है। फोरेस्ट के लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उप वन मंत्री के मिलने वाले हैं वह कब्जा कर रहे हैं। इस तरह जो कोगुन्दा घनवाद...

श्री नारायण सिंह: कौनसा नाम बताया?

श्री जुझारसिंह: कोगुन्दा घनवाद व फीड ट्रायल रेंज झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में।

सभापति महोदय, कब उप वन मंत्री से संबंधित प्रश्न आया था तब जानकारी मिली कि आप लाबी में तशरीफ रखे हुए थे और सो रहे थे वे इस असेम्बली में इनके बावत प्रश्न पूछे जाते हैं और ये लाबी में आराम फरमाते है। इस प्रकार छोटी मोटी जमीन पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही करके, दोषी व्यक्ति के खिलाफ फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट द्वारा एक्शन न लेने देकर जो पावर का मिस यूज करके आप फोरेस्ट की सम्पदा को बिगाड़ने की हरकत करते हैं ....

श्री सभापति: समय समाप्त हुआ, माननीय सदस्य!

श्री जुझारसिंह : आपने टाइम दिया इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे कहना तो और भी था लेकिन टाइम सीमित है इसलिये मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री ती. के. चौधरी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमारा भी नम्बर नहीं आया।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मेरा जो कट मोशन है वह खास करके जयपुर जिले में जो लगान की दर है, लैण्ड रेवेन्यू रेट है वह काफी ज्यादा है उसके संबंधन में है ....

(श्री पूनमचन्द्र विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में जो लगान की रेट है वह बारानी जमीन पर दो रुपये, ढाई रुपये से साढ़े तीन रुपये तक है और चाही जमीन है, जिसकी कुएं से सिंचाई होती है उसकी लगान की दर ग्यारह रुपये से बाईस तेईस रुपये तक है। इस बात से हमारे राजस्व मंत्री जी भली भांति परिचित हैं क्योंकि उनकी जो खुद की कान्स्टीयूएन्सी है उस इलाके में सत्ताईस रुपये चाही की एक बीघा की रेट है। मैं इस संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन का, मंत्री महोदय का ध्यान, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पच्चीस तारीख को गंगानगर के लगान के संबंध में वक्तव्य दिया था, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें गंगानगर में बारानी जमीन की तो पच्चीस पर्सेन्ट लगान की दर बढ़ाई है और चाही जमीन, जहां पैरेनियल ईरिगेशन होता है, उसकी लगान दर साढ़े बारह पर्सेन्ट मौजूदा रेट से बढाई है, नान पैरीनियल लैन्ड जो है जहां पर सिर्फ छः महीने पानी दिया जाता है उस पर किसी प्रकार की लगान की दर नहीं बढाई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गंगानगर में जो लगान की दर है वह बारानी की दर है, वह जैसा कि स्टेटमेन्ट में इशारा किया है, उससे मालूम होता है कि बारानी की पच्चीस पर्सेन्ट रेट बढाई है, वह आठ पैसे से 19 पैसे की है। इसका मतलब यह होता है कि गंगानगर में बारानी भूमि है उसकी लगान की दर है वह 32 पैसे से 78 पैसे पड़ती है और चाही जमीन है उसकी साढ़े बारह पर्सेन्ट होती है यानि बारह पैसे से 25 पैसे तो इसका मतलब होता है कि चाही जमीन की लगान में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर नहरी जमीन में जो बारानी से नहरी बनती है 1.58 से 1.69 तक वृद्धि हुई है। इस प्रकार जयपुर जिले में और गंगानगर जिले में अन्तर क्यों? जयपुर जिला ही क्यों कहूं जयपुर डिवीजन में चाहे झुंझुनू, चाहे सीकर चाहे भरतपुर या उदयपुर डिवीजन लिया जाय, सब जगह लगान के इस प्रकार के दर है। नहरी जमीन की दर दो ढाई रुपये की हुई और बारानी जमीन भी फी बीघा जमीन दो ढाई रुपये। आज गंगानगर में एक व्यक्ति को मान लीजिये 50 बीघा जमीन है चाही की, उस पर सरचार्ज नहीं होता है लेकिन हमारे यहां किसी की 5 बीघा चाही जमीन हो तो सरचार्ज देना पड़ता है। यह असमानता और व्यवधान लाना चाहिये या नहीं, उसके लिये मैं कोई दलील नहीं देता इससे बेहतर समझता हूं कि वित्त मंत्री ने जो स्टेटमेन्ट दिया है, उसके प्रीएम्बुल

(श्री पी. के. चौधरी)

की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। वित्त मंत्री ने प्रीएम्बुल में कहा है :

"We have given serious consideration to these demands and have also examined their impact on different sectors of the people in that district as well as in the entire State,"

"Hon,members would bear with me that even though problems of each district are peculiar according to its local conditions, yet they can-not be consideredin isolation,.

याने सारे स्टेट का कहा र। अलग अलग डिस्ट्रिक्टस एण्ड रलोकल कन्डीशन्स, even then they cannot be considered in isolation.

किसी का आइसोलेशन से विचार नहीं किया जा सकता। सारी स्टेट का हो सकता है। गंगानगर को जो रियायतें दी जाती हैं, उससे हम भी वंचित नहीं हो सकते ....

श्री रामचन्द्र आर्य : लड़ाई करो, तब मिलेगा। लड़ाई बगैर नहीं मिलेगा।

श्री पी. के. चौधरी : इस प्रकार जो व्यवधान है, वह नहीं रहना चाहिये। पिछली विधान सभा में जब मैं था तो इस बात को उठाया था कि लगान की दर सारे राजस्थान में एक जैसी हो, समान हो। लोग यह नहीं समझें कि लगान की दर देते हैं, दूसरी जगह उससे कम है या ज्यादा है। शुरू शुरू में यह बात आई थी कि क्योंकि राजस्थान 26 रजवाड़ों से एक होकर बना है इसलिये समानीकरण होने में समय लगेगा लेकिन सरकार को आज एक यूनीफाइड पालिसी लेकर चलना है। प्रोडक्टिवटी के हिसाब से लगान की दर होती है और वित्त मंत्री ने कहा है कि यह जो लगान की दर उन्होंने तय की है गंगानगर के लिये, उसके लिये उन्होंने कहा है :

"The present prices have registered an incrtease ranging 3-4 times. However, as I have referred above the State Government is primarily concerned with the welfare of the peasantry and, therefore, a graduated increase in rent rates which does not make the burden unbearable for them, has been evolved and it has been decided that both for Gang and Bhakra Canal areas the rent rates may be revised as follows...."

याने गंगानगर नहरी जमीन के लिये जो रेट रखी है, जो नहरी जमीन पर काश्त करता है, वह अन्बीयरेबिल न हो। बारानी जमीन में जब पेरीनियल इर्रिगेशन हो जायगी तो बारानी का 25 प्रतिशत एक डेढ़ रुपया लगान चाही में पड़ती है। 8), 9), 11) किया था उस पर आन्दोलन हुआ था। हमारे क्षेत्र में 22) चाही के देते ह। नहरी जमीन की पिलाई करना आसान होता है, मेहनत नहीं होती है लेकिन यदि चाही जमीन की पिलाई करना चाहें तो सुबह से शाम तक, चांदनी रात हो तो रात भर चरस चलता है। आज बिजली के लिये राजस्व मंत्री जानते है कि सर्दी के समय नवम्बर और दिसम्बर में रात को पिलाई करनी पड़ती है क्योंकि दिन में वोल्टेज नहीं आता है, यहां तो रात को भी पिलाई करते हैं। बिजली पंप से हो, मोटर से हो या चरस से हो, तब जाकर पिलाई होती है, वह पिलाई जैसे नहरी जमीन में होती है ऐसी नहीं होती

Page No 112

(श्री पी. के. चौधरी)

है। कई बार बिजली बन्द हो जाती है, मशीन खराब हो जाती है, इंजन खराब हो जाता है, कई प्रकार की घटनायें उनके सामने होती हैं। इसलिये वित्तमंत्री ने कहा है कि आइसोलेशन में किसी जिले को नहीं लिया जा सकता लेकिन आइसोलेशन से किसी जिले को प्रिफरेंस नहीं दिया जा सकता। आज जो लगान का रेट है वह डिस्क्रिमिनेटरी है, वह संविधान के खिलाफ पड़ता है, समानता का हक मिलना चाहिये।

Equal wages, equal imposition of tax on incomes and returns.

आप इन्कम टैक्स लगाते ह, आप नहीं कह सकते कि गंगानगर में किसी की दो लाख की कमाई है, उस पर आय कर कुछ और होगा और जयपुर जिले में या पूर्वी राजस्थान में ज्यादा इन्कम टैक्स होता है, उसका टैक्स कुछ और होगा। यह नहीं हो सकता है, वह डिसक्रिमिनेटरी होता है। वित्त मंत्री ने इसलिये इस बात का संकेत दिया है, वह भी जैसा होना चाहिये वैसा नहीं है :

"The Government has decided that in areas to be settled in futures also, the increase in rent rates in respect of the Barani lands shall not exceed 25 percent of the rent rates in force. Cases of individual tehsils where the current rent rates are on higher side will be examined on merits for either freezing the existing rent rates or lowering them at the time of revision settlement. Rent rates sanctioed by the Government during last one year shall also be revised in light of the above decision."

याने एक साल के अन्दर अन्दर जिनका सेटिलमेन्ट हुआ है, उनकी लैन्ड रेट रिवाइज करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे और जिनकी नजदीक में होने वाली है एसेसमेन्ट लेकिन हमारे जिले में मुश्किल से दो तीन तहसीलें हैं जहां साल भर के अन्दर अन्दर बाकी है। 14-15 तहसीलें रह जाती हैं जहां 5-5 सालों का एसेसमेंट बाकी है। ईवेंट्स आर मूविंग फास्ट लोगों को पेशन्स नहीं है कि वह 5 साल तक इन्तजार करेंगे। आपका जो डिक्लेरेशन है वह पर्याप्त नहीं है। आप कहेंगे कि ऐसा कर दिया, सबका लगान दर समान कर दिया, तो इतना रेवेन्यू कम हो जायगा। रेवेन्यू कम हो जायगा यह सही है या तो सब जगह बढ़ा दो, हमारी चाही का इतना रेट लो फिर नहरी जमीन से उस हिसाब से लिया जाय। आज हम टैक्सेज देते हैं, सेल्स टक्स देते है सबसे ज्यादा टैक्सेज जयपुर जिला देता है। जयपुर जिला पूरे राजस्थान का ⅓ हिस्सा मनोरंजन कर देता है, सेल्स टैक्स ⅓, एक्साइज ड्यूटी ⅓। जो जो डवलपमेंन्टस हो रहे है, जो कर्जा दे रहे हैं, उसका ⅓ चकारा हम करते हैं। तो हमारे यहां डवलपमेन्ट दूसरों से कम क्यों ? यह अनइल व डिस्क्रिमिनेटरी है, यह नहीं होना चाहिये और लोग महसूस करते ह उनको पिंच करता है। किसान हम से पूछता है कि नहरी जमीन के 3) रुपये यह कौन सी समानता है ? कहां की समानता, कहां का समाजवाद, नहरी जमीन का 3) लगान और चाही की 22) व 24) रुपये होती है ? मैं बताना चाहता हूं कि घटनाचक्र तेजी से चल रहा है, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं करें ......

श्री दौलतराम सारण : नोटिस दो सत्याग्रह का कि यह अन्याय बन्द करो ।

श्री पी. के. चौधरी : मुख्य मंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिये । गंगानगर ही नहीं सारे राजस्थान की स्थिति यह है । उदयपुर डिवीजन में भी लगान का रेट इस प्रकार है ।

पूरे जयपुर डिवीजन में इतना है । गांव वाले पूछते हैं कि नहरी जमीन मे क्या है । हमने कौनसा गुनाह किया है ? क्यों 8) रु. और 12) वसूल होता है । पहले कहा जाता था कि इस समय इन्टीग्रेशन हुआ है इसलिये यह नहीं किया जा सकता । अब तो बाईस साल के बाद भी यह दलील नहीं चलेगी कि अलग अलग डिवीजन में अलग अलग रेट्स हों । इसलिये मैं फिर पुरजोर शब्दों में कहूंगा कि लैण्ड रेवेन्यू का रेशनेलाइजेशन किया जाना चाहिये । दूसरों से कम ले और हम से ज्यादा ले यह अब लोग बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं ।

उसके बाद दूसरा अमेण्डमट है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका ध्यान समय की तरफ थोड़ा सा आकर्षित कर दूं ।

श्री पी. के. चौधरी : दो तीन मिनिट ।

राज्यपाल महोदय की घोषणा जो उन्होंने अपने अभिभाषण में की थी उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । उसमें यह था कि राजस्थान में जो लैण्डलैस हैं, उनको आबादी में भूमि दी जावेगी । राज्यपाल के अभिभाषण पर भी मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि इसके लिये बजट में प्रावधान करना पड़ेगा । रेवेन्यू का बजट देख लिया और दूसरा देख लिया । किसी जगह पर आबादी के लिये जमीन देने के लिये, क्योंकि गांव आसपास बसे हैं, न तो सिवाय चक की भूमि है, उनको आबादी में भूमि देना है तो मुआवजा देकर एक्वायर करना पड़ेगा ।

श्री दौलतराम सारण : क्या आपको यह आशा है कि जो घोषणाएं यहां होती है वे पूरी होंगी ?

श्री पी. के. चौधरी : हम करना चाहते हैं पूरी ।

श्री नत्थूसिंह : यह तो मानते हैं कि नहीं होती है पूरी ?

श्री पी. के. चौधरी : होती है, पर डिले होती है । हम मानते हैं कि डिले नहीं होनी चाहिये । डिले का ला बना है । Law of Delay. Delay defeats the purpose. अभी कोई चीज नहीं करना चाहते है Justice delayed is justice denied.

इस प्रकार से जो चीज करना चाहते हैं उसमें डिले होती है उसका परपज डिफीट हो जाता है । इसके लिये बजट में प्रावधान करना चाहिये । आबादी में जमीन देने के लिये एक्वायर करके दी जाय उसके लिये कोई प्रावधान करने से उसको हम समाजवाद की तरफ बहुत बड़ा कदम समझते हैं । मामूली बात नहीं है कि राजस्थान के एक-एक निवासी को रहने के प्लाट के बगैर नहीं रहने देंगे । यह छोटी बात नहीं है । बड़ी बात है । इससे समाजवाद का एक ध्येय

Page No 114

(श्री पी. के. चौधरी)

पूरा होता है । जी. ए. डी., रेवेन्यू, पंचायत का भी हमने बजट देखा । कहीं भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है । रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक आपने 12।। लाख का खर्चा रखा है । नोन प्लान में 8.18 लाख और प्लान में 4.32 लाख । डिटेल्स नहीं दिये हैं कि किस परपज के लिये रखा है । या तो राजस्व मंत्रीजी कहें कि यह 12।। लाख रुपया भूमि अलाटमेंट के लिये रखा है या किसी के लिये रखा है । एक्सप्लेनेशन में डिटेल्स आनी चाहिये । बजट पेश करते हैं तो हर हैड में डिटेल्स आनी चाहिये । और जिस परपज के लिये यह खर्चा होता है वह भी होना चाहिये । यह 12।। लाख रुपया प्लाट्स देने के लिये रखा है या भूमिहीनों को आबादी में भूमि देने के लिये रखा है ? बजट में डिटेल्स में रखना चाहिये था । न तो बजट में यह है और न ही एक्सप्लेनेटरी नोट्स में है और न ही वित्त मंत्री के भाषण में है । आबादी में भूमि देने क लिये सरकार ने घोषणा की । उसके लिये प्रावधान रखा । एक महीना हो गया । सरकार ने क्या कदम उठाये है उसको अमल में लाने के लिये उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक मिनिट में कह देता हूं । वह यह है कि दस साल के बाद भी खातेदारी हकूक जमीन अलॉट होने के बाद भी नहीं मिलते । अनओक्यूपेशन को तो लीगलाइज कर दिया, रेग्यूलराइज कर दिया । कायदे से जिनको जमीन अलॉट की उनको 12 साल तक भी खातेदारी नहीं दी—उसका क्या कारण है ? एक फसल जमीन से ले ली उसके बाद ही खातेदारी मिलनी चाहिये ।

दूसरी बात, सीलिंग कानून के इम्प्लीमेन्टेशन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृजवल्लभ बोहरा ।

श्री वृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री का वनों में होने वाले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तथा वनों की दुर्दशा के लिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्षजी, जब हमें आजादी मिली थी और सबसे पहले संयुक्त राजस्थान बना था, उसकी स्थापना हुई थी तो उस समय किसानों को बहुत रियायतें दी गयीं थीं । वनों से यह रियायतें दी गयी थीं कि किसानों को अपने हल के लिये, औजारों के लिये और बाड़ आदि के लिये किसानों से लकड़ी मिलती रहेगी । लेकिन जब से उदयपुर वाला राजस्थान खत्म हुआ और यह जयपुर वाला राजस्थान बना तब ही से वे सब सुविधायें खत्म हो गयीं । किसानों को लकड़ी मिलना तो दूर रहा इतना भ्रष्टाचार हो गया कि जो बीच के आदमी हैं व्यापारी लोग हैं वे फोरेस्टरों से और नाकेदारों से मिल कर लकड़ी ले आते हैं और डी. एफ. ओ. तक इसमें मिले हुए हैं । किसान हल के लिये और अन्य औजारों के लिये उससे महरूम रहता है । श्रीमान्जी, जब जब किसान को जरूरत होती थी तो सरकार अपने कूप

(श्री बृजवल्लभ वोहरा)

खोला करती थी। लेकिन तीन चार साल से उन्होंने बराये नाम कूप खोलना रखा है। उनकी आड़ में व्यापारी लोग जंगलों के कर्मचारियों से मिल कर लकड़ी की चोरी करते हैं। किसान को एक रुपये की लकड़ी के दस रुपये देने पड़ते हैं। रोयल्टी वाजिब बंधी हुई है उसके होते हुए भी लकड़ी नहीं मिलती और जो लोग लकड़ी की चोरी करके लाते हैं तो एक एक गाड़ी का 40-40 रुपया देना पड़ता है। कांटेदार बाड़ के लिए, बाड़, झाड़ी वगैरह का मिलना इतना दुश्वार हो गया है, कि, श्रीमानजी, आपसे निवेदन करूं कि नये जगल नहीं लगाये हैं सरकार ने। कोटा डिवीजन में 70 प्रतिशत खेती की जमीन है और 30 प्रतिशत जंगल हैं। इन जंगलों से जब से लकड़ी काटना शुरू किया है सारे जंगल बरबाद हो गये हैं। रात में चोरी करके लकड़ी ले जाते हैं। ठेकेदार उन सरकारी नौकरों से, डी. एफ. ओ, रेन्जर वगैरह से मिले हुए हैं, कूप के नाम पर लकड़ी की चोरी करके, बाजार में बेचते हैं। किसान कहता है तो कहते हैं कि ठेकेदार के पास दूर के जंगल से लकड़ी आयी है। इसलिये किसान जो कड़ब के टुकड़े होते हैं उनको जला कर खाना प्राप्त करते हैं अन्न पैदा करने वाले गोबर को भी वे जला देते हैं। यहां नये जंगल लगाने की बात थी तो चम्बल की घाटी में थोड़े नये पौधे लगाये हैं लेकिन नये जंगल नहीं लगाये हैं। मवेशी चराई के लिये जाती हैं तो उनके जरिये से भ्रष्टाचार करते हैं। उन मवेशी वालों से पैसा खा कर जानवरों को चराने की स्वीकृति दे देते हैं। इस दृष्टि से वे जंगल बरबाद हो रहे हैं।

गेम्स सेंचुअरी बनी हुई है। जंगली जानवर उनमें रहते हैं। जो लोग पालते हैं वे क्या करते हैं कि आसपास के किसानों की फसल को बरबाद कर देते हैं।

बेचारे किसान रात दिन कड़ा के की सर्दी में रात-दिन अपने खेतों में बैठे रहते हैं और अपनी फसलों की रखवाली करते हैं लेकिन वहां जो वार्डन है विशनचन्द वह इन किसानों पर जला हुआ है और इनको तंग करता है। इसी विशनचन्द ने अभी पिछले दिनों एक मुसलमान को इतना पीटा कि उसने दो दिनों तक खाना ही नहीं खाया। इस तरह से वहां पर कार्यवाही हो रही है और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये जंगली जानवर काश्तकारों की फसलों को बरबाद कर रहे हैं। दामोदरपुरा, लक्ष्मीपुरा आदि गांव है जहां के लोगों को इसी तरह से तंग कर रखा है। उनको यह कहा जाता है कि तुम गांव छोड़ कर चले जाओ, तुम्हारी फसलें बर्बाद कर दी जावेंगी, तुम्हारे मकानों को उखाड़ दिया जायेगा। इन लोगों ने जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिये टी बाक्स बना रखे हैं और उनकी आड़ से अपने जीवन को बचा रहे हैं। फिर भी जंगली जानवर जो नुकसान कर रहे हैं, उससे ये किसान बर्बाद हो रहे हैं। और दूसरे लोग नाजायज तरह से फायदा उठा रहे हैं।

इसके अलावा राजस्व के ऊपर भी मैं अर्ज करना चाहूंगा। राजस्व में भी यह हो रहा है। वहां भी भ्रष्टाचार वन विभाग जैसा ही है। पटवारी लोग जो नौतोड़ जमीन होती है उसको तो पहले दबा रखते हैं और

(श्री वृजवल्लभ बोहरा)

जो तीन-चार साल से उस पर काबिज है, उनकी फसल पकने के समय उनको परेशान करते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं। खातेदारी राइट्स प्राप्त करने के लिये या उसको रेगुलराइज करने के लिये जब से पटवारी वे नकलें मांगते हैं तो उनसे पटवारी 100) 200) रुपये की रिश्वत लेते हैं। इसके लिये उनको बार बार कहना पड़ता है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती है।

इसके अलावा लगान पर भी मैं कहना चाहता हूं। लगान के साथ साथ ही जो सरचार्ज है वह अधिक बढ़ाया हुआ है। अगर उसको लगान के साथ मिला दिया जाये तो अच्छा हो। लगान पहले ही ज्यादा है और दोनों को मिला कर किसानों के लिये यह भारी पड़ जाता है। इसलिये किसानों को लगान और सरचार्ज की दुविधा में पटवारी लोग तंग करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त किसानों के साथ और भी अन्याय होते हैं। किसी की जमीन को कहीं और दर्ज कर दिया जाता है और फिर वे किसान पटवारी के चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिये इसमें भी सुधार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : महारानी श्रीमती शिवकुमारी।

महारानी श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर) : उपाध्याय महोदय, अनादिकाल से प्रकृति और प्राणी का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। इसी तरह से आधुनिक युग में भी साइन्टिफिक आधार पर और युग की जरूरत को देखते हुए वनों का महत्व कम नहीं है। इनका अपना विशिष्ट स्थान है। इनकी अपनी-अपनी उपयोगिताएं हैं। इसी फिलासफी के आधार पर हमारे देश में भी पुराने जमाने से रिजर्व फोरेस्ट के नाम से जंगल को जगह-जगह सुरक्षित रखा गया था। इसके साथ ही जंगली जानवरों की सुरक्षा का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। केवल आथोराइज्ड व्यक्तियों को ही इनका शिकार करने का अधिकार था और साथ ही इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता था। आफ सीजन में इनका शिकार न किया जाये—इस बात के आदेश थे। इस तरह के हमारी तराइयों में आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में भी कई बड़े बड़े जंगल थे। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि जब से शासन की बागडोर, सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई है हमारे इन जंगलों को बुरी तरह से काटना प्रारंभ कर दिया गया है और जंगलों को तहस-नहस कर दिया गया है। वन्य पशुओं को भी नष्ट कर दिया गया है। राष्ट्रीय पशु-पक्षियों की विभिन्न जातियों के विलुप्त होने की आशंका देख कर, उससे चिन्तित होकर, उनको पूरी तरह से संरक्षण में लिया जाये इसके लिये हिन्दुस्तान में जगह जगह गेम सैंचुअरी के नाम से या नेशनल पार्क के नाम से इन वनों को सुरक्षित रखे जाने का तय हुआ और जहां जहां भी जानवर बचे हुए थे वहां वहां गेम सैंचुअरी कायम की गई। हमारे राजस्थान में भी इसी तरह से गेम सैंचुअरी बनाई गई, जैसे, सवाई-माधोपुर, कोटा में डग, धौलपुर, भरतपुर आदि आदि। और इसके लिये राजस्थान वाइल्ड लाइफ प्रीजर्वेशन बोर्ड की स्थापना की गई और उसमें इसके अन्तर्गत स्टाफ की नियुक्ति की गई। जहां तक मेरी जानकारी है जानवरों के प्रोटेक्शन के लिये ऐसे नियम भी बनाये गये थे जिनमें यह तय हुआ था

(महारानी श्रीमती शिवकुमारी)

कि जिस एरिया में गेम सैंचुअरी है वहां पर जगल नहीं काटेंगे, घास नहीं काटेंगे, मवेशियों को बाहर से लाकर नहीं चराया जायेगा, नये गांवों को नहीं बसाया जायेगा और किसी को नई जमीनें नहीं फोड़ने दी जावेंगी। परन्तु यह सब कागजों तक ही मेरे ख्याल से सीमित है। देखा यह जाता है कि जंगलों की धड़ाधड़ कटाई की जा रही है, घास काटा जा रहा है और नये नये काश्तकारों को बसाया जा रहा है। सैंकड़ों की तादाद में अधिकारियों और मंत्रियों की मवेशी वहां पर चराई जाती है और मिनिस्टरों के मेकेनाइज्ड फार्म वहां होते हैं। जंगलों को धड़ाधड़ काटा जा रहा है और किसी न किसी तरह से फार्म बनाया जा रहा है और इस तरह से गांव वाले भी जानवरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। उनकी कोई सिक्यो-रिटी नहीं है, लकड़ी आने जाने के लिये गाड़ियां दौड़ती रहती हैं जिससे पोचिंग होता है जिसको रोकना आवश्यक है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो एरिया जानवरों के लिये सुरक्षित था, जो जानवरों की रक्षा के लिये रखा गया था उसकी कटाई करायी जाये। और भी कई जंगल हैं, जिनसे आप लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। कोयले के लिये मैं समझती हूं गैमसैंचु अरी की लकड़ी काटने की आवश्यकता नहीं है। इस पर सरकार ध्यान दे-यह मैं चाहूंगी जो नियम है उनका ठीक ठीक से पालन करे और जो इनको तोड़े उनको कठोरता के साथ सजा दे।

फोरेस्ट गार्ड लालच में आकर, धमकी में आकर खुद आगे होकर जानवरों का शिकार करवाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी, मिनिस्टरों के लड़के पोचिंग किया करते हैं। आज आप कितने ही सांभर और चीते की कीमतन खाल प्राप्त कर सकते हैं। यह बड़े शर्म की बात है। कानून के बनने के बाद भी कानून की पाबन्दी नहीं होती। रक्षक ही भक्षक बन जायेंगे, तो उनकी रखवाली कौन करेगा?

इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि बोर्ड के अधिकारियों को कुछ स्पेशल अधिकार देने चाहिये ताकि जो इस प्रकार से पोचिंग करे उनको पकड़ा जाय और उनके खिलाफ नियमित रूप से कार्यवाही की जाय। होता क्या है कि अगर किसी का चालान भी हो जाय तो वह आगे चलता नहीं, उसको किसी तरह से छोड़ दिया जाता है। मुकदमा दायर हो जाता है तो उसको हस-अप कर दिया जाता है या मिनिस्टर या अधिकारियों की सिफारिश पहुंच जाती है।

इसी तरह से जिनके हाथ में गेम सैन्चुअरी की हिफाजत सौंपी हुई है, वे खुद सैन्चुअरी में शिकार करवाते हैं। इस तरह से जंगलों में पोचिंग होता है। गैम वार्डन के रिश्तेदार ऐसे ऐसे जानवरों को मार देते हैं जिनकी सुरक्षा का कानूनन अधिकार है। ऐसे अलभ्य जानवरों को मार देते हैं उनका क्रय विक्रय होता है। दुःख की बात यह है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

इसी तरह से ऐसे पक्षियों की जैसे तीतर, बटेर, की भी दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। आफ सीजन का भी ख्याल नहीं किया जाता है। तीतर का गोश्त खाने वाले जो सदस्य मौजूद हैं वे चाहे तो

(महारानी श्रीमती शिवकुमारी)

जयपुर में सैंकड़ों की संख्या में तीतर को प्राप्त कर सकते हैं। आप सैंकड़ों आदमियों के लिये तीतर की मांग करेंगे तो भी वह मिल जायगा। दूसरी तरफ लोगों के पास जंगल में बन्द तीतर भी सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे। मैंने स्वयं ने इस प्रकार के पक्षियों का शिकार करते हुए लोगों को पकड़वाया है, वार्डन के सुपुर्द करवाया है। न उनका चालान हुआ, न उन पर एक्शन लिया गया।

इसी प्रकार से मछलियों को पकड़ने के लिये सर्टेन नदियों का ठेका दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन चोरी से लोग सभी जगह जाल डाल डाल कर मछलियां पकड़ लेते हैं। मैंने खुद ने देखा है डायनामाइट से उनको उड़ा दिया जाता है। इस तरह से सैकड़ों की संख्या में बरबाद हो जाती है। इस तरह से अलाऊ नहीं किया जाना चाहिये। मैंने इस मामले में कई आदमियों को पकड़वा कर अधिकारियों के पास भेजा है लेकिन आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इसी तरह से बतखें, सारस और माइग्रेटरी बर्डस होती हैं उनका भी खुल्लमखुल्ला पोचिंग होता है। खास तौर से शेर और तेन्दुए जिनकी संख्या अभी तक राजस्थान में ज्यादा मिल सकती है इनको वास्तव में प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिये। शिकार पर आने वाले चूहे मारने वाली दवा लगा कर पशुओं को उनके सामने भेजते हैं इससे वे मर जाते हैं और उनके चमड़े को ज्यादा कीमत में बेचा जाता है। क्योंकि इस प्रकार के चमड़े की मांग विदेशों में फैशन के लिये बहुत ज्यादा है, इनकी खाल दो तीन हजार रुपये में बिकती है। इस तरह से राजस्थान में और हिन्दुस्तान में शेर और तैन्दुओं को खत्म किया जाता है। आप को विश्वास नहीं हो तो आप जाकर यहां के बाजार में देख सकते हैं जहां चमड़ा बिकता है। वहां इनके चमड़े अधिक संख्या में मिलेंगे।

इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जंगली जानवरों का खुले आम शिकार किया जाता है। इस तरह से जानवरों के प्रति यह इन-ह्यूमैनिटी का काम है।

अब मैं ज़ूज के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। ज़्यूज में जो जंगली जानवर रखे जाते हैं उनको जंगल से पकड़ पकड़ कर लाया जाता है जिसको मैं क्रुएलिटी और इन-ह्यूमैनिटी मानती हूं। अगर आपको ज़्यूज में जानवरों को रखना ही है तो सरकस वाले जैसे बच्चे जानवर लाते हैं उसी प्रकार से आपको भी बच्चे शेर और तैन्दुओं को ज़ू में रखना चाहिये। लेकिन हम यह देखते हैं कि ग्रोन-अप टाइगर जंगल से पकड़ कर लाते हैं जो बेचारा सारी जिन्दगी भर पिन्जरे से माथा मार मार कर मर जाते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है इससे अच्छे जानवर बिना मौत के मर जाता है।

इसी तरह की इल्लीगल प्रैक्टिसेज जो चल रही हैं उनको बन्द किया जाय और जो वाइल्ड बीस्ट्स को पालन करने का कानून है उसका सख्ती से पालन किया जाय।

अब मैं जंगलों की हालत के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। जो ठेकेदारों द्वारा जंगलों की कटाई हुई है उसके कारण जंगल बिल्कुल बरबाद हो गये हैं। पहले समय यह होता था कि कटाई का भी एक

(महारानी श्रीमती शिवकुमारी)

वर्किंग प्लान होता था उसके भी कुछ कायदे होते थे। आज उन नियमों की पालना नहीं होने की वजह से जगलों का ह्रास होता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि करप्शन की वजह से मर्जी आवे जितना जंगल काट लिया जाता है। आज कुप्स का जिस प्रकार से अलोटमेंट होता है फेंसिंग न होने की वजह से उससे कहीं अधिक जंगल काट लिया जाता है। अब ठेकेदारी प्रथा को बन्द करके इस काम को डिपार्टमेंट ने अपने कब्जे में लिया है और जंगलों की कटाई डिपार्टमेंट द्वारा होती है उसमें भी नियमों की पालना नहीं होती है। सहकारिता से कटाये जाते थे उनको छोड़ कर आप विभाग द्वारा कटवाने में पैसा बरबाद क्यों करते हैं। आज लकड़ी और कोयले के लिये कूप कटाये जाते हैं। लेकिन लकड़ी और कोयला जनता को मिलना दुश्कर हो गया है। डिपार्टमेंट द्वारा कटाई होने के बाद में तो फिर लकड़ी और कोयले का बाकायदा इन्तजाम होना चाहिये था। डिपोज खोले जाने चाहिये थे। एजेन्सीज कमीशन बेसिस पर होनी चाहिये थी। इसके लिये आपके द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिये थी जिससे शहर वालों को लकड़ी और कोयला बराबर मिलता रहे।

कुछ दिन पहले सवाईमाधोपुर में एक केस हुआ था। डिपार्टमेंटल कटाई हुई परन्तु गांव वालों के लिये लकड़ी का प्रावधान नहीं रखा गया। ठेकेदार पैसा देकर बाहर लकड़ी ले जाने लगा। जिसका नतीजा यह हुआ कि सवाईमाधोपुर के आसपास के गांव वाले जंगलों में घुस गये और जंगल को तहस नहस कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। बयाना के जंगलों की लकड़ी भी इसी तरह आगरा और दिल्ली में जाती है और इस तरह से सारी की सारी लकड़ी बेची जाती है।

एक व्यवस्था है सिरबोझा ले जाने की। इसके अन्तर्गत सिर पर जितनी लकड़ी लाद सकें ले जा सकते हैं। होता क्या है कि औरतें जितनी लकड़ियां काटती हैं एक जगह इकट्ठी कर लेती हैं सड़क के किनारे और जब ठेकेदार का ट्रक आता है उन सब लकड़ियों को लाद कर शहरों में ले जाते हैं और उनको बेचते हैं। इस तरह से जो चोरी होती है उसकी देखरेख आपके फोरेस्ट गार्ड क्यों नहीं करते? उन पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अगर जगलों के काटने का यही हाल रहा तो राजस्थान में जंगल नाम मात्र के रह जायेंगे। पश्चिमी राजस्थान तो रेगिस्तान है ही बाकी का भी यही हाल हो जायगा। वे दिन दूर नहीं सारा राजस्थान डेजर्ट ही डेजर्ट दिखाई देगा। इस तरह की हालत रही तो आने वाला जमाना कभी आपको माफ नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करील।

श्री नाथूलाल करील (जमवारामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो लैन्ड रेवेन्यू की डिमान्डपर बहस चल रही हैउस सिलसिले में दो चार सुझाव मैं भी देना चाहूंगा।

जो 12 मील के एरिया में जयपुर नगरपालिका के क्षेत्र को छोड़कर उसमें जो सिवाय चक की जमीन पड़ी है उसके लिये आपका क्या विचार है? इसे आप लैन्डलैस टीनेन्ट को देना चाहते हैं या रिजर्व में रखना चाहते हैं?

इसके अलावा खातेदारी की जो जमीन 12 मील के रेडियस में है और जहां पंचायती

(श्री नाथूलाल करौल)
एरिया है वहां पर खातेदारों ने अपनी जमीन में मकान बाड़े बना लिये हैं उनको आप रेगुलेराइज करना चाहते हैं या नहीं ? यह भी साफ करने की कृपा करें ।

पुराने जयपुर स्टेट का जो क्षेत्र है, जयपुर सवाई माधोपुर, सीकर, . झुंझुनू आदि इनमें जो कुओं से सिंचित क्षेत्र है उसकी लगान की जो दरें हैं वे नहरी क्षेत्र से भी ज्यादा है । फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह कहा है, तो मैं उनका समर्थन करता हूं इस मामले में और सरकार से निवेदन करता हूं कि इसे कम किया जाय ।. इन जिलों में किसान आम तौर पर लाव चड्स और बैलों से खेती करते हैं उनकी लगान की रेट 11) रुपये से लेकर 20) रुपये बीघा तक है । इन किसानों को इस तरह खेती करने में कितना खर्चा पड़ता है इस पर भी ध्यान दें । इस से लगभग पचास रुपया बीघा खर्चा किसान को आता है ।

श्री मोहनलाल मोदी : सौ रुपया बीघा ।

श्री नाथूलाल करौल : हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह मोदीजी कहते हैं जिन्होंने कभी लाव चडस चलाई नहीं है ।

श्री शम्भूराम पटेल (लालसोट) : हजार पांच सौ रुपया बिजली विभाग में जमा करा दिया, सरकार सुनती नहीं । बैलों की जोडी और कुए पर बिजली दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो वे बोल रहे हैं । आप बीच में कहां से खडे हो गये ।

श्री शम्भूराम पटेल : मुझे मौका तो मिलता नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप टाइम देंगे नहीं, तो थोड़ा सा इन्हीं के टाइम में से टाइम ले लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : देंगे, आपको भी देंगे । इनके बाद आपको देंगे ।

श्री नाथूलाल करौल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, कुए लाव चड्स और बैलों से सिंचाई नहरी सिंचाई से भी काफी मंहगी पड़ती है । इसलिये कहूंगा कि सिंचाई की दरों में तो नहीं पर लैन्ड रेवेन्यू की दरों में पूरे राजस्थान में समानता लाई जाये । हमारे यहां दरें बढ़ी हुई हैं उनको कम किया जाय । यही मेरा निवेदन है । गंगानगर वालों ने आन्दोलन किया था आपने उनको रियायतें दे दीं पर यह तो राज चलाने वालों को सोचना चाहिये कि जहां भी भू-राजस्व ज्यादा है वह कम किया जावे । यह तो हमने देख लिया और सबक भी सीख लिया कि बच्चा रोता है तो मां दूध पिलाती है । बिना रोये वह भी दूध नहीं पिलाती तो गंगानगर वालों की तरह कहीं हमें भी ऐसा न करना पड़े । हम यहां जो कह रहे हैं सरकार इसी को हमारा रोना मानकर यहां की बढ़ी हुई राजस्व की दरों में कमी करे । यह सौतेला व्यवहार भी है जयपुर जिले के साथ ।

मैं फिर राजस्व मंत्री जी से पूछता हू कि चरागाह लैन्ड के लिये आपके क्या विचार है ? इस पर कुछ लोगों ने पांच पांच साल से नाजायज कब्जा कर रखा है । धारा 91 के तहत मामला चलता रहता है कोई फैसला नहीं होता । लोग हड़प करते ही जा रहे हैं । इसके लिये सख्त कदम उठाइये । या तो कब्जा उनसे हटाइये या फिर उनको दे दिवा कर मामला समाप्त करिये ।

(श्री नाथूलाल करील)

लैन्ड लैस रैगर वलाई चमार सांसी कंजरों को तो चरागाह पर कौन कब्जा करने देगा, गांव का जो शक्तिशाली आदमी होगा वही कब्जा करता है। मैंने चरागाह के लिये प्रश्न भी उठाया था। दो साल पहले नीलाम किया ग्राम चीमू का चरागाह जो जमवा रामगढ़ तहसील में है उसकी रकम आजतक वसूल नहीं हुई।

जयपुर से 12 मीलकी परिधि में जो जमीन सिवाय चक की पड़ी है या तो उसको रिजर्व में रखकर एक साल के लिये गैर मुमकिन की तरह लैन्डलैस काश्तकार को अलाट करते रहिये इससे आमदनी भी बढ़ेगी और पैदावार भी बढ़ेगी और उन को काम धन्धा भी मिलेगा।

कुछ पटवारी आज एक एक हल्के में दस दस साल से तैनात हैं। दो जगहों के पटवारी आपस में मिल जाते हैं उनका तबादला भी हुआ तो वे एक दूसरे की जगह चले जाते हैं। जमवा रामगढ़ के पास सामरोद कलां हैं और टोडा मीणा है। ये दो गांव हैं। इन दोनों गांवों में पटवारी मुद्दत से डटे हुए हैं, अगर कभी उनका तबादला हो भी जाता है तो वे एक दूसरे के गांव में ही जाते हैं। इन दोनों ने जनता को चूस कर खा लिया है। या तो तहसील से ही इनको बाहर निकल वाइये या इनको किसी दूसरे जिले में फेंक दीजिये।

फोरेस्ट के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। फोरेस्ट मिनिस्टर साहब विराज नहीं रहे हैं। वे तो देवता हैं। पर उनका डिपार्टमेन्ट धूर्त और चालाकों से भरा पड़ा है! मिनिस्टर देवता, पर उनका विभाग बड़ा खराब। आपसे क्या अर्ज करूं। राजस्व मंत्रीजी भी जानते हैं। वह यहां के रहने वाले हैं भूतपूर्व जयपुर रियासत में इतने घने जंगल थे कि शेर और चीता तो क्या आदमी भी घुस नहीं सकता था। पर आज यह हालत हो गई है कि वे सब वीरान हो गये हैं और नाम मात्र के पेड़ कहीं कहीं दिखाई देते हैं। पहले जहां सूरज की किरणें जमीन पर नहीं पड़ सकती थीं वहां आज सारी धरती इतनी तप जाती है कि वहां आदमी पैर नहीं रख सकता। आज नाहरी का नाका, नाहरगढ़ का किला जयगढ़ पुराना घाट झालाना की तरफ आप किधर भी चले जावें यही हालत है। खातीपुरा की बीड़। आज सारे जंगल साफ हो गये। नाकेदार ने क्या किया? मैं अर्ज करूं। यह आदमी लकड़ी काटकर शहर में ले जाता है और नाकेदार ने एक रुपया दो रुपया कांटी बान्ध रखा है। माहवारी भी तै कर रखी है और इस तरह से ये तमाम जंगल साफ करवाते जा रहे हैं। एक एक नाकेदार की सौ-सौ दो-दो सौ और चार-चार सौ तक की माहवारी आमदनी है। राजस्व मंत्री भी यहां पैदा हुए हैं। यहीं पले पोसे और बड़े हुए हैं। वे यह सब जानते हैं। मैं भी यहां पला पोसा हूं। जो हालत है हम सब जानते हैं।

जब जंगलों की इस तरह से बरबादी हो चुकी तो फिर इस प्लान्टेशन से क्या फायदा? यह तो जले पर नमक छिड़कना है। इसमें सरकार का पैसा और बरबाद करना चाहते हैं ये वन विभाग के लोग। यह विभाग धूर्तों और चालाकों से भरा पड़ा है। जब सारे जंगल इन्होंने साफ करवा दिये तो प्लान्टेशन लगाना

(श्री नाथूलाल करौल)

बेकार है। जयपुर रिंजर्व फोरेस्टरों को, गार्डों को और सारे ही रेंज के अमले को यहां से दूसरी जगह फेंक दिया जाय तो कुछ सफलता इसमें मिल सकती है। दूसरी जगह इनको फेंकेंगे तो वहां भी ये जंगल साफ ही करेंगे। इन पर तो कड़ी निगरानी रखी जावे और पहले इनको साफ किया जावे। तब अगर जंगल नये सिरे से लगाने का प्रयत्न यह सरकार करेगी तो लग पावेंगे अन्यथा तो नहीं। क्योंकि इनके मुंह तो हराम लग चुका है।

(3 म.प.)

इन्होंने जंगलों को साफ करवा दिया है। इतना ही कहते हुए मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जयपुर के अन्दर जो 12 मील के एरिया में जमीनें हैं और जो पंचायत एरिया में पडते हैं एवं जिन पर मकानात बना लिये हैं उनके बारे में सरकार क्या विचार रखती है, कृपा करके अपने जवाब में स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शम्भूराम।

श्री शम्भूराम पटेल (लालसोट) : सभापति जी ....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष जी ..

श्री शम्भूराम पटेल : एक ही बात है। मैं ज्यादा कोनि कहूं, 2-3 बातां कहूंगों। मैं लालसोट में बिजली का मामला में बोलूंगा और बिजली का मामला में या ही छै कि रुपया जमा कराया 4-4, 5-5 महीना हो गया। खंभा तो रुप गया, बिजली नहीं लागी। लालसोट, माधोपुर, बिन्दौरी का मामला की बात छै। म्हारी निवेदन तो याही है कि लालसोट में बिजली लागनी चाहिये। सारा जिला की बात बताऊं मंत्री महोदय बतावे जठै सिंचाई होवे बठै बिजली लगा दी जावे। मैं तो और मामला में कोनी बोलूं और मिनिस्टर साहबान से निवेदन करूं कि जद वे म्हारा क्षेत्र में आवे तो कार्यकर्ता ने चिट्ठी न लिखे-मोटरां में आवे अयां तो वाको स्वागत है लेकिन छाने से आवे और म्हारा किसान से सारी बातां पूछै तो वो किसान सारी बात व्हाने बता देसी और जद ही आपने सारी बात को पतो लागसी। म्हारा क्षेत्र की सारी रूपरेखा बता देवेला। तहसील की हालत है चमारा ने, हरिजनां ने, फकीरां ने जमीन अलाट कर दी। या बात पहली भी विधान सभा में चाली छी और निवेदन करी छी कि इंकी जांच कराव और गरीब लोगां ने जमीन देवो जाकै कनै जमीन बिलकुल नहीं है उनें जमी देवो। गांव में बड़ा बड़ा लोग जमीना ने कोई अपनी बहन के नाम करा राखी है, कोई कुत्ता के नाम करा राखी है और फैर तहसीलदार ने कहवै अयां पार नहीं पडे जमीन की रजिस्ट्री करावो तो वाकी कईयां की रजिस्ट्री भी हो गई। अब आप सत्ता में छो, तो मानों तो मानो नहीं तो मत मानो। जांच करार देख ल्यों।

श्री विट्ठल शर्मा (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, 4 मई, 1966 को राजस्थान के राज्यपाल महोदय से घोषणा करवाई थी कि राजस्थान के अन्दर अलाभ-कारी जोतों का लगान समाप्त कर दिया जायगा उसके बाद में 1968 में राजस्थान के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि लगान लिया जायगा और इसलिये लगान लिया जायेगा क्योंकि कुछ लोगों से यह लगान वसूल हो गया है और कुछ से लेना बाकी है जिनसे वसूल करना है.

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

उनसे वसूल करके और उस राशि को इकट्ठा करने ग्रामीण विद्युतिकरण और पानी सप्लाई पर खर्च किया जायगा। आज उस बात को भी करीब दो साल हो गये। पता नहीं उस पैसे का क्या हुआ, उस राशि का क्या हुआ? एक शिगूफा राजस्थान की सरकार ने सन् 66 में छोड़ दिया क्योंकि 67 में सारे हिन्दुस्तान में आम चुनाव होने वाले थे। कई राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें बनी इस डर से शायद राजस्थान की सरकार ने यह किया। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि लैन्ड रेवेन्यू अलाभकारी जोतों पर 15 बीघा तक नहीं लेंगे। राजस्थान सरकार ने भी उस वाहवाही को लूटने के लिये इस बात की घोषणा की लेकिन उस घोषणा के बावजूद न लगान बन्द किया और न इकट्ठी की हुई राशि को खर्च ही किया।

उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास बताता है कि पुराने जमाने में एक पागल बादशाह मुहम्मद तुगलक हुआ था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की घोषणा की। वहां के लोगों को आदेश दिया कि सब लोग दौलताबाद रवाना हों। तो वहां के लोग मय अपने सारे सामान के मुर्गी, अन्डा ऊंट, घोड़ा आदि लेकर दौलताबाद पहुंचे और कुछ दिन दौलताबाद में रहने के बाद वापिस आदेश निकाला कि राजधानी दिल्ली को जाती है। इसी तरह की यह सरकार है कि एक बार अपने आदेश निकालती है कि लगान की वसूली की जाय और पुनः आदेश निकालती है वसूली नहीं करेंगे और फिर वसूली कर लेती है। एक बार एक आदेश निकालती है तो दूसरी बार दूसरे आदेश और आदेशों की पालना नहीं होती है इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं आखिर उस रकम का क्या कर रहे हैं और अब राज्य सरकार लगान लगाना चाहती है या नहीं चाहती है। इसके बारे में स्पष्टीकरण करें।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू के बारे में कहना चाहता हूं। एक जमाना था जिस में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि काश्तकार अपनी मालगुजारी खजाने में खुद जमा करा दिया करते थे। पटवारी और रेवेन्यू इन्सपेक्टर की जरूरत नहीं हुआ करती थी। अब आपके जो पटवारी और इन्सपेक्टर वसूली करते है वे काश्तकारों से तो राजस्व वसूल कर लेते हैं किन्तु उनकी रसीदें नहीं देते हैं, वे अपने पास रख लेते हैं। झालावाड़ में इस प्रकार की शिकायत हुई है। पटवारी और कानूनगों ने पैसे वसूल कर लिये और खजाने में जमा नहीं हुये। उसके ऊपर नोटिस निकाल दिया उन काश्तकारों ने वहां के तहसीलदार को, एस. डी. ओ. और कलेक्टर को शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ और उनकी कुर्की की गई और उनसे पैसे वसूल किये गये। मैं कुछ इस प्रकार की रसीदें और फोटो कापी असेम्बली में पेश करना चाहता हूं कि जिन लोगों से पटवारी और कानूनगो ने पैसे ले लिये हैं। उस इलाके में इस प्रकार की 4-5 शिकायतें हैं। उनकी फोटू कापी मेरे पास है। कानूनगों ने पैसे वसूल किये हैं और खजाने में जमा नहीं हुये है। एस. डी. ओ. ने और तहसीलदार ने शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं यह चाहूंगा कि आप इस संबंध में कार्यवाही करें।

अभी पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि काश्तकारों को

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

तकावी लोन के लिये कोई परेशान नहीं हो इसलिये उनको पास बुक दी जाय। लेकिन आज तक काश्तकार लुट रहे है। खाते की नकल लेने वहां जाते हैं तो एक पटवारी, कानूनगो उनसे 50-50, 100-100 रुपये लिये बिना रसीदें नहीं देते हैं। काश्तकारों को लोन नहीं मिलता है। लोन नहीं मिलने से काश्तकार कुछ नहीं बना सकता है और वह कुए नहीं बना सका है तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसलिये लोगों की यह आम शिकायत है कि इस लोन की परेशानी को दूर किया जाय। मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आपने एक घोषणा की थी कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की जमीनें दूसरे लोगों के नाम पर हस्तान्तरित नहीं की जायगी लेकिन आपकी इस घोषणा के बावजूद सरकार की इस नीति के बावजूद धड़ा-धड़ से इन लोगों की जमीनें हस्तान्तरित हो रही हैं। भंगियों चमारों की जमीनें दूसरे लोगों को बराबर हस्तान्तरित की जा रही हैं। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहूंगा केवल एक नजीर पेश करना चाहता हूं। मनोहरथाना में राधा नाम का नाबालिग है और वहां के एक फैक्टरी के मालिक ओमप्रकाश हैं उन्होंने अभी तहसील से रजिस्ट्री कराली है। आप ताज्जुब करेंगे आपके सटलमेन्ट ने पट्टा बनाकर दे दिया है मैं, उस राधेलाल का मूल पट्टा जो नाबालिग है उसके नाम पर जमीन है उसकी एक कापी और सैटिलमेन्ट ने जो तस्दीक की और पट्टा बनाया है मैं आपको पेश करना चाहूंगा।

श्री विजयसिंह : मैटर आफ शेम।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं आपका ध्यान इस बारे में भी दिलाना चाहता हूं कि पहले झालावाड़ जिले के अन्दर एक मनोहरथाना तहसील थी और यह सन् 59 के अन्दर आर्थिक बचत के लिहाज से आपने मनोहर थाना तहसील को तोड़कर अकलेरा के अन्दर उसका विलीनीकरण कर दिया और जो अकलेरा के अन्दर तहसीलदार और नायब तहसीलदार रहते हैं वहां पर मनोहरथाना के लोगों को पचास पचास मील से जाना पड़ता है। अकलेरा में रहने वाला नायब तहसीलदार बिल्कुल बेकार रहता है। इसके संबंध में राज्य सरकार को गांव वालों ने और उस इलाके के लोगों ने बारबार प्रार्थना की कि वहीं के नायब तहसीलदार का कार्यालय यदि मनोहर-थाना में कर दिया जाये तो लोगों को बहुत सहूलियत होगी और ऐसी ही व्यवस्था आपने बकानी के अन्दर भी की है। तो फिर समझ में नहीं आता कि मनोहरथाना में ऐसी ही व्यवस्था करने में आपको क्या आपत्ति है?

आपने एक आदेश निकाला है कि राजस्थान के अन्दर 31 दिसम्बर, 1966 के अन्दर जिन लोगों के पजेशन में लैण्ड है और जिन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है उनके नाम पर उस लैण्ड को रेगुलेराइज कर दिया जाये। लेकिन इस घोषणा के बावजूद भी आज हजारों काश्तकार ऐसे हैं कि जिनकी जमीन रेगुलेराइज नहीं की जा रही है और उनके ऊपर जुर्माने किये जा रहे हैं। पिछले दिनों कल, परसों ही मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर साहबसे जानकारी चाही थी कि अकलेरा तहसील के अन्दर कितने लोगों ने ट्रेस पास

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

किया और उसके ऊपर कितना जुर्माना हुआ है। इनके आंकड़ों के अनुसार उस तहसील के अन्दर 2,46,900 रुपये जर्माने हुये हैं जब कि उस तहसील की कुल मालगुजारी ही 4 लाख रुपये है। इसलिये जिन लोगों के कब्जे में लैण्ड है उसको रेगुलराइज कर दिया जाये।

इसके अलावा गांधी शताब्दी के उपलक्ष में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि राजस्थान में एक वर्ष के अन्दर अलाटमेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को किया जायगा। बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि उनको अलाटमेंट हो लेकिन इसके लिये दूसरे लोगों के ऊपर बन्धन लगाना यह जनता के और लोगों के अधिकारों का हनन है और दूसरी जाति के लोग भी निर्धन और गरीब हैं। अच्छा होता कि सरकार कुछ परसेन्टेज दस परसेंट, बीस परसेंट या तीस परसेंट या पचास परसेंट शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लिए मुकर्रर करती कि इतनी उनको देंगे। लेकिन आप कैसे यह मानते हैं कि दूसरे जाति के लोग गरीब नहीं हैं। बहुत से जूते पालिश करते हैं और होटलों पर चाय बेचते हैं। तो सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिये।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने भूमि को आबादी की भूमि में परिवर्तन करने के प्रावीजन रख रखे हैं लेकिन आज भी कस्बों के अन्दर जहां ग्राम पंचायतें इस समय हैं वहां डिफिकल्टी है कि आबादी बढ़ रही है और कृषि योग्य भूमि पर अगर कोई मकान बनाना चाहता है तो उसके लिये आबादी में भूमि का परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस संबंध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस बारे में कोई नियम बनाना चाहिये।

अब मैं माननीय श्री वन मंत्री जी का ध्यान इन तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके वन विभाग में क्या क्या गड़बड़ियां हैं?

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करें कि सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यही है कि उप-मंत्री इधर से उधर चले गये।

श्री मोहनलाल मोदी : याद करते रहो इन गड़बड़ियों को। सारी आशाओं पर पानी फेर दिया।

श्री विजयसिंह : बहुत अच्छा किया राजस्थान के साथ गद्दारी की।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दल बदलने की प्रवृत्ति को × × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज्ड।

श्री मोहनलाल मोदी : जहां देश का भला होता नजर आया उधर ही आकर बैठ गये।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अच्छी बात है।

श्री विजयसिंह : देश का भला करने वाले बारखड़ी भी नहीं जानते।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : आप इस प्रकार की मेन्टेलिटी को प्रोत्साहन दें यह और भी बुरा है।

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्य-विवरण से निकाले गये।

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर जो फौरेस्ट के ठेके होते हैं और ठेकेदारों की अरनेंस्ट मनी आपके यहां पर जमा रहती है। नियमों के अनुसार एक वर्ष के बाद जैसे ही ठेका समाप्त हो जाये आपके विभाग को उस राशि को लौटा देना चाहिये। लेकिन होता यह है कि वह लोग बारबार दरख्वास्तें देते हैं और बारबार आपसे मांग करते हैं कि हमको हमारा अरनेंस्ट मनी का पैसा दिया जाये, यह डिपाजिट का पैसा लौटाया जाये लेकिन उसको टाइम पर नहीं लौटाया जाता है। उससे भ्रष्टाचार फैलता है। लेकिन वहां के रेन्जर को पैसे देते हैं, डी. एफ. ओ. को पैसे देते हैं और ऊपर वालों को देते हैं और उसके बाद में दो-तीन साल में वह डिपोजिट लौटाई जाती है। आप चाहते हैं कि वन विभाग के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े इसलिये आवश्यक है नियमों के अन्दर सख्ती के साथ आप व्यवस्था कीजिए कि लोगों की डिपोजिट की राशि एक साल के बाद जैसे ही ठेके की मियाद खत्म हो जाये उसको लौटा दी जानी चाहिये।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपके जंगलों में बड़ी बड़ी ऐसी जमीनें हैं जो कि फौरेस्ट डिपार्टमेंट की हैं और लोगों ने अनावश्यक तरीके पर कब्जे में कर रखी हैं। अगर वहां पर जंगल है या पौधे हैं तो उनको रोकना चाहिये। लेकिन अनावश्यक जमीनों को कब्जे में लोगों ने कर रखी है और वह जमीन ऐसी है कि जो न फूल देती है, न फल देती है और न लकड़ी देती है ऐसी जमीन को आप फौरन ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हस्तान्तरित कर दो ताकि हजारों लोग अपने परिवारों का पेट भर सकें।

फोरेस्ट डिपार्टमेंन्ट के नीचे के आदमी देहातों के अन्दर काश्तकार जमीन पर ट्रेसपास कर लेते हैं और जंगलों की जमीन पर खेती कर लेते हैं लेकिन फोरेस्ट गार्ड और रेन्जर पैसा ले लेते हैं और उनकी वे शिकायत कर देते हैं जो लोग कि उनको पैसा नहीं देते हैं और इस तरह से लोगों के ऊपर जुर्माने होते हैं। इसलिए आपको सख्ती से पालन करना चाहिए कि कोई भी विभाग की भूमि पर कब्जा करता है तो उसको हटवाएं और नहीं हटवाते हैं तो उस जमीन को आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे देनी चाहिए।

अब मैं आपको अपने इलाके के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको स्मरण होगा कि वन विभाग के बारे में अकलेरा के ठेकेदार के सिलसिले में मैं, आपको मिला था। गत वर्ष मैंने मुलाकात की थी। आपके अकलेरा का एक पाराशर नाम का ठेकेदार था जिसने 65 हजार रुपये में अकलेरा रेन्ज का ठेका 1967–68 में लिया था उसने आपके यहां पर शिड्यूल रेट्स के माफिक नियमानुसार 6,500 रुपये और 500 रुपये इस तरह से कुल मिलाकर 7,000 रुपये जमा कराये थे। फोरेस्ट के ठेका देने की वजह से और साथ ही साथ पंचायतों के ठेका देने की वजह से फोरेस्ट डिपार्टमेंट के ठेकेदारों को नुकसान हुआ। उस स्थिति में आम तौर पर जो झालावाड़ कोटा के ठेकेदार थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप पंचायतों को ठेका देने से रोकिए और ऐसी व्यवस्था करें कि या तो फोरेस्ट डिपार्टमेंट ही ठेका दे या फिर पंचायत विभाग ही दे। लेकिन आपकी इस सम्बन्धी

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)
सरकार ने कोई गौर नहीं किया और मैं बताना चाहता हूं कि पंचायतों के ठेका देने से और फोरेस्ट डिपार्टमेंट के ठेका देने की वजह से आपको लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। राजस्थान सरकार को केबिनेट में में डिसीजन लेना चाहिए था और पंचायतों के ऊपर बैन लगाना चाहिए था कि पंचायत फोरेस्ट के ठेकों को नीलामी नहीं करेगी

लेकिन उसके बजाय जब जब आपसे इस विधान सभा के माध्यम से उस बात को कहने की कोशिश करें तो आप समझते नहीं हैं या समझकर भी टाल जाते हैं।

आप देखिये कि यह हो रहा है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट में जो 66 में था वह 67 में नहीं रहा, जो 67 में था वह 68 में नहीं रहा और जो 68 में था वह 69 में नहीं रहा और दिनों-दिन आपकी पूंजी डूब रही है, आपको लास हो रहा है, और आपके विभाग के लोगों ने आपको रिपोर्ट की है कि सरकार को अमेन्डमेंट करना चाहिये पंचायत एक्ट में, लेकिन अफसोस है कि पंचायत एक्ट में आप कोई एमेंडमेंट नहीं कर पाये। मैं फिर इस विधान सभा और उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं या अगर आप चाहें तो डिटेल में, मैं चैम्बर में बैठ कर आपको स्थिति समझाने की कोशिश करूं।

करप्शन की बात जहां इस विभाग में है, दूसरे विभागों में भी है और इस विभाग में तो डिप्टी मिनिस्टर स्वयं ही करप्शन को फैलाते हैं। आप चैलेन्ज करें तो मैं कहने को तैयार हूं कि माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब भ्रष्टाचार को फैलाने और उसको प्रोत्साहन देने में अग्रणी हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : गलत है।

श्री विठ्ठलप्रसाद: झालावाड़ के अन्दर रेन्जरों को और डी. एफ. ओ. को इस बात के लिये लिखा है कि सुनेल के अन्दर कांग्रेस का कोई जलसा हो रहा है तो उस जलसे के लिये पैसा इकट्ठा किया जाय। माननीय मोहनलालजी मोदी, मेरे पास रसीदे हैं, मेरे पास टेपरेकार्ड मौजूद हैं। मेरे पास जिस ठेकेदार ने पैसे दिये हैं उसकी रसीदें मौजूद हैं। इसलिये आप उलझने की कोशिश न करें। मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि आप ऐलान करें और साबित हो जाय तो आप उनके खिलाफ एक्शन लें या नहीं हो तो मेरे खिलाफ एक्शन लें।

श्री मोहनलाल मोदी चार्जेज आप लगा रहे हैं इस तरह के.....

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : जिस बात की आपको नालेज नहीं हो, जिस बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, उसके लिये जिद्द नहीं कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : वे तो बढ़ावा दिलाना चाहते हैं आपको।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय मैं भ्रष्टाचार की क्या बात करूं। मैं एक शेर कह देता हूं "उल्लू ने उनके गुलिस्तां को बरबाद कर दिया लेकिन यहां तो हर शाख पर उल्लू बैठा है–अन्जामें गुलिस्तां क्या होगा।"

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय सिर्फ 5 मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अवसर दे दूंगा अभी स्थान ग्रहण करें।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री लक्ष्मण तालीवाल।

श्री लक्ष्मण तालीवाल (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमारे देश की आज बढ़ी हुई जनसंख्या और समस्याओं के निदान में हमारे देश का जो अन्न-उत्पादन है वह बहुत कम है। इसलिये हमें अधिक अन्न-उत्पादन के लिये एलाटमेंट में अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करना चाहिये। हम इन समस्याओं का निदान करने जायं तो प्रथम ही हमारी समस्याओं का निदान हो जाता है कि इन समस्याओं के संबंध में पत्र संबंधित मंत्रियों के पास आते हैं और वे मंत्री उनके पत्रों का जवाब दें, लेकिन उन पत्रों की विशालता पर विचार करें, मनन करें तो शायद वे हल कर सकते हैं। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि एलाटमेंट जितना भी अधिक से अधिक सुविधापूर्ण बन जाय वह हमारे लिये लाभ कर होगा। अधिकांश यह देखा गया है कि एलाटमेंट में अगर कोई एक सदस्य नहीं आता है तो वह अलाटमेंट स्थगित कर दिया जाता है जिसके कारण कई अन्य आये हुए सदस्य लौट जाते हैं और स्थगित करने से उन लोगों को निराशा होती है। इसका कारण यह है कि किसी के नहीं आने में वह स्वार्थवश हो चाहे वह एलाटमेंट नहीं करवाना चाहते हों, यह एक अलग बात है। लेकिन एलाटमेंट की निश्चित तिथि को सबको सूचना देकर निश्चित रूप से कराया जाना चाहिये।

इसके बाद मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहूंगा कि एलाटमेंट के अन्दर उसी समय अगर कोई प्रार्थना-पत्र दे, तो उस प्रार्थना पत्र को उसके अन्दर शामिल कर दिया जाना चाहिये। क्योंकि अधिकांशतः यह देखा गया है कि एलाटमेंट के अन्दर बहुत से लोग जिन्होंने प्रार्थनापत्र दिये हुए हैं उन लोगों के प्रार्थनापत्र उसमें शामिल नहीं किये जाते हैं और बाद में उन लोगों को यह कह कर टाल दिया जाता है कि तुमने प्रार्थनापत्र ही नहीं दिया था। इसलिये अगर वे लोग एलाटमेंट के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दें, तो प्रार्थनापत्र ले लिये जाने चाहिएं जिससे उन लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।

मैं आपसे कहूं कि जमीनों पर अवैधानिक कब्जों का जो मामला है तो अधिकांशतः विधान सभा में मंत्रियों से लेकर और साधारण पंच तक कई एक लोगों ने ले ली हैं। हमारे यहां पर बिल्कुल सही आरोप लगाये जाते हैं कि जो राजनैतिक नेता होते हैं, जन-जन-प्रतिनिधि होते हैं, वे अधिकांशत अपने परिवारों के नाम जमीनें एलाट करवा लेते हैं, और इनके परिवारों के पास बहुत सी जमीनों का होना पाया जाता है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि जन-प्रतिनिधियों पर यह आरोप लगाया जाता है इस संबंध में जांच करना चाहिये कि कौन कौन से जन-प्रतिनिधि ने जन- प्रतिनिधि होने के नाते उन जमीनों को अपने नाम से एलाट कराके जो भूमि हीन हैं, उन लोगों के हकों को छीना है।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि जो चरनोट की जमीन है गांवों में, उन चरनोट की जमीनों पर कई लोगों ने कब्जा किया हुआ है और कई गांवों के अन्दर तो चरनोट की जमीन होती ही नहीं है और एलाटमेंट कर दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से कहना

(श्री लक्ष्मण खानीवाल)

चाहूंगा कि प्रत्येक गांव के अन्दर चरनोट की जमीन की सुरक्षा होना चाहिये, और चरनोट की जमीन निकाल देने के पश्चात् जो बची हुई जमीन है उसको एलाट किया जाना चाहिये ।

एक बार इस विधान सभा में क्वेश्चन के माध्यम से यह जानकारी चाही थी, तो मुझे यह उत्तर मिला था कि झालावाड़ के अन्दर हजारों ऐसे मामले हैं जो अनधिकृत कब्जे में हैं । अगर झालावाड़ के अन्दर ही हजारों की संख्या में अनधिकृत मामले हैं तो पूरे राजस्थान के अन्दर कितने होंगे । इसलिये समूचे राजस्थान के अन्दर ऐसे मामलों के ऊपर जानकारी करके उन मामलों को जितना जल्दी हो सके निपटाया जाय जिससे कि इन मामलों को अधिक समय तक उलझाये रखकर जो लोग भूमि का नाजायज फायदा उठाते रहे हैं वे सदा उलझाये न रख सकें । इसलिये उस पर गौर करना चाहिये ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि किसानों को एलाटमेंट हो जाता है पर कब्जा नहीं दिया जाता है । उनको कब्जा दिया जाना चाहिये । एलाटमेंट के पश्चात् उन लोगों के दूसरे साधनों की ओर ध्यान देना चाहिये जैसे कि कुओं में बिजली के लिये लोग मांग किया करते हैं तो उनको ये सुविधायें दी जानी चाहिये, और जो सरकार की ओर से लोन दिया जाता है तो लोन के अन्दर भी ऐसे नियमों का प्रावधान करना चाहिये कि जिससे लोन सीधे और सरल तरीके से प्राप्त हो सके । बहुत ज्यादा लोग लोन प्राप्त करने के लिये शहरों में अफसरों के यहां चक्कर लगाया करते हैं तो यह बात भी ध्यान देने की है कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाऐं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं ।

साथ ही जितनी भी भूमि एलाटमेंट के लिये वन विभाग से अथवा अन्य विभागों से आना चाहिये उनका जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिये । अधिक से अधिक जो भूमि एलाटमेंट के लिये होनी चाहिये और जो मांग करते हैं लेकिन उनकी मांग के लिये भी कई दिनों तक चक्कर लगाते रहते हैं और विभाग के अन्दर भी कई एक मामले विचाराधीन चलते रहते हैं, और वे लोग एलाटमेंट के लिये भूमि नहीं होने के कारण उन जगहों पर एलाटमेंट नहीं होता है; इसलिये ऐसी जगहों पर जहां पर भी ऐसे केसेज चल रहे हैं इनको भूमि के एलाटमें के लिये दूसरी जगहों पर परिवर्तित किये जाने चाहिये और ऐसी भूमियां जल्दी ही परिवर्तित करके एलाटमेंट के लिये सुपुर्द कर दी जानी चाहिये ।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री महोदय का एक घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कोटा जिले में शाहाबाद क्षेत्र में सन् 61-62 के अन्दर वहां के सहरियों को स्वर्गीय श्री माणिकलालजी वर्मा के सहयोग से काफी जमीन एलाट हुई थी लेकिन उस जमीन के पट्टे उनको नहीं दिये गये और काफी समय से वे लोग उस जमीन को पाने के लिये इधर-उधर घूमते फिर रहे हैं ।

ऐसा सुनने में आया है कि वहां के उच्च अधिकारियों ने और असिस्टेंट सेटलमेंट आफीसर हैं, उन्होंने उन जमीनों को रिश्वत

Page No 130

(श्री लक्ष्मण तानीवाल)

लेकर या और तरीकों से दूसरे लोगों को अलॉट कर दी है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जो मामले हैं जो अलॉटमेंट हो जाता है फिर भी उन लोगों को कब्जा नहीं दिया जाता है, ऐसे गरीब लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये और इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर घोषणा करें कि उन जमीनों पर उन सहरियों को कब कब्जा दे दिया जायगा।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके पास केवल यह आज का ही समय नहीं है, आज 22 वर्षों से आपकी ही सत्ता है, आप ही प्रशासन चला रहे हैं, आपके पास अनेकों ऐसे मामले आये हैं, अनेकों इस प्रकार की समस्याएं आई हैं, कृपया आप इस पर बैठ कर मनन करिये कि किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, वे भविष्य में नहीं आयें इस प्रकार का आपके हर निर्णय का हर कदम का औचित्य होना चाहिये आप इन गरीब लोगों को किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा सुविधायें जल्दी से जल्दी दे सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी चाहिये। यही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी !

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी भू-राजस्व के संबंध में कई कटौती प्रस्ताव दिये हैं कि कुओं से जो भूमि सिंचित होती है—

श्री उपाध्यक्ष : भाषण 5 मिनिट का होना चाहिये। पौने चार बजे सरकार की ओर से उत्तर प्रारम्भ होगा। दो-तीन और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको भी दो-दो, तीन-तीन मिनिट का समय देना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : कुओं से जो भूमि सिंचित होती है, उस पर लगान कम करना चाहिये। जयपुर डिवीजन के लोगों की जो स्थिति है उसमें यहां अधिकतर किसान रहते हैं। उनका मुख्य धंधा खेती करना है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस जयपुर डिवीजन में और इसके आस पास के और भी डिवीजन्स में जो जमीन की सिंचाई कुओं से, लाव चरस से, होती है, उसका लगान बहुत अधिक है और राजस्व मंत्रीजी जो स्वयं इस जिले के रहने वाले हैं, उनको स्वयं को अनुभव है कि किसानों को कुओं से सिंचाई कितनी महंगी पड़ती है। तो आज जब हमने गंगानगर जिले में रियायतें दी हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हमारे इस डिविज़न में और दूसरी जगह जहां कुओं से सिंचाई होती है, वहां सिंचाई का लगान लेकर बारानी भूमि का लगान लेना चाहिये। समझ में नहीं आता आप किस कारण से यहां के कुओं से सिंचाई करने वाले किसानों से सिंचाई का लगान लेते हैं, जब कि उनको कुओं से लाव चरस से कितनी महनत के साथ सिंचाई करनी पड़ती है। गंगानगर के किसान को कोई महनत नहीं करनी पड़ती, नाला खोला और पानी ले लेते हैं पर यहां पर इतनी महनत करके किसान कुओं से पानी सिंचाई करता है उससे आप सिंचाई का

(श्री मोहनलाल मोदी)

लगान लेते हैं। क्या यही हमारा समाजवाद है? समाजवाद लाने के लिये सबसे पहले आपको यह करना होगा कि यहां के किसानों से, यहां के किसान वर्ग से बारानी भूमि का लगान लेना होगा। अगर आप उनसे बारानी भूमि का लगान नहीं लेकर सिंचाई का लगान लेंगे तो यहां की जनता में असन्तोष होगा और आप जानते हैं कि जनता के असन्तोष का कितना भयंकर परिणाम होता है....

श्री विजयसिंह : आप भी आन्दोलन करो।

श्री मोहनलाल मोदी : आपकी सलाह की जरूरत नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो फिर उम्र भर रोते रहोगे, भाषण करते रहोगे।

श्री मोहनलाल मोदी : इतने वर्ष देख लिया, आपका नम्बर आने वाला नहीं है।

श्री विजयसिंह : मुझे बनना ही नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : बनने की तो कानोता हाउस में बहुत कोशिश की पर राजस्थान की जनता का सौभाग्य था कि आपकी सरकार नहीं बनी।

श्री विजयसिंह : मुझे बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। 400 वर्षों तक मेरे पूर्वजों ने तो बड़ी शान और न्याय के साथ हुकूमत कर ली।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मोहनलाल मोदी : अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ खास बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। किसानों को पास बुक्स जारी करने का राजस्व मंत्रीजी ने कहा कि किसानों को सहूलियत देने के लिये पास बुक्स दी गई हैं। मैं इन पास बुक्स का एक नमूना पेश करना चाहता हूं। हमारे नीम का थाना क्षेत्र में 28,000 खाते हैं। लेकिन वहां केवल 450 पास बुक्स गई हैं। वे कितने समय में किसानों को वितरित की जायेंगी? और नमूना देखिये, पास बुक्स बिलकुल खाली हैं। न उनमें खातेदार का नाम है, न उसकी खातेदारी की भूमि का रकबा है न नम्बर है, बिल्कुल खाली हैं। इस प्रकार की पास बुक्स देकर आप किसानों को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सब खातेदारों को जल्दी से जल्दी पास बुक्स पूरी एण्ट्रीज कर के दी जायं।

श्री विजयसिंह : मिनिस्टर भी ऐसे ही नमूने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण जल्दी समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : दो एक बात ऐसी हैं, जो मैं निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी।

श्री मोहनलाल मोदी : राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ तो 15 अगस्त, 1955 को एन्युअल रजिस्टर की संज्ञा दी गई कि एन्युअल रजिस्टर्स, एन्युअल पर्चों में जिनका

(श्री मोहन लाल मोदी)

जमा खर्च है, उनको खातेदारी के राइट्स देने के आदेश दिये हैं। इस रजिस्टर की परिभाषा में राजस्व मण्डल ने इस रजिस्टर को जमाबन्दी को ही माना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 15 अगस्त, 1955 में नीम का थाना सब-डिवीजन में जमाबन्दी नहीं थी, वहां 60 से जमाबन्दी बननी शुरू हुई थी, फिर वहां कैसे एन्युअल रजिस्टर आयेगा। उस समय हमारे क्षेत्र में खसरा गिरदावरी होती थी, उसके आधार पर ही राइट्स दिये जाने चाहियें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एन्युअल रजिस्टर को न मान कर खसरा गिरदावरी को मान कर चलें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसी समय आपने डिक्लेरेशन का समय चार साल का दिया था, बहुत थोड़े किसानों को चार साल में राहत मिली है। आज भी सैकड़ों केस ऐसे हैं जो बाकी हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि समय एक साल के लिये या दो साल के लिये बढ़ा दें तो इससे किसानों को राहत मिलेगी और किसानों के झगड़े बन्द हो जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्रीजी इस बारे में ध्यान देंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय: बोलने का समय वैसे ही कम मिलता है, कभी कभी मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज! पौने चार बजे सरकार की ओर से जवाब शुरू हो जायगा।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा कटौती प्रस्ताव है ....

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव पास करके बाद में सुझाव देने चाहियें। रह गया सो रह गया।

श्री मोहनलाल मोदी : दो मिनिट का समय चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट का समय ही कुल रहा है।

श्री प्रेमसिंह सिनसीवी: अभी मेरी पार्टी के दो मिनिट बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख कर कह रहा हूं, कोई टाइम बाकी नहीं है।

श्री देवीलाल मीणा !

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जमीनों का सर्वे हुए काफी समय हो गया है। किसी जगह 20 साल, किसी जगह तीस साल हो चुके हैं और वहां भूमि का सारा नक्शा ही बदल गया है। अब वहां सर्वे कराना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिये कि काश्तकारों ने जमीनों को बांध कर नदी नालों, दर्रों आदि की शक्ल जमीन के रूप में बदल दी है। ऐसी स्थिति में पुराने नक्शे व रेकार्ड में जो पुराना सर्वे हुआ उसके आधार पर रेकार्ड में नदी नाले दर्ज हैं, काश्तकारों की जमीन दर्ज नहीं है। पुराने सर्वे रेकार्ड में नदी नाले दर्ज हैं और किसानों ने नदी-नालों को समतल कर के पालियां बांध कर शक्ल ही बदल दी है, पर रेकार्ड के आधार पर वे उनकी जमीन को नहीं मानते हैं। कहते हैं कि हमारे नक्शों में रेकार्ड में तो नदी-नाले हैं, कोई जमीन नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र म, सराड़ा आदि में अधिकांश ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि

(श्री देवीलाल मीणा)

काश्तकारों पर जुर्माने होते हैं। इसलिये वहां की जमीन का सर्वे कराना जरूरी हो गया है। इस पर मंत्री महोदय, ध्यान दें और सर्वे पार्टियां भेज कर वहां की नई सर्वे करवायें। दूसरा मेरा सुझाव है कि चरनोट की जमीन पटवारियों ने एक जगह बैठकर सारे के सारे नम्बर चरनोट में दे दिये। अब पंचायतों से चरनोट के नम्बर निकलवाने के लिये प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं तो वहां अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है। इसलिये मंत्री महोदय आदेश भेजें कि जो चरनोट की जमीन है, काबिले काश्त है, काश्तकारों ने काबिलेकाश्त बना दी है। उस जमीन को चरनोट से निकलवाने के लिये आदेश दें ताकि जिन काश्तकारों ने जो जमीन आबाद कर ली है, कुएं खोद दिए हैं, घर बना दिया है उन जमीनों को खातेदारी में करवा कर वे जीवन निर्वाह कर सकें। उनको जमीन पर खातेदारी हक देने के लिये आदेश होने चाहियें।

दूसरी बात जो वन विभाग के अन्दर जमीनें हैं काबिल काश्त हैं, उन इलाकों में पहाड़ी जमीन वहां कहीं कहीं, 50 कहीं 60 कहीं 20 कहीं 100 बीघा के प्लाट्स, 10 बीघा 15 बीघा तक के प्लाट्स हैं जो जंगलात की बाउन्डरी में हैं। उनको कम से कम उस इलाके के जो भूमिहीन काश्तकार हैं, उसको निकलवाकर दिलवाया जाय ताकि वह अपनी खेती के कार्य करके अपने परिवार का निर्वाह करें।

नाजायज कब्जों के लिये यहां से एक आदेश हुआ था कि इतने वर्ष पहले के नाजायज कब्जों को रेग्यूलराइज किया जाय, 1965 से लेकर 1966 तक रेगुलराइज करने का था लेकिन हुआ क्या है कि एक अड़चन पैदा हो रही है। आज मैं देख रहा हूं कि काश्तकारों का 15 साल से कब्जा है, किसी का 10 साल से किसी का 12 साल से किसी का 5 साल से है लेकिन होता क्या है कि पटवारियों ने उनके रेकार्ड में जिन्स दर्ज नहीं की तो ऐसी हालत में कब्ज रेग्यूलराइज नहीं हो पाते हैं और जुर्माने इतने होते हैं कि वह काश्तकार सहन नहीं कर सकता। वैसे ही उनकी गरीबी हालत है। दो तीन साल से अकाल की समस्या पैदा हो रही है और जुर्माने 150, 200 व 500 तक हो जाते हैं। मंत्री महोदय इस मामले में विचार करें। या तो उनको एलाट करवाने का आदेश दे दिया जाय या आस-पास के किसानों से गवाही लें। वे जानते हैं कि इसका इतने साल से कब्जा है। लेकिन वे गवाहों के सबूत को नहीं मानते हुए गलत फैसला देकर जुर्माना करते हैं। मेरी तहसील सराड़ा या मेरे क्षेत्र में इस तरह की समस्या है। सारे उदयपुर जिले में भी ऐसी समस्या सामने आती है। कई काश्तकार मुझसे मिलते हैं और मेरे क्षेत्र में यह स्थिति पैदा हो रही है, जुर्माने हो रहे हैं और किसान सहन नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बार तहसीलदारों से मिलकर बात की है लेकिन वे कहते हैं कि कानून के अन्तर्गत इस समस्या का हल नहीं कर पाते हैं। उनकी गरीबी अलग है, आदिवासी हैं, आदिवासियों के समान कई दूसरे भी पिछड़े हुए हैं और उनको खेती का ही सहारा है। वे किसी कारखाने में जाकर अपना जीवन निर्वाह करें ऐसी भी स्थिति नहीं है। केवल भूमि पर निर्भर हैं। ऐसी हालत में इन समस्याओं का हल करने के लिये राज्य सरकार से कोई ऐसा आदेश होना चाहिये ताकि गरीब किसानों का भला हो सके।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए),

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आसन अपने पैरों पर है । एक बार सभी माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, मेरी बात सुनलें । जब कभी माननीय सदस्य बोलने के लिये समय चाहते हैं तो यह आसन हमेशा बहुत ही लिबरली बोलने का अवसर दे देता है । आज जैसे शुरू में ही मैंने निवेदन किया कि मुखबन्द का प्रयोग करके, मांगों को पारित करना है और इसलिये पौने चार बजे का समय निश्चित किया गया था । मैं जानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों को अभी बोलना है लेकिन आज मेरी तरफ से निवेदन है कि आप लोग इसमें सहयोग दें और मैं आशा करता हूं कि चर्चा समाप्त करने से पहले केवल श्री नाथूदास को बोलने के लिये दो मिनट का समय दिया जायगा, क्योंकि वह कभी बोले नहीं उसके बाद वन मंत्री अपना उत्तर देंगे ।

(शोरगुल)

माननीय सदस्य । (श्री प्रेमसिंह सिंघवी से) आपको जरूर कभी बोलने का अवसर दिया जायगा । आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मुझे तो इस साल किसी विषय पर बोलने का समय ही नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : पिछली पंक्ति वाले माननीय सदस्य ......

श्री हीराभाई : इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

श्री नाथूदास (फलासिया-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 18 हजार का जंगलात का ठेका दे दिया गया, वह बिल्कुल बरबाद हो गया है । दूसरा जंगल है समिति ने खड़ा कर रखा है, वह जंगल समिति द्वारा काटकर बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है । मैं राजस्व मंत्री का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं एक भूतपूर्व जागीरदार हैं उनके पास 500 बीघा जमीन मौजूद है और फिर उसको 2800 बीघा जमीन और एलाट की गई है ।

इस प्रकार से फलासिया तहसील में से आफिस उठाकर जालोर में रख ली गई है तो लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है । मेरा निवेदन है कि वापस निरीक्षण किया जाय ।

मैं ज्यादा न कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वन मंत्री । मैं माननीय सदस्यों से नम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि वे शान्ति रखें । माननीय सदस्य मेरी मजबूरी को समझें, नहीं तो फिर सरकार की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हो सकेगा । आर्डर प्लीज । एक बार शुरू हो जाने के बाद 2-2 मिनट का समय बढ़ता जायगा । आज पौने पांच बजे मुखबन्द का प्रयोग होगा ।

आर्डर प्लीज ।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

दो मिनट के लिये कई माननीय सदस्यों की मांग है । मैं तो दो की जगह चार मिनिट दे देता । बहुत से माननीय सदस्य खड़े हैं एक बार रास्ता खुल जायगा तो फिर अन्त नहीं मेरा नम्र शब्दों में निवेदन है कि बजट पास करना है ......

(श्री उपाध्यक्ष) --

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज ।

श्री शीशराम ओला : फौजियों के बारे में..

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में स्पष्टीकरण के तौर पर बाद में प्रश्न पूछें ।

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय फरमायेंगे। मैंने फौजियों के संबंध में बातचीत की है ।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) मेरी मजबूरी है, समय नहीं दिया जा सकता ।

(3.48 म. प.)

श्री नारायणसिंह मसूदा (वन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस समय 72 कटौती प्रस्ताव जंगलात के विषय में आए हैं, और मैं समझता हूं कि इन सब में विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालते हुए जिस प्रकार से सदस्यों ने दिलचस्पी ली है और सही मार्ग की तरफ इंगित किया है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। इसमें अधिकांश कटौती प्रस्ताव वन के ह्रास के सम्बन्ध में हैं और कुछ कटौती प्रस्ताव वनों से प्राप्त लकड़ी और घास के संबंध में पेश किए गए हैं।

कन्सेशन्स की भी चिन्ता की गयी और वनों से जमीन मुक्त करके काश्त पर देने की भी बात कही गयी। जहां पर वनों से जमीन मुक्त कर काश्त पर देने की बात कही गयी है वहां इस बात को कहते हुए यह दलील दी जाती है कि क्या सदन में और क्या सदन के बाहर, काश्त लायक जो भी जमीन हो वनों के अन्दर उसको बाहर निकाल दी जाय। काश्त लायक जमीन के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकांश में बहुत अच्छे वन लगे हुए हैं, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि वहां काश्त लायक जमीन नहीं है। आज जो भी क्षेत्रफल इस राज्य में है,

(3.50 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

उसके लिये आगे जाकर निवेदन करूंगा, काश्त लायक जमीन का नगण्य और बहुत ही कम हिस्सा है और उसका क्या असर हो सकता है उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा।

इन सब कटौती प्रस्तावों के जरिये से वनों के ह्रास की चिन्ता व्यक्त की गई है और वनों से भूमि मांगने की भी चिन्ता है, उसको देखते हुए स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि जब आबादी बढ रही है तो जमीन की भूख भी बढ रही है और काश्त पर जमीन देने की बात आ रही है। उस समय हमें बिल्कुल स्पष्टतया अपने हृदय को टटोल कर इस बात के निर्णय पर आना पड़ेगा और उस पर आने के लिये मैं इस पक्ष के लिये जितना ही जोर से कहूंगा, उतना ही उस पक्ष के लिये भी कहूंगा कि हमें इकॉनोमिकल बेलेन्स की जो बात कही जाती है उसमें विश्वास है या नहीं ? हमारे राज्य में, हमारी धरती पर वृक्षों और वनों के महत्व पर हमें कोई चिन्ता है या नहीं ? अन्तत गत्वा मैं यह कह दूं कि वनों की हमें आवश्यकता है या नहीं इस बात के लिये सही तौर पर हमें हमारे दिल को टटोल कर निर्णय करना होगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं समझता हूं कि वन जब कट चुके हैं तो जमीनों को रखने से क्या फायदा ?

श्री सभापति । आर्डर प्लीज़ !

श्री नारायणसिंह मसूधा : मैं यह निवेदन कर रहा था ....

श्री विजयसिंह : उप मंत्री बोलते तो दल बदल का पता लग जाता ।

श्री नारायणसिंह मसूधा : कि वनों का महत्व वैज्ञानिक ढंग से और दूसरे ढंग से हमें हमारे दिल में टटोलना होगा। क्या आप वनों को उतावली में आकर साफ कर देना चाहते हैं? यह दुनिया में विभिन्न पक्षों से सुनते हैं और उसी आवाज को व्यक्त करता हूं तो एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहता बल्कि यह आवाज हरएक के अन्दर उठ सकती है ज़मीनों की बहुत जरूरत है तो वनों का भी कोई स्थान है या नहीं। इसी चीज को सामने रखते हुए मैं एक वेसिक कान्क्ल्युजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं हमारे दिमाग का क्या सरकारी पक्ष या दूसरे पक्ष से कहा जाय कि जनता को जवाब देना होगा कि वन इसी मात्रा में अपनी जगह पर रहने चाहिये तब ही हम किसी निर्णय पर पहुंच सकेंगे ।

वनों की आमदनी और दूसरी बातें आती हैं, वनों की आमदनी की बात करते हैं, वनों से भूमि लेने की बात करते हैं, तो कई तथ्यों से दूर हो जाते हैं जो तथ्य वनों के महत्व की ओर इंगित करते हैं। इसी सन्दर्भ में, मैं कुछ समय जरूर लूंगा। सदन के सामने एक अमेरिकन मैगजीन में जो बात आयी है वह पढ़ कर सुनाना आवश्यक समझूंगा। वह बात मैंने पढ़ी और मुझे भी चिन्ता हुई कि हमारे ही युग में क्या इस प्रकार की स्थितियां बनने वाली हैं वह यह है–

Unless something is done to reverse environmental deterioration, say many qualified experts, horors tie in wait. Others disagree, but scientists have solid experimental & theoritical evidence to support each of the followiong predictions.

और यह कहते हुए उन्होंने कहा है। उसको हिन्दी में ही मैं कह दूंगा ।

"In a decade, urban dwellers will have to wear gas masks to survive air pollution.

श्री हीराभाई : यह हिन्दी है ?

श्री नारायणसिंह मसूधा : वह मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा है :

1. अगले दस वर्षों में वायु विकारों से अपनी रक्षा करने के लिये शहरवासियों को गैस के नकाब पहनने पड़ेंगे ।

2. 1980 के आरम्भ में वायु विकार और तापमान विपर्यय के कारण कुछ अमेरिकी नगरों में हजारों व्यक्ति मारे जायेंगे। 1985 तक वायु विकार के प्रभाव से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर केवल आधी मात्रा में ही पहुंच पायगा ।

3. 1980 में अमेरिका के किसी भाग में पृथ्वी या जल का कोई मुख्य प्राकृतिक सिद्धांत टूट जायगा। इससे प्लेग के अनुपात में मनुष्य के नियन्त्रण में न आ सकने वाले नए रोग फैलेंगे ।

श्री हीराभाई : कांग्रेस के लिये क्या लिखा है ?

4. वातावरण में कारबनडाईआक्साइड के बढ़ जाने से पृथ्वी के तापमान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे भयानक बाढ़ें आ सकती हैं या नए हिम युग का आरम्भ हो सकता है।

5. शोर शराबे के बहुत अधिक बढ़ जाने से हृदयरोग और बहरेपन के रोगों में वृद्धि हो सकती है। शून्य से आने वाली किरणों का बुरा प्रभाव जन्म से पूर्व ही बच्चे पर पड़ेगा ।

Page No 137

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

(6) घरों में छिड़के जाने वाले डी. डी. टी. के मनुष्य के यकृत (जिगर) में भर जाने के कारण कुछ ग्राम दवाइयों का प्रयोग खतरनाक बन जायगा और जिगर के कैंसर रोग में वृद्धि हो जायगी।

श्री नाथसिंह : यह तो बहुत देख लिया। अब आप मतलब की बात पर आइयें।

श्री खेतसिंह : सीरियसनैस से सोचें कि क्या होने वाला है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हमने सोच लिया है।

श्री नारायणसिंह : इकोनोमिक बैलेन्स को किसी भी उतावली में नजर अन्दाज कर जाते हैं तो इसकी भयानकता को महसूस किया जा सकता है। इस भूमिका में हमें सोचना पड़ेगा।

इन बातों से आगे आते हुए जैसा मैंने निवेदन किया कि एक तरफ वन रक्षा की आवश्यकता है और दूसरी तरफ भूमि रिलीज करने की बात है। भूमि रिलीज के विषय में सबसे पहले मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। वनों की रक्षा की बात है, वनों की बढोतरी की बात है लेकिन उसके साथ साथ रिलीज के लिये हमारे पास में मांग आती है रिक्वेस्ट आती है, दरख्वास्त आती है उसके अनुसार सन् 1966 से लेकर आज तक भूमि रिलीज की गई उसके आंकड़े मैं देने का प्रयत्न करूंगा :

1966-67 में	9302	हैक्टर
1967-68	785	„
1968-69	1083	हैक्टर
	11,169	हैक्टर

जिसका 44 वर्ग मील घेरा होता है। इतनी भूमि हम रिलीज कर चुके हैं। सवाल उठता है कि वन बढ़े या घटे ? मैं निवेदन कर सकता हूं कि 1953-54 में क्षेत्रफल 14943 था।

सन् 1958 में फिर भी इस प्रकार से 17 हजार स्क्वायर मील एरिया था और 64-65 में हमारे पास जो क्षेत्रफल है वह 14,856 और इसके अन्दर भी कितना ही डुप्लीकेट फौरेस्ट है और कितना ही दूसरे प्रकार का फौरेस्ट है जहां पर डुप्लीकेशन हुआ है।

श्री विजयसिंह : जितने भी वन कटे हैं या कम हुए हैं, बढे हैं, इसमें किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इसमें कसूर किसका है, आपके शासन ने यह किया है ?

श्री नारायणसिंह : यदि आप सारी बात सुनेंगे तो सारी बात आपके समझ में आ जायेगी। मेरा निवेदन यह है कि इतने एरिया के अन्दर डुप्लीकेट फोरेस्ट है और दूसरे फोरेस्ट है और जहां पर इस वक्त कोई दरख्त नहीं है, नहीं दिखता है, यदि हम उस प्लेस को सीधे तौर पर फोरेस्ट में लें जहां बिलकुल दरख्त नहीं है, उसको वंचित कर बांट दिया जाना चाहिये। आज जितने वन हैं, उसके अन्दर कितनी क्षति पहुंच सकती है और उसके एवज में कितनी भूमि आयेगी, यह हमें विचार करना है।

(श्री नारायणसिंह)

माननीय जुझारसिंह जी ने कहा था— जितने वन की भूमि हम छोड़ते ह परन्तु उसके साथ साथ कितनी भूमि वन में आती है। आज माननीय सदस्यों को मालूम है कि वन के लिये भूमि प्राप्त करने के लिये हमें कितनी कठिनाई होती है और छोड़ने के समय तो हमसे छुड़वा कर ले जाते हैं लेकिन जब प्राप्त करने का प्रश्न आता है लोग वन के लिये भूमि देने को कोई तैयार नहीं होता है।

श्री जुझारसिंह : मैंने एक आइडिया दिया था आज भी वहां काफी जमीन उपलब्ध है। जो कैनाल एरिया है, उसमें यह उपलब्ध है।

श्री नारायणसिंह : इस बारे में भी निवेदन कर रहा हूं। आज इस विभाग को तुरन्त ही लेने में इसके अन्दर बड़ी भारी कठिनाई है। जो कुछ भी सिफारिशें ब्राड लैण्ड सर्वे कमेटी के द्वारा की गई है हमारे फोरेस्टस के बारे में उसके पैरा 13 के अनुसार एक सब-कमेटी बनाई है। उसके अन्दर यह सिफारिश की गई है कि यह भूमि छोड़ दें। वह छोड़ दी और उसके एवज में कौनसी भूमि ली जावे यह हम पूछते रहे हैं। जब भूमि को छोड़ने का प्रश्न आता है, दूसरी जगह से छोड़ने का प्रश्न आता है तो इसका कई जगहों से प्रश्न आता है, इसका विरोध किया जाता है सिवाय सांगोद के।

श्री रोशनलाल : जो रेवेन्यू के बीड़ हैं उसको फोरेस्ट विभाग ले ले और जो समतल भूमि है उसको छोड़ दे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और आप दोनों बैठकर इस बात को तय कर लें।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट की एडवाइज के अगेन्स्ट आपने बहुत से रेविन एरियाज, बीड़ और दूसरी जमीनें एग्रीकल्चर परपजेज के लिये रिलीज की हैं ?

श्री नारायणसिंह : सभापति जी, इस प्रकार से तारतम्य से मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं क्रमवार आपके पाइंट को बतला रहा हूं।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणसिंह : इसी सन्दर्भ में, माननीय सदस्यों ने यह भी चिन्ता व्यक्त की थी कि आज आमदनी कितनी है वन विभाग की ? मैं मानता हूं, आज आमदनी के जहाँ आकड़े देखने को मिलते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि 64-65 से लगातार आज तक 56 हजार रुपया, 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 14 लाख, 1 करोड़ 17 लाख और फिर 93 हजार, इस प्रकार वनों से आमदनी हुई है। परन्तु यदि हम जंगलात के अन्दर केवल आमदनी पर ही चले जाते हैं तो वास्तविक जंगलात की, जिस बात के लिये आवश्यकता है, भू संरक्षण और इकोनोमिक बैलेंस को बढाने के लिये जिस बुनियादी तौर पर भूमि के निर्माण की आवश्यकता है, उसको हम नजरअन्दाज कर देते हैं। एक निवेदन करूंगा आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को, कि मैं हमारे रिसोरसेज की पोजीशन को अब रखूंगा। किस प्रकार हम अपने रिसोरसेज को इनडाइरेक्टली और तरीके से दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ यह निवेदन करूंगा कि जो स्टेट ट्रेडिंग हमने लिया है, उस स्टेट ट्रेडिंग की

(श्री नारायणसिंह)

आमदनी के आंकड़े भी आज 30 लाख के करीब आते हैं। यह हमारा टारगेट है कि यह 30 लाख की आमदनी जो ठेकों के द्वारा हम करते थे वह आज स्टेट ट्रेडिंग से हम लाना चाहते हैं। इसलिये आमदनी के आंकड़ों में भी 30 लाख का फर्क पड़ गया है—उसमें यह और जुड़ जायेगा और आमदनी एक करोड़ से ऊपर याने एक करोड़ 25 लाख रुपये के करीब यह आमदनी इसमें हो जाती है। इन आंकड़ों के ऊपर हम नजर जमा लेते हैं तो बुनियादी तौर पर वन विभाग की जो नीति होनी चाहिये उसके मूलाधार को ही हम नजर से दूर कर देते हैं। यहां मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज हम जंगलात से टिम्बर, हाऊसिंग मैटीरियल के रूप में 2 लाख 85 हजार 500 देते हैं—1 करोड़ 64 लाख 80 हजार क्यूबिक फीट, लकड़ी आदि देते हैं। इसमें स्माल टिम्बर के रूप में 88 लाख 65 हजार क्यूबिक फीट देते हैं जिसकी मिल्कीयत 2 करोड़ 50 लाख के करीब होती है। फ्यूल वगैरह वर्क के लिये हम 1 करोड़ 10 लाख 82 हजार क्यूबिक हमेशा लकड़ी देते हैं और करीब करीब.....

श्री हीरा भाई : किसको देते हैं? ठेकेदारों को देते हैं या हमको देते हैं?

श्री नारायणसिंह : इसी तरह से फैंसिग मैटीरियल के लिये हम 10 लाख झाड़वार देते हैं, जो फ्री चराई गायें करती हैं वे 11 लाख 50 हजार का माल चरती हैं और जो हम फैमिन में 3 रुपये की रेटस् देते हैं जब कि उसकी मार्केट रेट 8 रुपये है, उस पर 5 रुपये की सबसिडी मानी जाये तो करीब 50 लाख का माल हम फैमिन को देते हैं। 70 हजार मवेशियों के लिये हम 70 हजार मवेशियों की चराई की व्यवस्था करते हैं, जो हमारे माल की खपत है उसकी कीमत होती है 2 करोड़ 10 लाख। कोआपरेटिव के अन्दर भी उसके मारफत हम जो देते हैं वह 4 लाख के करीब होता है। इस प्रकार न केवल आमदनी के सीगे में जो प्रत्यक्ष आमदनी है उसको ही न देखें बल्कि हम 3 करोड़ 38 लाख का अप्रत्यक्ष रूप से भी फायदा पहुंचा रहे हैं। इसको भी उसके साथ देखने की बात है। इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपको रिलीज आफ लैण्ड के बारे में अर्ज किया है। इसके साथ ही मवेशियों के लिये घास जो कुछ भी हमने अकाल के अन्दर दिया है उसका भी निवेदन करूंगा..

एक माननीय सदस्य : ये आंकड़े आपने किताब में दे दिये हैं।

श्री नारायणसिंह : जी नहीं हैं।

श्री रोशनलाल : ये आपको नई नई बातें बता रहे हैं।

श्री गुलजारसिंह : ये बहुत ऊंची बातें हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हमको ही बता रहे हैं आपको नहीं।

श्री नारायणसिंह : इसी प्रकार आज तक जो फैमिन के अन्दर घास दी गई है वह एक लाख क्विन्टल घास दी गई है; 70 हजार मवेशी को 68-69 में खवाया गया है और इस वर्ष 69-70 में इतने ही को घास दी गई है और इसी प्रकार से करीब 60-70 हजार मवेशियों को खवाया गया

(श्री नारायणसिंह)

है। हम पाश्चर के लिये भी इतनी ही क्षमता के अन्दर दे पाते हैं....

पाश्चर डवलपमेंट की कार्यवाही कर सकते हैं। इस वक्त करीब दस लाख टन ग्रास वनों द्वारा मिलने की क्षमता है। इस वक्त वनों से लकड़ी मिलती है मामूली और फरनीशेबिल यील्ड चालीस हजार क्यूबिक फीट है। एक करोड़ के करीब ग्रोवर लिफटिंग हो रहा है। इस तरह से दूसरी तरफ लकड़ी काट रहे हैं। हम जितना ग्रास प्रोवाइड कर पाते हैं उस हिसाब से अन्दाज लगावें पर कंपीटा जुर्माना भुगत रहे हैं वह कुछ कम होता है। वनों की सुरक्षा की तरफ आज हमारी नगण्य दृष्टि लगी है। आज इस उदासीनता को हटाने के लिये हमें काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। पाश्चर डवलपमेंट के लिये 25 लाख रुपया रखा गया है। हमारे पास काफी एरिया इस प्रकार का है कि जिसको हम पाश्चर डवलपमेंट में ले सकते हैं जिससे कम से कम कुछ और नहीं तो कम से कम पचास हजार क्विण्टल ग्रास तो पैदा कर सकेंगे ही।

यही योजना है जैसा कि महता साहब ने कहा ग्रास की बागर बनायें। मैं स्वय इस बारे में जागरुक हूं पहले जो स्थान स्थान पर लगाते थे आज उतने तो बीड़ नहीं हैं। इसके लिये हमें सामूहिक रूप से प्रयत्न करना होगा। इसकी मोटी रूप-रेखा है कि इसका 715 हजार क्विण्टल का स्टाक बनाया जाय। और उसमें पच्चीस हजार क्विण्टल प्रति वर्ष निकाला जाय और 25 हजार क्विण्टल वापिस उस जगह रिप्लेस किया जाय। इस तरह से ग्रास बैंक लग सकता है जो इमरजेन्सी में काम आ सकता है।

माननीय सदस्यों ने ठेकेदारी प्रथा के कारण वनों का ज्यादा ह्रास हुआ है यह कहा है। यह मैं भी मानता हूं। इस तरह वनों का ह्रास हुआ है। मैं यह मानता हूं कि ठेकेदारी प्रथा खराब थी इसलिये हमने इसके बारे में गत वर्ष और उससे पहले यह पोलिसी अख्तियार की कि लकड़ी और कोयले के लिये कोई ठेका नहीं दिया जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपकी स्कीम मंहगी पड़ रही है। रेट कम करिये।

श्री नारायणसिंह : मैं अर्ज कर रहा था कि जिस समय ठेके की प्रथा थी उस समय ठेकेदार द्वारा 30 हजार एकड़ जमीन प्रति वर्ष एक्सप्लोइट होती थी और 40 लाख की आमदनी होती थी। जो 100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आया है।

जब से यह प्रथा बन्द की है, लकड़ी और कोयला प्राप्त करने का अधिकार विभाग को दिया गया है। इसके अन्तर्गत 30 हजार एकड़ पर 15 हजार एकड़ का एक्सप्लोइटेशन रखा है। जो आज तक पैसा इससे आया है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि पहल पहल 755 एकड़ जमीन हर वर्ष हमने इसके अन्तर्गत रखने का निश्चय किया है। गत वर्ष भी इस तरह से करने से 7 लाख 8 हजार की आमदनी बढ़ी है। एक्सपेण्डीचर 3.70 हजार हुआ है। 69-70 में 8 हजार एकड़ जमीन पर 37 लाख की आमदनी हुई जब कि उस पर 16 लाख का खर्च हुआ। 490 प्रति

श्री नारायणसिंह)

एकड़ पर 200 रुपया मेन्टीनेन्स का खर्च आया इस तरह से 212 रुपया 50 पैसे प्रति एकड़ बैठा ।

इस तरह पांच हजार वर्ग गज भूमि एक्सप्लोइट की गई उसका 15 लाख रुपया बैठा उसमें आठ लाख खर्च हो गया । इस तरह से 300 रुपया प्रति एकड़ आमदनी हुई और 160 रुपया प्रति एकड़ खर्च आया । यह सब आंकड़े बता कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से आगे आगे बढते जायेंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। अभी तक आठ हजार एकड़ को एक्सप्लोइट किया गया हमारा 15 हजार का लक्ष्य हैं । इससे हम 26 लाख की आमदनी पैदा कर रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राष्ट्रीयकरण जंगलों का करने के बाद कंजूमर के उपयोग के लिये जो स्टाक आप देते हैं क्या वह मार्केट प्राइस पर मिलता है । आप कंजूमर को बताना चाहते हैं कि इससे कौस्ट कम हो रही है या ज्यादा बढ़ रही है । आप कन्जूमर को इस तरह से आंकड़ें बता कर संतुष्ट नहीं कर सकते । आपने जब से राष्ट्रीयकरण किया है मार्केट प्राइस डवल हो गई है । लकड़ियां मिल नहीं रही हैं । कोयला मिल नहीं रहा है ।

(4.15 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी समय का ध्यान रख कर उत्तर दीजिये ।

श्री नारायण सिंह : राष्ट्रीयकरण योजना के बाद 35 रुपया क्विण्टल लकड़ी बेच रहे हैं जब कि बाजार भाव 37 रुपया है ।

कोटा में 35 में दे रहे हैं जब कि बाजार भाव 37 रुपया है उदयपुर में 25 बाजार भाव 30 ।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह भाव कब के हैं कौन से साल के हैं ?

श्री नारायण सिंह : विभागीय प्रणाली जो हमने अपनायी है उससे कन्जूमर को लाभ मिला है, सीधा लाभ उसी को मिल सकता है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह भाव कौन से सन् के हैं ?

श्री नारायण सिंह : अगर इस विषय में विशद रूप से विचार किया जाय तो उसके लिये तैयार हूं । पांच मिनिट में सारी बहस होना मुमकिन नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : ऐसा अच्छा भाषण और कब सुनने को मिलेगा ?

श्री नारायण सिंह : भाषण की जरूरत नहीं फैक्चुअल रिपोर्ट है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसमें जो कुछ गड़बड़ियां हुई हैं लकड़ी और कोयलों के बारे में, हमें आप जानकारी दीजिये कि आपने इसमें जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसके लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? जंगल नाजायज तौर पर काटे गये, नाजायज तौर से ठेकेदारों ने माल उठाया । 59-60 के केसेज आपके यहां पैंडिग पड़े हुए हैं आज

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
तक आपकी फाइल में दबे पड़े हैं ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया गया। उन अधिकारियों के खिलाफ जिनके खिलाफ आरोप हैं उनके बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री नारायणसिंह : यदि एक एक पोइन्ट पर सारी बातें करने की हों तो मुझे भी समय दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : 4।।। बजे मुखबन्द का प्रयोग हो जावेगा।

श्री नारायणसिंह : विजिलेंस स्क्वेड के बारे में निवेदन करता हूं। अब तक 95 केस पकड़े गये। डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी में 21 हैं।

इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन और कोआपरेटिव्ज के बारे में निवेदन करना चाहता था। पर समय के अभाव में सम्भव नहीं होगा।

श्री हीराभाई : एक प्रश्न मुझे पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : यह एप्रोप्रियेशन बिल पर फिर पूछने का अवसर आवेगा।

श्री हीराभाई : जो मौजूदा ठेके है उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं या नहीं।

श्री नारायणसिंह : इसके बारे में कदम उठाये गये हैं। आज विभागीय प्रणाली में क्या गुण हैं, इसकी जानकारी आनी बाकी है। मेरा तो यह विचार है कि शनैः शनैः यह प्रणाली आगे बढाई जावे।

कोआपरेटिव का भी कुछ खयाल रखने की बात आ जाती है और कुछ वेस्टेड इन्टरैस्ट भी ऐसे हैं कि जिनसे हम आज एक दम से निपट नहीं सकेंगे, उन सब बातों का ध्यान रखकर उनके बारे में भी करना पडता है। हमारी क्षमता को आज हमें देखना पड़ेगा कि आज विभागीय प्रणाली कहां तक सफल होती है। उसके दुश्मन अथवा जो भी हो सकते हैं वे उसे सफल होने देना नहीं चाहते हैं, इस बात का प्रश्न है। मैं समझता हूं कोआपरेटिव भी अपना हिस्सा मांग रहा है।

कत्था-कोआपरेटिव को हमने गत वर्ष कुछ एरिया दिया भी है। 68-69 में उनको 27 कूप दिये गये जिसके लिये 559878 रुपया होता है। 69-70 के लिये 37 कूप दिये हैं जिसकी कीमत 6 लाख 947) रुपया होती है। तो उन को भी देना आवश्यक हो जाता है। मैं स्पष्टतया निवेदन करूं तो यह भी कहूंगा कि जिस प्रकार मुक्ति के लिये ब्रह्म-भोज की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से समाजवादी ढांचे की ओर अग्रसर हम होना चाहते हैं तो कोआपरेटिव के जिम्मे भी कुछ दो इस प्रकार की बात जरूर हो सकती है। कोआपरेटिव को नजरअन्दाज करना मुश्किल है। पोलिटिकली भी हम अक्षम हैं।

इसके साथ दूसरी चीजों को बिठाना पड़ेगा। विभागीय प्रणाली सफल हो सकेगी या नहीं इसमें शंका है और इसके लिये आज भी मैं कह सकता हूं कि यह सदोष है। पर यह निवेदन कर सकता हूं कि साइन्टिफिक एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, जितनी गड़बड़ी ठेकेदारी में होती थी उतनी नहीं है। यद्यपि यह रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जैसी हमारी मनोवृत्तियां हैं उनको देखते हुए कि सारा बिल्कुल सब जगह से साफ

(श्री नारायणसिंह)

निकल जावें। पर फिर भी निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक आज की विभागीय प्रणाली जिस रास्ते से आगे बढ़ी है उसको देखते हुए यह तो नहीं कह सकते कि वहां चोरियां नहीं होती, होती हैं, पर ठेकदारों के मुकाबले कुछ नहीं है। सरकारी इन्कम बढी है। ठेकेदारों से जिस एवरेज से पैसा आता था उससे कहीं अधिक आज 212) 50 प्रति एकड़ इस विभागीय प्रणाली से हमें मिल रहा है। आगे जाकर लड़खड़ा जावें यह अलग बात होगी। पर ईमानदारी का एक हमने जरूर प्रयोग किया है और इसके अन्दर क्या रिजल्ट चलते हैं इसके लिये ईमानदारी कुछ काम करने के लिये तैयार हैं। ठीक नहीं चलता है तो हम उसको उस तरीके से देख सकते हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: आपकी ईमानदारी पर डाउट नहीं करेंगे। पर माननीय मंत्रीजी आपके विभाग में काम करने वालों के बारे में भी आप यही कहते हैं क्या?

श्री नारायणसिंह: आसन की आज्ञा हो तो कहूं। समय ज्यादा हो गया है।

श्री भैरोंसिंह: एक जानकारी करनी है। चित्तौड़ जिले में कन्ट्रक्ट का एक मामला था जिस में फौरेस्ट विभाग के ही एक अधिकारी से आपने जांच करवाई और उसके बाद सज़ा हो गये। इसका क्या कारण हैं?

श्री नारायणसिंह: जांच हुई है। जांच के बाद में जुर्माना भी हुआ है 91 हजार का। जब्ती भी हुई है और उस समय जो जांच के रिजल्ट्स आये थे उसके मुताबिक इससे अधिक की स्थिति नहीं बनती थी। फिर भी जांच अभी भी चालू है और उसका अन्तिम परिणाम आवेगा तो मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि चीफ कन्जर्वेटर का एक लैटर जो उन्होंने लिखा था और जिसके कारण से यह स्थिति उत्पन्न हुई थी उसकी एक मातहत अधिकारी जांच करता है तो सी. सी. एफ. के खिलाफ तो एक लाइन नहीं लिख सकता।

श्री नारायणसिंह मरूधर: इस प्रकार की स्थिति तो नहीं थी कि लैटर से ही गड बडी हुई हो। जैसी गड बडी यहां थी साधारणतया सभी जगह पर उस प्रकार की मिलती हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलचन्द बाफणा।

श्री फूलचन्द बाफना: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि चाहे जंगल विभाग द्वारा काटे जावें, पर यह सही है कि औसत रेन फाल प्रति वर्ष कम होता जा रहा है।

श्री नारायणसिंह: यह बिलकुल सही है। मैं निवेदन कर चुका हूं। इसलिये वर्षा कम हो रही है कि जंगल कम होते जा रहे हैं। और इसके कम होने के कारण भी निवेदन कर दूं। और भी कारण हैं। बढती आबादी भी है। मानस लोगों का पूरी तरह जंगलों की रक्षा करने का नहीं बनना भी है।

श्री रतनलाल रो : झालावाड़ में तैंदू के पत्तों का बहुत व्यापार होता है लाखों रुपयों का होता है तो इसको सरकार ने क्यों नहीं अपने हाथ में लिया दूसरे व्यापारों की तरह।

श्री नारायण सिंह : जो व्यापार अभी हाथ में लिये हुये हैं उनका अनुभव प्राप्त किया जा रहा है। इससे और आगे बढ़ जावेंगे एक साथ ही तो गलत होगा।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार का रेगिस्तानी क्षेत्र में भी वन लगाने का कार्य क्रम है और तो क्या है ?

श्री नारायण सिंह: इसकी प्लान है। समय के अभाव के कारण मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं समझी गई इसलिये बैठ गया था। अब भी बताने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य-क्रम है।

श्री दौलतराम सारण: क्या यह सही है कि वह जो पुराने बड़ लगे हुए थे उनको वन विभाग ने ले लिया और उनके सारे दरख्तों को सरकार ने काट काट कर बेच दिया और आज उसको वीरान कर दिया ?

श्री नारायण सिंह : मैं निवेदन कर दूं कि राजस्थान कैनाल के अन्दर प्लान्टेशन के द्वारा · · ·

श्री उपाध्यक्ष: उन्होंने सीधा सादा प्रश्न पूछा हैं बीघोड़ी का—हां या ना कह दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : रतनगढ़ चुरू के प्रसिद्ध बीड़ थे उनको काटकर साफ कर दिया।

श्री नारायण सिंह: 27 पाइन्ट 9 लाख खर्च हुआ इन सबको मिलाकर हुआ है। राजस्थान में इससे आगे भी रेविन रिक्लेमेशन के लिये और स्कीम है। उसके बारे में थोडा सा निवेदन कर देता हूं। राजस्थान कैनाल एरिया में · ·

(कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान डालने पर, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया शान्त रहे, आपस में बात न करें माननीय सदस्य।

श्री नारायण सिंह : राजस्थान कैनाल के अन्दर · · ·

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बहुत अच्छा।

श्री नारायण सिंह: राजस्थान कैनाल के अन्दर भी हमने गत वर्ष से इस वर्ष काफी प्रोविजन बढ़ाया है। लैन्ड रेवेन्यू का भी वहां अलग अलग प्रावधान है।

श्री उपाध्यक्ष : वन विभाग पर चर्चा समाप्त हुई।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

(4.33 म. प.)

आर्डर प्लीज। राजस्व मंत्री जी से निवेदन है जो मामला आया है वह रह न जाय। अगर असुविधा न हो तो उससे ही शुरू कर दीजिये

श्री राजकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने राजस्व विभाग की मांगों में दिलचस्पी ली है, कटौती प्रस्ताव भी भेजे हैं और बहुत से अच्छे अच्छे सुझाव भी दिये हैं। 4-45 पर बुलेटिन लगने वाला है। 10 मिन्ट बाकी हैं और हर एक माननीय सदस्य का जवाब देना इस समय में मुश्किल लगता है। जनरल बातें जो अर्ज करना चाहता था वह भी नहीं कर पाऊंगा और मैं कट मोशन्स के लिखित में जवाब भिजवाने की कोशिश करूंगा। इशारतन-

(श्री रामकिशोर व्यास)
हवालतन मामले को खतम करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता जो नियम है उसको तोडा जाय और वह टूट भी नहीं सकता इसलिए मैं निवेदन करता हूं सबसे पहले इस सदन में यह बात आई कि भूमि -सुधार के बारे में कार्यवाही नहीं की जा रही है इसकी चिन्ता प्रकट की दूसरे समाजवाद की नीतियों के विरोध में माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान भूमि सुधार के मामलों में काफी अच्छा रहा है । कई राज्यों से अच्छा रहा है । अभी उसके ब्यौरे में जाना तो सम्भव नहीं है क्योंकि समय नहीं है । लेकिन मैं 3-4 बातें भूमि सुधार की आपको बता देता हूं ।

एक बात तो जो बिचौलियों को हटाने की है— Removal of intermediaries यह काफी लम्बे अर्से पहले हो गई है । उसमें सब तरह की जागीरों को रिलीजियस वगैरा हैं मजहबी सभी को रिज्यूम किया गया है और उन पर कब्जा करके वितरण की गई है । लैन्ड रिफार्म के बारे में बताना चाहता हू- राजस्थान अलग अलग राज्यों से बना है । यहां पहले अलग अलग भूमि सुधार के कानून थे । उन सबका एक इन्टेग्रेशन किया है और टेनेन्सी एक्ट व लैन्ड रेवेन्यू एक्ट नया बनाया है । एक मुश्त खातेदारी हकूक दिये गये इसके बाद नई सेक्शन निकली जिसमें खातेदारी हकूक राजस्थान को काफी अर्से पहले लोगों को दिये गये और आयन्दा भी दिये जायेंगे । दूसरी बात टेन्योर के बारे में कहा—क्या किसी काश्तकार को निकाला जा सकता है । वह आपको मालूम है दो-तीन मामलों के बिना नहीं निकाला जा सकता है । एक तो जब तक वह कोई लेन्ड रेवेन्यू न दे और दूसरे वह उस जमीन को उस काम में न ले, जिस काम के लिये वह जमीन है । फिक्सेशन आफ रेन्ट यह तीसरा पाइन्ट है । राजस्थान में यह अभी कायम हुआ है और सभी जगह फिक्स होगा और रीजनेबिल रेन्ट फिक्स होगा । पहले कहीं आधा, कहीं वन-थर्ड और कहीं क्या था अब समान तौर पर करीब करीब किया गया है । दूसरे राज्यों से कम्पेयर करेंगे तो आप देखेंगे हमारे यहां फेवरेबिल रेन्ट है । इसी तरह एक फैसिलिटि जो मार्टगेज है । उन लोगों को जो गैर खातेदार लोग हैं वे भी वक्त जरूरत जमीन के लिए करजा ले सकें वह काम भी हुआ है । बिल आपके हाउस के सामने है । गैर खातदार बैंक से डवलपमेंट परपजेज के लिये लोन ले सकता है । शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोग जमीन ट्रान्सफर करते हैं तो आपको मालूम है लीगली नहीं कर सकते हैं । इसकी समस्या आई है । मैं इस समय तो इस समस्या के बारे में नहीं कहना चाहता । बावजूद इस कानून के शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की लैन्ड ट्रान्सफर हुई है । कुछ और माननीय सदस्यों ने भी इसके लिये कहा है । हम सोचते हैं उसमें कुछ कार्यवाही होनी चाहिये जिससे उनको वापिस मिल सके यह सरकार के विचाराधीन है ।

इसी तरह से गैर खातेदारों को जब जमीन दी जाती है यह भी सवाल है उनको अच्छे साधन भी मिलने चाहियें ताकि काश्तकार काश्त कर सकें और गवर्नमेंट ने 5 इरिगेटेड और 15 नॉन-इरिगेटेड के लिये गवर्नमेंट ने गारन्टी लेने का तय किया है । छोटे काश्तकार हैं उनको लोन मिलने में बडी मुश्किल

(श्री रामकिशोर व्यास)
होती थी इसलिये गवर्नमेंट ने एसेप्ट करके गारन्टी देने का तय किया है ।

एक लैंड सीलिंग के बारे में यह जो पाइन्ट बताया है इसको और रियासतों से कम्पेयर करेंगे तो हम कई राज्यों से अच्छे हैं । इसमें दो राय नहीं है ।

(माननीय सदस्यों के व्यवधान करने पर)

बीच में न बोलें, पहले आप मेरी सुनलें । सीलिंग के ज्यादा ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इतना आप सबको मालूम है 60 में यह कानून बना था, 63 में रजू हुआ फिर हाई कोर्ट में गया और वहां स्टे हो गया। गवर्नमेन्ट 30 एकड़ को मानती है और गवर्नमेंट आफ इन्डिया व चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में भी यह बात हुई कि 30 एकड स्टेण्डर्ड मानी जायगी जो एक्ट में प्रोवाइडेड है । कुछ सरटेन एग्जम्प्शन थे जैसे शुगर केन आदि क इसी तरह से मैं कहना चाहता हू इतना अर्सा हो गया इम्प्लीमेंट नहीं हुआ । हमको यह बात कही गई कि गवर्नमेंट के कब्जे में जमीन आई या नहीं आई । हमने जमीन ली है और हम सिन्सियरली सीलिंग के कानून को लागू करना चाहते हैं । इसमें मुश्किलें जरूर आई हैं । लेकिन हम ईमानदारी से कानून लागू करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है । कितने समय के अन्दर पूरा होना चाहिये ? एक साल का समय फिक्स किया है । एक साल भर के अन्दर इस काम को पूरा किया जाना चाहिये, ऐसा हमारा इरादा है ।

श्री भैरोंसिंह : यह सिन्सियरिटी आप बनाये रखना ।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि इस काम को पूरा अन्जाम दूं ।

दूसरी बात आपने असली मुद्दे की पूछी कि कितनी जमीन रिज्यूम हुई है वह मैं आपको बताना चाहता हूं । जहां हम पहले बजट के समय में मिले थे तो उस समय तक हमारी कोई भूमि रिज्यूम नहीं हुई थी लेकिन इस साल में 32,219 एकड भूमि रिज्यूम की है । हालांकि यह कोई बहुत बडा एरिया नहीं है लेकिन हमने शुरुआत की है ।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा से ज्यादा कौनसे जिले की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई जगह की है ।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा से ज्यादा ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो इस समय मेरे पास नहीं है । आप चाहेंगे तो मैं फिगर्स सप्लाई कर दूंगा ।

दूसरे रेंट रेट्स के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने बात यहां पर उठाई । यह कहा गया कि राजस्थान के अन्दर रेंट रेट्स का समानीकरण होना चाहिये और यह कहीं बहुत ज्यादा हैं और कहीं कम हैं । खास तौर से सीकर, झुन्झुनूं, जयपुर और कई जगह की । यह सही है कि अलग अलग राज्य थे पहले और उस समय से अलग अलग रेट्स चली आ रही हैं और कहीं तो बहुत ज्यादा हैं और कहीं बहुत कम हैं । यह बात सही है । अभी गंगानगर का मामला चला उसमें फैसला हुआ उसके सिलसिले में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा । मुख्य मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट भी

Page No 147

(श्री रामकिशोर व्यास)

दिया । सेटलमेंट के बारे में भी दिया कि साल भर के अन्दर जो सेटलमेन्ट हुए हैं उसमें उन्हीं प्रिन्सिपल्स को कन्सीडर करेंगे । बारानी जमीन पर 25 परसेन्ट से ज्यादा नहीं बढायेंगे । अब और दूसरे सेटलमेंट देरी से होने वाले हैं । चाही और नहरी का अन्तर भी मिटना चाहिये यह सवाल आया । यह अहम सवाल है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं माननीय सदस्य । समय जायेगा । आर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह जो रेंट रेट्स का डिफरेंस है इसका रेशनलाईजेशन क्या हो यह हमारे विचाराधीन है और बहुत जल्दी इसका फैसला करेंगे कि क्या एक्शन लें और किस तरह से उसका आधार हो । इस संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं ।

पास बुक्स के बारे में यहां कहा गया । मुझे यह अर्ज करना है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि पास बुक्स कितनी सप्लाई कर चुके हैं । हमने करीब 82,975 पास बुक्स डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर भेजी हैं । आप चाहें तो मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्टवार आंकडे दे सकता हूं ......

कुछ माननीय सदस्य : इसकी जरूरत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामकिशोर व्यास : 82,975 पास बुक्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भेजी हैं ।

श्री जयनारायण खालोदिया : बंटी कितनी ?

श्री रामकिशोर व्यास : कई डिस्ट्रिक्ट में बांटने का काम शुरू कर दिया है और प्रगति हुई है और कई डिस्ट्रिक्ट में प्रगति नहीं हुई और कुछ जगह प्रगति स्लो है । जिन जिन जिलों में प्राग्रेस स्लो है वहां हम आदेश देंगे ताकि पास बुक्स के वितरण का काम जल्दी से जल्दी हो जाये । इतना हमने सोचा है इस साल में कि 10 लाख पास बुक्स का वितरण इस साल में कर देंगे । ऐसा टारगेट बनाया है......

श्री दौलतराम सारण : कुल कितनी पास बुक्स सप्लाई करनी पडेंगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : 36-37 लाख के आस पास ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कन्वर्शन टू आबादी लैंड ?

श्री रामकिशोर व्यास : जैसा आपको मालूम है कि पहले इस बात का अनाउन्समेंट किया था कि उस सम्बन्ध में रूल्स बनाये जा रहे थे, फिर रूल्स को रिवाइज किया और ला डिपार्टमेंट के पास पेन्डिंग हैं ।......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । चर्चा समाप्त हुई ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज ! समय हो गया ।

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा के बोलने पर) आर्डर प्लीज ! आसन अपने पैरों पर है मुख बन्द

प्रश्न यह है कि......

Page No 148

श्री भैरोंसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव इस सदन में प्रेस करना चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : पौने पांच हो गये हैं इसलिये अब मुख बन्द का प्रयोग किया जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय बहुत जरूरी है । रेशनलाईजेशन का इश्यू है··

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य वैधानिक स्थिति बन जाती है । पौने पांच बजे से पहले मांग पेश होती तो बिना गुलोटिन के होती । अब विचाराधीन जो मांगें हैं इसलिये गुलोटिन उनके ऊपर भी हो जाता है । अगर पांच मिनट बचे होते और मतदान होता तो उस स्थिति में ऐसा हो सकता था नहीं तो यह भी गुलोटिन में आ गयी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गुलोटिन में डिवीजन या वोटिंग तो होता ही है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह सब कुछ हो सकता है ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि मुखवन्द का प्रयोग करके जो विचाराधीन है और जो शेष बची हुई हैं उसके हिसाब से मतदान के लिये प्रस्तुत की जाती हैं ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,79,12,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,93,62,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 मुख्य शीर्षक-18-संसद राज्य । संघ-राज्य क्षेत्र विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 47,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 38-श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 72,68,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29, मुख्य शीर्षक 65 निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ 72—निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को 3,00,14,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30, मुख्य शीर्षक 66 प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 71-विविध के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,91,04,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 76 अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 80,16,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक 92-भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 85,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 42

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 109 अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 43

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक 12 निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्यों के भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक आ–राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा

(श्री उपाध्यक्ष)

ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,80,98,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

वित्त मंत्री जी, विनियोग विधेयक ।

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक 1970-पुरःस्थापित

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्षजी मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 52 मिनट पर दिनांक 28 मार्च, 1970 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 324 की सूची)

सूची विभाग के उन अधिकारियों की जिनकी नियुक्ति अपने जिले में की गई है:—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम व पद
1.	श्री छोटेलाल गुप्ता, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बांसवाड़ा।
2.	श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर।
3.	श्री विजयसिंह, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, माइनर इरिगेशन स्कीम, नदबई (भरतपुर)।

सूची विभाग के उन अधिकारियों की जिनकी प्रतिनियुक्तियां उनके अपने जिले में की गई है:—

क्रम संख्या 1	अधिकारी का नाम व पद 2
1.	श्री श्यामसुन्दर गुप्ता, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, प्रतिनियुक्ति अधिशासी अधिकारी, सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., कोटा।
2.	श्री चांदमल पोरवाल, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर व्यवस्थापक, क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि., चित्तौड़गढ़।
3.	श्री कृष्णचन्द गौतम, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति, अधिशासी अधिकारी, कोटा सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., कोटा।
4.	श्री अजीतकुमार सिकन्दर, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर अधिशासी अधिकारी, अजमेर सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., अजमेर।
5.	श्री बाबूलाल ओझा, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर, अधिशासी अधिकारी, भीलवाड़ा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., भीलवाड़ा।
6.	श्री रामपाल पोरवाल, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर, भीलवाड़ा सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा।
7.	श्री केदारनाथ गुप्ता, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर, अधिशासी अधिकारी, भरतपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., भरतपुर।
8.	श्री राधारमण शर्मा, सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर, व्यवस्थापक, कामा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., कामा (भरतपुर)। निरीक्षक के पद से की प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 330 की सूची)

जिलाधीश, चूरू द्वारा सिफारिश किये गये गांव

पंचायत समिति, राजगढ़

(1) जनाऊ मीठी
(2) नेशन
(3) सुलखनिया
(4) नारंगपुरा
(5) बुढ़ावास
(6) ठिमाऊ
(7) गुढ़ान
(8) नवां
(9) मैसली
(10) मरिन्ड
(11) बंबड़
(12) रामपुरा
(13) नूहन्द
(14) थिरपाली छोटी
(15) थिरपाली बड़ी
(16) डींगली

पंचायत समिति, सुजानगढ़

(17) न्याभा
(18) खारिया कनीराम
(19) खुडी
(20) धातरी
(21) जोगलिया
(22) जैतासर
(23) लालगढ

पंचायत समिति, डूंगरगढ

(24) सुरजनसर
(25) उदरसन चारनान
(26) लाखनसर
(27) जैतासर
(28) नरसीसर

पंचायत समिति, सरदारशहर

(29) राणासर बीकान
(30) आलससर
(31) अजीतसर
(32) बीकमसरा
(33) सवाई छोटी
(34) जैसमसर

पंचायत समिति, रतनगढ़

(35) दाउदसर
(36) हरदेसर

पंचायत समिति, रतननगर

(37) बीनासर
(38) बूटिया ।

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बीकानेर में भूमि बन्धक बैंक

332. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बीकानेर में भूमि बन्धक बैंक की स्थापना किस तारीख को की गई व इसके कुल कितने सदस्य हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस बैंक की स्थापना की जाने के बाद आज तक इसका सरकार द्वारा चुनाव नहीं करवाया गया जिससे किसान वर्ग में भारी असन्तोष फैला हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि बन्धक बैंक, बीकानेर का चुनाव कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. जिला बीकानेर में भूमि बन्धक बैंक की स्थापना दिनांक 16-5-68 को हुई । इस बैंक के कुल 588 सदस्य हैं ।

2. जी हां, बैंक का चुनाव अभी नहीं कराया गया है क्योंकि बैंक के उपनियम संख्या 24 (1) के अन्तर्गत बैंक का प्रथम संचालक मंडल तीन वर्ष के लिये दिनांक 30-7-68 को मनोनीत किया गया है । अवधि बीतने पर चुनाव का प्रश्न उठ सकता है, जिस पर उस समय ही निर्णय लिया जा सकेगा ।

राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट के लिए सहायक इंजीनियरों की सीधी नियुक्ति

333. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने सन् 1968 में कितने व्यक्तियों को सहायक इंजीनियर के पद पर सीधी नियुक्तियां करके राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट पर उन्हें नियुक्त किया ?

(2) जिन व्यक्तियों की राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट पर सीधी नियुक्ति सहायक इंजीनियर के पद पर की गई है उनकी क्या योग्यता है व कितना अनुभव है ?

(3) इन नई नियुक्तियों के पूर्व राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट पर कितने जूनियर इंजीनियर कार्य कर रहे थे ? उनकी क्या योग्यता थी व क्या अनुभव था ?

(4) क्या यह सही है कि नये सीधे नियुक्त व्यक्तियों से प्रोजेक्ट पर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति अधिक अनुभवी एवं योग्यता वाले हैं ?

(5) क्या यह सही है कि नयी नियुक्ति हेतु न तो कोई विज्ञापन कराया गया और न ही पुराने कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस पद पर प्रार्थना-पत्र देने हेतु मौका दिया गया ?

(6) क्या यह सही है कि अब तक यह व्यवस्था रही है कि राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट पर आर. एस ई. बी. के यहां से इन्जीनियरों की आॅन डेपूटेशन नियुक्ति होती है जिससे प्रोजेक्ट का कार्य समाप्त होने पर बेकार न हो तथा पुनः अपने कार्य पर चले आवें ?

उत्तर

1. राज्य सरकार ने 1968 में एक व्यक्ति को सहायक अभियन्ता (विद्युत्)

(विद्युत् मंत्री)
के पद पर सीधी नियुक्ति करके राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट पर नियुक्त किया है।

2. राज्य सरकार द्वारा जिस व्यक्ति को राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट पर सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया है उनकी शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीजियेट व तकनीकी योग्यता में विद्युत् इन्जीनियरिंग में डिग्री होल्डर हैं। उन्होंने राजकीय शक्कर मिल्स में दो साल तक ट्रेनिंग प्राप्त की है तथा अन्य अराजकीय संस्थाओं की सेवा का भी अनुभव है।

3. इनकी नियुक्ति के पूर्व राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट पर 29 जूनियर इंजीनियर (विद्युत्) कार्य कर रहे थे और ये सब विद्युत् इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर थे। सन् 1968 में इनमें एक को 6 वर्ष, 15 को 4 वर्ष व 13 को 2 वर्ष का राजकीय सेवा का अनुभव प्राप्त था।

4. यह सही नहीं है कि प्रोजेक्ट पर जूनियर इन्जीनियर के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति जो डिप्लोमा होल्डर हैं अधिक योग्यता वाले हैं।

5. नियमानुसार पुराने कार्य करने वाले व्यक्ति इस पद के लिये एलीजबिल नहीं थे। नियुक्ति एडहोक बेसिस पर की गई थी अतएव कोई विज्ञापन नहीं कराया गया।

6. जी हां।

चूरू जिले के कर्मचारियों का फिक्सेशन

334. **श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व विभाग के अन्तर्गत चूरू जिले में नियुक्त किन किन कर्मचारियों के फिक्सेशन सन् 1966 तक होने बाकी थे? इतने समय तक फिक्सेशन न होने के क्या कारण हैं?

(2) फिक्सेशन के लिये भेजे गये कैसेज का कितने समय में निर्णय किया जाना नियमों के अनुसार आवश्यक है?

(3) वेतन वृद्धि के लिये इन्क्रीमेन्ट का समय समाप्त होने के बाद ई. बी. क्रास की आज्ञा देने से कितने कर्मचारी बाकी हैं? और कब से बाकी हैं?

(4) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वरिष्ठता सूची में नाम रखने वाले कर्मचारियों को जो विभागीय परीक्षा पास होते हैं, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन पा सकते हैं?

उत्तर

(1) परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(2) नियमों में समय का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) परिशिष्ट (ख) संलग्न है।

(4) पदोन्नति के लिये वरिष्ठता ही आधार नहीं है। पदोन्नति योग्यता, वरिष्ठता योग्यता के आधार पर दी जाती है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

खैरथल की तेल मिल पर बिजली की बकाया राशि

335. **श्री गंगासहाय (कठूमर):** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 155

(श्री गंगासहाय)

(1) श्री वीरेन्द्र नाथ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् मण्डल खैरथल (अलवर) में कब से कब तक रहे ?

(2) क्या यह सही है कि श्री हरिप्रसाद शर्मा विधायक मन्डावर की तेल मिल खैरथल में है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मिल का विद्युत् कनेक्शन 14,000 रुपये की बिजली की बकाया रकम जमा न कराने के कारण इन्चार्ज अभियन्ता ने काट दिया था ? यदि हां, तो यह कब काटा गया तथा कितनी राशि मिल मालिक से जमा कराई गई और मिल कितने दिन बन्द रही ?

(4) क्या यह सही है कि उस अभियन्ता की उक्त कार्यवाही के कारण वहां से स्थानान्तरण करा दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त मिल मालिक ने अभियन्ता को मिल के हरजाने का नोटिस दिया था ?

(6) उक्त मिल मालिक ने यह धन राशि कब से जमा नहीं कराई थी तथा संबंधित अधिकारियों ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) श्री वीरेन्द्र नाथ, सहायक अभियन्ता खैरथल में 1-8-67 से 10-10-68 तक रहे।

(2) खैरथल में एक तेल मिल जय भारत आयल मिल के नाम से है।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम हिण्डोली के भूमिहीन रेगर

336. श्री केशरी सिंह हांडा (हिन्डौली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम हिण्डोली, जिला बूंदी में कितने भूमिहीन रेगर हैं ?

(2) इन रेगरों को क्या तहसील हिण्डौली द्वारा कभी भूमि दी गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सत्य है कि गंगाराम रेगर, भूरा, गेन्दा व कल्याण को दो तीन साल पहले भूमि आवंटन किया गया था ?

(4) क्या यह सत्य है कि तहसील द्वारा अब उसी आराजी पर इस साल जुर्माने किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम हिण्डौली, जिला बूंदी में 10 भूमिहीन रेगर हैं।

(2) इन रेगरों को तहसील हिण्डौली द्वारा कोई भूमि नहीं दी गई है।

(3) जी हां, यह सत्य है कि गंगाराम, भूरा, गेन्कोदा व कल्याण 2-3 साल पहले

(श्री राजस्व मंत्री)

भूमि आवंटन हुई थी जिस पर वे बदस्तूर काबिज हैं।

(4) यह सत्य नहीं है। तहसील द्वारा जुर्माना आवंटित भूमि के लिये नहीं किये जा रहे हैं ऐसी दशा में तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

झालावाड़ जिले का चद्दरों का कोटा

337. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सफेद व काली चद्दरों का बाल्टी, पेटियां आदि के कार्य करने वाले छोटे उद्योगों को कोटा दिया जाता है? यदि हां, तो झालावाड़ जिले को कितना कोटा सन् 1968-69 में दिया गया और वह किसके द्वारा सप्लाई हुआ?

(2) क्या यह सही है कि झालरापाटन के दुकानदार व छोटे उद्योग वालों ने शिकायत की है कि हमें चार-पांच साल से चद्दरों का कोटा नहीं दिया जाता है? अगर कोटा दिया है तो किन किन दुकानदारों को कब कब दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) झालावाड़ में कौन कौन स्टाकिस्ट हैं और माल किसके द्वारा बेचा जाता है? यदि नहीं बेचा जाता तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। झालावाड़ जिले को सन् 68-69 में निम्नलिखित कोटा आवंटित किया गया है जो प्राप्त होने पर राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा सप्लाई किया जावेगा:—

जी. पी. (सफेद) चद्दरें 220 के. जी.
काली (प्लेन) चद्दरें 350 के. जी

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राजस्थान भर के लिये लघु उद्योग निगम स्टाकिस्ट है। झालावाड़ में भी माल निगम द्वारा ही बेचा जाता है। प्रश्न नहीं उठता।

झालरापाटन की लघु औद्योगिक इकाइयों की एस. एस. आई. कोटे के अन्तर्गत लोहे का माल आवंटन की तालिका (1)

क्रम संख्या	लघु औद्योगिक इकाई का नाम		अवधि					
			1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	मैसर्स सावरी आयरन इण्डस्ट्रीज झालरापाटन	काली चद्दरें	2 टन	—	—	—	—	—
2.	मैसर्स यूसुफअली आयरन इण्डस्ट्रीज, झालरापाटन	,,	$3\frac{1}{2}$ टन	—	—	—	—	—
3.	मैसर्स भारतीय स्टील वर्क्स, झालरापाटन	,,	2 टन	$1\frac{1}{2}$ टन	वी.पी. 6 टन जी.पी.-2 टन	5 टन	—	150 कि. ग्राम
4.	मैसर्स कासिम अली फैबरीकेटर, झालरापाटन	,,	4 टन	$1\frac{1}{2}$ टन	—	3 टन	—	—
5.	मैसर्स ए. एच. फैबरीकेटर्स, झालरापाटन	,,	$4\frac{1}{2}$ टन	$1\frac{1}{2}$ टन	वी.पी. 5 टन जी.पी. 1 टन लेट 1 टन	4 टन	—	—
6.	मैसर्स उसमान पुत्र शुभान फैब्री., झालरापाटन	,,	2 टन	$1\frac{1}{2}$ टन	—	—	—	—
7.	मैसर्स हसनजी लुहार, झालरापाटन	,,	2 टन	$1\frac{1}{2}$ टन	—	—	—	—
8.	मैसर्स शफी मोहम्मद आइरन इण्ड., झालरापाटन	,,	$2\frac{1}{2}$ टन	$1\frac{1}{2}$ टन	—	—	—	—
9.	मैसर्स मोहम्मद यूसुफ ब्रदर्स लुहार, झालरापाटन	,,	2 टन	—	—	3 टन	—	—

1	2		3	4	5	6	7	8
10.	मैसर्स शकूर मोहम्मद इब्राहीम, झालरापाटन	काली चद्दरें	3 टन	$1\frac{1}{2}$ टन	बी.पी. 2 टन	3 टन	—	—
					जी.पी. 1 टन	—	—	—
11.	मैसर्स शंकरलाल सुगनमल, झालरापाटन	,,	$2\frac{1}{2}$ टन				750 कि.ग्रा.	बी.पी. 150 कि.ग्रा.
12.	मैसर्स हसनजी मुस्ताजी लुहार, झालरापाटन	,,	2 टन	—	—	—	—	—
13.	मैसर्स गुलामअली आयरन इण्ड ., झालरापाटन	,,	$2\frac{1}{2}$ टन	—	—	—	—	—
14.	मैसर्स मोहम्मद हुसैन दीन मोहम्मद मोदी, झालरापाटन ..	,,	$2\frac{1}{2}$ टन	—	—	—	—	—
15.	मैसर्स यूसुफ एण्ड ब्रदर्स, झालरापाटन	,,	$1\frac{1}{2}$ टन	—	—	—	—	—
16.	मैसर्स जयहिन्द फैक्ट्री, झालरापाटन	,,	$\frac{1}{2}$ टन	—	—	—	—	—
17.	मैसर्स सुगनमल सिन्धी, झालरापाटन	,,	$\frac{1}{2}$ टन	—	—	—	—	—

हरिजनों का सामान

338. श्री भगवलाल (हिण्डोन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि खसरा नम्बर 142 ग्राम सुदर्शनपुरा जयपुर में बने हरिजनों के मकानों को तोड़ा गया था और उनका सारा सामान ट्रकों द्वारा ले जाया गया था ?

(2) यदि हां, तो वह सामान क्या क्या था ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त सामान जिनका था, उन्हें वापिस दिये जाने के आदेश हो गये थे ?

(4) यदि हां, तो वह सामान किस किस को दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि माल वापिस नहीं दिया गया तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) जी हां ।

(4) यह सामान जिन व्यक्तियों का था उनको दिया गया था । उनकी ओर से 3 प्रतिनिधियों ने रसीद दी थी जिसकी प्रतिलिपि साथ में संलग्न है ।

सूची

सूची मलबा जो आराजी खसरा नम्बर 142 ग्राम सुदर्शनपुरा में दिनांक 16-8-68 को तोड़े जाने पर प्राप्त हुआ । उसकी कीमत निम्न प्रकार है । (प्रश्न 2) ।

(1) सीमेंट की चद्दर टूटी फूटी	30
(2) ईंटों का ट्रक अन्दाजन	6
(3) कातले व पत्थर के टुकड़े	32
(4) बारसोट व सीमेंट के टूटे फूटे	6
(5) बाई व उतरने सीमेंट के	20
(6) लोहे के किवाड़ जोड़ी चार	4
(7) ऐंगले लोहे की (टुकड़े)	17

प्रतिलिपि रसीद जिसको सामान वापिस किया गया (प्रश्न संख्या 4) ।

रसीद लिख दीनी रामेश्वरप्रसाद, भगवान सहाय व घासीलाल महाजन साकिन जयपुर जो कि मौजा सुदर्शनपुरा खसरा नम्बर 142 में बने हुए हमारे मकानों को छोड़ कर जो सामान तारीख 16-8-68 को तहसील हाजा में लाकर जमा किया वह निम्नलिखित सामान वसूल पाकर रसीद लिखी:—

(1) सीमेंट की चद्दर टूटी फूटी	30
(2) ईंट ट्रक अन्दाजन	6
(3) कातले व पत्थर के टुकड़े	32
(4) बारसोत सीमेंट के टूटे फूटे	6
(5) बाई व उतरंग सीमेंट के	20
(6) लोहे की किवाड़ जोड़ी	4
(7) ऐंगल लोहे की टुकड़े	17

एस डी—रामेश्वरप्रसाद भगवान सहाय
19-6-69 19—6—69
एस. डी. घासीलाल

भगवानसहाय
19-6-69

प्रमाणित—
एस डी
19—6
तहसीलदार,
तहसील, जयपुर (जिला जयपुर) ।

राज्य की दुग्ध वितरण योजनायें

339. श्री जय राम जी अलोड़िया (निवाई): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितनी कितनी लागत की कितनी सरकारी दूध वितरण योजनाएं कब से चालू हैं ? उनके हानि लाभ के आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सच है कि जनता की मांग के अनुसार दूध नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सच है कि इन सरकारी दूध वितरण योजनाओं में भी मिलावट का दूध पकड़ा गया है ? यदि हां, तो कब कब और कहां कहां ?

(4) यह स्कीम नो-लास, नो-प्रोफिट के आधार पर चलाई जाती है या किसी अन्य आधार पर ?

उत्तर

(1) राज्य में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत केवल एक जयपुर दुग्ध वितरण योजना ही सन् 1963 से क्रियाशील है । हानि लाभ के आंकड़ों की सूची संलग्न है ।

(2) स्थानीय मांग के अनुसार ही दुग्ध वितरण करने की चेष्टा की जाती है, परन्तु गर्मी में दूध की कमी होना स्वाभाविक है, जिसकी पूर्ति हेतु बराबर प्रयास किये जाते हैं ।

(3) जी हां, मिलावट के मामले दिनांक 26-7-69, 31-8-69, 31-1-70 व 4-11-69 को जयपुर में पकड़े गये हैं एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गई ।

(4) इस स्कीम को नो-प्रोफिट नो-लोस पर चलाने का उद्देश्य रहा है एवं इसे सन् 1969-70 से व्यापारिक संस्थान के अनुरूप ले लिया गया है ।

जयपुर दुग्ध वितरण योजना जयपुर
हानि के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :–

सन्	हानि रुपयों में
1963-64	10,49,076
1964-65	5,05,620
1965-66	7,81,580
1966-67	8,47,400
1967-68	11,98,3 8
1968-69	8,61,696
1969-70	4,87,122

(दिसम्बर '69 तक)

केकड़ी में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का अभाव

340. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अजमेर जिले के केकड़ी नगर में एक भी राजकीय आयुर्वेद का औषधालय अब तक नहीं खोलने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि केकड़ी नगर की जन संख्या 15,000 व 20,000 के लगभग है और वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय होना नितान्त आवश्यक है ?

(3) क्या सरकार वहां अतिशीघ्र औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

Page No 161

(आयुर्वेद मंत्री)

उत्तर

(1) अजमेर जिले के केकड़ी नगर में चिकित्सालयान्तर्गत होम्योपेथिक औषधालय चल रहा हैं। अतः औषधालय खोलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(2) जन संख्या को देखते हुये चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(3) पहले से होम्योपैथिक औषधालय तथा ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी चालू होने के कारण नवीन औषधालय खोलने का अभी कोई विचार नहीं है ।

राजपत्रित अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

341. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कौन कौन से राजपत्रित अधिकारी कब कब से किस किस पद पर प्रतिनियुक्ति पर कहां कहां पर हैं। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या इस संबंध में कोई नियम भी बने हुए हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) उक्त अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा रहा है तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) समान पद व समान योग्यता वाले अधिकारियों में से किस किस को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जावे इसका निर्णय किस आधार पर व किस प्रकार से किया जाता है ?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका बाड़मेर द्वारा संचालित विद्युत गृह

342. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)— क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मुख्य सचिव द्वारा टेलीफोनिक आदेश प्रदान कर नगरपालिका, बाड़मेर द्वारा संचालित विद्युत् गृह सन् 1965 में आपतकालीन स्थिति में राज्य विद्युत् मण्डल को सौंप दिये थे ? यदि हां, तो राज्य सरकार अथवा विद्युत् मण्डल व पालिका के मध्य कोई एग्रीमेंट हुआ था या नहीं ? यदि एग्रीमेंट हुआ था तो उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत् मण्डल एवं नगरपालिका बाड़मेर के मध्य नगरपालिका द्वारा सौंपी गई संपत्ति की मूल्यांकन के आधारों एवं कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में तनाजा विद्युत् मंडल को सौंपे जाने के समय से है ? यदि हां, तो क्या तनाजा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विवाद को विद्युत् मंडल जानबूझ कर नगरपालिका को लाखों रुपयों की हानि पहुंचाने के लिये निपटाने में सहयोग नहीं कर रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त विवाद को निपटाने के लिये नगरपालिका बार बार आर्बीट्रेटर की नियुक्ति तय करवाने के लिये निवेदन कर रही है और विद्युत् मंडल नगरपालिका की प्रजातांत्रिक व न्यायिक उचित

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मांग को कतई स्वीकृत नहीं कर रहा है और विवाद को निपटाने में देरी कर नगरपालिका को बड़ी हानि पहुंचा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि विद्युत् मंडल बाड़मेर नगरपालिका पर रोड लाइट के व्यय के भुगतान को सरचार्ज व रोड लाइट्स बन्द करने की धमकी देकर वसूली कर रहा है ?

(6) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका ने अपनी उक्त संपत्ति के पेटे रोड लाइट व्यय को एडजस्ट करने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो उसके माने जाने में विद्युत् मंडल को क्या कठिनाई थी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(2) जी हां । राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल नगरपालिका से ली गई संपत्ति का मूल्यांकन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 के अनुसार डेप्रिसियेटेड बुक वैल्यू के आधार पर करना चाहता है जब कि म्युनिसिपल बोर्ड 'मार्केट वेल्यू' पर मूल्यांकन चाहता है। जहां तक कर्मचारियों से संबंधित मामलों का प्रश्न है नगरपालिका चाहती है कि उसके कर्मचारियों को वे सब लाभ प्राप्त हों जो उन्हें नगरपालिका की सेवा के अधीन उपलब्ध थे तथा उन्हें नया कर्मचारी न माना जाय । मण्डल के इस विषय पर निर्धारित नियम हैं और वह उस ही के अनुसार इन कर्मचारियों को ले सकता है ।

(3) जी नहीं ।

(4) नगरपालिका ने राज्य सरकार को लिखा था कि चूंकि मण्डल इस मामले को निपटाने में देरी कर रहा है आरबिट्रेटर नियुक्ति किया जावे । विद्युत् मण्डल ने इसके जवाब में नगरपालिका को साफ तौर पर बता दिया कि मामले के निपटारे में विलम्ब नगरपालिका की ओर से है क्योंकि यह वांछित रेकार्ड को उपलब्धि नहीं कर रही है ।

(5) जी नहीं ।

(6) जी हां । जब तक संपत्ति का मूल्यांकन नहीं हो जाता तब तक एडजेस्टमेंट संभव नहीं है ।

सडक निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

343. श्री मनोहर सिंह महता (मांडलगढ़):—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि त्रिवेणी बीगोद से जहाजपुर जाने वाली सड़क के लिये श्री गणपतिलाल वर्मा की जमीन ली गई ? यदि हां, तो कितने बीघा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन का नकद में मुआवजा तय हो चुका था ? यदि हां तो कितना ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री गणपतिलाल वर्मा की ही तरह जिन जिन की जमीन सड़क में ली गई उनको भी नकद के रूप में मुआवजा तय किया जाकर नकद में ही दिया गया है ?

(4) जब अन्य सब लोगों को नकद के रूप में मुआवजा दिया तो फिर केवल श्री गनपतिलालजी को ही जमीन देने का क्या

Page No 163

(श्री मनोहर सिंह महता)

कारण था ? यदि जमीन दी गई तो कितनी दी गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि जो जमीन उन्हें दी गई है वह जो मुआवजा तय हुआ उसके मुकाबले में कई गुनी ज्यादा मूल्य की है ?

(6) क्या यह भी सही है कि उसमें गोवटा नहर का पानी आता है ?

(स्थगित किया गया) ।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 329 की सूची)

Statement showing the expenditure, income and profit and loss of Farasia Farm, District Tonk.

Year	Expenditure	Income	Profit + Loss —
1967–68	7,706.04	2,705.45	(-) 5004.59
1968-69	29,718.63	6,578.60	(-) 23,140.03

OFFICE OF THE COLLECTOR, TONK

No. 942/RA *Dated* 25-4-1967.

To

The District Agricultural Officer, Tonk.

Sub:—Farm for seed multiplication

Ref:—Your D.O. No. 7947/Estt/66-67, dated 5-4-67.

The following land is allotted to the Agriculture Department for proposed seed multiplication farm.

1. Charagah land bearing Khasra No. 215-216-217 having an area 14 bigha 2 biswa, 24 bigha 3 biswa. 27 bigha 10 biswa respectively situated in village Pharasia already converted to Agriculture land *vide* this office Order No. 941 RA, dated 25-4-67.

2. Sawai Chak land Khasra No. 218 area 36 bigha 7 biswa and Khasra No. 219 area 45 bigha 13 biswa, banjar 1 situated in village Pharasia.

3. Sawai Chak land bearing Khasra No. 213/2 measuring 7 bighas. The Tehsildar should take necessary action to allot another piece of land to the allottee in exchange.

4. As for land bearing Khasra No. 131 measuring 54 bigha 8 biswas is a khatedari land situated in village Reheempura, the Distt. Agricultural Officer may initiate acquisition proceedings.

Collector, Tonk.

No. Dated

Copy forwarded to—

1. The Secretary Revenue (B) Department, Rajasthan, Jaipur, for conveying the Government sanction.
2. The Tehsildar, Tonk to make necessary entries in the land records handed over to the land mentioned in para No. 1, 2, 3 above to the Distt. Agricultural Officer as representative of the Agriculture Department.

Collector, Tonk.

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 379 की सूची)

मंत्रियों पर हुए टेलीफोन की मद में, व्यय की तालिका

क्रम सं.	मंत्री का नाम व पद	दिनांक 1-1-69 से 31-12-69 तक टेलीफोन पर हुआ कुल व्यय
1	2	3
1.	श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री	37,580.98
2.	श्री मथुरा दास माथुर, वित्त मंत्री	68,352.22
3.	श्री दामोदर लाल व्यास, गृह मंत्री ..	22,567.85
4.	श्री रामकिशोर व्यास, राजस्व मंत्री	13,715.10
5.	श्री हरिदेव जोशी, उद्योग मंत्री	24,496.45
6.	श्री बृजसुन्दर शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री	21.807.55
7.	श्री परसराम मदेरणा, खाद्य मंत्री	30,445.75
8.	श्री बरकतुल्ला खां, विधि मंत्री	9,582.70
9.	श्री अमीनुद्दीन अहमद, सा. निर्माण मंत्री ..	19,966.75
10.	श्री नारायण सिह मसूदा, वन मंत्री ..	11,906.25
11.	श्री शोभाराम, कृषि मंत्री	13,748.25
12.	श्री भीखा भाई, स्वायत शासन मन्त्री	25,157.13
13.	श्री रामप्रसाद लड्ढा, सिचाई मंत्री	25,043.55
14.	श्री अमृतलाल यादव, सहकारिता मंत्री ..	14,636.15
15.	श्री शिवचरण माथर, शिक्षा मंत्री	17,730.05
1.	श्री मनफूल सिह, राज्य मंत्री	11,897.50
2.	श्रीमती सुमित्रा सिह, राज्य मंत्री	12,300.35
3.	श्री हीरालाल देवपुरा राज्य मंत्री	13,586.95
4.	श्री जयकिशन राज्य मंत्री	11,455.25
5.	श्री बी. ए.न जोशी, राज्य मंत्री	13,288.80
उप मंत्री :—		
1.	श्री राव धीरसिंह	14,665.60
2.	श्री गंगाराम चौधरी	14,797.45
3.	श्री खेत सिह	10,698.00
4.	श्री रामदेव सिह	10,485.15
5.	श्रीमती प्रभा मिश्रा	6,454.35
6.	श्री भीमसेन	11,087.45
7.	श्री हरिसिह बेगूं	6,979.95
8.	श्री माधोसिह	16,396.05

Page No 166

1	2	3
9.	श्री प्रद्युमन सिंह	7,296.45
10.	श्री शिवचरण सिंह	8,182.55
11.	श्री कन्हैयालाल पटेल	9,549.40
12.	श्री रामचरन	7,657.20
13.	श्री जसराज	12,990.60
14.	श्री समरथ लाल	14,988.65
15.	श्री मुल्कराज थिद	15,363.45
16.	श्री बृज प्रकाश गोयल	12,940.15
17.	श्री गुरुदीप सिंह	6,611.10

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 381 की सूची)

सूची

क्रम संख्या	नाम, पिता का नाम	जाति निवास
1.	श्री पूर्णराम पुत्र श्री चन्दाराम हरीमल	ढाणी पाण्डुसर
2.	श्री भालूराम पुत्र श्री चन्दा राम नायक	दुलमेरा स्टेशन
3.	श्री नानूरा पुत्र श्री डूंगरदास वैरागी	मलकी सर गांव
4.	श्री काना राम पुत्र श्री रेखाराम	मोटोलाई
5.	श्री बेगाराम पुत्र श्री बीदाराम चमार	मादवा
6.	श्री मालूराम पुत्र श्री धर्योजी राम नायक	कागासर

Page No 168

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 388 की सूची)

क्र. संख्या	नाम ग्राम	क्र. संख्या	नाम ग्राम
1.	चोटिलाल	13.	दूवली
2.	मकन पुरा	14.	चाटेलाव
3.	दांता सनी	15.	पाली
4.	खेतावास	16.	बायद
5.	सांपा	17.	बीजा
6.	सांकनीया	18.	डिरी
7.	मागेसर	19.	पैमावा
8.	निम्बाड़ा	20.	सुन्देलाव
9.	मालेलाव	21.	भावनगर
10.	बीठू	22.	खाली
11.	सिणगारी	23.	साकदड़ा
12.	मोरिया		

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न सं. 389 की सूची)

प्रतिलिपि पत्र सं. बी।आर. 20626, दिनांक 28-9-67 ओर से निबन्धक, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर वास्ते समस्त जिलाधीश।

विषय:-स्थानान्तरण किये जाने हेतु।

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान राजस्व (ग) विभाग के पत्र संख्या एफ 3 (166) रा।ग।67, दिनांक 4-9-67 की ओर आकर्षित किया जाता है।

इस संबंध में आदेशानुसार निवेदन है कि अब आप अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें तो उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय की ओर अवश्य ध्यान देवें और अपने निरीक्षण वृत्तान्त में इस बारे में विशेष टिप्पणी दें और निरीक्षण वृतान्त का इस अंश की प्रतिलिपि इस कार्यालय को निबन्धक के व्यक्तिगत नाम पर भेजें।

प्रतिलिपि पत्र सं. बी. आर. ।एफ. 625। विस्था। 1581-1626, दिनांक 18-1-68 ओर से निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर वास्ते समस्त जिलाधीश।

विषय:-स्थानान्तरण।

आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र स. रा. म. प. 26720626, दिनांक 2-8-67 की ओर आकर्षित कर निवेदन है कि कृपया यह सूचित करें कि क्या राज्य सरकार के आदेशानुसार कनिष्ठ लिपिकों का स्थानान्तरण कर दिया गया है और यदि नहीं किया गया तो किन परिस्थितियों वश अब तक वांछित कार्यवाही नहीं की जा सकी है। अवगत कराया जावे।

प्रतिलिपि पत्र सं. रा.म. प. 276।वि.स्था। 8741-66, दिनांक 29-4-68 और से सहायक निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर वास्ते समस्त जिलाधीश।

विषय:-स्थानान्तरण किये जाने बावत।

आपका ध्यान राज्य सरकार, ने राजस्व (ग) विभाग पत्र संख्या एफ. 3 (166) रा. (ग) 67, दिनांक 4-9-67 एवं 23-3-68 की ओर आकर्षित कर निदेशानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार के उपरोक्त आदेशानुसार आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस मण्डल को शीघ्र सूचित करें साथ ही यह भी बतलावें कि आपके जिले में से अब ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका स्थानान्तरण अभी तक उपरोक्त आदेशों के उपरान्त भी नहीं किया गया है तथा क्यों?

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न सं. 395 की सूची)

दिनांक 1-1-70 को कन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर आजन्म कारावास महिला वन्दियों की सूची

क्रम संख्या	रजि स	बन्दी का नाम मय पिता।पति	जुर्म	सजा	तारीख सजा	तारीख प्रवेश	विवरण निवासी
1	2	3	4	5	6	7	8
				वर्ष			
1	111	मु. हुक्मा पुत्री हरनामसिंह ..	302 भा.द.स.	20	25-2-63	25-2-64	ग्राम तिजारा, जिला अलवर
2	5	म. मली पत्नी छींगा ..	,,	20	24 2 58	13-5-62	ग्राम जिरोता, जिला सवाईमाधोपुर
3	244	मु. मिरकी पुत्री मुखिया ..	,,	20	17-12-65	17-12-65	ग्राम सिचाना, जिला पाली
4	193	म. केसरजी पत्नी भनरासिंह ..	,,	20	30-9-64	30-9-65	ग्राम अलवर, जिला अलवर
5	10	मु. केली पत्नी बुद्धा ..	302/34 ,,	20	29-6 61	13-5-62	ग्राम रोही का खेड़ा, अजमेर
6	45	मु. नाथी पत्नी प्रभू	302 ,,	20	25-9-61	25-9-61	ग्राम बीकानेर, जिला बीकानेर
7	5	मु. जोरां पत्नी प्रभूदान ..	,,	20	23-4-62	23-4-62	ग्राम कुवीन, जिला बीकानेर
8	37	मु. नैननी पत्नी सुरायणसिंह ..	,,	20	19-5-62	20-5-62	ग्राम करनीसर, जिला गंगानगर
9	178	मु. बाली पत्नी गजानन्द ..	,,	20	8-1-63	8-1-63	ग्राम भीलवाड़ा
10	154	मु. राजा पत्नी हीरा ..	,,	20	24-2-64	24-2-64	ग्राम नीमेड़ा जिला जयपुर
11	283	मु. नानकी पत्नी होलाराम ..	,,	20	19-7-66	19-7-66	ग्राम अजमेर
12	21	मु. सुरजीत कौर पत्नी भगवानसिंह	,	20	27-5-61	9-5-62	ग्राम चक 28 एम. एल., जिला गंगानगर
13	280	मु. बादामी पत्नी नन्दा ..	,,	20	2-7-66	2-7-66	ग्राम कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा
14	225	मु. मीरां पत्नी घींसाराम ..	302/114 ,,	20	14-8-65	14-8-65	ग्राम कारोड़ा, जिला बहरोड़
15	233	म. बाली पत्नी भगतावर ..	302 ,,	20	10-11-65	10-11-65	ग्राम रुपाली, जिला भीलवाड़ा

16	160	मु. नाराणी पत्नी माला ..	,,	20 वर्ष	27-4-64	29-4-64	ग्राम जसरापुर, जिला झुंझनूं
17	297	मु. मेथी पत्नी नाथा ..	,,	20	13-10-66	17-10-66	ग्राम पडेरा, गुजरात
18	142	मु. कमली पत्नी रामसिंह ..	302/201 ,,	20	28-10-63	3-11-63	ग्राम सदासर, जिला चूरू
19	332	मु. भंवरी पत्नी रामा ..	,,	20	29-9-67	29-9-67	ग्राम छायण खुर्द, जिला चित्तौड़गढ़
20	13	मु. वरजी पत्नी रामजी ..	302 ,,	20	13-4-61	13-4-61	ग्राम बालोत, जिला डूंगरपुर
21	242	मु. कलावती पत्नी रामकुमार	,,	20	10-12 65	10-12-65	ग्राम सालरपुर, अलवर
22	416	मु. चान्दी पुत्री कता ..	,,	20	18-9-69	20-9-69	ग्राम भूमिगढ, भीलवाड़ा
23	304	मु. गंगा पत्नी खेराज ..	302/109 ,,	20	23-12-66	24-12-66	ग्राम तनऊ, जिला नागौर
24	311	मु. गुलाबी पत्नी नारायणदास	302 भा.द.स.	20	21-2-67	21-2-67	ग्राम अजमेर
25	374	मु. सुन्दर पत्नी रत्ना ..	302/34 ,,	20	31-7-68	31-7 68	ग्राम ऊंपरी, उदयपुर
26	378	मु. गीता पत्नी भंवरदास ..	302 ,,	20	30-10-68	13-11-68	ग्राम वाकरा, जालौर
27	375	मु. गौरी पत्नी त्रिलोकराम ..	302 ,,	20	14-8-68	14-8-68	ग्राम पीलवान, जोधपुर
28	359	मु. पूरन उर्फ बदामी पत्नी श्रीकिशन	,,	20	26-3-68	26-3-68	ग्राम सोढ़ाला, जयपुर
29	417	मु. चुन्नी पत्नी रावतराम ..	,,	20	6-9-69	6-9-69	ग्राम भामनसर, बीकानेर
30	402	मु. रुकमा उर्फ रुकमनी पत्नी भंवरलाल	302/309 ,,	20	1-5-69	1-5-69	ग्राम जमोला, अजमेर
31	349	म. सुखी पत्नी लीला ..	302 ,,	20			
			307 ,,	5	29-1-68	29-1-68	ग्राम रसगन, अलवर
			309 ,,	6 माह			
32	427	म. रुक्मणी पत्नी लालू ..	302 ,,	20 वर्ष	29-11-69	29 11-69	ग्राम दरिबा, उदयपुर
33	412	मु. रूप्पी पत्नी रूपा ..	,,	20	18-8-69	18-8-69	ग्राम रेलमगरा, उदयपुर
34	382	मु. लहरी पत्नी गुलाब ..	,,	20	6-1-69	6-1-69	ग्राम जैतपुरा, उदयपुर
35	424	मु. जमना पत्नी बालिया ..	,,	20	30-10-69	30-10-69	ग्राम दासन, जालोर
36	3	मु. चुकली पत्नी नानूराम ..	,,	20	28-2-58	28-2-58	ग्राम कानोता, चूरू
37	4	म. मोहरली पत्नी पूसा ..	,,	20	13-2-58	13-2-58	ग्राम बुडसन नागौर ।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 396 की सूची)

तीसरी पंच वर्षीय योजना में निम्नलिखित उद्योगों को ऋण दिया गया

वर्ष	उद्योग का नाम	ऋण की राशि
1965	मैसर्स कमानी इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि. ..	4.50 लाख
1965-66	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स.	20-00 लाख
		कुल–24.50 लाख

तीसरी पंच वर्षीय योजना के पश्चात् से अब तक निम्न-उद्योगों को ऋण दिया गया

1966-67	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	50,51,712-32
1967-68	" "	60,00,000-00
1968-69	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	50,00,000-00
1968-69	मैसर्स जयपुर उद्योग लि.	25,00,000-00
1969-70	मैसर्स महालक्ष्मी मिल्स लि.	4,50,000-00
1969-70	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	50,00,000.00
1969-70	" "	25,00,000 00
		कुल–265,01,712-37

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न सं. 398 की सूची)

पंचायत समिति	अनुमानित क्षेत्र	पंचायत समिति	अनुमानित क्षेत्र
1. लाडपुरा ..	5,000 एकड	6. अटरु ..	5,000 एकड
2. अन्ता ..	2,500 एकड	7. छाबडा ..	2,500 एकड
3. बांरा ..	1,000 एकड	8. छिपाबडौद	1,000 एकड
4. सुलतानपुरा	5,000 एकड	9. सांगोद ..	1,500 एकड
5. इटावा ..	1,000 एकड	10. चेचट	1,500 एकड

कुल योग:–26,000 एकड

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 404 की सूची)

Copy of Order No. F.1 (57) GA/A/57, dated Jaipur, the 1st November, 1957 from Chief Secretary, to the Govt. of Rajasthan, General Administration Department, Rajasthan, Jaipur.

Sub:— Rules regarding naming of Buildings or Institutions after the names of Donors.

Government has been pleased to direct that, in cases where Donors desires that the Buildings or Institutions for which they have contributed be named after them or their relatives the following rules shall be observed:—

1. In cases where 50% to 75% of the non-recurring expdr. inclusive of the cost of furniture and equipment, has been donated by a person, the institution may be named as desired by the Donor but that the word "Government" must be placed invariably after the desired name, e.g. Ramjilal Government Dispensary.

2. In cases where more that 75% of such non-recurring expenditure has been do nated by a person, the word "Government" need not be attached to the name of the Institution e.g. "Ramjilal Dispensary".

3. In cases where smaller amounts have been donated for particular blocks or works, such blocks or works may be named as desired by the donor on the lines mentioned above.

Sd/-
K. N. Subramanian,
Chief Secretary.

———

True Copy

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 405 की सूची)

1 अप्रैल 1967 से अब तक अधीस्वीकृत किये गये पत्रकारों की सूची

क्र. संख्या	पत्रकार । सम्पादक का नाम	तिथि जब से अधीस्वीकृत किया गया
1.	श्री निर्मल कुमार सम्पादक, युगचरण	15-7-67.
2.	श्री गुलाब चन्द काला, सम्पादक, जय भूमि	"
3.	श्री धीरेन्द्र जैन, प्रतिनिधि न्याय एवं सेनानी	"
4.	श्री दत्ता वामन काले, प्रतिनिधि ए. एन. एफ.	"
5.	श्री बी. बी. काले, सम्पादक, कांग्रेस पत्रिका	"
6.	श्री एस. एन. शर्मा, संवाददाता, हिन्दुस्तान टाइम्स	"
7.	श्री श्याम सुन्दर आचार्य, संवाददाता, हिन्दुस्तान समाचार	"
8.	श्री विजय भंडारी, संवाददाता, राजस्थान पत्रिका	"
9.	श्री कोशल कुमार शर्मा, संवाददाता	"
10.	श्री वासुदेव विजयवर्गीय, सम्पादक, जागरण पत्र	"
11.	श्री ओम प्रकाश गोयल, सम्पादक, सीमान्त एक्सप्रेस	"
12.	श्री विपिन प्रभाकर प्रतिनिधि, मशाल	"
13.	श्री सूरज प्रकाश थापा, सम्पादक, पंचायती समाज	"
14.	श्री केसरलाल अजमेरा, प्रधान सम्पादक, राजस्थान वार्षिकी एवं व्यक्ति परिचय	"
15.	श्री ईश्वरमल बापना, सम्पादक, आर.एन. एफ.	"
16.	श्री एस. पी. जैन, संवाददाता, आकाशवाणी	30-9-67.
17.	श्री भंवर लाल शर्मा, सम्पादक, जयपुर एक्सप्रेस	"
18.	श्री गिरेन्द्र कुमार भारतीय, सम्पादक, ब्रदरहुड	"
19.	श्री कल्याणसिंह कोठारी, संवाददाता, यू.एन. आई.	"
20.	श्री सदाशिव, संवाददाता, राजस्थान पत्रिका	"
21.	श्री डी. आर. आहूजा, संवाददाता, हिन्दुस्तान टाइम्स	"
22.	श्री कृष्ण शर्मा, सम्पादक, जय गुरुदेव	"
23.	श्री सरदार मल जैन, प्रतिनिधि ग्रामराज	"
24.	श्री सावर मल बासोतिया, सम्पादक, चिट्ठी	"
25.	श्री कैलाशचन्द्र वैद, संवाददाता, वीर अर्जुन	"
26.	श्री जिनेन्द्र कुमार, सम्पादक, यंग लीडर	"
27.	श्री रामेश्वर दयाल गुप्ता, सम्पादक, महावर नवजीवन	16-3-68.
28.	श्री तेज नारायण शर्मा, सम्पादक, तेज	"
29.	श्रीमती सावत्री चन्दा, प्रधान सम्पादक, राजधानी गजट	"
30.	श्री युधिष्टर राज शर्मा, सम्पादक, नवरत्न	"
31.	श्री एफ. सी. जैन, सम्पादक, पुर्वाविय	"
32.	श्री सूरज प्रकाश थापा, सम्पादक, वैज्ञानिक बालक	"
33.	श्री अम्बालाल माथुर, प्रतिनिधि, लोकमत	"

1	2	3
34.	श्री एम. एल. रस्तोगी, नेशनल हैराल्ड	16-12-68.
35.	श्री भंवर सेठी, पैगाम वार्षिक	,,
36.	श्री ओ. पी. गोयल, सीमान्त एक्सप्रेस	,,
37.	श्री ई. ए. थामस, दी वेस्टर्न	,,
38.	श्री किशनसिंह आजाद, आजाद सन्देश	,,
39.	श्री हरिस्वामी शिल्पी, गंगानगर पत्रिका	11-4-69.
40.	श्री अजीतसिंह गुलेरी, चिन्मय किरण	,,
41.	श्री जसवंतसिंह रकला, राजस्थान सिविल गजट	,,
42.	श्री एस. आर. पंढारकर, महाराष्ट्र टाइम्स	,,
43.	श्रीमती कुसुम महता, ललकार	,,
44.	सुश्री उषा शर्मा, जनबल	,,
45.	श्री शिवपूजन त्रिपाठी, सम्पादक, राष्ट्रदूत	15-5-69.

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 1970)

स्क.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	5	क्रा	का
2	अन्तिम	कन्सालिडेशन	कन्सोलिडेशन
4	,, 15	—	प्रश्न सं. 316
7	,, 15	सहावता	सहायता
11	,, 12	वर्चा	खर्चा
12	,, 6	श्री रामकुमार नन्दवान:	श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ) :
13	,, 6	—	प्रश्न सं. 320
13	,, 9	—	प्रश्न सं. 321
13	,, 11	—	प्रश्न सं. 322
13	अन्तिम से 10	करक	कारक
15	,, 4	अधिकारा	अधिकारी
16	,, 7	श्री न थीसिंह	श्री नत्थीसिंह
18	,, 13	325. श्री जगन्नाथ (टोडा भीम)	325. श्री जगन्नाथ (टोडाराय-सिंह) :
	,,		
19	,, 10	चन्दोबस्त	बन्दोबस्त
19	,, 6	कबिज	काबिज
20	,, 7	आधक	अधिक
21	5	दरस्वास्तें	दरख्वास्तें
21	अन्तिम से 5	नकलवीसों	नकलनवीसों
22	1	उाठनी	उठानी
22	अन्तिम से 12	अनसार	अनुसार
23	,, 16	—	प्रश्न स. 327
23	,, 13	—	प्रश्न स. 328
23	,, 11	—	प्रश्न स. 329
24	,, 14	बिजलौ	बिजली
24	,, 3	प्रकर	प्रकार
28	12	ठोरा	ठोकरा
28	17	कम	काम
28	अन्तिम से 5	होदा	महोदय
29	14	उा	उस
30	अन्तिम से 3	श्री मननसिंह दांता :	श्री मदनसिंह
31	5	तदस्य	सदस्य
31	18	था	थी
32	15	फार्मिग	फार्मिंग
42	5	श्री अमृ लाल यादव	श्री अमृतलाल यादव

1	2	3	4
42	14	दन	सदन
46	अन्तिम से 10	तरस	तरह
4[illegible]	,, 5	सन	इन
48	,, 4	—	अ के कालम नं. 11
50	,,	316. श्री ह लालाँ ह खर्रा	316. श्री हरलालसिंह खर्रा
55	,,	327. श्री भैरोंसिंह शेखाक्त (किशनपोल बाजार)	327. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल बाजार, जयपुर)
56	,, 11	खावों	खानों
60	12	किसो	किसी
63	शीर्ष	(राजस्व मंत्र)	4राजस्व मंत्री)
63	14	रकार	सरकार
65	1	प्रोवीडन्ट फड	प्रोवीडेन्ट फन्ड
70	11	कित ा	कितना
72	9	ग्रामा	ग्रामों
81	अन्तिम	म	में
85	2	स	से
89	अन्तिम से 3	कोषध्यक्ष	कोषाध्यक्ष
92	,, 9	कौ पूर्ण नह	को पूर्ण नहीं
95	14	रामकिम्शेर व्यास	श्री रामकिशोर व्यास
95	अन्तिम से 7	श्री हरदेव जोमी	श्री हरदेव जोशी
96	,, 14	शीर्पक	शीर्षक
102	7	राजव	राजस्व
102	अन्तिम से 10	(पीपल्वा)	(पीपल्दा)
102	,, 3	मांग संख्या 3	मांग संख्या 33
103	2	रिजव पोस्ट	रिजर्व पोस्ट
103	17	शाषक	शीर्षक
103	अन्तिम से 12	व्यक्तिथों	व्यक्तियों
103	,,	जस्व	राजस्व
104	,, 12	अन्तगत	अन्तर्गत
105	17	विभाव	विभाग
107 से 111	शीर्षक	मांग सं. 19—33 पर	मांग सं. 21 व 33 पर
116	अन्तिम से 13	शर्षक	शीर्षक
119	12 व 17	मांग संख्या,	मांग संख्या 1,
129	अन्तिम	मुस्य	मुख्य
130	8	175.	176.
138	शीर्षक	97	1970
138	8	215. श्री मेधराज पंवर	श्री मेघराज पंवार
138	9	6—	9—
139	2	क्रमकर	कमकर
141	शीर्ष	(श्री हरजीराम बुरड़क)	—
141	14	श्रीमती मद कोर	श्रीमती मदन कौर
145	12	मुस्य	मुख्य

1	2	3	4
145	अन्तिम से 3	रुपक	रुपया
148	,, 8	यिदा	दिया
158	7	श्री बालसिंह सेढा	श्री बालसिंह सोढा
159	अन्तिम	भूमि चरने	भूमि में चरने
160	14	टैसपार्स	ट्रैसपासर्स
161	10	हल	हल
162	9	को	हो
164	18	वार्डि ।	वडिंग
166	1	कि ।	कि एक
166	2	ें	में
168	अन्तिम से 6	श्री विजयसिं	श्री विजयसिंह
169	,,	न्तर	अन्तर
170	,, 12	कई	कोई
171	1	श्री मलचन्द डागा	श्री मूलचन्द डागा
171	17	उ ाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
173	अन्तिम से 7	इम्प्लीमट	इम्पलीमेंट
175	शीर्षक	—	अनुदानों की
175	9	निवदन	निवदन
176	8	उ पादन	उत्पादन
179	अन्तिम से 4	करान	कराने
179	,,	टवारियों	पटवारियों
182	8	म	में
182	15	स्वस्थ	स्वस्थ्य
183	शीर्षक	मां	मांग
184	3	सीघ्रतिशिघ्र	शीघ्रातिशीघ्र
186	3	अलट	अलॉट
186	7	सक	सके
186	अन्तिम से 7	एक्वायरी	एन्क्वायरी
186	,,	खती करन देत ह ।	खेती करने देते हैं ।
188	,, 5	ा	का
188	,,	दिया	दिये
191	16	उपाध्या	उपाध्यक्ष
193	अन्तिम से 14	नकसान	नुकसान
198	15	आ	आज
199	8	क	के
200	अन्तिम से 10	आदोलन	आन्दोलन
202	14	थोदा	थड़ोदा
202	अन्तिम से 14	जसोई क बिगोलिया से बड़ बीड ह	जसोई के बिगोलिया से बड़ बीड हैं
202	13	पहल जंगलात में से निकल	पहले जंगलात में से निकले
203	2	अर	और
203	4	गरब	गरीब
203	6	होत	होनी

1	2		3	4
205		4	ट	कट
207	अन्तिमसे	6	श्रीनुझार हि ह	श्री जुझार सिंह
207	,,	2	श्री जझार सिंह ।	श्री जुझार सिंह
213		4	म	मैं
216		10	खच	खर्च
218		19	श्री जुझरि	श्री जुझार सिंह
219		5	श्री तो. के. चौधरी	श्री पी. के. चौधरी
219	अन्तिम से	2	बधुई	बढ़ाई
221		15	कहा र	कहा
221		16	रलोकल	लोकल
221	अन्तिम से	12	श्री रामचन्द्र आ ि	श्री रामचन्द्र आर्य
221	,,	10	श्री पी. चोधरी	श्री पी. के. चौधरी
222	,,	6	नम्बर	नवम्बर
225	,,	10	श्री उपयध्क्ष	श्री उपाध्यक्ष
231	,,	11	महरान	महारानी
239	,,	9	उपध्यक्ष	उपाध्यक्ष
241	शीर्षक		अनुदाना की मांग संख्या	अनुदानों की मांग संख्या
243	अन्तिम से	13	श्री उ ा ा ध्क्ष	श्री उपाध्यक्ष
243	,,	10	सदय	सदस्य
243	,,	9	श्र शम्भूराम पटेल	श्री शम्भूराम पटेल
244	,,	10	श्री विट्ठल शर्मा	श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा
245	,,	13	दल ताबाद	दौलताबाग
245	,,	11	क	के
245	,,	7	का	को
246		14	अपन	अपने
253	अन्तिम से	2	फलाने	फैलाने
255	शीर्षक		27 मार्च	27 मार्च
257		10	अदर	अन्दर
260		1	श्री उ ा ध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
263	शीर्षक		अनुदानों का	अनुदानों की
267		10	करक	करके
267		14	नितेदन	निवेदन
270		18	देन	देने
272	अन्तिम से	13	रग	रोग
272	,,	8	मयानक	भयानक
273		7	श्री नथसिंह	श्री नत्थीसिंह
273		11	श्री प्रेमसिंह सिघव	श्री प्रेमसिंह सिंघवी
273		13	श्री राणसिंह	श्री नारायण सिंह मसूदा
274		15	श्री विज सिंह	श्री विजय सिंह
274		20	श्री प्रे ासिंह सिंघवी	श्री प्रेमसिंह सिंघवी
276		6	श्री नारय सिंह	श्री नारायण सिंह मसूदा
277	अन्तिम से	7	श्री नारायण ि ह	श्री नारायण सिंह मसूदा

1	2	3	4
278	अन्तिम से 15	सद य	सदस्य
278	,, 13	श्री ।।। यणसिंह	श्री नारायण सिंह मसूदा
278	,, 12	श्री रोशन ।:ल	श्री रोशन लाल शर्मा
278	,, 10	श्री नुझारसिंह	श्री जुझार सिंह
280	13	श्री नारायणसिंह	श्री नारायण सिंह मसूदा
281	17	श्री कृष्णकुमार गोयल	श्री कृष्णकु मार गोयल
285	अन्तिम	थ	थे
286	अन्तिम से 5	श्री रतनलाल रो	श्री रतन लाल रोत
287	10	आवश्यकाा	आवश्यकता
288	8	श्री ना ायण सिंह	श्री नारायणसिंह मसूदा
289	9	क	के
291	5	ैर	और
295	2	प्रेस	पेश
295	10 व 16	गुलटिन	बुलटिन
298	11	मग संख्या 42	मांग संख्या 42
301	अन्तिम से 3	य	क्रय
303	,, 9	का	को
304	,, 4	जिल	जिले
305	,, 4	अभि यता	अभियन्ता
312	,, 12	बी ाा	बीघा
314	2	संखा	संख्या
315	अन्तिम से 12	राक्य मंत्री	राज्य मंत्री
315	,, 10	श्री बी. एन. जोशी	श्री बी. एन. जोशी
323	,, 2	सुलतान पुरा	सुल्तान पुरा